वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

आई आई एफ सी एल
IIFCL
(ISO:9001:2015)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

इंडिया इन्फ्रॉस्ट्रक्चर फाइनेंन्स कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन: U67190DL2006GOI144520
5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
टेलीफोन: +91-11-24662777, फैक्स: +91-11-20815125, 20815117
वेबसाइट: www.iifcl.org

दृष्टि

भारत में विश्व स्तरीय अवसंरचना के संवर्धन व विकास के लिए
नवोन्मेषी वित्तपोषण के साधन उपलब्ध कराना

मिशन

अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण में सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाना एवं अवसंरचना क्षेत्र के विकास को सुविधापरक बनाते हुए मूल क्षमताओं का विकास करना।
व्यावसयिक तरीके में सेवाएं प्रदान करने एवं सभी पणधारकों की संतुष्टि के लिए अत्यंत समर्पित कर्मचारियों की टीम तैयार करना।

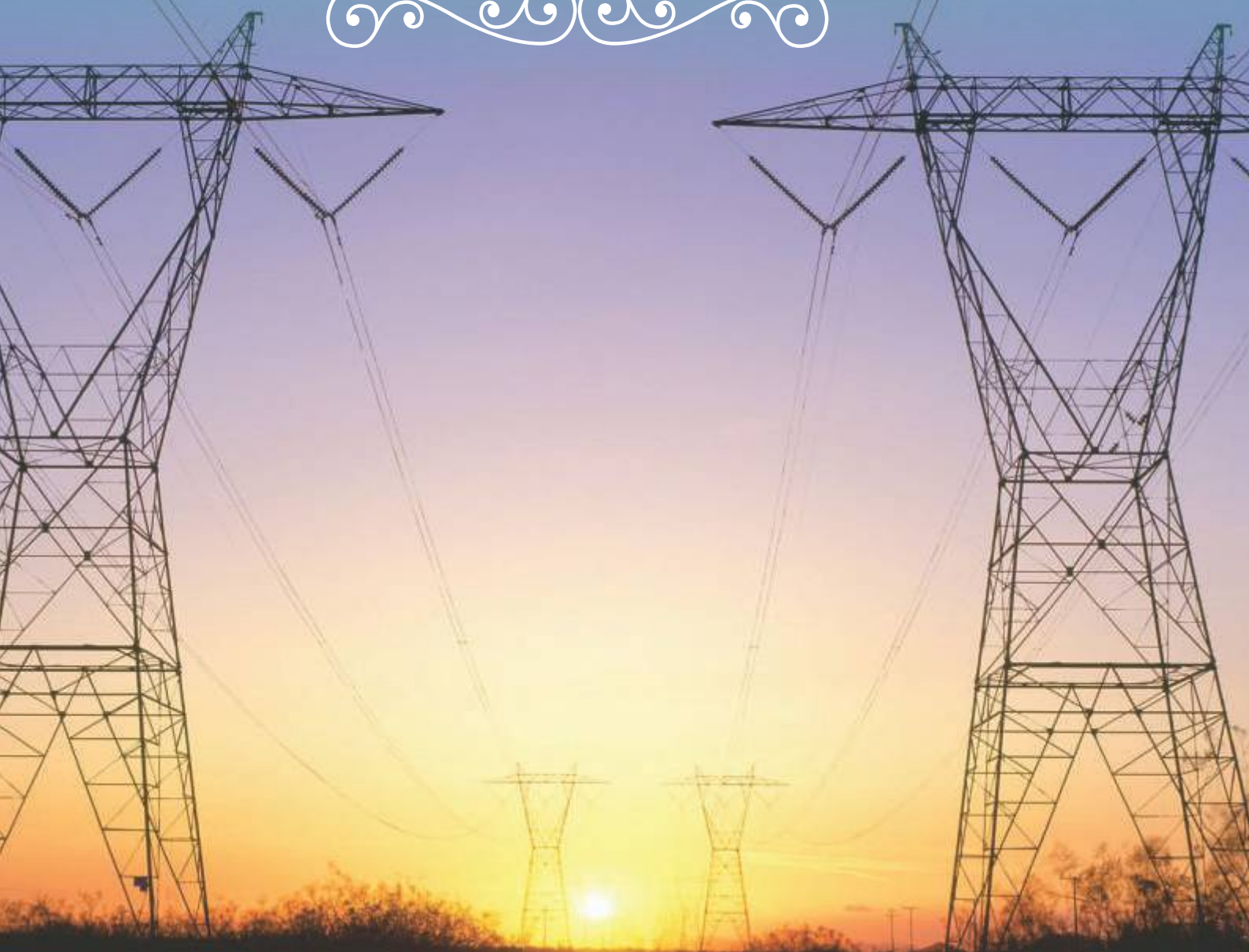

प्रबंध निदेशक की कलम से

देवियो और सज्जनो,

आपकी कंपनी की 15वीं वार्षिक आम सभा के शुभ अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है।

वर्ष 2019–20 अवसरों और चुनौतियों से भरा रहा है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 की अवधि को ध्यान में रखकर 111 लाख करोड़ रुपये की कुल पूंजी के साथ नवंबर, 2019 को शुरू किया गया नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी), 2020 सरकार की एक अनूठी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य परियोजना की तैयारी में सुधार लाना तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश (घरेलू और विदेशी दोनों) की संभावनायें तलाशना है। यह 2025 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत सरकार की यह पहल आईआईएफसीएल के लिए बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के क्षेत्र में अपने योगदान की प्रतिबद्धता साबित करने के अपार अवसर भी प्रदान करती है।

हालांकि, वित्त वर्ष की समाप्ति में जिस प्रकार कोविड–19 का प्रकोप देखा गया, उसने अर्थव्यवस्था के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां पैदा कीं। इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र कोई अपवाद नहीं है और कोविड–19 के कारण लगाये गये लॉकडाउन एवं इसके कारण उत्पन्न व्यवधानों से यह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस कालखंड में श्रमिकों के पलायन के कारण परियोजनाओं का निष्पादन बहुत धीमा हो गया, जिससे समय व लागत दोनों बढ़ गई, नई परियोजनाएं देने में देरी हुई तथा विकासकों की आमदनी में विशेष रूप से सड़क व बिजली क्षेत्र में मांग कम होने के कारण भारी कमी आई।

जून, 2020 के बाद से लॉकडाउन पर ढ़ील देने एवं अर्थव्यवस्था को धीरे–धीरे में खोलने से धीरे–धीरे मांग फिर से शुरू हो रही है और जल्द ही विकासकों के लिए राजस्व प्रवाह में सुधार होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, जैसे की एनआईपी आकार लेगा, नई प्रक्रियाधीन परियोजनाओं के माध्यम से लंबे समय तक चलने में भी काफी सुधार आने की उम्मीद है। रेलवे में स्टेशनों के पुनर्विकास, सड़क क्षेत्र में मिश्रित वार्षिकी मॉडल आधारित परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा एवं शहरी गैस वितरण सहित नये क्षेत्रों में भी अल्प अवधि से लेकर माध्यम अवधि के वित्तपोषण में बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद जताई गई है। इस संबंध में आईआईएफसीएल बुनियादी ढांचें के वित्तपोषण में बड़े पैमाने पर योगदान देने एवं एनआईपी के तहत महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सहायता करने के लिए पूर्णतया तैयार है।

वर्ष 2019–20 के दौरान देश में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए, आईआईएफसीएल ने मार्च, 2020 तक 605 परियोजनाओं को 1,35,939 करोड़ रुपये की संचयी सकल मंजूरी को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष ऋण, टेकआउट वित्त, पुनर्वित्त एवं ऋण संवृद्धि के तहत 9,337 करोड़ रुपये की सकल मंजूरियां प्रदान की। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के दौरान सभी योजनाओं के अंतर्गत किया गया संवितरण मार्च, 2020 को 410 परियोजनाओं के 71,916 करोड़ रुपये के संचयी संवितरण को देखते हुए विगत वर्ष में 5,765 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 6,015 करोड़ रुपये हो गया।

आईआईएफसीएल द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, भारत सरकार ने मार्च 2020 में मई, 2019 में 500 करोड़ रुपये की पूंजी के अतिरिक्त, पुनर्पूंजीकरण बांड के तौर पर 5,300 करोड़ रुपये की इक्विटी का निवेश किया जिसके परिणामस्वरूप मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को आईआईएफसीएल की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर 9,999.92 करोड़ रुपये हो गई एवं कंपनी के समक्ष आगे उधार देने की एक्सपोजर सीमा खुल गई। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021 के केंद्रीय बजट में पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के माध्यम से इक्विटी के तौर पर 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रावधान किया गया है।

वित्त वर्ष 2018–19 से भारतीय लेखांकन मानक अपनाने के उपरांत आईआईएफसीएल में अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल)–अधारित दृष्टिकोण के कारण प्रावधानीकरण अपेक्षाओं में बढ़ोत्तरी हुई। आईआईएफसीएल ने मार्च 2020 तक 2,056.91 करोड़ रुपये की सीमा तक अतिरिक्त संचयी प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 1,222.97 करोड़ रुपये की ऋण आस्तियों के प्रावधानीकरण एवं बट्टे खाते में डाले जाने के कारण उत्पन्न अतिरिक्त दबाव के बावजूद, आईआईएफसीएल मुख्य तौर पर 295.24 करोड़ रुपये की ऋण आस्तियों के क्षति पर आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) के सृजन के कारण 51.20 करोड

रुपये का लाभ दर्शाने में सफल रहा।

आपकी कंपनी ने विभिन्न मंचों के माध्यम से सरकार को अपनी सूचनाएं प्रदान करना और नीतिगत समर्थन करना जारी रखा है। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल को एनआईपी की अंतर–मंत्रालयी संचालन समिति के परियोजना वित्त पर उप–समूह के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया है। आईआईएफसीएल इस मंच में क्षेत्र के वित्तपोषण में सुधार की दिशा में केन्द्रित सुझाव प्रदान करने में सक्रिय रूप से भाग ले रहा हैं। आपकी कंपनी लंबित मुद्दों को निपटाने मुख्य तौर पर एनएचएआई द्वारा भुगतान न करने के संबंध में उद्योग व सरकार के साथ सक्रिय रूप से भाग ले रही है।

अब, मैं समष्टिगत आर्थिक स्थिति, बैंकिंग क्षेत्र की हालत एवं बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रगति की समग्र स्थिति समेत बाहरी कारोबारी परिवेश के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी कंपनी के प्रदर्शन व संभावनाओं पर इसका व्यापक असर पड़ता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्ष 2018–19 में 6.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019–20 में गत 11 वर्षों में सबसे धीमी गति के साथ 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं जिस प्रकार कोविड–19 ने पहले से ही धीमी अर्थव्यवस्था दबाव डाला उससे लॉकडॉउन जैसे व्यवधानों के कारण निकट भविष्य में भारत की आर्थिक संभावनाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुई जिसके कारण उपभोक्ताओं में विश्वास की कमी और जोखिम में वृद्धि हुई। कोविड–19 से पूर्व औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) मे दिसबर, 2019 के आखिर मे 0.3 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि की गई, लेकिन पुनः फरवरी, 2020 मे 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सूचकांक में जुलाई 2019 के बाद उच्चतम स्तर देखा गया। हालांकि, कोविड–19 के उपरांत, 'लॉकडाउन' के कारण अप्रैल महीने में आईआईपी में रिकॉर्ड 55.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति आरबीआई के 6 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से बढ़कर जून 2020 में 6.09 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो मार्च, 2020 एवं मार्च, 2019 में क्रमशः 5.91 प्रतिशत 2.85 प्रतिशत थी।

वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने एवं वित्तीय संस्थानों और लोगों द्वारा झेली जा रही चलनिधि के दबाव को कम करने के उद्देश्य से, सरकार एवं नियामकों ने इस संबंध में कई नीतिगत उपाय किए हैं। मई 2020 में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई, एनबीएफसी, बिजली वितरण कंपनियों, कृषि क्षेत्र, प्रवासी श्रमिकों आदि को सहायता देने वाले 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रूपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इसमें मार्च 2020 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये चलनिधि उपाय भी शामिल हैं। फरवरी, 2019 से रेपो दर में कुल 250 आधार अंकों की कमी की गई एवं जुलाई, 2020 तक यह 4 प्रतिशत दर्ज किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के अनुसार, फरवरी, 2020 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये चलनिधि उपाय लगभग 9.57 लाख करोड़ रुपये (2019–20 के काल्पनिक जीडीपी के लगभग 4.7 प्रतिशत के बराबर) के हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदारों को ऋण अदायगी पर छह महीने की मोहलत देकर राहत प्रदान की। आपकी कंपनी ने भी इस योजना के तहत 11,500 करोड़ रुपये के कुल मूलधन बकाये वाले लगभग 80 खातों में 300 करोड़ रुपये का मूलधन ऋण स्थगन एवं 650 करोड़ रुपये का ब्याज ऋणस्थगन का प्रावधान किया। भारतीय रिजर्व बैंकने उन परियोजनाओं पर कोविड–19–संबंधित दबाव के लिए एक समाधान ढांचा भी निकाला है जिनका अपेक्षाकृत पिछला रिकार्ड अच्छा था लेकिन इस महामारी से प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त, पूंजी बाजार नियामक सेबी ने ऋणदाताओं से संबंधित लिखतों पर चूक से संबंधित मानदंडों में ढील दी। उपरोक्त कदमों ने व्यवस्था में चल रही चलनिधि को बनाए रखने की भावना को मजबूती प्रदान करने मे सहायता की।

बाहरी मोर्चे पर, वित्त वर्ष 2019–20 में भारत का एफडीआई प्रवाह 13 प्रतिशत से बढ़कर 49.97 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। 17 जुलाई, 2020 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 517.63 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा एवं इसने उच्च पोर्टफोलियो प्रवाह तथा तेल की कम कीमतों के कारण बाहरी झटके को मजबूती प्रदान करना जारी रखा है। व्यापारिक संतुलन की बात करें तो गत 18 से अधिक वर्षों के अंतराल के उपरांत जून, 2020 में 0.8 बिलियन अमरीकी डालर का अधिशेष दर्ज किया गया।

हालांकि, आर्थिक सुधार के लिए नकारात्मक जोखिम अभी भी बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार, मार्च, 2021 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में आर्थिक गतिविधि 4.5 प्रतिशत तक सिकुड़ने की संभावना है, हालांकि वित्त वर्ष 2022 में इसमें पुनः 6 प्रतिशत तक के उछाल आने की संभावना भी व्यक्त की गई है। आर्थिक गतिविधि में पूर्ण बदलाव टीके की खोज, मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए सहायता, साथ ही मांग व आपूर्ति की स्थिति में सुधार जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगा।

बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को निरंतर मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों में अनेक उपाय कर रही है। सरकार ने अपनी पूंजी की स्थिति को मजबूती देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की महत्वपूर्ण पहल की है। वर्ष 2015–16 एवं 2019–20 के बीच, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल 3.08 खरब रुपये का निवेश किया है। सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मेगा समेकन अभ्यास, जो अप्रैल 2020 में लागू हुआ, ने वर्ष 2017 में देश की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से 12 (सात बड़े बैंक सहित) नीचे ला दी है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बड़े पैमाने पर कामकाज करने व तालमेल बैठाने में क्षमता में सुधार की उम्मीद है। सरकार ने न्यायसंगत एवं स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पीएसबी सुधार ईज (इन्हांसड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस) एजेंडा की शुरूआत भी की। एनपीए के रूप में विरासत में मिले दबाव की पहचान पूरा करने के उपरांत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मजबूत वित्तीय स्थिति और संस्थागत प्रणालियों के साथ पुनः लाभ की स्थिति में आ गये हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बेहतर वित्तीय स्थितिसे दिखाई पड़ता है जैसा कि एनपीए, वसूली, सीआरएआर और प्रावधान कवरेज अनुपात जैसे कई मापदंडों में भी परिलक्षित होता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जून, 2020) के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल एनपीए अनुपात (जीएनपीए) एवं निवल एनपीए (एनएनपीए) अनुपात, जो मार्च 2019 तक 9.3 प्रतिशत तथा 3.7 प्रतिशत तक पहुंच गया था, उसमें मार्च 2020 तक क्रमशः 8.5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत तक की गिरावट आई। उद्योग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख उप–क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जीएनपीए अनुपात (बैंक में औद्योगिक क्षेत्र में ऋण में 36.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ), अवधारणात्मक गिरावट देखी गई और मार्च, 2020 तक 13.1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। पूंजी पर्याप्तता के संबंध में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीआरएआर में मार्च 2019 में 14.3 प्रतिशत से मार्च 2020 में 14.8 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई।

हालांकि, वित्त वर्ष 2019–20 के उत्तरार्द्ध में ये सुधार कोविड–19 के प्रकोप के कारण रोक दिए गए। वर्ष–दर–वर्ष की ऋण वृद्धि जो वर्ष 2019–20 की पहली छमाही के दौरान पहले से ही कमजोर पड़ गई था, मार्च, 2020 तक 5.9 प्रतिशत तक गिर गई और जून, 2020 की शुरुआत तक जस की तस बनी रही जो बैंकों के बीच बढ़े हुए जोखिम की विकृति और अर्थव्यवस्था में मंदी को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दबावग्रस्त परीक्षण से संकेत मिलता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात मार्च, 2021 तक बेसलाइन परिदृश्य में 12.5 प्रतिशत जबकि अति गंभीर दबावग्रस्त परिदृश्य में 14.7 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त, सीआरएआर में मार्च, 2021 तक बेसलाइन परिदृश्य में 13.3 प्रतिशत जबकि अति गंभीर दबावग्रस्त परिदृश्य में 11.8 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। फिच रेटिंग्स के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी से संबंधित व्यवधानों के कारण भारत के बैंकिंग क्षेत्र को पूंजी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय बैंकों को मध्यम दबावग्रस्त परिदृश्य के तहत 10 प्रतिशत भारित–औसत सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात को पूरा करने के लिए नई पूंजी में कम से कम 15 बिलियन अमरीकी डॉलर की आवश्यकता होगी। यदि अर्थव्यवस्था कोविड–संबंधी व्यवधान से उबरने में विफल रहती है तो उच्च–दबावग्रस्तता की स्थिति में यह लगभग 58 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ सकती है।

बैंक एनबीएफसी के लिए धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं, क्योंकि अतीत में ऋण बाजारों में नकदी का अभाव सा हो गया था। बैंकों के वित्तपोषण में कोई भी कमजोरी एनबीएफसी क्षेत्र को ऋण देने के लिए उपलब्ध नकदी में रुकावट पैदा करेगी। फिच रेटिंग्स के अनुसार, विस्तारित क्रेडिट संकुचन से एनबीएफसी सहित वित्तीय क्षेत्र के लिए परिसंपत्ति की गुणवत्ता के जोखिम के बढ़ने की संभावना है, जो कोविड–19 की के प्रकोप के बीच पहले से ही आर्थिक मंदी के दबाव से गुजर रही है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई एफएसआर जुलाई, 2020 के अनुसार, यह महामारी एनबीएफसी के लिए प्रणालीगत जोखिम को और बढ़ा सकती है। नकदी के दबाव को कम करने एवं इस क्षेत्र में लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनेक उपाय किये गये। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी को आदेश दिया है कि वे जोखिम की पहचान, जोखिमों के आकलन और शमन की प्रक्रिया में शामिल रहने वाले कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ नियुक्त करें। आपकी कंपनी ने भी वर्ष 2019–20 के दौरान जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक सीआरओ नियुक्त किया है।

भारत में अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र

एनआईपी के कार्य बर्ल की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा स्रोतों से वित्त वर्ष 2020–25 के दौरान खर्च होने वाले 111 लाख करोड़ कैपेक्स का 83–85 प्रतिशत तक का वित्तपोषण किया जा सकता है। वित्तपोषण अंतराल (6–8 प्रतिशत) के कुछ

अनुपात नए विकास वित्तीय संस्थानों (डीएफआई) की स्थापना और केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर प्रचालनात्मक परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के लिए परिसंपत्ति मौद्रीकरण के रूप में उपयोग करके भरा जा सकता है। इससे एनआईपी के वित्तपोषण में लगभग 8–10 प्रतिशत की कमी आएगी। इसलिए, इस क्षेत्र के वित्तपोषण के नए एवं नवोन्मेषी साधन तलाशने एवं क्षेत्र विशेष संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत करने की तत्काल आवश्यकता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान प्रमुख अवसंरचना उप–क्षेत्रों के कुछ विशिष्ट निष्पादन एवं आगे की राह निम्नानुसार हैं:

सड़क एवं राजमार्ग

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विगत कुछ वर्षों में, सरकार ने देरी को कम करने एवं निर्माण की गति को तेज करने के लिए सड़क तथा राजमार्ग क्षेत्र में अनेक पहलों की शुरूआत की है। सरकार की इन पहलों में रुकी हुई परियोजनाओं को शुरू करना, भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित करना एवं बोलियां आमंत्रित करने से पूर्व भूमि के अधिकांश हिस्से का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, मंजूरी आदि के संदर्भ में परियोजना की पर्याप्त तैयारी के उपरांत परियोजनाओं का कार्यादेश देना, अन्य मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ समयबद्ध तरीके एवं परस्पर समन्वय करते हुए कार्यक्षेत्र में बदलाव एवं समय बढ़ाने से संबंधित मामलों का निस्तारण शामिल है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 3,979 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जो किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक है। हालांकि, वर्ष के दौरान नई परियोजना (अधिकांश अभियंत्रण–खरीद–निर्माण माध्यम वाली) प्रदान करने की संभावना कम ही रही। निजी क्षेत्र की अपेक्षाओं को बुरी तरह प्रभावित करने वाले कोविड–19 महामारी को देखते हुए, सरकार की परियोजना के कार्यादेश देने के ईपीसी मोड पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। इस तरह सरकार सड़क क्षेत्र के वित्तपोषण के नए रास्ते भी तलाश रही है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) की स्थापना भी शामिल है। आपकी कंपनी एनएचएआई और सरकार के साथ एनएचएआई द्वारा लंबित समापन भुगतानों के निपटान में तेजी लाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है।

विमानपत्तन

विमानपत्तन क्षेत्र में, यात्री एवं माल भाड़ा की वृद्धि दर में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 में क्रमशः 1.1 प्रतिशत व 6.6 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि कोविड–19 से संबंधित व्यवधानों के कारण विमानन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, फिर भी निकट भविष्य में इस क्षेत्र में गतिविधियाँ बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि अब आर्थिक गतिविधियाँ धीरे–धीरे सामान्य हो रही हैं। विमानपत्तन क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के उददेश्य से सरकार वर्तमान में जन निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के तहत छह हवाई अड्डों – लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, गुवहाटी, मैंगलोर एवं तिरुवनंतपुरम को विकसित कर रही है। इसके अतिरिक्त, निवेश को आकर्षित करने के लिए निजी खिलाड़ियों को अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची में छह और हवाई अड्डों की बोली लगाने की योजना है।

रेलवे

भारतीय रेलवे माल ढुलाई में सड़कों से और यात्रियों की आवाजाही में एयरलाइंस में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। अन्य परिवहन साधनों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने के लिए, वर्तमान रेलवे बुनियादी ढांचे के उन्नयन व विस्तार की तत्काल आवश्यकता है। यह इस क्षेत्र में अनुकूल नीति एवं नियामक परिवेश तैयार करते हुए अधिक से अधिक निजीकरण करने का संकेत देता है। पहली बार इस तरह के कदम में, भारतीय रेल ने जुलाई, 2020 में 151 आधुनिक ट्रेनों के माध्यम से 109 जोड़े मार्गों पर निजी भागीदारी के लिए अर्हता हेतु अनुरोध आमंत्रित किया। इस परियोजना में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निजी क्षेत्र का निवेश होगा। इसके साथ ही, भारतीय रेलवे की एक रेलवे नियामक स्थापित करने की योजना भी बना रहा है जो इसे निजी ऑपरेटरों को यात्री ट्रेन सेवाएं चलाने की अनुमति देने की प्रक्रिया आरंभ करेगा।

सरकार ने रेल पटरियों के साथ–साथ रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की भी योजना बनाई है। हबीबगंज, भोपाल में भारत के पहले स्टेशन का पुनर्विकास पूरा होने वाला है और इसे वित्त वर्ष 2020–21 के आखिर से पहले पूरा किया जाना है। आपकी कंपनी ने इस परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, जन निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से चार और स्टेशनों के पुनर्विकास की परियोजनाएँ शुरू करने की योजना है।

बन्दरगाह

बन्दरगाह क्षेत्र में, सागर माला पहल के तहत, 30 सितंबर, 2019 तक, 6 लाख रुपये से अधिक की कुल परियोजना लागत को पूरा करने वाली कुल 574 परियोजनाएं कार्यान्वयन, विकास और पूर्णता के विभिन्न चरणों में थीं। हालाँकि, इस पहल के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति कई कारणों से धीमी बनी हुई है जैसे अनुमोदन प्राप्त करने में

देरी, भूमि अधिग्रहण, स्थानीय विरोध प्रदर्शन, पर्यावरण संबंधी चिंताएँ, अपेक्षित मात्रा में वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि और वित्तपोषण में देरी। जहाजरानी मंत्रालय बन्दरगाह विकास, 'द मैरीटाइम विजन 2030' के लिए एक नया ब्लू प्रिंट तैयार करने की प्रक्रिया में है ताकि इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रमुख बन्दरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020, जिसे अभी संसद द्वारा पारित किया जाना है, में प्रत्येक बन्दरगाह के लिए प्रमुख बन्दरगाह प्राधिकरण का सृजन (मौजूदा पोर्ट ट्रस्टों को बदलना) और टेरिफ व्यवस्था के लिए बन्दरगाह प्राधिकरण को और अधिक लचीलापन प्रदान करना आदि जैसी कुछ प्रगामी विशेषताएं शामिल हैं।

अंतर्देशीय जलमार्ग

सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से सुरक्षित आवाजाही एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष अंतर्देशीय जलयान बिल 2020 का मसौदा पेश किया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही एवं विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित जलमार्ग विकास परियोजना (जेवीएमपी) में तेजी से प्रगति देखी जा रही है जैसा कि यह परियोजना पूर्ण होने के चरण में है। यह अंतर्देशीय जलमार्ग को आवागमन को विशेष रूप से कार्गो की आवाजाही के संबंध में एक सस्ते और अधिक पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देने में मदद करेगा। आवश्यक निवेश को आकर्षित करने के लिए इस तरह के कदम इस क्षेत्र निश्चित ही सकारात्मक कदम साबित होंगे।

बिजली

विद्युत क्षेत्र में, भारत में पावर स्टेशनों की अखिल भारतीय स्थापित क्षमता मार्च 2020 तक 370 गीगा वाट तक बढ़ गई है जो मार्च, 2019 तक 356 गीगा वाट थी। वर्ष 2019–20 के दौरान, पनबिजली, परमाणु एव नवीकरणीय क्षेत्रो से उत्पादन में क्रमश: 15.5 प्रतिशत, 22.9 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई जबकि इसी अवधि में तापीय उत्पादन में 2.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। यह गिरावट काफी हद तक आम आर्थिक मंदी, औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की कम मांग, बिजली खरीदने की वित्तीय अक्षमता और ऊर्जा दक्षता उपायों के अभाव के कारण थी।

एनआईपी के कार्य बल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का मिशन, ऊर्जा क्षेत्र में तीव्र विकास पर टिका है। बिजली उत्पादन खंड का प्रारंभिक ध्यान पारंपरिक स्रोतों से नवीकरणीय बिजली स्रोतों पर चला गया है इसी उद्देश्य से सरकार ने एनआईपी के तहत दिसंबर, 2022 तक 175 गीगावॉट और मार्च, 2025 तक 240 गीगावॉट की अक्षय ऊर्जा–आधारित उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के अनुरूप, पारेषण क्षेत्र (ट्रांसमिशन सेक्टर) का पूरा फोकस अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की निकासी के लिए पारेषण (ट्रांसमिशन) के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर केन्द्रित हो गया है। इस तरह के कार्यनीतिक बदलावों के लिए अगले कुछ वर्षों में बिजली क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता है। इसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण भंडार में क्षेत्र आधारित सुधारों की नितांत आवश्यकता है। ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं निवेश की गतिविधियों को कमजोर करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 जारी किया। यह विधेयक निजीकरण के दायरे का विस्तार करने, संविदाओं की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए विद्युत संविदा प्रवर्तन एजेंसी (ईसीईए) की स्थापना, लागत–प्रभावी टैरिफ को अनिवार्य करने तथा भुगतान सुरक्षा तंत्र को संस्थागत रूप देते हुए सब्सिडी व्यवस्था से दूर करने जैसे कई नीतिगत उपाय निर्धारित करता है। इस तरह के कदम स्वरूप में प्रगतिशील हैं एवं भारतीय बिजली क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों को कम करने में अवश्य मदद करेंगे।

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर, अप्रैल एवं मई, 2020 के लॉकडाउन के महीनों में बिजली की मांग में भारी गिरावट देखी गई जिससे पहले से ही संकटग्रस्त राज्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर भारी वित्तीय दबाव पड़ा। नतीजतन, सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज के इन डिस्कस भाग में 90,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की घोषणा की। हालांकि, क्रिसिल रिसर्च के अनुसार, यद्यपि यह पैकेज राहत प्रदान करता है तथापि इस क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधार अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।

शहरी अवसंरचना

तीव्र शहरीकरण के कारण शहरी सेवाओं की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है जैसे कि स्वच्छ पेयजल, ठोस कचरा प्रबंधन, शहरी आवागमन समाधान, किफायती आवास, जलमग्न एवं सीवेज प्रबंधन, शहरी सड़कें पैदल मार्ग तथा सार्वजनिक स्थलों आदि की पहुँच है, जिसे वित्त वर्ष 2020–25 तक के लिए शहरी क्षेत्र हेतु एनआईपी के अंतर्गत लगभग 19.19 लाख करोड़/रुपये का अनुमानित प्रावधान केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए किया गया है। यह एनआईपी के अंतर्गत कुल आबंटन का लगभग 17 प्रतिशत बनता है, इसलिए शहरी अवसंरचना पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आर्थिक वृद्धि, गरीबी, उन्मूलन एव बेहतर जीवन स्तर जुड़ा हुआ है। शहरी सेक्टर में निजी भागीदारी को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने हेतु सही माहौल बनाने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर कुछ सीवेज शोधन संयंत्रों को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत प्रतिस्थापित किया

गया है जिसको एचएएम के माध्यम से निधियां दी गई है और उनमें प्रारंभिक सफलताएं परिलक्षित हो रही हैं। शहरी विकास में ऐसे ही प्रतिमान (माडल) अन्य क्षेत्रों में दोहराए जा सकते हैं जैसे कि जल अवसंरचनाएं अवश्य विचारणीय हैं। इसके अलावा स्थानीय निकायों को एक वृहद भूमिका निभाना चाहिए और राजस्व के वैकल्पिक स्रोत के तौर पर नवाचारी वित्तीय प्रक्रम तैयार कर सकते हैं। अधिकतर शहरी निकायों को अपनी वित्तीय पर निर्भरता को घटाने के लिए निश्चित रूप से नैगमिक बांड जारी करके बाजार से पूंजी अर्जित करनी चाहिए।

अन्य उभरते अवसंरचना उप–क्षेत्र

स्वास्थ्य सेवा जैसे अन्य क्षेत्र भी अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सरकार की योजना है कि पीपीपी प्रणाली में अस्पताल स्थापित करने के लिए अर्थक्षमता अंतर को पाटने के लिए वित्तपोषण विंडो स्थापित की जाए। लॉजिस्टिक क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार की एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति बनाने की योजना है जो एकल विंडो लॉजिस्टिक नीति बाजार तैयार करेगी और रोजगार, कौशल तथा प्रतियोगी लघु उद्योग निर्माण पैदा करने और एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने में केंद्रित होगी।

इस प्रकार, जबकि पाइपलाइन की परियोजना अल्पावधि में कमजोर हो सकती है लेकिन मध्यम–से–लंबी अवधि के लिए विभिन्न अवसंरचना उप–क्षेत्रों मे अपार अवसरों के द्वारा खोल सकती हैं जिनका आईआईएफसीएल आसानी से लाभ उठा सकता है।

आईआईएफसीएल के प्रचालन और मुख्य वित्तीय विशेषताएं

इस पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए, मैं अब वर्ष 2019–20 के दौरान आईआईएफसीएल के प्रचालन और वित्तीय निष्पादन को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

प्रचालनात्मक विशेषताएं

प्रत्यक्ष ऋण:

- **सकल मंजूरियां:** वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक 8,71,577 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 497 परियोजनाओं में प्रत्यक्ष ऋण के तहत (गौण कर्ज सहित) 90,050 करोड़ रुपये की संचयी सकल मंजूरियों के साथ 3,647 करोड़ रुपये की वृद्धिशील सकल मंजूरियां की।
- **वित्तीय पूर्णता:** मार्च, 2020 तक प्रत्यक्ष ऋण के तहत 374 निवल स्वीकृत मंजूरियों में से 354 परियोजनाओं यानि 95 प्रतिशत तक की वित्तीय पूर्णता का लक्ष्य हासिल किया गया।
- **संवितरण:** वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक 5,49,233 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 393 परियोजनाओं में इस योजना के तहत 41,788 करोड़ रुपये की संचयी सकल मंजूरियों के साथ प्रत्यक्ष ऋण के तहत (गौण कर्ज सहित) 2,581 करोड़ रुपये की वृद्धिशील संवितरण किये।

पुनर्वित्त

- **सकल मंजूरियां:** वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक इस पुनर्वित्त योजना के तहत 21,497 करोड़ रुपये की संचयी सकल मंजूरियों के साथ 5,690 करोड़ रुपये की वृद्धिशील सकल मंजूरियां की।
- **संवितरण:** वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक पुनर्वित्त योजना के तहत 14,715 करोड़ रुपये की संचयी सकल संवरितण के साथ 3,434 करोड़ रुपये की वृद्धिशील संवितरण किये।

मुख्य वित्तीय विशेषताएं

- कंपनी का कुल राजस्व वित्त वर्ष 2018–19 में 4163 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2019–20 में बढ़कर 4215 करोड रुपये हो गया है।
- करोपरांत लाभ वित्त वर्ष 2018–19 में 102 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2019–20 में 51 करोड रुपये हो गया है।
- मार्च, 2020 को कंपनी का बकाया ऋण 33,637 करोड़ रुपये रहा।
- जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च, 2019 में 13.63 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च, 2020 को बढ़कर 30.85 प्रतिशत हो गया जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी के लिए 15 प्रतिशत की न्यूनतम नियामक अपेक्षा पर पर्याप्त आधार प्रदान करता है।
- प्रावधान कवरेज अनुपात में मार्च, 2019 में 47.91 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 2020 में 50.51 प्रतिशत का सुधार आया है।
- कर्ज–इक्विटी अनुपात में मार्च, 2019 में 7.03 प्रतिशत की तुलना मे मार्च, 2020 में 3.54 प्रतिशत का सुधार आया है।

- मार्च, 2020 में कंपनी का सकल एनपीए एवं निवल एनपीए क्रमशः 19.70 प्रतिशत एवं 9.75 प्रतिशत रहा।

सीएसआर पहल

आईआईएफसीएल एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन है और इसने अपनी सीएसआर नीति को पूरी ईनानदारी से लागू किया है। इस नीति में स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण, खेल को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा को प्रमुख क्षेत्रों के रूप में रखा गया है। आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के तहत कार्यान्वित परियोजनाएं देश के 24 राज्यों तक पहुंच रही हैं और सामाजिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले विविध क्षेत्रों के लाभार्थी इस पहल के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधान के अनुसार परिगणित शून्य सीएसआर बजट के बावजूद, आईआईएफसीएल ने कोविड–19 महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी सहायता के तौर पर आपातकालीन परिस्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम केयर्स) कोष में सीएसआर के तहत 25 करोड़ रुपये की राशि का योगदान दिया है। इसके अलावा, मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आईआईएफसीएल के कर्मचारियों ने भी पीएम केयर्स कोष में कोविड–19 के विरुद्ध भारत की लड़ाई में सहायता करने एवं योगदान देने के प्रतिबद्धता के तौर पर स्वेच्छा से एक दिन के वेतन का योगदान दिया। आईआईएफसीएल कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में से एक हैं जिसने विगत छः वित्तीय वर्षों में अपने आबंटित सीएसआर बजट का लगातार पूरी तरह से उपयोग किया है।

सहायक कंपनियों की मुख्य वित्तीय विशेषताएं

लंदन में आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी, आईआईएफसीएल (यूके) ने 31 मार्च, 2020 तक 3.99 बिलियन अमरीकी डॉलर की संचयी ऋण मंजूरी (निरसन का निवल) एवं 2.06 बिलियन अमरीकी डॉलर की संचयी संवितरण किया है। भारती रिजर्व बैंक ने 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की अपनी ऋण व्यवस्था की वैधता के विस्तार को मार्च, 2023 तक तीन वर्षों तक मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण व्यवस्था के अलावा, आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को पूरा करने के उद्देश्य से निरंतर निधियों के नए स्रोतों की तलाश कर रहा है।

वर्ष 2012 में स्थापित आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड (आईएएमसीएल) आईआईएफसीएल की दूसरी पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनी है जिसकी स्थापना आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड (आईडीएफ) के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) के तौर पर की गई थी। फरवरी, 2014 में पांच निवेशकों के साथ आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड (आईडीएफ) का शुभारंभ किया गया एवं इसके पहले आईडीएफ श्रृंखला के माध्यम से 300 करोड़ रुपये जुटाये गये। आईडीएफ श्रृंखला–I को दो घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा एएए आईडीएफ–एमएफ की रेटिंग दी गई है एवं यह बांबे स्टॉक एक्सचैंज में भी सूचीबद्ध है। इस स्कीम का पूर्णतया निवेश किया गया है एवं यह राजस्व पैदा करने वाली अवसंरचना परिसंपत्तियों में शामिल है। 31 मार्च, 2020 तक श्रृंखला –II के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्ति (एयूएम) 397.08 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। अप्रैल, 2017 में आईआईएफसीएल ने छः संस्थागत निवेशकों के साथ 200 करोड़ रुपये की 'एएए' रेटिंग वाली अपनी आईडीएफ श्रृंखला–II 'एएए' आईडीएफ–एमएफ शुरू की एवं इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। 31 मार्च, 2020 को आईडीएफ श्रृंखला–II के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्ति (एयूएम) 176.26 करोड़ रुपये की है।

आर्थिक मंदी एवं कोविड की स्थिति ने बुनियादी ढांचे क्षेत्र की गतिविधियों की गति को बुरी तरह प्रभावित किया है जिससे अत्यधिक ऋण लेने के अवसरों की मांग धीमी हो गई है। मौजूदा ब्याज परिदृश्य पर नजर डालें तो जहां रेपो दर रिकार्ड 4.00 प्रतिशत के निचले स्तर पर है, आईएएमसीएल को कम दर वाले निवेश के साथ आगे बढ़ना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप एयूएम में मामूली बढ़ोतरी हुई और प्रबंधन शुल्क में भी कमी आई। इसके अतिरिक्त कुल व्यय अनुपात को कम करने से संबंधित सेबी की नीतियों से भी आईएएमसीएल सहित एएमसी की आय प्रभावित हुई।

आईआईएफसीएल की तीसरी सहायक कंपनी, आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल) समर्पित अवसंरचना एवं वित्तीय परामर्शदात्री कंपनी है। आईपीएल स्थानीय निकाय सहित केन्द्र एवं राज्य सरकारों को परियोजना की तैयारी, कार्य संपादन संरचना एवं परामर्शी सेवाओं में सहायता के साथ–साथ परियोजना के विकासकों एवं निवेशकों के लिए वित्तीय मूल्यांकन एवं समूहन सेवाएं प्रदान कर रहा है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के साथ–साथ अर्थव्यवस्था में चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद वर्ष 2019–20 कारोबार के नये क्षेत्रों में विभिन्न अवसरों के साथ आईपीएल के लिए काफी रोमांचक रहा। दिल्ली में टीम द्वारा समर्थित ग्राहकों के कार्यालय में तैनात समर्पित टीम के माध्यम से आईपीएल ने अपनी परामर्शी एवं सलाहकार सेवाएं प्रदान करना सफलतापूर्वक जारी रखा है। कंपनी ने राज्य में शहरी और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं को विकसित करन के लिए परियोजना विकास सहायता (पीडीए) प्रदान करने के उद्देश्य से मेघालय अवसंरचना विकास वित्त निगम

(एमआईडीएफसी) के साथ अपना परामर्शी अधिदेश का सफल निष्पादन जारी रखा है। इस अधिदेश के अंतर्गत आईपीएल कृषि, पर्यटन, विद्युत उत्पादन, रोपवे के साथ–साथ स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों के एकीकृत विकास में मेघालय की व्यापक सहायता कर रहा है। अपने इसी अधिदेश के अंतर्गत आईपीएल ने मेघालय में 28 परियोजनाओं का कार्यादेश प्रदान करने/कार्यादेश प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाने के क्रम में आपकी कंपनी ने जनवरी, 2020 में तमिलनाडु अवसंरचना विकास बोर्ड (टीएनआईडीबी) के साथ परामर्शी सेवा करार पर हस्ताक्षर किये एवं नीतिगत मुद्दों को आकार देने, अवधारणा नोट तैयार करने, परियोजना का मूल्यांकन, पीपीपी परियोजनाओं के लिए बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन, सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों का क्षमता वर्धन करने एवं परियोजना बैंचमार्क व मापन मेट्रिक्स तैयार करने के लिए अवसंरचना सलाहकार/परामर्शदाता नियुक्त की गई।

आगे की राह

आईआईएफसीएल सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र ऐसा वित्तीय संस्थान है जो सभी बुनियादी ढांचा उप क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर भारत सरकार के व्यापक उद्देश्य को देखते हुए, आईआईएफसीएल को आगामी वर्षों में और अधिक विकसित होने एवं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के वित्तपोषण में बहुत बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

कोविड–19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों से कुछ अल्पकालिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, आईआईएफसीएल का उद्देश्य ऐसी चुनौतियों को अन्य बातों के साथ–साथ स्टेशनों का पुनर्विकास, शहर गैस वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली पारेषण एवं वितरण, हाइब्रिड वार्षिक उत्पाद, अक्षय ऊर्जा, विमानपत्तन इत्यादि जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में अपने पोर्टफोलियो में विविधता प्रदान करते हुए अवसरों में बदलने का होगा। दूसरी ओर, आईआईएफसीएल ब्राउन फील्ड परियोजना जैसे पात्र संस्थानों को टेकआउट वित्त, ऋण संवृद्धि के साथ–साथ पुनर्वित्त प्रदान करने पर केन्द्रित अपने उत्पादों की वृद्धि करेगा। इसके अलावा, आईआईएफसीएल अपने ऋण खातों में पहले ही दबावग्रस्ता की पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए संवर्धित सम्यक उद्यम एवं परियोजनाओं की कड़ी निगरानी पर ध्यान केंद्रित करेगा। आईआईएफसीएल अपने ऋण देने और उधार लेने के क्रियाकलापों में ऐसे बाजारोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने का लक्ष्य रखेगा जो उसके कारोबारी माहौल की बहुआयामी प्रकृति के अनुरूप हो।

आभार

वर्ष भर में असीम सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री; माननीय वित्त मंत्री; माननीय वित्त राज्य मंत्री; उपाध्यक्ष, नीति आयोग; सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग; सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग और आर्थिक कार्य विभाग, नीति आयोग व अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों को उनके सतत् सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, बहुपक्षीय संस्थानों, समझौता ज्ञापन के भागीदारों तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं इस कंपनी को विकास के पथ पर ले जाने के लिए बोर्ड के सदस्यों के सतत् सहयोग और योगदान के लिए उन्हें हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अंत में मैं, कंपनी की सहायता करने के लिए आईआईएफसीएल के सभी कर्मचारियों को उनके समर्पण और अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूं।

ह०/–
(पी. आर. जयशंकर)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन सं: 06711526

दिनांक : 21 अक्तूबर, 2020
स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल

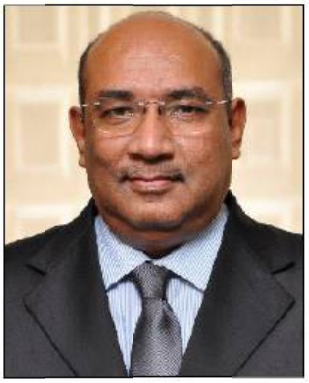

श्री पी. आर. जयशंकर
प्रबन्ध निदेशक

श्री पवन के. कुमार
उप प्रबन्ध निदेशक

श्री बलदेव पुरूषार्थ
संयुक्त सचिव
(अवसंरचना नीति एवं वित्त)
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

श्री संजोय कुमार साहा
सलाहकार (पीपीपीएयू)
नीति आयोग
भारत सरकार

श्री आनंद मधुकर
संयुक्त सचिव
विशेष कार्याधिकारी
वित्तीय सेवा विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

सुश्री ए. मणिमेखालाई
कार्यकारी निदेशक
केनरा बैंक

मुख्य महाप्रबंधक

श्री एस. कृष्णन

श्री राजीव मुखीजा

श्री प्रशांत कुमार प्रहराज

विषय–सूची

वार्षिक आम सभा की सूचना	11
बोर्ड की रिपोर्ट	15
वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	55
गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट	67
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण	68
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के एकल वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	142
समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	144
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण	152
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	229

पंजीकृत कार्यालय

5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

टेलीफोन: +91-11-24662777, फैक्स: +91-11-20815125, 20815117

वेबसाईट: www.iifcl.org

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

बैंकर्स

आईडीबीआई बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

आईसीआईसीआई बैंक

बॉण्ड के ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

(पूर्व में आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

आईएल एवं एफएस सेंटर, प्लॉट सी–22, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स,

बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई–400051, फोन: +91-22-26593215

आईडीबीआई ट्रस्टीसिप सर्विस लिमिटेड

एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 17आर, कामनी मार्ग बलार्ड एस्टेट,

मुम्बई–400001, फोन: +91-22-40807000

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स ओ.पी. तुलस्यान एंड कम्पनी, सनदी लेखाकार

बी–27/5, डी.एस. रमेश नगर, नई दिल्ली–110015

टेलीफोन: +91-11-42283258, 8750343842; ई–मेल: rakesh@optulsyan.com, alok@optulsyan.com

विषय : 15वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

प्रिय महोदय/महोदया,

यह सूचित करना है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 15वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, दिनांक 28 अक्तूबर, 2020 को अपराह्न 03.30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल', वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में आयोजित की जाएगी।

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए बैठक की विस्तृत सूचना, निदेशकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के लेखा परीक्षित लेखे, इसके साथ संलग्न हैं।

कृपया उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।
धन्यवाद,

भवदीय,

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ह0/–
मंजरी मिश्रा
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या एफ 6204)

दिनांकः 21 अक्तूबर, 2020
स्थानः नई दिल्ली

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 15वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, दिनांक 28 अक्तूबर, 2020 को 03.30 बजे अपराह्न कॉन्फ्रेंस हॉल', वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में आयोजित की जाएगी, निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार–विमर्श होगाः–

सामान्य प्रयोजनः

1) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, समझना और अंगीकृत करना।

2) निम्नलिखित प्रस्तावों पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो बिना किसी आशोधन (आशोधनों) के इन्हें पारित करनाः–

''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) और अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित धारा 139 के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2019–20 हेतु कम्पनी के संविधिक लेखा परीक्षक के तौर पर मैसर्स भाटिया एंड भाटिया (डीई 0441), सनदी लेखाकार की नियुक्ति जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी और एजी) के कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया था देखें सी एंड एजी पत्र संख्या सीए. वी/सीओवाई/केन्द्रीय सरकार, आईआईएफसीएल (1)/239 दिनांक 14 अगस्त, 2020 जिसकी से एक प्रति बैठक में प्रस्तुत की गई, एतद द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित/नोट की जाती है।''

''यह भी संकल्प लिया जाता कि निदेशक मंडल को नियमों और शर्तों और लेखा परीक्षकों के उचित पारिश्रमिक को तय करने केलिए प्राधिकृत किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए उपयुक्त समझा जाए।''

विशेष प्रयोजनः

3) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार निजी स्थानन के माध्यम से अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बॉंड/डिबेंचरों का निर्गम

निम्नलिखित प्रस्तावों पर विशेष संकल्पों के रूप में विचार करना, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो बिना किसी आशोधन (आशोधनों) के इन्हें पारित करनाः–

''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (तत्समय प्रवृत्त काई सांविधिक आशोधन (नों) अथवा तत्संबंधी पुनर्नियमन (यों) सहित) की धारा 42, 71 एवं अन्य लागू प्रवधानों के अनुसरण में एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2018, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (समय समय पर यथा संशोधित) के लागू प्रावधानों, लागू विनियमों और दिशानिर्देशों, कम्पनी के संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम और ऐसे अन्य लागू कानूनों, नियमों तथा विनियमों व दिशानिर्देशों के अधीन और आवश्यक अनुमोदनों, अनुमतियों, और सस्वीकृतियों के अधीन, विशेष संकल्प पास करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान, एक या इससे अधिक किस्तों में, ऐसी शर्तों पर जो लागू दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित हो एवं ऐसी नियम व शर्तों के अधीन जिसे मंडल अथवा मंडल द्वारा विधिवत गठित कोई समिति अथवा कोई ऐसा प्राधिकारी जों मंडल द्वारा अनुमोदित हो, अंतिम रूप दे, 9400 करोड़ रुपए तक के अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिर्वतनीय बॉंड/डिबेंचर, कर योग्य/कर मुक्त/इंफ्रास्ट्रक्चर बॉंड/भारतीय रुपये में ऑफशौर बॉंड/कोई अन्य बॉंडों का निजी स्थानन आधार पर निधियां जुटाने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल (यहां इसके पश्चात ''बोर्ड'' कहा जाए) के सदस्यों का अनुमोदन है और एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है।''

इसके अलावा, संकल्प किया गया कि अप्रत्यभूत, अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर्स, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के निजी स्थानन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कंपनी के निदेशक मंडल (''बोर्ड'') अथवा बोर्ड की किसी भी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को और विधिवत उन निवेशकों, जिन्हें बॉन्ड/डिवेंचर्स आबंटित किये जाने हैं, के आकार, श्रेणी सहित जारी करने के निबंधन, प्रत्येक शाखा में आबंटित किए जाने वाले बॉन्ड/डिवेंचर्स की संख्या, जारी करने की कीमत, आशय, ब्याज दर, तत्कालीन विद्यमान बाजार कीमतों पर प्रीमियम/छूट, जारी करने की राशि, बॉन्ड/डिवेंचर्स धारकों की श्रेणी के लिए जारी करने की कीमत पर छूट, सूचीयन, निजी स्थानन प्रस्ताव पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित किसी घोषणा/शपथपत्र इत्यादि को जारी करना और तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विनियामक अपेक्षाओं निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया जाता है।''

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अक्तूबर, 2020

ह0/–
मंजरी मिश्रा
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या एफ6204)

पंजीकृत कार्यालय
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पांचवा तल, ब्लॉक–2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023
सीआईएनः U67190DL2006GOI144520
वेबसाइटःwww.iifcl.org

नोटः–

1. **बैठक में भाग लेने तथा मत देने के लिए पात्र सदस्य अपने बदले बैठक में भाग लेने व मत देने के लिए प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का हकदार है एवं ऐसा प्रतिनिधि कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रतिनिधि का दस्तावेज विधिवत मुहर लगा, पूर्ण, हस्ताक्षरित हो एवं उक्त बैठक के आयोजन से 48 घंटे पहले जमा किया जाए।**
2. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) को बैठक में भाग लेने व मत देने के लिए प्रतिनिधि प्रपत्र एवं बोर्ड के संकल्प (पों) की प्रमाणित प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजनी होगी।
3. उपर्युक्त विशेष प्रयोजन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार व्याख्यात्मक वक्तव्य जो इस बैठक में संपादित किये जाने हैं, ऐसे सभी महत्वपूर्ण तथ्य इसके साथ संलग्न है और इस नोटिस का हिस्सा है।
4. सदस्य इस बात का भी ध्यान रखें कि एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.iifcl.org पर उपलब्ध होगी। नोटिस और अन्य दस्तावेज कार्यालय के कामकाज के दिनों में सामान्य कारोबारी घंटे के दौरान निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध होंगे।

सूचना के अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के तहत व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 3: कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार निजी स्थानन के माध्यम से अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बाँड/डिबेंचरों का निर्गम

कंपनी की भावी विकास योजना को देखते हुए एवं कंपनी को स्वयं अतिरिक्त बजटीय संसाधन जो भारत सरकार आबंटित करे, जुटाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से मंडल का मानना है कि ऐसे अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बाँडों/डिबेंचरों के माध्यम से कंपनी का दीर्घकालिक संसाधन बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है जिसकी बाजार में बेहतर स्वीकार्यता हो एवं बहुत प्रतिस्पर्धी हो। अतः उपरोक्त को देखत हुए निदेशक मंडल ने 29 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदनाधीन आईआईएफसीएल द्वारा 9,400 करोड़ तक का संसाधन जुटाने की योजना पर विचार किया एवं उसका अनुमोदन किया। आईआईएफसीएल का मंडल विशेष संकल्प पास करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान, एक या इससे अधिक किस्तों में, ऐसी शर्तों पर जो लागू दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित हो एवं ऐसी नियम व शर्तों के अधीन जिसे मंडल अथवा मंडल द्वारा विधिवत गठित कोई समिति अथवा कोई ऐसा प्राधिकारी जो मंडल द्वारा अनुमोदित हो, अंतिम रूप दे, 9400 करोड़ रुपए तक के अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बाँड/डिबेंचर, करयोग्य/करमुक्त/इंफ्रास्ट्रक्चर बॉड/भारतीय रुपये में ऑफशौर बॉड/कोई अन्य बॉडों का निजी स्थानन आधार पर निधियां जुटाने के लिए अधिकृत है। उक्त संकल्प के अनुसार समय–समय पर निर्गमित एनसीडी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के अधीन, समय–समय पर शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित उधारी की कुल सीमा के अंतर्गत होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 एवं 71 एवं कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम, 2014 के अनुसार निजी स्थानन आधार पर कंपनी द्वारा जारी किये जाने वाले एनसीडी के अभिदान के किसी प्रस्ताव अथवा आमंत्रण में विशेष संकल्प की रीति से शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है।

उसी वर्ष के दौरान एनसीडी के लिए सभी प्रस्तावों या निमंत्रण के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

निदेशक मंडल का मानना है कि प्रस्तावित संकल्प कंपनी के हित में होगा।

कंपनी के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी, प्रस्तावित संकल्प से कोई लेना देना या उनकी रुचि नहीं है।

आपके निदेशकों ने इस अनुमोदन के लिए नोटिस में मद संख्या 3 पर संकल्प की संस्तुति की है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ह0/–
मंजरी मिश्रा
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या एफ6204)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अक्तूबर, 2020

पंजीकृत कार्यालय
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पांचवा तल, ब्लॉक–2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023
सीआईएन: U67190DL2006GOI144520
वेबसाइट: www.iifcl.org

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में

आईआईएफसीएल शेयरधारक,

आपके निदेशकों को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कंपनी के प्रदर्शन पर 15वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

मुख्य वित्तीय विवरण

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
कुल राजस्व	4215	4158
कुल व्यय	4506	3754
कर पूर्व लाभ	**(291)**	**404**
कराधान के लिए प्रावधान	342	(302)
असाधारण मदें		-
विनियोजन (करोपरांत लाभ) हेतु उपलब्ध निवल लाभ	**51**	**102**
अन्य व्यापक आय	0.28	(0.76)
विनियोजन के बाद उपलब्ध निवल लाभ	**51**	**101**
10 रूपये के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए अर्जन (भारित औसत)	0.11	0.25

ऋण क्रियाकलाप

प्रत्यक्ष ऋण

वर्ष 2019–20 के दौरान, 3,647 करोड़ रुपये की और स्वीकृति देने के साथ ही, 497 आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए कंपनी द्वारा दी गईं कुल सकल स्वीकृतियां बढ़कर 90,050 करोड़ रुपये हो गईं। आपकी कंपनी द्वारा दी गईं संचयी सकल स्वीकृतियों का क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार है:

प्रत्यक्ष ऋण के तहत संचयी सकल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार) (राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	267	346,587	42,098
बिजली	150	403,504	36,310
विमानपत्तन	3	27,701	2,530
बन्दरगाह	19	30,096	4,157
शहरी आधारभूत संरचना	16	48,143	3,807
रेलवे	3	3,194	639
पीएमडीओ*	38	8,602	260
दूरसंचार	1	3,750	250
योग	**497**	**8,71,577**	**90,050**

* सामूहिक नगरपालिका ऋण दायित्व

इसके अलावा, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, 374 परियोजनाओं के लिए आपकी कम्पनी द्वारा दी गईं निवल स्वीकृतियों का क्षेत्रवार वितरण 53,711 करोड़ रुपये रहा जिसका विवरण निम्नानुसार है:

प्रत्यक्ष ऋण के तहत संचयी निवल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार) # (राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	219	288,919	28,69
बिजली	100	221,993	21,021
विमानपत्तन	3	27,701	1,148
बन्दरगाह	12	17,461	1,866
शहरी आधारभूत संरचना	9	2,200	419

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
रेलवे	1	600	120
पीएमडीओ	29	5,649	198
दूरसंचार	1	3,750	250
योग	**374**	**5,68,273**	**53,711**

निवल स्वीकृतियां वह राशि है जो वित्तीय लेखाबंदी कर चुकी परियोजनाओं के मामले में आबंटित की गई है।

टेक–आउट वित्त

बैंक के एक्सपोजर और आस्ति–देयता के बेमेल बाधाओं कर निवारण करते हुए बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में वृद्धिशील ऋण देने की सुविधा के लिए, आईआईएफसीएल ने टेकआउट वित्त योजना आरंभ की। आईआईएफसीएल ने दिसंबर 2011 में संशोधित टेकआउट वित्त योजना को उपयुक्त संशोधनों के लिए लागू किया था। इसके अतिरिक्त, बाजार की जरूरतों को हल करने के लिए समय–समय पर इस योजना में आगे भी संशोधन किए गए हैं। आईआईएफसीएल की टेकआउट वित्त योजना बुनियादी ढांचागत ऋण के लिए एक पारदर्शी गैस–भेदभावपूर्ण और गैस–विवेकाधीन बाह्य परियोजना मूल्यांकन आधारित मूल्यनिर्धारण प्रणाली का अनुपालन करती है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, टेकआउट वित्त योजना के तहत कुल संचयी सकल स्वीकृतियां 108 परियोजनाओं के लिए कुल 24,393 करोड़ रुपए थीं। आपकी कंपनी द्वारा दी गई संचयी सकल स्वीकृतियों का क्षेत्र–वार वितरण निम्नानुसार है:

टेकआउट वित्त के तहत संचयी सकल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार) (राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	52	55,076	7,516
बिजली	43	96,781	11,559
विमानपत्तन	2	15,777	1,911
बन्दरगाह	9	15,711	3,380
शहरी आधारभूत संरचना	2	107	26
योग	**108**	**1,83,453**	**24,393**

इसके अलावा, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी द्वारा टेकआउट वित्त योजना के तहत 59 परियोजनाओं के लिए दी गई 15,894 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृतियों का क्षेत्र–वार वितरण निम्नानुसार है:

टेकआउट वित्त के तहत संचयी निवल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार) # (राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	24	31,519	4,333
बिजली	26	50,972	7,805
विमानपत्तन	2	15,777	1,736
बन्दरगाह	5	9,392	1,989
शहरी आधारभूत संरचना	2	107	26
योग	**59**	**1,07,766**	**15,889**

निवल स्वीकृतियां वह राशि है जो वित्तीय लेखाबंदी कर चुकी परियोजनाओं के मामले में आबंटित की गई है।

संवितरण

मार्च 2020 के अंत में, संचयी संवितरण 71,917 करोड़ रुपए रहा, जिसमें पुनर्वित्त के तहत 14,715 करोड़ रुपए और टेकआउट वित्त के तहत 15,413 करोड़ रूपये का संवितरण भी शामिल है।

क्षेत्र–वार संचयी संवितरण (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार) (राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	संवितरित राशि
प्रत्यक्ष ऋण			
सड़क	204	2,70,161	21,527
बिजली	97	2,26,770	17,515
विमानपत्तन	3	27,701	858
बन्दरगाह	11	13,307	1,051
शहरी आधारभूत संरचना	9	2,200	372
रेलवे	1	600	66
पीएमडीओ	27	4,744	151
दूरसंचार	1	3,750	248
योग (क)	**353**	**5,49,233**	**41,788**

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	संवितरित राशि
टेकआउट वित्त			
सड़क	22	30,551	4,115
बिजली	26	50,972	7,800
विमानपत्तन	2	15,777	1,485
बन्दरगाह	5	9,392	1,988
शहरी आधारभूत संरचना	2	107	26
योग (ख)	**57**	**1,06,799**	**15,413**
उप–योग (क ख)			**57,202**
पुनर्वित्त (ग)			**14,715**
कुल योग (क+ख+ग)			**71,917**

जन–निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को प्राथमिकता

अपने शासनादेश के अनुरूप, आपकी कंपनी जन निजी भागीदारी (पीपीपी) अवसंरचना परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आपकी कम्पनी पीपीपी परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है जो कि आपकी कम्पनी द्वारा समर्थित पीपीपी परियाजनाओं की संख्या से भी परिलक्षित होता है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष ऋण के तहत, 376 पीपीपी एवं पीएसयू परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जो कि कंपनी द्वारा स्वीकृत 458 परियाजेनाओं (पीएमडीओ के तहत चलने वाली परियाजेनाओं को छोड़कर) का 81 प्रतिशत बनता है।

31 मार्च, 2020 को प्रत्यक्ष ऋण (पीएमडीओ को छोड़कर) के तहत सकल स्वीकृत परियोजनाओं की क्षेत्रवार संख्याः

क्षेत्र	पीपीपी	गैर पीपीपी	पीएसयू
सड़क	266	Nil	1
बिजली	64	77	8
विमानपत्तन	3	Nil	Nil
बन्दरगाह	16	3	Nil
शहरी अवसंरचना एवं जलापूर्ति	12	1	3
अन्य	2	1	1
योग	**363**	**82**	**13**

भौगोलिक रूप से विविध उपस्थिति

आपकी कंपनी विभिन्न राज्यों में फैली आधारभूत परियोजनाओं के विकास का समर्थन करती रही है और पूरे देश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। 31 मार्च 2020 तक, प्रत्यक्ष ऋण और टेकआउट वित्त के तहत, आपकी कंपनी ने 27 राज्यों में 432 परियोजनाओं के लिए 69,600 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं और 410 परियोजनाओं में 57,202 करोड़ रुपये का संवितरण किया है।

प्रत्यक्ष ऋण और टेकआउट वित्त के तहत राज्य–वार संचयी निवल स्वीकृतियां और संवितरण (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	निवल स्वीकृतियां	संवितरण
आन्ध्र प्रदेश	5,979	5,542
अरूणाचल प्रदेश	122	121
असम	480	0
बिहार	1,642	1,507
छत्तीसगढ़	1,179	1,179
दिल्ली	1,374	1,374
गोवा	300	13
गुजरात	9,432	7,506
हरियाणा	1,748	1,221
हिमाचल प्रदेश	989	550
जम्मू एवं कश्मीर	375	314
झारखण्ड	1,557	1,417
कर्नाटक	2,022	1,525
केरल	191	191
मध्य प्रदेश	6,132	5,297
महाराष्ट्र	11,245	9,061

राज्य	निवल स्वीकृतियां	संवितरण
नागालैंड	200	0
ओडिशा	1,253	1,229
पुडुचेरी	179	179
पंजाब	1,711	1,250
राजस्थान	2,230	1,494
सिक्किम	1,293	1,283
तमिलनाडु	3,014	2,125
तेलंगाना	2,100	1,661
उत्तर प्रदेश	9,921	8,402
उत्तराखण्ड	464	461
पश्चिम बंगाल	2,470	2,300
योग	**69,600**	**57,202**

स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय लेखाबंदी की उपलब्धियां

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, प्रत्यक्ष ऋण के तहत 374 निवल स्वीकृत में से 354 परियोजनाएं अर्थात् 95 प्रतिशत ने वित्तीय लेखाबंदी कर ली थी। वित्तीय लेखाबंदी कर चुकी परियोजनाओं का क्षेत्र–वार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय लेखाबंदी कर चुकी परियोजनाओं का विवरण (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार) (राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	निवल स्वीकृतियां	संवितरण
सड़क	206	26,806
बिजली	95	19,490
विमानपत्तन	3	1,148
बन्दरगाह	11	1,352
शहरी अवसंरचना	9	419
अन्य	30	543
योग	**354**	**49,758**

वाणिज्यिक संचालन ऋण (सीओडी) की उपलब्धियां

मार्च 2020 के अंत में, आपकी कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण माध्यम (पीएमडीओ को छोड़कर) से 345 परियोजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान की, 206 परियोजनाओं में वाणिज्यिक संचालन ऋण (सीओडी) की हासिल की गई जिनमें 125 सड़क परियोजनाएं और 70 ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। वाणिज्यिक संचालन ऋण (सीओडी) प्राप्त परियोजनाओं का क्षेत्र–वार विवरण निम्नानुसार है:

वाणिज्यिक संचालन ऋण (सीओडी) प्राप्त परियोजनाएं (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार) (राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	निवल स्वीकृतियां	संवितरण
सड़क	125	14,932
बिजली	70	13,367
विमानपत्तन	2	848
बन्दरगाह	5	598
शहरी अवसंरचना	3	210
अन्य	1	250
योग	**206**	**30,206**

पुनर्वित्त

वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कम्पनी ने 5 वित्तीय संस्थानों को 5,690 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी और इन स्वीकृतियों में इस वित्त वर्ष के भीतर 3,434 करोड़ रुपये संवितरित किये गये।

ऋण संवृद्धि

ऋण संवृद्धि योजना के तहत आईआईएफसीएल "एए' अथवा उससे अधिक की रेटिंग वाली अवसंरचना कंपनियों को अपने मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्त करने में कम लागत वाले दीर्घावधि बांड जुटाने में ऋण रेटिंग बढ़ाने के लिए अपनी आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करता है। आईआईएफसीएल बांड इश्यू की कुल राशि के अधिकतम 50 प्रतिशत के अधीन कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत (बैकस्टॉप गारंटीकर्ता के साथ कुल परियोजनागत लागत का 40 प्रतिशत) की सीमा तक की ऋण संवृद्धि कर सकता है। ऋण संवृद्धि बीमा व पेंशन निधि जैसे निवेशकों के ऐसे बांडों से दीर्घावधि की निधियों के वितरण को सुलभ बनाता है। आईआईएफसीएल वर्ष 2015–16 में ऋण संवृद्धि योजना का सफलतापूर्वक प्रचालन करने वाला पहला संगठन बना। 31 मार्च, 2020 तक आईआईएफसीएल ने

8,380 करोड़ रुपये के बॉण्ड निर्गम आकार एवं 2,256 करोड़ रुपये की आईआईएफसीएल की प्रारंभिक गारंटी के साथ 15 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। आईआईएफसीएल ने अभी तक 1,338 करोड़ रुपये के बॉण्ड निर्गम एवं 346 करोड़ रुपये की आईआईएफसीएल की प्रारंभिक गारंटी के साथ तीन लेन–देन संपन्न किये।

विगत वर्ष की तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को कम करने से धनराशि, बांड एवं ऋण बाजारों में कम ब्याज दर पर सुलभ हो रहा है। तदनुसार, कंपनियां ऋण पूंजी बाजार से ऋण जुटाने के लिए अभिमुख हो रही हैं और कई परियोजना विकासक अपने बैंक एक्सपोजरों को कम करने के लिए अपने बैंक ऋणों को बांडों के साथ बदलना चाह रहे हैं। इससे आईआईएफसीएल को ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण संवृद्धि के अवसर खुलने की उम्मीद है। यह न केवल ऐसी कंपनियों को बॉन्ड बाज़ारों की ओर आकर्षित करने में सक्षम करेगा अपितु नई परियोजनाओं में निवेश के लिए बैंकों की पूंजी प्रदान करने के द्वार भी खोलेगा।

कोविड–19 का प्रभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च, 2020 को नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) की महामारी घोषित की। इस महामारी के प्रकोप का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के अतिरिक्त इसने पूरी विश्व की सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय ढांचे को बुरी तरह प्रभावित किया है। केन्द्र सरकार ने भारत में कोविड–19 को फैलने से रोकने के निवारक उपाय के तौर पर देश में पूरी आबादी की आवाजाही पर रोक लगाते हुए 25 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी प्रणाली में नकदी बढ़ाते हुए, ब्याज दर कम करते हुए, उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्भुगतान पर मोहलत देकर, अतिदेय खातों में आस्ति वर्गीकरण में लाभ में रहने जहां मोहलत (ऋण स्थगन) प्रदान की गई है एवं अन्य बातों के साथ–साथ चलनिधि कवरेज अपेक्षा में रियायत सहित वित्तीय व्यवस्था को दबाव से मुक्त करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की। कोविड–19 विनियामक पैकेज दिनांक 27 मार्च, 2020 एवं 17 अप्रैल, 2020 से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं एनबीएफसी को उन सभी सावधि ऋणों की किश्तों के भुगतान पर 3 माह की मोहलत देने की अनुमति दी जो 29 फरवरी, 2020 को मानक आस्ति थे। इसका मुख्य उद्देश्य उधारकर्ताओं की राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न कठिनाई को कम करने में सहायता करना था। प्रारंभ में मोहलत की अवधि 1 मार्च, 2020 एवं 31 मई, 2020 के बीच पड़ने वाले भुगतान के लिए थी। दिनांक 22 मई, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने मोहलत की यह अवधि तीन माह तक यानि 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की। मोहलत की इस अवधि के दौरान ऋण के बकाये हिस्से पर ब्याज लगना जारी रहेगा। उन खातों में जहां मोहलत प्रदान की गई है, मोहलत की अवधि के दौरान खातों की अवधि अधिस्थगन अवधि के दौरान खातों की अवधि बढ़ जाएगी। ऋणदाताओं को अपने ग्राहकों को मोहलत की पेशकश करने से पूर्व मंडल अनुमोदित नीति पटल पर रखनी आवश्यक थी। ऋणदाताओं ने मोहलत की पेशकश में या तो 'विकल्प चुनें' या 'विकल्प न चुनें' में अलग–अलग विधियां अपनाई।

आईएसडब्ल्यू पारादीप टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

बंसल पाथवेज हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड

कोविड–19 के प्रकोप के विरुद्ध लड़ाई में राष्ट्र की सहायता प्रदान करने के अपने प्रयास में आईआईएफसीएल ने पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ का योगदान दिया।

आईआईएफसीएल की ऋण गुणवत्ता एवं प्रावधान सहित उसके परिणामों पर कोविड–19 का प्रभाव अनिश्चित है एवं कोविड–19 के फैलने आगे सरकार एवं केन्द्रीय बैंक द्वारा आर्थिक प्रभाव करम करने के लिए उठाये गये कदमों, आईआईएफसीएल द्वारा उठाये गये कदमों एवं उस समय पर निर्भर है जो इस अनिश्चिता के माहौल में आर्थिक गतिविधियों को पुनः शुरू करने के लिए उठाये जाते हैं।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की पहल

इस कंपनी ने 15 फरवरी 2007 को आईडीएफसी और सिटीग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन किया था ताकि भारत समर्पित अवसंरचना फंड स्थापित किया जा सके, जिसमें आईआईएफसीएल ने 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर (अधिकतम 100 करोड़ रुपए के अधीन) का योगदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जबकि आईडीएफसी और सिटीग्रुप, प्रत्येक ने, प्रवर्तक प्रायोजक के रूप में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की वचनबद्धता जाहिर की थी।

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार, आईआईएफ को 100 करोड़ रुपये की कुल पूंजी प्रतिबद्धता में से, आईएफसीएल ने 31 मार्च 2020 तक 92.47 करोड़ रुपये का अंशदान दिया। आईआईएफ ने 75.73 करोड़ रुपये की राशि की पूंजी का मोचन किया। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार, आईआईएफ में आईआईएफसीएल के निवेश की बकाया धनराशि 16.74 करोड़ रुपए थी।

संसाधन संग्रहण

घरेलू संसाधन

कंपनी ने अब तक घरेलू कर योग्य बांड, कर मुक्त बांड, कर बचत अवसंरचना बांड एलईसी और एनएसएसएफ से दीर्घावधि ऋण के लिखतों के माध्यम से घरेलू बाजार से 32,573 करोड़ रुपये (बैंक जमा पर ओवरड्रफ्ट को छोड़कर) जुटाए हैं, (जिसमें से बांड के जरिए जुटाए गए 18,543.88 करोड़ रुपये 31 मार्च 2020 को बकाया है)।

बाह्य संसाधन

आईआईएफसीएल ने एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, के एफ डब्ल्यू और यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं और आईआईएफसीएल को क्रमशः 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 195 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 50 मिलियन यूरो, 200 मिलियन यूरो एवं 50 बिलियन जेपीवाई (जापानी येन) तक के ऋण व्यवस्था का वचन दिया गया है।

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार आईआईएफसीएल ने एडीबी से 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से 1.715 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त कर लिये हैं।

आईआईएफसीएल ने विश्व बैंक के 195 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण व्यवस्था में से 195 अमरीकी डॉलर पूर्णतया प्राप्त कर लिए हैं।

केएफडब्ल्यू द्वारा अनुमोदित दो पनबिजली परियोजनाओं और चार सौर ऊर्जा परियोजनाओं को संवितरण करके, आपकी कम्पनी द्वारा केएफडब्ल्यू के 50 मिलियन यूरो की ऋण व्यस्था का पूरी तरह से लाभ उठाया गया है।

31 मार्च, 2014 को, आईआईएफसीएल द्वारा ईआईबी के साथ 200 मिलियन यूरो का एक वित्तीय करार भी किया गया है, जिसमें से मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 200 मिलियन यूरो निकाल कर इसका भी पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ 50 बिलियन जापानी येन की ऋण व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें से 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 15 बिलियन जापानी येन प्राप्त किये जा चुके हैं।

बहुपक्षीय संस्थानों के साथ इन रिश्तों ने आईआईएफसीएल के दीर्घकालिक संसाधनों को जुटाने में व्यापक सहायता की है।

स्प्रिंग अल्ट इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

सूचना–प्रौद्योगिकी पहलें

आईआईएफसीएल अपने विभिन्न पणधारकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में विश्वास करता है। विभिन्न कारोबारी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता किसी भी कारोबारी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण होती है, तदनुसार आईआईएफसीएल की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को क्षमताएं निर्मित करने और इसके पणधारकों की अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। पणधारकों को मूल्यवान परिणाम देने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा की गई प्रौद्योगिकी सक्षम पहलों में शामिल हैं:

- अपने विभिन्न कारोबारी कार्यकलाप की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एसएपी–ईआरपी का कार्यान्वयन और विभिन्न कारोबारी प्रक्रियाओं में एंड–टू–एंड स्वचालन भी लाना।
- आईआईएफसीएल ने निदेशक मंडल की बैठक और बोर्ड स्तर की अन्य बैठकों को पेपरलेस आयोजित करने के लिए आईटी अनुप्रयोग की शुरूआत की है।
- आईआईएफसीएल ने अत्याधुनिक 4–स्तरीय डेटा केन्द्र और आपदा बहाली केन्द्र की शुरूआत की है।
- आईआईएफसीएल में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए अनुमोदित नीति ढांचा स्थापित किया है।
- आईआईएफसीएल ने सूचना और साइबर सुरक्षा के लिए अनुमोदित नीति ढांचा स्थापित किया है।
- आईआईएफसीएल ने अनुमोदित सूचना (आईएस) लेखापरीक्षा ढांचा स्थापित किया है।

डिजीटल रुपांतरण

एनबीएफसी में पारम्परिक कारोबार प्रक्रियाएं तेजी से बदल रही हैं। तदनुसार, आईआईएफसीएल निरंतर डिजीटलाइजेशन की विभिन्न नई–नई पहलों का उपयोग करके विभिन्न कारोबार प्रक्रियाओं का स्वचालन कर रही है। आईआईएफसीएल ने बड़ी संख्या में नई आईटी पहला शुरू किये है जिनमें से निम्नलिखित अब लाइव/चालू हैं :

- आईआईएफसीएल अपनी ब्राण्ड इमेज के संवर्धन के लिए नई वेबसाइट का शुभारंभ किया है जिसमें ग्राहकों तक पहुँच में वृद्धि होगी।
- आईआईएफसीएल ने पेपरलेस ऑफिस का लक्ष्य हासिल करने के लिए नई पीढ़ी की दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) लागू की है जिसमें विभिन्न कारोबारी प्रक्रियाएं स्वचालित होती हैं।

विवेकसम्मत मानदंड अपनाना

भारतीय रिजर्व बैंक ने, कंपनी को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–गैर जमा–इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी–एनडी–आरइएफसी) के कारोबार को जारी रखने की अनुमति देते हुए दिनांक 9 सितंबर, 2013 को आईआईएफसीएल को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) सं एन–14.03288 जारी किया है।

कंपनी ने दिनांक 21 नवंबर 2014 के अपने पत्र के माध्यम से एनबीएफसी–आरइएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के समय सीमा से सम्बन्धित नियमों के विभिन्न घटकों का अनुपालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कार्ययोजना प्रस्तुत की है। तदनुसार, वर्ष 2019–20 के दौरान, आईआईएफसीएल ने कंपनी पर लागू होने वाले भारतीय रिजर्व बैंक विनियमों का अनुपालन किया है।

भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी एएस) के अनुसार वित्तीय विवरण की तैयारी

कार्पोट कार्य मंत्रालय की दिनांक 18 जनवरी 2016 की अधिसूचना के अनुसार, आईआईएफसीएल द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2018 से आगे की प्रतिवेदन अवधि (अवधियों) के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी एएस) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किये हैं।

पुनर्रचित ऋण, एनपीएएस और वसूली

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, सकल एनएपीए 6623 करोड़ रुपये और निवल एनपीए 3279 करोड़ रुपए रहा। इसके अतिरिक्त, 1222.97 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया साथ ही 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 623 करोड़ रुपए के बकाया मूलधन वाले चार (4) खाते परिसम्पत्ति पुनर्रचना कम्पनियों को बेचे जा चुके हैं।

वित वर्ष 2019–20 के दौरान, 457 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ बट्टे खाते डाले गए/एआरसी खातों से वसूली की गई 163 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार सकल एनपीए 19.70 प्रतिशत और निवल एनपीए 9.75 प्रतिशत के स्तर पर था। प्रावधान कवरेज अनुपात लगभग 50 प्रतिशत रहा।

पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

आंध्र प्रदेश के बाहर स्थित आरोही सोलर प्लांट (50 मेगावाट)

शीघ्रातिशीघ्र समाधान/वसूली के लिए अग्रणी/सहायता संघ के परामर्श से अपेक्षित उपाय किए जा रहे है। आईआईएफसीएल अनेक मामलों में रियायत प्राधिकरणों, अन्य पणधारकों के साथ संपर्क करके पहल कर रही है ताकि अंतिम भुगतान, पूर्ण–कार्य आधार पर समाधान, रिकवरी कार्रवाई आरंभ करने आदि जैसे समाधान ढूंढे जा सकें। उच्च मूल्य वाली राशियों पर गहन निगरानी रखी जाती है और सकेंद्रित ध्यान दिया जाता है। जिन मामलों में मध्यस्थता कार्रवाई चल रही है उन पर निकट निगरानी की जा रही है। आईआईएफसीएल सीआईआरपी/एनसीएलटी के अतर्गत मामलों पर सक्रिय रूप से ध्यान दे रही है ताकि समयोचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम तथा सचालन–जोखिम आदि जैसे विभिन्न जोखिमों से निरावृत है। आपकी कंपनी ने नियामक आवश्यकताओं और उद्योग के सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अधिक प्रभावी और सुसंगत तरीके से जोखिम के प्रबंधन के लिए एक व्यापक जोखिम नीति ढांचे को लागू किया है। इसके अतिरिक्त कंपनी में नवीनतम अनुप्रयोज्य नीति व सुसंगत विनियम बनाने के क्रम में आपकी कंपनी ने मौजूदा जोखिम प्रबंधन नीति में अंतरों की समीक्षा करने एवं एकीकृत तरीके में उनका अद्यतन करने के लिए एक बाहरी परामर्शदात्री कंपनी को नियुक्त किया है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है। बोर्ड नियमित अंतराल पर आरएमसी एवं आल्को समिति के माध्यम से जोखिम प्रबंधन कार्यनीति की समीक्षा करता है एवं अनुमोदित जोखिम प्रवृत्ति ढांचे के भीतर कंपनी के प्रदर्शन पर नजर रखता है।

आपकी कंपनी औद्योगिक जोखिम, कारोबारी जोखिम, वित्तीय जोखिम, निर्माण एवं परियोजना विशेष जोखिम, पर्यावरण संबंधी जोखिम जैसे विभिन्न जोखिम मानकों को ध्यान में रखते हुए ऋण जोखिम मूल्यांकन और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की आन्तरिक रेटिंग

के लिए क्रेडिट जोखिम आकलन मॉडल सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। परियोजनाओं की आंतरिक जोखिम मूल्यांकन रेटिंग प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्यों की समिति द्वारा अनुमोदित है। इसके अतिरिक्त कपंनी कंपनी ने अवसंरचना क्षेत्र में मामला दर मामला आधार पर संभावित उधारकर्ताओं पर अतिरिक्त विशेषा ऋण रेटिंग अभिमत रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए बाहरी रेटिंग एजेंसी नियुक्त की है। आपकी कम्पनी, अवसंरचना क्षेत्र की समन्वित सूची के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों के लिए ऋण जोखिम से सम्बन्धित नए मॉडल खरीदने की प्रक्रिया में है। यह क्रियान्वयन के चरण में है।

आपकी कंपनी ने आंतरिक रूप से परियोजनाओं के लिए एक जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण नीति तैयार की है, जिसमें यह मुख्य ऋणदाता की भूमिका निभाएगी। बोर्ड की प्रबंधन एवं निवेश समिति (एमआईसी) अन्य बातों कें साथ–साथ ऋण प्रस्ताव पर विचार करते समय आंतरिक जोखिम रेटिंग अभिमत पर विचार–विमर्श भी करती है।

ऋण जोखिम का मूल्यांकन परिसंपत्ति पोर्टफोलियों विश्लेषण, पोर्टफोलियों कीमत लागत अंतर विश्लेषण, आरएएफ विवरणों का पालन, एक पक्षकार एवं सामूहिक एक्सपोजर के लिए विवेकसम्मत विनियामक मापदंड एवं विभिन्न संवेदी सूचकों एवं परिदृश्यों के अंतर्गत दबावग्रस्त परीक्षण के माध्यम से तिमाही आधार पर किया जाता है। पोर्टफोलियो जोखिम आकलन रिपोर्ट बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएल–आरएमसी) के समक्ष तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

ऐसे समय पर जब दबावग्रस्त आस्तियों की बड़ी राशि के कारण वाणिज्यिक बैंक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आपकी कम्पनी ने देश में अवसंरचना के विकास हेतु निधियों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, बैंकों/वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने के लिए बाज़ार निर्धारित बाह्य मानकों से सम्बन्धित एक अलग मानक दर आरम्भ की है ताकि ऐसे संस्थान अवसंरचना क्षेत्र में खुलकर आगे ऋण दे सकें। इस पहल ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों को कम लागत पर निधियां उपलब्ध कराते हुए आपकी कंपनी की पुनर्वित्त योजना में नया आयाम जोड़ दिया है। इस संबंध में आपकी कंपनी ने संभावित एनबीएफसी उधारकर्ताओं के लिए पुनर्वित्त उत्पाद क आंतरिक रूप से रेटिंग मॉडल तैयार किया है एवं विशेषज्ञों ने इसे मान्यता दी व बाल्को के अनुमोदन प्राप्त के उपरांत इसे आरंभ किया गया।

आपकी कंपनी ने बोर्ड स्तरीय आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जो चलनिधि और ब्याज दर से संबंधित जोखिमों की निगरानी करती है। आस्ति देयता प्रबंधन ढांचे में आस्ति की प्राप्तियों और ऋणशोधन दायित्वों के अल्पकालिक व दीर्घकालिक चलनिधि प्रोफाइल का आवधिक विश्लेषण शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार चलनिधि अंतर विश्लेषण, चलनिधि कवरेज अनुपात की मदद से निगरानी की जा रही हैं। ब्याज दर जोखिम की आय एवं आर्थिक मूल्य के दृष्टिकोण से समीक्षा की जाती है। इसे पारंपरिक अंतर विश्लेषण (टीजीए) व अंतराल अंतर विश्लेषण (टीजीए) दोनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन प्रबंधन समिति ने बोर्ड द्वारा 9 सितंबर, 2020 को आयोजित बैठक में प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुसार बोर्ड स्तरीय आल्को की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये। कार्यपालक स्तर की आल्को समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना इसके उपरांत सूचनार्थ एवं कार्यनीतिक दिशानिर्देशन के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाएगी।

आपकी कम्पनी ने सामान्य और कम्पनी की विशिष्ट गतिविधियों के जोखिमों को कम करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है। प्रचालन जोखिम संगठन के ऐसे सभी क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं जो लोगों, प्रक्रिया, प्रणाली एवं बाहरी कारकों से संबंधित जोखिम होते हैं। प्रचालन जोखिम ढांचे में जोखिम नियंत्रण एंव स्व–आकलन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) एवं क्षतिग्रस्त डेटा घटक शामिल होते हैं। संबंधित कार्यशील विभाग प्रचालन जोखिमों का आकलन करते हैं एवं इन जोखिमों को कम करने के लिए समुचित नियंत्रण उपाय विद्यमान हैं। कारोबारी निरंतरता योजना एवं साइबर सुरक्षा जो प्रचालन जोखिम शमन उपायों का हिस्सा हैं, कारेबार में व्यवधान आने पर प्रभावित होने वाले कारोबार की गतिशीलता बनाये रखने के उद्देश्य से किये गये हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अनुसार, आपकी कंपनी को 15 प्रतिशत के पूंजी–जोखिम–समायोजन अनुपात (सीआरएआर) को बनाए रखना होगा। एनबीएफसी–आईएफसी को भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष अनुदान के मामले के रूप में, आरइआरइएफसीएल को सीआरएआर 12 प्रतिशत बनाए रखना होगा। इसके बाद, आरबीआई द्वारा अपेक्षित किया गया है कि सरकारी स्वमित्व वाली एनबीएफसी धीरे–धीरे 31 मार्च 2021 तक 13 प्रतिशत और 31 मार्च 2022 तक 15 प्रतिशत सीआरएआर प्राप्त करें। हालांकि, 31 मार्च 2020 को आईआईएफसीएल ने सीआरएआर को 30.85 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखा है।

पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय

दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से आईआईएफसीएल ने बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में साख पैदा करने के लिए, आईआईएफसीएल को डीएफआई की सुरक्षोपायों नीतियों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। सुरक्षोपायों को सुनिचित करने और उनकी निगरानी करने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में एक आंतरिक पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षोपाय (ईएसएमयू) यूनिट की स्थापना की गई है, जिसनें ईएसएमय के प्रमुख सहित पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षोपायो के योग्य व अनुभवी विशेषज्ञ शामिल हैं।

आईआईएफसीएल ने पर्यावरण और सामाजिक नीति अपनायी है और पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षा ढांचे (ईएसएसएफ) को विकसित किया है। ईएसएसएफ के अनुसार भारत सरकार के विनियमन/दिशा–निर्देश आईआईएफसीएल द्वारा वित्त–पोषित सभी परियोजनाओं पर लागू होते हैं और जहां भी डी एफ आई की वित्तपोषण सहायता शामिल होती है वहां डी एफ आई के सुरक्षोपाय लागू होते हैं।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान ईएसएमयू दल को, आहरण अवधि के दौरान ऋण व्यवस्था की विभिन्न अपेक्षाओं से सम्बन्धित पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षोपाय अनुपालन का कार्य सौंपा गया था जिससे आईआईएफसीएल को दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिली। इस अवधि के दौरान एडीबी के ऋण व्यवस्था के तहत कुल 10 परियोजनाओं एवं जैपनीज इंटरनेशनल

को–ऑपरशन एजेंसी (जेआईसीए) की ऋण व्यवस्था के तहत दो परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इस अवधि के दौरान ईएसएमयू दल को से 12 स्वीकृत परियोजनाओं के लिए बहुद्देशीय संसाधनों यानि जेआईसीए के तहत लगभग 493.64 रुपये एवं एडीबी से 349.63 करोड़ की के ऋण व्यवस्था की सुविधा प्राप्त हुई।

मानव संसाधन प्रबंधन

किसी भी संगठन के विकास में मानव संसाधन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईआईएफसीएल 81 कर्मचारियों की क्षमता के साथ एक चुस्त–दुरस्त संगठन है। कंपनी के मानव संसाधन को विकसित करने के लिए साल भर विभिन्न पहल की गई थी, जिसमें विभिन्न प्रसिद्ध भारतीय और विदेशी संस्थाओं में ऋण मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन, संसाधन और कोषागार प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, कानूनी पहलू और आईटी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल था। कार्यबल को प्रेरित करने और उसे व्यस्त रखने के लिए, स्टाफ कल्याण पहल सहित अनेक पहलें की गईं। एचआर गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) को लागू किया गया है और यह प्रणाली पूरी तरह काम कर रही है। वर्ष भर के दौरान कर्मचारियों के बीच का संबंध शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बने रहे हैं। कंपनी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ विद्यमान है। इस प्रकोष्ठ की समय–समय पर बैठक आयोजित की जाती है। वर्ष के दौरान कंपनी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के संबंध में आरक्षण/छूट/रियायत पर सभी सरकारी नीतियों का अनुपालन किया जा रहा है।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल

आईआईएफसीएल सामाजिक रूप से उत्तरदायी संगठन है और स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय विरासतों का संरक्षण, खेलों को बढ़ावा देने और ग्रीन एनर्जी जैसे मुख्य क्षेत्रों में इसकी अपनी एक कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति है। आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के अन्तर्गत कार्यान्वित की जानेवाली परियोजनाएं देश के 24 राज्यों में लागू हैं और इसमें सामाजिक हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले विभिन्न क्षेत्र/लाभार्थी शामिल हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार शून्य सीएसआर बजट होने के बावजूद, आईआईएफसीएल ने अपनी सीएसआर पहल तहत कोविड–19 वैश्विक महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई को मजबूती देने की दिशा में अपने समर्थन के तौर पर आपातकालीन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम केयर्स) कोष में 25 करोड़ रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये मात्र) का योगदान दिया।

आईआईएफएसीएल, सार्वजनिक क्षेत्र के उन कुछेक उपक्रमों में से एक है, जिन्होंने अपने आबंटित सीएसआर बजट का पिछले छः वर्षों से निरन्तर पूर्णतः उपयोग किया है।

आंतरिक नियंत्रण

आपकी कंपनी में सांविधिक कानूनों, विनियमों एवं कंपनी की नीतियों का प्रचालन व अनुपालन सुचारूरूप रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने आकार और संरचना के अनुरूप प्रणाली पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण विद्यमान है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा प्रमुख क्षेत्रों की नियमित आधार पर लेखापरीक्षा की जाती है एवं नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अंतर की उन्नयन के चिन्हित किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा के परिणाम नियमित अंतराल पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष उनकी समीक्षा एवं सुधारात्मक उपायों पर संस्तुति/सुझावों के लिए रखे जाते हैं। नियमित रूप से वास्तविक समय आधार यानि लेनदेन करने के 5 (पांच) दिन की अवधि के भीतर सभी वित्तीय लेनदेन की सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध जांच/लेखापरीक्षा के लिए आपकी कंपनी ने समवर्ती लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई है एवं वित्त वर्ष 2019–20 एवं 2020–2021 के लिए आईआईएफसीएल की समवर्ती लेखापरीक्षकों के तौर पर सनदी लेखाकार फर्म की नियुक्ति की है।

पणधारकों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से कि आपकी कंपनी ने अपने क्रियाकलापों, उत्पादों एवं सेवाओं के प्रासंगिक पहलुओं के प्रबंधन में, संगठन की नीति के अनुरूप एवं आरबीआई मास्टर निदेश सं. डीएनबीएस.पीपीडी.सं.04/66.15.001/2016–17 दिनांक 8 जून, 2017 की अपेक्षानुसार आईएस लागू किया है, आपकी कंपनी ने आईएस लेखापरीक्षक की नियुक्ति की है।

लेखापरीक्षा क्रियाकलापों को मजबूती प्रदान करने एवं कारगर बनाने एवं विनयामक दिशानिर्देशों एवं प्रचालनों बदलाव लाने के उद्देश्य से आपकी कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) दृष्टिकोण अपनाने की प्रक्रिया में है। कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली का अद्यतन करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति कर ली गई है।

इन मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं से चूक की संभावना में कमी आएगी एवं अंततः सभी पणधारकों का विश्वास हासिल करने में भी सहायता मिलेगी।

कंपनी की रेटिंग

वर्ष के दौरान, कंपनी को दिया गया रेटिंग मानक स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर्स द्वारा बीबीबी/स्टेबल/ए –3 के रूप में पुष्टि की गई थी,जो संप्रभु रेटिंग के बराबर हैं। आईआईएफसीएल के विभिन्न घरेलू दीर्घकालिक उधार (बांड) को विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा 'एएए/एएए (एसओ)'का दर्जा दिया गया है। चालू वर्ष 2019–20 में रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आईएसओ 9001:2005 प्रमाणन

आपकी कंपनी ने, स्थापित, प्रलेखित क्वालिटी पॉलिसी और गुणवत्ता नियमों को लागू करते हुए और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए एक साधन के रूप में आईआईएफसीएल की सेवाएं निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि और अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को सफलतापूर्वक उन्नत और कार्यान्वित करते हुए आईएसओ मानक 9001:2015 धारक बनी रही है।

वर्ष 2019–20 के दौरान आईएसओ प्रमाणन की अपेक्षा के अनुसार, आवधिक आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके उपरान्त उनकी समुचितता, पर्याप्तता और प्रभावकारिता तथा सुधार की गुंजाईश का पता लगाने के लिए के प्रबन्धन द्वारा पुनरीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है। आईआईएफसीएल प्रबंधन द्वारा गुणत्ता आश्वासन पर काफी बल दिया जाता है और आवधिक पुनरीक्षा बैठकों में इसके सम्बन्ध में चर्चा की जाती है। आईआईएफसीएल द्वारा आईएसओ प्रमाणन के नवीनीकरण ने के लिए जनवरी, 2020 में अपेक्षित पुनर्प्रमाणन लेखापरीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

व्यापार विकास

कम्पनी नियमित आधार पर विभिन्न हितधारकों अर्थात वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, विकासकर्ता समूहों, रेटिंग एजेंसियों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों आदि से प्रमुख मुद्दों और समस्त अवसंरचना क्षेत्र में क्षेत्रगत विषयों पर चर्चा करती है जिसका उद्देष्य अवसंरचना क्षेत्र में आईआईएफसीएल की भागीदारी ओर समर्थन में वृद्धि करना है।

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी कंपनियां

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी की आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड, आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल) एवं आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड (आईएएमसीएल) नामक तीन सहायक कंपनियां हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने सहायक कंपनियों के कार्यों की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त सहायक कंपनियों के कार्य–निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट तथा निर्धारित प्रपत्र एओसी1 में वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं पहले ही वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न कर दी गई हैं। इस वर्ष के दौरान कोई सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी गठित अथवा बंद नहीं की गई।

आईआईएफसीएल की तीन सहायक कंपनियों का विवरण इस प्रकार है:

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड

अप्रैल, 2008 में आईआईएफसीएल ने लंदन में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की थी, जो कि भारतीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा में उधार देने के उद्देश्य से पूंजी उपकरणों के आयात के लिए विशेष रूप से देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करती है। भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) ने इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था प्रदान की है।

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड लिमिटेड ने 31 मार्च, 2020 तक 3.99 बिलियन अमरीकी डॉलर का संचयी ऋण स्वीकृति (निरसनों का निवल) एवं 2.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी संवितरण किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 बिलियन अमरीकी डॉलर क अपनी ऋण व्यवस्था की वैधता मार्च, 2023 तक आगे तीन वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण व्यवस्था के अलावा आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड भारत में अवसरंचना विकास के लिए आगे पूरक वित्तीय संसाधन प्रदान करने की दृष्टि से निरंतर निधि के नये स्रोतों की संभानायें तलाश रहा है।

आईआईएफसीएल ने वर्ष 2019–20 के दौरान आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की इक्विटी पूंजी लगाई है। आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड ने अत्यधिक प्रावधानीकरण के फलस्वरूप अपनी पूंजी घटा दी है एवं चालू कंपनी होने के कारण आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड समय के साथ सकारात्मक निवल मूल्य के प्रति आश्वस्त है।

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

विश्वसनीय अवसंरचना परियोजनाओं को चिह्नित करने और इनकी संकल्पना करने तथा निजी पूंजी को आकर्षित करने के महत्व को महसूस करते हुए, आईआईएफसीएल ने फरवरी 2012 में, एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य परियोजना संरचना, मूल्यांकन और समूहन सेवा सहित परियोजना सलाहकर सेवाएं मुहैया कराने के लिए अपनी क्षेत्रगत विशेषज्ञता का लाभ उठाना था।

एक प्रतिबद्ध वित्तीय और अवसंरचना सलाहकार कम्पनी के रूप में काम करते हुए, आईपीएल केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों और इनके निकायों, परियोजना विकासकर्ताओं और निवेशकों को अवसंरचना, अवरोधों, नीति और वित्त संबंधी मुद्दों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर सलाहकार समर्थन प्रदान करती है।

इस वित्तीय वर्ष में, आईपीएल ने अपने ज्ञान नेतृत्व की पुनः पुष्टि करते हुए 'ग्रीन फाइनेंस' में कार्यादेष प्राप्त किए जिसमें आईपीएल ने व्यापार के अपेक्षाकृत नए क्षेत्रों जैसे शहरी विकास, ठोस कचरा प्रबंधन, जलवायु धारणीयता और अवसंरचना में तन्यकता आदि में कार्यादेश क्रियान्वित किए। हमारी चुनिंदा विशिष्ट सुपुर्द कार्य दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर डेवलपमेंट कॉरपोरशन (डीएमआईडीसी) जैसे ग्राहकों के साथ थे जिनमें हमने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के लिए एक वित्तीय संरचनागत रूपरेखा तैयार करने में ग्राहकों की सहायता की। हमारे लिए एक अन्य उपलब्धि, केरल राज्य में केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (केआईआईएफबी) के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए अवसंरचना वित्तपोषण निकायों – एआईएफ की स्थापना थी। इसके अतिरिक्त, आईपीएल ने मेघालय में विकास षहरी अवसंरचना और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के

लिए परियोजना विकास सहायतय (पीडीए) मुहैया कराने के लिए मेघालय अवसंरचना विकास वित्त निगम, मेघालय (एमआईडीएफसी) के साथ एक कार्यादेश हस्ताक्षरित किया। अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी एक बड़ी डील होने जा रही है।

आईपीएल ने यूएन ईएससीएपी और एडीबी के साथ 'शहरी अवसंरचना: जन निजी भागीदारी और निगम वित्त नवप्रयोगों पर नया दृष्टिकोण' विषय पर दो दिवसीय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए नीति आयोग के साथ 'ज्ञान और समर्थन भागीदार' के रूप में सहभागिता की।

आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएएमसीएल)

आईआईएफसीएल, जो कि आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी है, आईआईएफसीएल की एक आस्ति प्रबन्धन कम्पनी है। आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड ने अपनी पहली आईडीएफ योजना "आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण फंड सीरीज I के नाम से 14 फरवरी 2014 को 5 निवेशकों से 300 करोड़ रुपए की राशि जुटाते हुए की थी। आईडीएफ सीरिज़–I को दो घरेलू रेटिंग एजेन्सियों द्वारा एएए आईडीएफ–एमएफ की रेटिंग दी गई है और यह बीएसई में लिस्टेड है। यह स्कीम मुख्यत: पूर्ण और राजस्व अर्जन करने वाली अवसंरचना आस्तियों में निवेश करती है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, सीरीज़–I के प्रबन्धन के तहत आस्तियां 397.08 करोड रुपये हो गई हैं। अप्रैल, 2017 में आईएएमसीएल ने अपनी छह संस्थागत निवेशकों सहित 200.00 करोड़ रुपये की निधि से आईडीएफ सिरीज़ II को आरम्भ और सफलतापूर्वक संपन्न किया जो कि एएए आईडीएफ–एमएफ की रेटिंग प्राप्त है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, आईडीएफ सिरीज़–II के प्रबन्धन के तहत आस्तियां 165.57 करोड रुपये हो गई हैं। सीएआरई ने आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएएमसीएल) की योजनाओं (सीरीज I और II) की रेटिंग 176.26 करोड़ रुपये हो गई है।

शेयर पूंजी

31 मार्च 2020 को आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 6000 करोड़ रुपये थी और चुकता शेयर पूंजी 4202.32 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 10 रुपये प्रत्येक के 420.23 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे, जिनमें से सम्पूर्ण भाग भारत सरकार का था।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसरण में आईआईएफसीएल के शेयरधारकों ने 17 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में आईआईएफसीएल की अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी को 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ताकि कंपनी की इक्विटी शेयर के राइट इश्यू के माध्यम से भविष्य में निधि जुटाई जा सके।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान भारत सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग के दिनांक 9 मई, 2019 के पत्र एफ. सं. 6/13/2011–आईएफ-I के माध्यम से वर्ष 2018–19 में आईआईएफसील को इक्विटी अंशदान के तौर पर 500 करोड़ रुपये (पांच सौ करोड़ रुपये मात्र) की राशि जारी करने की माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी की सूचना दी। तदनुसार भारत सरकार ने 14 मई, 2019 को आईआईएफसीएल को इक्विटी अंशदान के रूप में 500 करोड़ रुपये जारी किये। भारत सरकार द्वारा जारी राशि से आईआईएफसीएल का इक्विटी शेयर के आबंटन के उपरांत आईआईएफसीएल की चुकता शेयर पूंजी 4202.32 करोड़ रुपये से बढ़कर 4702.32 करोड़ रुपये हो गई है।

इसके उपरांत भारत सरकार ने दिनांक 26 मई, 2019 के पत्र एफ. सं. 6/13/2011–आईएफ-I के माध्यम से आईआईएफसील को पुर्नपूंजीकरण बांड के माध्यम से इक्विटी अंशदान के तौर पर 5,297.60 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी की सूचना दी। तदनुसार भारत सरकार ने 30 मार्च, 2020 को आईआईएफसीएल को इक्विटी अंशदान के रूप में 5,297.60 करोड़ रुपये जारी किये। भारत सरकार द्वारा जारी राशि से आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयर के आबंटन के उपरांत आईआईएफसीएल की चुकता शेयर पूंजी 4202.32 करोड़ रुपये से बढ़कर 9999.92 करोड़ रुपये हो गई है।

तदनुसार, 31 मार्च, 2020 को आपकी कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10,000 करोड़ रुपये रही एवं चुकता शेयर पूंजी 9999,91,62,300 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 10 रुपये प्रत्येक के 999,9916,230 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे, जिनमें से सम्पूर्ण भाग भारत सरकार का है।

लाभांश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निदेशकों ने किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की थी। निवेश और सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय ने सीपीएसई के पूंजी पुनर्रचना पर दिशानिर्देश जारी किये देखें कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ 5/2/2016–नीति दिनांक 27 मई 2016। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई करोपरांत लाभ के 3 प्रतिशत या निवल संपत्ति के 5 प्रतिशत के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगी जो मौजूदा कानूनों के तहत स्वीकार्य अधिकतम लाभांश के अधीन उच्चतम हो। आईआईएफसीएल ने 14 जनवरी 2019 के पत्र सं. आईआईएफसीएल/सीपीडी/एमओएफ/2018–19/2390 के जरिए वित्तीय सेवाएं विभाग से कम से कम वित्त वर्ष 2021–22 तक लाभांश के भुगतान एवं अपने शेयरों के बाई बैक में छूट देने के लिए संपर्क किया था।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

आपकी कंपनी को आधारभूत संरचना सुविधाओं के लिए वित्तपोषण के कारोबार से जुड़ा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रासंगिक प्रावधान से छूट प्राप्त है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से वस्तुओं व सेवाओं की खरीद

आईआईएफसीएल ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 405.60 लाख रुपये के वस्तुओं व सेवाओं की खरीद की जिसमें से कुल 363.53 लाख रुपये यानि 89.62 प्रतिशत वस्तुओं व सेवाओं की खरीद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो से की गई।

निदेशक मंडल

आज की तारीख के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

नाम एवं पद	डीआईएन	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि
श्री पी. आर. जयशंकर (नोट 1 देखें)	06711526	प्रबंध निदेशक	29 मई, 2020
श्री पवन के. कुमार (नोट 2 देखें)	08901398	उप प्रबंध निदेशक	1 अक्तूबर, 2020
श्री बलदेव पुरूषार्थ (नोट 3 देखें) संयुक्त सचिव (अवसंरचना नीति एवं वित्त) आर्थिक मामले विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	07570116	सरकार द्वारा नामित निदेशक	16 अप्रैल, 2020
श्री संजोय कुमार साहा (नोट 4 देखें) सलाहकार (पीपीपीएयू), नीति आयोग, भारत सरकार	08223373	सरकार द्वारा नामित निदेशक	12 सितंबर, 2018
श्री आनंद मधुकर (नोट 5 देखें) संयुक्त सचिव, विशेष कार्याधिकारी वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	08563286	सरकार द्वारा नामित निदेशक	16 सितंबर, 2019
सुश्री ए. मणिमेखालाई (नोट 6 देखें) कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक	08411575	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक	28 अप्रैल, 2020

टिप्पणियां :

1. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 मई, 2020 के पत्र एफ सं. 9/3(i) /2/2019/आईएफ–। के माध्यम से श्री पदमनाभान राजा जययशंकर, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक को पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के प्रबंध निदेशक के तौर नियुक्त किये जाने की सूचना दी गई।

2. इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2020 के पत्र एफ सं. 9/3/2019/आईएफ–। के माध्यम से श्री पवन के कुमार, आईआरएस (आईटी), बैच 1990 के अधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के उप प्रबंध निदेशक के तौर नियुक्त किये जाने के समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना दी गई। आईआईएफसीएल के उप प्रबंध निदेशक के तौर नियुक्त किये जाने से पूर्व श्री पवन के कुमार, कार्यपालक निदेशक, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) के तौर पर कार्यरत थे। श्री पवन के कुमार की नियुक्ति 1 अक्तूबर, 2020 यानि निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के आबंटन की तिथि से प्रभावी है। श्री पवन के कुमार ने 1 अक्तूबर, 2020 से उप प्रबंध निदेशक के तौर पदभार ग्रहण किया।

3. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 3/2/2010/आईएफ–1 दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के द्वारा श्री बलदेव पुरुषार्थ, संयुक्त सचिव (अवसंरचना नीति एवं वित्त), आर्थिक कार्य विभाग को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में डॉ कुमार विनय प्रताप के स्थान पर तत्काल प्रभाव से एवं आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1) (ख) (i) तथा 120 के प्रावधान के अनुसार आगामी आदेश तक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने की सूचना दी गई।

4. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 3/1/(ii)/2010/आईएफ–I दिनांक 16 अगस्त, 2018 द्वारा संजोय कुमार साहा, सलाहकार, नीति आयोग को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में श्री प्रवीन महतो के स्थान पर तत्काल प्रभाव से एवं आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(1)(ख)(i) के प्रावधानों के अनुसार आगामी आदेश तक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने की सूचना दी गई। श्री संजोय कुमार साहा की नियुक्ति डी.आई.एन. के आबंटन की तिथि अर्थात् 12 सितम्बर, 2018 से प्रभावी है।

5. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 सितम्बर 2019 के पत्र एफ स. 3/2/2011/आईएफ–। द्वारा, श्री आनंद मधुकर, विषेष कार्याधिकारी, (संयुक्त संचिव स्तर), डीएफएस को आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1) (ख) (i) तथा 120 के प्रावधान के अनुसार तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक श्री पंकज जैन, अपर सचिव, डीएफएस के स्थान पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने की सूचना दी गई।

6. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र एफ स. 3/12011/आईएफ–। दिनांक 28 अप्रैल, 2020 द्वारा सुश्री मणिमेखालाई, कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद अनुच्छेद 115 (1) (ख) (पप) के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने की सूचना दी गई।

वे व्यक्ति जिनकी आईआईएफसीएल के मंडल से 1 अप्रैल, 2019 से आज की तिथि तक निदेशक के तौर पर सेवाएँ समाप्त हो गई है, निम्नानुसार है:–

नाम एवं पदनाम	डीआईएन	श्रेणी	कार्यकाल
श्री पकंज जैन *(नोट 1 देखें)*	00675922	प्रबंध निदेशक	1 जनवरी, 2016 – 29 मई, 2020
डॉ कुमार वी. प्रताप *(नोट 2 देखें)*	07606296	सरकार द्वारा नामित निदेशक	14 दिसंबर, 2017 – 16 अप्रैल, 2020
सुश्री पी. वी. भारती *(नोट 3 देखें)*	06519925	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक	4 जुलाई, 2018 – 31 मार्च, 2020
श्री चैतन्य जी. चिंतापल्ली *(नोट 4 देखें)*	07986772	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक	16 अगस्त, 2018 – 1 सितंबर, 2020

कंपनी मंडल में उनके अमूल्य योगदान के लिए अपनी शुभकामनायें प्रेषित करता है।

टिप्पणियां :

1. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र एफ संख्या 3/2/2011/आईएफ–1 दिनांक 1 जनवरी, 2016 द्वारा श्री पंकज जैन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में सुश्री अन्ना रॉय, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग के स्थान पर आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115(1)(ख)(i) तथा 120 के प्रावधानों के अनुसार के संदर्भ में आगामी आदेश तक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने की सूचना दी गई। तदोपरांत, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र एफ संख्या 3/2/2011/आईएफ–1 (खंड– II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा सूचित किया गया कि श्री पंकज जैन, आई.ए.एस. (एएम:90), संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को नियमित व्यक्ति की नियुक्ति होने तक तत्काल प्रभाव से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री पी आर जयशंकर ने दिनांक 29.05.2020 से आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है। तदनुसार श्री पी आर जयशंकर, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आईआईएफसीएल में प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्य ग्रहण करने के उपरांत दिनांक 29.05.2020 से श्री पंकज जैन का प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार समाप्त हो गया है।

2. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 3/2/2010/आईएफ–1 दिनांक 16 अप्रैल, 2020 द्वारा श्री बलदेव पुरुषार्थ, संयुक्त सचिव (अवसंरचना नीति एवं वित्त), आर्थिक कार्य विभाग को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में डॉ कुमार विनय प्रताप के स्थान पर तत्काल प्रभाव से एवं आईआईएफसीएल के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 115 (1) (ख) (i) तथा 120 के प्रावधान के अनुसार आगामी आदेश तक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने की सूचना दी गई।

3. भारत सरकार द्वारा पत्र एफ. सं. 3/1/2010/आईएफ–1 (खंड–IV) दिनांक 4 जुलाई, 2018 द्वारा आईआईएफसीएल के मंडल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक के तौर पर 4 जुलाई, 2018 को नियुक्त सुश्री पी.वी भारती, कार्पोरेशन बैंक का कार्यकाल उनकी अधिवर्षिता पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गया है।

4. भारत सरकार द्वारा पत्र एफ. सं. 3/1/(i)2010/आईएफ–1 दिनांक 16 अगस्त, 2018 द्वारा आईआईएफसीएल के मंडल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक के तौर पर 16 अगस्त, 2018 को नियुक्त श्री चैतन्य जी. चिंतापल्ली, का कार्यकाल उनकी अधिवर्षिता पर 1 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गया है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) की अपेक्षानुसार, एतत् द्वारा पुष्टि की जाती है:

क. कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था और इससे किसी भी तरह का महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ।

ख. कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें निरंतर लागू किया और निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों के बारे में और अंत में समीक्षा वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

ग. कि निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पत्तियो की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की।

घ. कि निदेशकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों को एक नियमित संबंधित विषयों के आधार पर तैयार किया।

ङ कि निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किये थे और जिनका पालन कंपनी द्वारा किया जाएगा और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

च. कि निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और बताया गया कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त थी और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

कॉर्पोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन शेयरधारकों के अविच्छेद्य अधिकारों के प्रबंधन द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों का एक समूह है, जो निगम के सच्चे मालिक और शेयरधारकों की तरफ से स्वयं की भूमिका निभाता है। कॉरपोरेट प्रशासन पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, जो कंपनी और समाज के मजबूत और संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। तदनुसार, कॉरपोरेट प्रशासन चलन को अपनाने और उन्हें मजबूत करने को कॉरपोरेट जगत में मजबूती से अहसास किया गया है।

आपकी कंपनी कॉरपोरेट संरचना विकसित करने, व्यवसाय के संचालन और ऐसे कॉरपोरेट प्रशासन से सम्बन्धित दर्शन के साथ जुड़े स्पष्ट चलन पर ध्यान केंद्रित करती रही है। आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल की रचना, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा भेजे गये पत्र एफ नं– 18/6/2014–आईएफ–आई, दिनांक 22 जनवरी 2015 के अनुसार, स्थिति इस तरह है: – दो (2) पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक, तीन (3) सरकार के नामिती निदेशकों, दो (2) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक हो सकता है। इस समय, एक पूर्णकालिक निदेशक का पद रिक्त है। इसके अलावा, इसके बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है और उन्होंने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है।

वित्तीय विवरणों के समेकन के संबंध में आपकी कंपनी ने लागू लेखा मानक के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए। प्रबंधन सभी भौतिक वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित बोर्ड के सामने खुलासा करता है, जहां उनके निजी हित हैं और जिनका कंपनी के हित के साथ संभावित टकराव संभव हैं। अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट, कंपनी के प्रदर्शन और अन्य संचालन संबंधी मामलों को नियमित रूप से निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है।

वर्ष भर के दौरान बोर्ड की बैठकें

कंपनी के निदेशक मंडल, नेतृत्व और रणनीतिक दिशा प्रदान करता है और इसके उद्देश्य से सम्बन्धित फैसले को आगे बढ़ाता है, ताकि कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण रखना, एक कुशल प्रबंधन के माध्यम से हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने 11 मई 2019 (स्थगित एवं बाद में 15 मई, 2019 को आयोजित), 10 अगस्त, 2019, 19 अक्तूबर, 2019, 15 नवंबर, 2019, 21 दिसंबर, 2019, 29 फरवरी, 2020 और 21 मार्च, 2020 को नौ बार बैठकें की।

निदेशक मंडल की समिति

बोर्ड विशिष्ट संचालन क्षेत्रों की निगरानी के लिए गठित पूर्ण बोर्ड या विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। बोर्ड की प्रत्येक समिति संदर्भ की शर्तों द्वारा निर्देशित होती है, जो समिति की संरचना, दायरे और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियां नियमित अंतराल पर बैठकें करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें दिए गए अधिकार के भीतर निर्णय से अवगत कराती हैं।

31 मार्च, 2020 तक, बोर्ड की निम्न समितियां थीं:

1. लेखा परीक्षा समिति
2. प्रबंधन और निवेश समिति
3. जोखिम प्रबंधन समिति

4. आस्ति देयता प्रबंधन समिति*
5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
6. पारिश्रमिक और नामांकन समिति
7. पणधारक सम्बन्ध समिति
8. आईटी रणनीति समिति

* मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति ने 9 सितंबर, 2020 को आयोजित बैठक में मंडल के अनुमोदनानुसार मंडल स्तरीय आल्को की भूमिका एवं उत्तरदायिव निर्धारित किये। कार्यपालक स्तरीय आल्को समिति द्वारा लिये गये निर्णय से इसके उपरांत सूचनार्थ एवं कार्यनीतिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाएगा।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

29 मई, 2006 को आयोजित तीसरी बोर्ड बैठक में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था, जिसे पुनः दिनांक 8 मई, 2020 के परिपत्र संकल्प संख्या 98/2020–21 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

आज की तिथि के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन इस प्रकार है:

नाम	पदनाम
श्री पकंज जैन %	प्रबंध निदेशक
सुश्री ए मणिमेखालाई	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक **समिति की अध्यक्षा**
श्री आनंद मधुकर	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री संजोय कुमार साहा	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री पी.वी. भारती*	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक
श्री चैतन्य जी. चिंतापल्ली #	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक

%29 मई, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

*31 मार्च, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

#1 सितंबर, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की 11 मई, 2019 (स्थगित एवं बाद में 15 मई, 2019 को आयोजित), 10 अगस्त, 2019, 29 अगस्त, 2019, 19 अक्तूबरख् 2019, 15 नवंबर, 2019, 29 फरवरी, 2020 और 31 मार्च 2020 को सात बार बैठकें आयोजित हुईं।

प्रबंधन और निवेश समिति (एमआईसी)

20 फरवरी 2013 को बोर्ड की हुई 60 वीं बैठक में एमआईसी का गठन किया गया था, जिसे पुनः दिनांक 5 जून, 2020 के परिपत्र संकल्प संख्या 99/2020–21 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया। आज की तिथि के अनुसार, प्रबंधन और निवेश समिति का गठन इस प्रकार है:

नाम	पदनाम
श्री पी आर जयशंकर	प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल **समिति के अध्यक्ष**
श्री पंकज जैन*	प्रबंध निदेशक
श्री संजोय कुमार साहा	सरकार द्वारा नामित निदेशक
डॉ. कुमार वी. प्रताप$	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री बलदेव पुरुषार्थ	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री पी. वी. भारती #	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक
श्री चैतन्य गायत्री चिंतापल्ली %	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक
सुश्री ए मणिमेखालाई	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक

*29 मई, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

+16 अप्रैल, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

#31 मार्च, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

%1 सितंबर, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन और निवेश समिति ने क्रमशः 11 मई 2019, 13 जून, 2019, 10 अगस्त 2019, 29 अगस्त, 19 अक्तूबर, 2019, 15 नवम्बर, 2019, 21 दिसम्बर, 2019, 29 फरवरी, 2020 और 21 मार्च 2020 को नौ बार बैठकें की।

जोखिम प्रबंधन समिति

आईआईएफसीएल निदेशकमंडल की 14 नवंबर, 2008 को आयोजित 21वीं बैठक में बोर्ड की जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिती का गठन किया गया। आईआईएफसीएल के सिलसिले में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में पंजीकृत किये जा रहे और आईआईएफसीएल में एकीकृत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन बोर्ड स्तर–जोखिम निवारण और प्रबंधन समिति का पुनर्गठन बोर्ड स्तर–जोखिम प्रबंधन और एएलसीओ समिति के रूप में किया गया था जिसमें 03 फरवरी 2014 को आयोजित आईआईएफसीएल जोखिम प्रबंधन और आस्तियों और देनदारियों के प्रबंधन के लिए समग्र मार्गदर्शन देने के लिए 68 वीं बोर्ड की बैठक में एएलसीओ समिति का पुनर्गठन किया गया था।। इसके बाद, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 26 नवंबर 2014 को आयोजित 73 वें बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि आईआईएफसीएल की मौजूदा जोखिम प्रबंधन और एएलसीओ (एलको) समिति को दो समितियों में विभाजित किया जाना चाहिए, अर्थात् जोखिम प्रबंधन समिति और एएलसीओ (एलकों) समिति मुख्य परिपत्र–भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस डीएनबीएस (पीडी) सीसी सं 390/03.10.001/2014–15 दिनांकित 1 जुलाई, 2014 में संदर्भित करता है कि प्रत्येक एनबीएफसी को 20 करोड़ या उससे अधिक के सार्वजनिक जमा के साथ या 100 करोड़ आस्ति या उससे अधिक का आकार आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के अतिरिक्त एकीकृत जोखिम का प्रबंधन करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगा। दोनों समितियों में सदस्य एक समान होंगे।

दिनांक 29 जून, 2020 को आयोजित मंडल की 160वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन समिति और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) का पुनर्गठन किया गया।

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन दिनांक निम्नवत है:

नाम	पदनाम
सुश्री ए. मणिमेखालाई	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक **समिति की अध्यक्षा**
श्री पंकज जैन %	प्रबंध निदेशक
श्री पी आर जयशंकर	प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल
श्री आनंद मधुकर	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री संजोय कुमार साहा	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री पी. वी. भारती *	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक
श्री चैतन्य गायत्री चिंतापल्ली #	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक

% 29 मई, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

*31 मार्च, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

#1 सितंबर, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति ने 13 जून, 2019, 10 अगस्त 2019, 19 अक्तूबर 2019, 29 फरवरी 2020 और 21 मार्च, 2020 को पांच बार बैठकें की।

वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति ने 13 जून, 2019, 10 अगस्त 2019, 19 अक्तूबर 2019 और 29 फरवरी 2020 को चार बार बैठकें की।

मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति ने 9 सितंबर, 2020 को आयोजित बैठक में मंडल के अनुमोदनानुसार मंडल स्तरीय आल्को की भूमिका एवं उत्तरदायिव निर्धारित किये। कार्यपालक स्तरीय आल्को समिति द्वारा लिये गये निर्णय से इसके उपरांत सूचनार्थ एवं कार्यनीतिक दिशा में आगे बढने के लिए मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाएगा।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार 23 अप्रैल, 2012 को आयोजित बोर्ड की 51वीं बैठक में सीएसआर समिति का गठन किया गया था, जिसे पुनः दिनांक 5 जून, 2020 के परिपत्र संकल्प संख्या 99/2019–20 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

आज की तिथि के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन निम्नानुसार है :

नाम	पदनाम
श्री आनंद मधुकर	सरकार द्वारा नामित निदेशक **समिति के अध्यक्ष**
श्री पंकज जैन #	प्रबंध निदेशक
श्री पी आर जयशंकर	प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल
श्री संजोय कुमार साहा	सरकार द्वारा नामित निदेशक
डॉ. कुमार वी. प्रताप *	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री बलदेव पुरुषार्थ	सरकार द्वारा नामित निदेशक

#29 मई, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

*16 अप्रैल, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

वर्ष के दौरान, बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति

14 जुलाई 2009 को आयोजित बोर्ड की 25वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसे बाद में कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार 11 अगस्त, 2014 को आयोजित 71वीं बोर्ड बैठक में पारिश्रमिक और नामांकन समिति का नाम दिया गया। जिसे पुन: दिनांक 8 मई, 2020 के परिपत्र संकल्प संख्या 98/2019–20 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

पारिश्रमिक और नामांकन समिति का गठन आज की तिथि के अनुसार निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री आनंद मधुकर	सरकार द्वारा नामित निदेशक **समिति के अध्यक्ष**
श्री संजोय कुमार साहा	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री बलदेव पुरुषार्थ	सरकार द्वारा नामित निदेशक
डॉ. कुमार वी. प्रताप*	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री पी. वी. भारती #	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक
सुश्री ए मणिमेखालाई	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक

*16 अप्रैल, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

#31 मार्च, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड की पारिश्रमिक और नामांकन समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

20. पणधारक सम्बन्ध समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार 1 अगस्त, 2014 को आयोजित बोर्ड की 71वीं बैठक में पणधारक सम्बन्ध समिति का गठन किया गया था। मंडल की दिनांक 29 जून, 2020 को आयोजित 106वीं बैठक में समिति का पुनर्गठन किया गया।

आज की तिथि के आधार पर पणधारक सम्बन्ध समिति का गठन निम्नानुसार है:–

नाम	पदनाम
सुश्री ए मणिमेखालाई	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक **समिति की अध्यक्षा**
श्री पंकज जैन %	प्रबंध निदेशक
श्री पी आर जयशंकर	प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल
श्री आनंद मधुकर	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री संजोय कुमार साहा	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री पी. वी. भारती *	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक
श्री चैतन्य गायत्री चिंतापल्ली #	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामिति निदेशक

%29 मई, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

*31 मार्च, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

#1 सितंबर, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

2019–20 के दौरान, बोर्ड के पणधारक सम्बन्ध समिति ने क्रमश: 11 मई, 2019, 10 अगस्त, 2019, 19 अक्तूबर 2019 और 29 फरवरी, 2020 को चार बार बैठक की। सभी निवेशकों की शिकायतों को नियमित आधार पर सुना जाता है।

आईटी रणनीति समिति

8 जून, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मास्टर निदेश–सूचना प्रौद्योगिकी ढ़ाचा की अपेक्षा के अनुसार 2 अगस्त, 2017 को आयोजित बोर्ड की 86वीं बैठक में आईटी कार्यनीति समिति का गठन किया गया था। जिसे दिनांक 5 जून, 2020 के परिपत्र संकल्प संख्या 99/2020–21 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया।

आज की तिथि के अनुसार आईटी रणनीति समिति की का गठन निम्नानुसार है:–

नाम	पदनाम
श्री संजोय कुमार साहा	सरकार द्वारा नामित निदेशक **समिति के अध्यक्ष**
श्री पंकज जैन '	प्रबंध निदेशक
श्री पी आर जयशंकर	प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल
श्री प्रशांत कुमार प्रहराज, मुख्य महाप्रबंधक	विभागाध्यक्ष, जोखिम विभाग
श्री सुबोध शर्मा, महाप्रबंधक	विभागाध्यक्ष, आईटी विभाग
श्री गौरव कुमार, महाप्रबंधक	विभागाध्यक्ष, मानव संसाधन विभाग
श्री विशाल राठौर, आईटी	मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ)/मुख्य प्रौद्योगकी अधिकारी (सीटीओ)
श्री पारितोष गार्गा	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)

*29 मई, 2020 से निदेशक एवं सदस्य के तौर पर सेवा समाप्त

वर्ष 2019–20 के दौरान, मंडल की आई.टी. कार्यनीति समिति ने बैठक 29 फरवरी, 2020 और 21 मार्च, 2020 को दो बार बैठक की।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 की उप–धारा (3) के तहत दिये गये दिशानिर्देशों और अन्य मामलों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीतियां

दिनांक 5 जून, 2015 को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के संदर्भ में, आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के उप–धारा (3) के तहत दिये गये निर्देशों और अन्य मामलों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता निर्धारण और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए मापदंडों सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक कंपनी की नीतियों से सम्बन्धित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ङ) के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उप–धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिए गए घोषणापत्र पर वक्तव्य

आईआईएफसीएल के बोर्ड निदेशकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारत अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों सहित नामित किया गया है। आईआईएफसीएल ने अपने बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की इस प्रक्रिया की शुरुआत की है।

वक्तव्य उस तौर तरीके को इंगित करता है, जिसमें औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के कार्य–निष्पादन और अपनी समितियों एंव अलग–अलग निदेशकों द्वारा किये गये कार्य–निष्पादनों को दर्शाता है।

5 जून 2015 को कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, अपने स्वयं के कार्य–निष्पादन बोर्ड और इसके समितियों और अलग–अलग निदेशकों द्वारा औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगें यदि निदेशकों का मंत्रालय या केंद्रीय सरकार के विभाग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभारी होता है या, जिस राज्य सरकार मामला हो, अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार मूल्यांकन किया गया है। आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल को अपने स्वयं के कार्य–निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन और एमसीए अधिसूचना को देखते हुए अपनी समिति और अलग–अलग निदेशकों के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं थी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 (1) के तहत सम्बन्धित पक्षों के साथ संविदा या व्यवस्था का विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 एवं 188 जहां लागू है, के अनुपालन में संबंधित पक्षकारों के साथ किये गये सभी लेनदेन एवं संबंधित पक्षकारों के लेनदेनों का विवरण लागू भारतीय लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में दर्शाये गये हैं।

कारोबार की प्रकृति में बदलाव

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताओं, यदि कोई हो, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है, और जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान हुई हो, जिससे वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तिथि से संबद्ध हो।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष एवं कंपनी की रिपोर्ट की तिथि के बीच ऐसे कोई महत्वपूर्ण बदलाव व प्रतिबद्धतायें नहीं किये गये हैं जिनका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभावित पड़ता है।

कंपनी की चालू संस्थान की स्थिति और भावी संचालनों को प्रभावित करने वाले नियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेश

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय आदेश पारित नहीं किए गए जो कि चालू संस्थान की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हों।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 11 अगस्त 2014 को हुई मंडल की 71वीं बैठक में आईआईएफसीएल के सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) (ई) में वर्णित निदेशकों की जिम्मेदारी वक्तव्य के लिए अपेक्षित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की तैयारी की थी। मैसर्स के.एम. अग्रवाल द्वारा दी गई कंपनी अधिनियम 2013 दिनांकित 29 जनवरी 2015 के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट और आईआईएफसीएल की टिप्पणियों के साथ आईआईएफसीएल की सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट में 9 फरवरी, 2015 को आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा समिति और आईआईएफसीएल बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई है।

मंडल ने महसूस किया कि कंपनी के आकार के संबंध में मौजूदा आंतरिक लेखापरीक्षा व आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दायरा पर्याप्त है।

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता व्यवस्था की स्थापना का विवरण

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 11 अगस्त 2014 को आयोजित बोर्ड की 71वीं बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि आईआईएफसीएल के केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के अधिनियम के तहत सतर्कता तंत्र एवं निर्देशकों और कर्मचारियों की सतर्कता प्रणाली जरूरी वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। बोर्ड ने आगे यह तय किया कि आईआईएफसीएल की निगरानी प्रणाली व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा और सीवीसी दिशानिर्देशों के तहत उपयुक्त या अपवादात्मक मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच का प्रावधान करेगा। इसके बाद बोर्ड ने कंपनी अधिनियम की धारा 177 की अपेक्षा के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर और बोर्ड रिपोर्ट में इस तरह के निगरानी प्रणाली की स्थापना के विवरण को स्पष्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आपकी कंपनी ने कंपनी की वेबसाइट पर निगरानी प्रणाली का आयोजन किया है। आपकी कंपनी के पास भी एक औपचारिक हिवसिल ब्लोअर नीति है, जो कंपनी की वेबसाइट पर भी दर्शाई गयी है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी में यौन उत्पीड़न पर बिल्कुल भी कोताई नहीं बरती जाती है एवं कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनये गये नियमों के अनुरूप कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण पर नीति अपनाई है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आईआईएफसीएल में एक सुव्यवस्थित स्थापित प्रणाली है। एक आंतरिक समिति है, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले देखती है। साथ ही, आईआईएफसीएल कर्मचारी सेवा नियामक में यौन उत्पीड़न के मामलों को कदाचार के रूप में उल्लेख किया गया है। आईआईएफसीएल लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहा है कि महिलाओं की संख्या से निर्पेक्ष महिलाओं सहित काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए काम का माहौल सुरक्षित हो, इस तथ्य पर जोर डाला जा सकता है कि आज तक आईआईएफसीएल में इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

सर्तकता

कंपनी में वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सतर्कता मामलों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई एवं कंपनी में सतर्कता से संबंधित कोई मामला लंबित भी नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरटीआई अधिनियम की उपयोगिता का अनुसरण करते हुए, आईआईएफसीएल में आर.टी.आई. अधिनियम कार्यान्वित किए गये और आईआईएफसीएल द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदकों का जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। आईआईएफसीएल ने आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 5 (1) के अनुसार केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी नामित किए गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के तहत अपेक्षत आईआईएफसीएल के संगठन, क्रियाकलाप एवं कर्तव्यों का विवरण, सीपीआईओ एवं अपीलीय प्राधिकारी का संपर्क विवरण आईआईएफसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों का अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर उत्तर दिया जाता है/अग्रेषित किया जाता है/अस्वीकृत किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षानुसार रिकार्ड अनुरक्षित/प्रसारित किये जाते हैं।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, आईआईएफसीएल को अधिनियम, 2005 के तहत 56 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 46 आवेदकों के आवेदन स्वीकार किये गये व उनका समय पर उत्तर दिया गया जबकि 10 आवेदकों के आवेदन निरस्त कर दिये गये क्योंकि वे आईआईएफसीएल से संबंधित नहीं थे।

शिकायत निवारण तंत्र

आईआईएफसीएल में अपने पणधारकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए उचित मंच प्रदान करते हुए शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान है। आईआईएफसीएल विकसित शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) का विधिवत पालन करता है जो आईआईएफसीएल के सीटिजन चार्टर में शामिल है। जीआरएम पर सिटीजन चार्टर सार्वहजनिक प्रकटीकरण के हिस्से के तौर पर आईआईएफसीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आईआईएफसीएल ने शिकायत निवारण प्रणाली का प्रबंधन करने के लिये शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) नामित किया है। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए आवेदक आईआईएफसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध समर्पित ईमेल सुविधा grievancefeedback@iifcl.org के माध्यम से सीधे संपर्क कर सकता है। भी प्रभावी एवं समयोचित रूप से एक उचित मंच प्रदान करता है। जीआरओ का संपर्क विवरण के अलावा आईआईएफसीएल के कार्यालय परिसर का पता, ईम मेल व टेलीफोन संख्या आईआईएफसीएल की वेबसाइट पर भी दर्शायी गयी है। प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभाग अथवा निवेश पंजीयक को यथोचित उत्तर के लिए भेजा जाता है। पणधारकों के साथ जिम्मेदारी पूर्वक प्रतिक्रिया तथा निवेशकों की शिकायतों पर समयोचित कार्रवाई कंपनी की उच्च प्राथमिकता है।

जमाएं

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत कम्पनियों (जमाराशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ कोई भी जमाएं स्वीकार नहीं की हैं और न ही कोई जमा बकाया अथवा अदावाकृत है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन के बारे में विवरण

1. ऊर्जा का संरक्षण/प्रौद्योगिकी समावेश

कंपनी को ऊर्जा के संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेश से संबंधित विवरणों का प्रकटीकरण करना आवश्यक नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी विनिर्माण गतिविधियों में शामिल नहीं है। हालांकि, कंपनी ने कार्यालय परिसर में ऊर्जा खपत के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपनी अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है जिसमें किसी भी प्रौद्योगिकी समावेश नहीं किया गया है।

2. विदेशी मुद्रा का अर्जन और बहिर्गमन

वर्ष 2019–20 के दौरान प्रयुक्त/अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नवत है :– (राशि करोड़ रुपये में)

	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
प्रयुक्त की गई कुल विदेशी मुद्रा#	49.36	14.76
अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्र	-	-

राशि में विदेशी मुद्रा ऋणों के पुनर्भुगतान/सर्विसिंग के लिए खरीदी गई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है।

कर्मचारियों का विवरण

चूंकि यह कंपनी सरकारी कंपनी है अतः कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक नियम), 2014 के नियम 5 साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारियों के विवरण देना आवश्यक नहीं है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के निदेशकों अथवा कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।

सचिवीय मानक

आईआईएफसीएल ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का पूरी निष्ठा से पालन किया है।

वार्षिक विवरणी

वार्षिक विवरणी का सार वार्षिक रिपोर्ट में निर्धारित प्रारूप में संलग्न है।

लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की सूचना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न हीं सांविधिक लेखापरीक्षकों ने और न ही सचिवीय लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसी किसी धोखाधड़ी की घटना की सूचना नहीं दी जिसे मंडल की रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसरण में लागत अभिलेखों का अनुरक्षण

केन्द्र सरकार ने कंपनी द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण करना निर्धारित नहीं किया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स ओ पी तुलस्यान एंड कंपनी (डीई 1178), सनदी लेखाकार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी की पूरक लेखापरीक्षा का कार्य, निदेशक (प्रशासन), प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कार्पोरेट मामले) आईपी एस्टेट, नई दिल्ली–110002 को सौंपा गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने सरकारी कंपनी में सांविधिक लेखापरीक्षकों के नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020–21 के लिए आईआईएफसीएल के सांविधिक लेखापरीक्षक के तौर पर मैसर्स भाटिया एंड भाटिया (डीई 0441), सनदी लेखाकार नियुक्त किया, देखें दिनांक 14 अगस्त, 2020 का पत्र। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की पूरक लेखापरीक्षा का कार्य निदेशक (प्रशासन), प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (उद्योग एवं कार्पोरेट मामले) आईपी एस्टेट, नई दिल्ली–110002 को सौंपा गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 के लिए नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी की 16वीं वार्षिक आम बैठक की समापन तक कार्यालय में रहेंगे।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 21 मार्च, 2020 को आयोजित बैठक में मैसर्स पीपी अग्रवाल एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज को वित्त वर्ष 2019–20 की सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और इसके तहत

बनाए गए नियमों के अनुसार, उन्होंने वित्त वर्ष 2019–20 के सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की जिसे इस रिपोर्ट में जोड़ा गया है।

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां एवं उन पर प्रबंधन के उत्तर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ इस वार्षिक रिपोर्ट में जोड़े गये हैं।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में योग्यता के बारे में जानकारी और विवरण एवं 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं नहालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

राजभाषा

वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए ताकि राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सांविधिक और अन्य अपेक्षित सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना निम्नानुसार इस रिपोर्ट में संलग्न है:

क्र.सं.	विवरण	अनुबंध
1	सचिवीय लेखा	I
2	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (क) के अनुसार फॉर्म संख्या एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का निष्कर्ष	II
3	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	III
4	राशि यदि कोई आरक्षित निधि में ले जाई गई है	IV

आभार

निदेशक मंडल केंद्र सरकार विशेष रूप से वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, राज्य सरकारों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहयोगी कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य सभी पणधारकों के लिए उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी है। बोर्ड कंपनी के लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, एलआईसी और एमओयू भागीदारों के लिए उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सलाह के लिए भी आभारी है।

निदेशक मंडल, कंपनी के कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रयासों की सराहना करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते **इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड**

ह/–
आनंद मधुकर
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन सं. 08563286

ह/–
पी.आर. जयशंकर
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 06711526

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अक्तूबर, 2020

बोर्ड की रिपोर्ट का परिशिष्ट

क. सचिवीय लेखा–परीक्षकों की टिप्पणियां:

1. *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) में निर्धारित निदेशकों की कुल संख्या में से न्यूनतम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकों की विनिर्दिष्ट संख्या बोर्ड में पूरी नहीं है। ठीक इसी तरह वर्ष 2019–20 में पूरे वर्ष के दौरान बोर्ड समितियों की संरचना – लेखापरीक्षा समिति, मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति एवं कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, 178, 135 की संबंधित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं। इस प्रकार उपरोक्त विभिन्न समितियों की संरचना अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है।*

   प्रबंधन की टिप्पणियां: भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आईआईएफसीएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

2. *वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईआईएफसीएल का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के कारण अनुपालन संबंधी मामलों का व्यापक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण से अनुपालन संबंधी मामलों में कुछ कमियों एवं निगरानी में कुछ कमजोरियों का पता चला।*

   प्रबंधन की टिप्पणियां: कंपनी के प्रबंधन ने इस निरीक्षण दल की अधिकांश टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया है एवं इस विषय के बारे में प्राधिकारियों से गहन परिचर्चा की जा रही है।

3. *वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित निदेशकों एवं समितियों की बैठकों की कार्यवाहियां नमूना जांच आधार पर देखी गई थी ताकि अधिनियम की धारा 173 (2) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों में यथापेक्षित अनुपालन सुनिश्चित हो। सत्यापन से पता चला कि रिकार्डिंग में अधिनियम व नियमों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने में सुधार की आवश्यकता है।*

   प्रबंधन की टिप्पणियां: आने वाले समय में आईआईएफसीएल वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से निदेशकों एवं समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों का आयोजन करने में सुधार लाने का प्रयास करेगा। लेखापरीक्षावधि पूरी होने के उपरांत आईआईएफसीएल ने इस संबंध में कदम उठाये व सुधार भी दिखाई दिये।

4. *कुल 5,297.60 करोड़ रुपये की राशि पर जारी 10 रुपये के 529,76,00,000 इक्विटी शेयरों के आबंटन से संबंधित शेयर सर्टिफिकेट सं. 24 अभी तक आबंटिती, भारत के राष्ट्रपति को नहीं सौंपा गया है, चूंकि कलेक्टर, स्टॉम्प, दिल्ली सरकार को जारी पूंजी पर देय स्टॉम्प ड्यूटी की अदायगी नहीं की जा सकी है। कंपनी अधिनियम की धारा 56 (4) के अनुसार शेयर सर्टिफिकेट आबंटन के दो माह के भीतर सुपुर्द किया जाना चाहिए।*

   प्रबंधन की टिप्पणियां: शेयरों के निर्गम एवं आबंटन पर 30 मार्च, 2020 को भारत के राष्ट्रपति को 10 रुपये के 529.76 करोड़ इक्विटी शेयरों पर स्टॉम्प ड्यूटी के अधिनिर्णय एवं भुगतान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था जिसकी लेनदेन संदर्भ संख्या डीएल280204582021712643 दिनांक 28, अप्रैल, 2020 है। इस विषय में वर्तमान स्थिति 'अनुरोध पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है' दिखा रहा है।

   इसके अतिरिक्त आईआईएफसीएल ने कलेक्टर स्टॉम्प कार्यालय को दिनांक 29 जून, 2020 के पत्र के माध्यम से अनुस्मारक भेजा है जिसमें उक्त कार्यालय से स्टॉम्प ड्यूटी के भुगतान पर निर्णय लेने के उपरांत चालान बनाने का अनुरोध किया गया है।

ख. सचिवीय लेखा–परीक्षकों की टिप्पणियां:

1. *यूके में सहायक कम्पनी में निवेश: आईआईएफसीएल की सहायक कम्पनी, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी (यूके) लिमिटेड में निवेश का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा वहन लागत अर्थात 422.40 करोड़ रुपए पर किया गया है। जैसा कि सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों से देखा गया है, यूके में सहायक कम्पनी का निवल मूल्य पूरी तरह से ह्रास हो चुका है। जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है सहायक कम्पनी की वित्तीय विवरणिकाएं भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणिकाओं के अंतर्गत तैयार की गई हैं और संभावित ऋण हानि मॉडल के तहत भारी प्रावधान किए गए हैं। प्रबंधन के मतानुसार, यूके में सहायक कम्पनी की वित्तीय विवरणिकाएं चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार की गई है और जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, यूके में सहायक कम्पनी के निवेश के उचित मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए, सहायक कम्पनी यानि आईआईएफसी यूके में निवेश के उचित मूल्यांकन के बिना, हम लाभ हानि विवरण आरक्षित निधि और निवेश (राशि अमूल्यांकित) पर क्षति, यदि कोई हो, के प्रभाव पर कोई भी टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।*

   हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों अंतर्गत हमारा मुख्य उत्तरदायित्व अपनी रिपोर्ट में वित्तीय विवरण खंड में लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व में वर्णन करना है। हम भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के साथ–साथ अधिनियम के प्रावधानों एवं उसे तहत बनाये गये नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संगत नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं एवं हमने इन अपेक्षाओं एवं नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों का निर्वहन किया

है। हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए हमारे सशर्त अभिमत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

प्रबंधन की टिप्पणियां: निवेदन किया जाता है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड) की एक विनिर्दिष्ट स्तर पर पूंजी अनुरक्षित करने की कोई विनियामक अपेक्षा नहीं है। तथापि, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष2008 से 2010 तक आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का इक्विटी निवेश किया। आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में 30 मिलियन अमरीकी डॉलर का और वित्तीय वर्ष 2015–16 में 20 मिलियन अमरीकी डॉलर लाभांश घोषित किया जिसका योग 50 मिलियन डॉलर बनता है। इसके अतिरिक्त आईआईएफसीएल ने 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की इक्विटी शेयर पूंजी लगाई है।

इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल ने निम्न के परिणामस्वरूप अपनी ऋण बहियों में गहन प्रावधानीकरण और शोधन किया।

- आरबीआई परिपत्र 12 फरवरी 2018 (दबावग्रस्त अस्तियों का समाधन – संशोधित रूपरेखा) का निर्गमन जिसके परिणामस्वरूप सभी योजनाओं को वापस लिया गया जैसे दबावग्रस्त अस्तियों का पुनरुद्धार, सीडीआर, मौजूदा दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, एसडीआर, एसडीआर से बाहर स्वामित्व, एवं एस4ए में परिवर्तन; और
- दिवाला और दिवालिया संहिता का कार्यान्वयन जिसके परिणामस्वरूप एनपीए मामलों को अनिवार्यतः समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए एनसीएलटी को भेजा जा रहा है।

आईआईएफसीएल की तर्ज पर ऋण बहियों में गहन प्रावधानीकरण और शोधन आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में भी आरंभ किया गया। इसके परिणामस्वरूप आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के निवल मूल्य का ह्रास हो गया।

आईआईएफसीएल आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में 10 वर्ष की अवधि तक 250 मिलियन अमरीकी डॉलर तक का इक्विटी निवेश के अभिदान के माध्यम से आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में नई पूंजी उपलब्ध कराने का इरादा रखती है जिसमें से वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 25 मिलियन अमरीकी डॉलर का अभिदान पहले ही किया जा चुका है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

चूंकि आईआईएफसीएल पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा गतिविधियों से निवल लाभ अर्जित करने के मापदंड पूरे नहीं कर रही है (जो आरबीआई के फेमा विनियमों के अनुसार एक अपेक्षा है), और इसकी टीयर । पूंजी में सहायक/समूह कम्पनियों में निवेश करने की गुंजाइश नहीं है अतः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से आरबीआई के फेमा विनियमों के अनुसार अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया। आरबीआई ने 13जनवरी, 2020 के पत्र द्वारा फेमा के दृष्टिकोण एवं 20 मार्च, 2020 के पत्र द्वारा विनियामक दृष्टिकोण से आईआईएफसीएल के अनुरोध को अनुमोदित किया।भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन मिलने के उपरांत आईआईएफसीएल ने 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आईआईएफसी (यूके) लि. में 1 अमरीकी डॉलर (अंकित मूल्य) प्रति शेयर की दर से 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की इक्विटी शेयर पूंजी लगाई।

आईआईएफसीएल ने आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड को चालू प्रतिष्ठान मानते हुए और कम्पनी को हुई हानि को स्थायी न मानते हुए आईआइएफसी (यूके) लिमिटेड में धारित इक्विटी शेयर पूंजी के ह्रास को हानि के रूप में नहीं माना है।

इसके अतिरिक्त यह निवेदन किया जाता है कि:

- वित्त वर्ष 2018–19 आईएफआरएस–9/भारतीय लेखांकन मानक अपनाने का पहला वर्ष था जिसमें ह्रासन को आईआईएफसी (यूके) लि. की इक्विटी पूंजी की निवल हानि एवं ह्रास में हुई संभावित ऋण हानि को देखते हुए बही में लिखे जाने की आवश्यकता है।
- संविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड को चालू प्रतिष्ठान माना गया है।
- आईआईएफसीएल का आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में किये गये निवेश को बेचने का कोई इरादा नहीं है अतः आईआईएफसीएल ने आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में लागत मूल्य पर निवेश किया है।
- आईआईएफसीएल की लेखांकन नीति (वित्तीय विवरणों का भाग) में यह उल्लेख किया गया है कि आईआईएफसीएल ने सहायक कंपनी में निवेश का परिमाण लागत मूल्य किया है।
- भारतीय लेखांकन मानक 37 के अनुसार आस्तियों का ह्रासन तब अपेक्षित होता है जब वहनीय लागत उच्च उचित मूल्य अथवा प्रचलित मूल्य की तुलना में कम है। चूंकि सहायक कंपनी सूचीबद्ध नहीं है अतः उचित मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आईआईएफसीएल को आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड से 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का लाभांश प्राप्त हो चुका है एवं भविष्य में नकदी प्रवाह प्राप्त होने की उम्मीद है इसलिए प्रचलित मूल्य को वहनीय लागत से कम नहीं माना जा सकता है। तदनुसार आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में निवेश का ह्रासन दर्शाने की आवश्यकता नहीं है।
- मैसर्स रेसुरजेंट इंडिया प्रा. लि. ने मार्च, 2020 में आईआईएफसी (यूके) लि. में इक्विटी निवेश के समय पर आईआईएफसी (यूके) लि. की इक्विटी का प्रीमियम पर मूल्यांकन किया है।

ग.1 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क तुलन पत्र

क.1 आस्तियां

क1.1ऋण (टिप्पणी 5) 33637.22 करोड़ रुपये

आईआईएफसीएल ने आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लि. (आईटीएनएल) एवं आईएलएंडएफएस इन्वायर्नमैंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. द्वारा प्रवर्वित विशेष प्रयोजन माध्यम को ऋण प्रदान किया है। चार ऋण खातों एवं उनके लिए किये प्रावधानीकरण का विवरण इस प्रकार है:

ऋणकर्ता का नाम	एनपीए की तिथि	बकाया मूलधन (राशि करोड़ रुपये में)	31.03.2020 को किया गया प्रावधानीकरण (राशि करोड़ रुपये में)
बरवा अड्डा एक्सप्रेसवेज लि.	30.04.2019	350.37	142.70
खेड सिन्नार एक्सप्रेसवेज लि.	31.12.2018	152.98	114.74
कीरतपुर नेड़ चौक एक्सप्रेसवेज लि.	31.12.2018	222.70	106.98
आईएलएंडएफएस इन्वायर्नमैंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि.	नवंबर, 2018	4.52	2.26
योग		**730.57**	**366.68**

सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध राष्ट्रीय कंपनी नियम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नये निदेशक मंडल द्वारा उपरोक्त सभी कंपनियों को लाल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है ताकि आईएलएंडएफएस समूह की कंपिनयों के कामकाज का प्रबंधन किया जा सके जिसका तात्पर्य है कि ऐसी इकाईयां अधिमानी प्रतिभूत वित्तीय लेनदारों के प्रति अपने भुगतान दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकती हैं।

तदनुसार लेखापरीक्षा से यह अभिमत निकलता है कि उपरोक्त कंपनियों में 730.57 करोड़ रुपये के संपूर्ण ऋण का प्रावधान किया गया है।

इसके फलस्वरूप ऋण को 363.89 करोड़ रुपये (730.57 करोड रुपये – 366.68 करोड़ रुपये) को बढ़ा चढ़ा कर दिखा गया है एवं उसी संदर्भ में प्रावधानीकरण पर छुपाया गया है। नतीजन 363.89 करोड़ के लाभ को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है।

प्रबंधन की टिप्पणियां:

आईआईएफसीएल ने अन्य बातों के साथ–साथ आईएलएंडएफएस समूह के निम्नलिखित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को वित्तीय सहायता प्रदान की है। (राशि करोड़ रुपये में)

खाते का नाम	31.03.2020 को बकाया मूलधन (राशि करोड़ रुपये में)	31.03.2020 को किया गया प्रावधानीकरण (राशि करोड़ रुपये में)
बरवा अड्डा एक्सप्रेसवेज लि.	350.37	142.70 (40%)
खेड सिन्नार एक्सप्रेसवेज लि.	152.98	114.74 (75%)
कीरतपुर नेड़ चौक एक्सप्रेसवेज लि.	222.70	106.98 (48%)
आईएलएंडएफएस इन्वायर्नमैंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि.	4.52	2.26 (50%)
योग	**730.57**	**366.68**

लेखापरीक्षा में यह विचार था कि चूंकि उपरोक्त सभी कंपनियों को आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के मामलों के प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नये निदेशक मंडल द्वारा उपरोक्त सभी कंपनियों को लाल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है ताकि आईएलएंडएफएस समूह की कंपिनयों के कामकाज का प्रबंधन किया जा सके जिसका तात्पर्य है कि ऐसी इकाईयां अधिमानी प्रतिभूत वित्तीय लेनदारों के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकती हैं एवं तदनुसार, यह अभिमत था कि उपरोक्त कंपनियों में पूरे 730.57 करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान किया जाना चाहिए था।

इस संबंध में, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परिभाषा के अनुसार, 'रेड एंटिटीज' वे घरेलू समूह संस्थायें हैं जो अपने भुगतान दायित्वों को अधिमानी प्रतिभूत वित्तीय लेनदारों के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकती हैं जब भी ऐसे भुगतान देय हों।

नये मंडल द्वारा नियुक्त समाधान परामर्शदाता ने 'ग्रीन', 'एम्बर' व 'रेड' में संस्थाओं का वर्गीकरण 12–माह के नकदी प्रवाह आधारित ऋण चुकाने की क्षमता जांच के आधार पर किया है।

नकदी प्रवाह की उम्मीद पर आधारित उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि रेड संस्थाएं उधारदाताओं के देय होने पर भुगतान

दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि रेड संस्थाएं में कुल मिलाकर उधारदाताओं के दायित्वों को पूरा करने की क्षमता नहीं है। इसका यह तात्पर्य भी नहीं है कि ऐसी संस्थाओं का अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य/आंतरिक मूल्य नहीं होता है। यह उल्लेखनीय है कि खेड सिन्नार एक्सप्रेसवेज लि. एवं बरवा अड्डा एक्सप्रेसवेज लि. राजस्व पैदा करने वाली परियोजनाएं हैं जिनमें टोल को नियमित आधार पर एकत्र किया जा रहा है और निलंब खाते में जमा किया जा रहा है। हालाँकि, वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी नियम अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) द्वारा दी गई मोहलत के कारण उधारदाताओं के बकाया के शोधन पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। दोनों परियोजनाओं में समाधान पर परिचर्चा चल रही है और ऋणदाता समाधान के परिणाम के आधार पर अपना बकाया वसूल करेंगे। इस प्रकार एक इकाई को 'रेड' के रूप में वर्गीकृत करने का तात्पर्य यह नहीं है कि खाते में कोई राजस्व क्षमता या संपत्ति मूल्य नहीं है।

कीरतपुर नेड चौक एक्सप्रेसवेज लि. के संबंध में, इस रिपोर्ट साथ यह उल्लेखनीय है कि परियोजनाएं अन्य बातों के साथ–साथ अधिकृत रास्ते (आरओडब्ल्यू) की अनुपलब्धता या ऋणभार मुक्त अधिकृत रास्ता प्रदान करने में देरी इत्यादि सहित प्राधिकरण की चूक के कारण प्रभावित हुई हैं। तदनुसार, प्राधिकरण अपनी चूक के लिए रियायत करार प्रावधानों के अनुरूप रियायतग्राही की भरपाई के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उप पड़ी परियोजनाओं के समाधान पर दिनांक 09.03.2019 के अपने कार्यालय पत्रक के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किये हैं जिन परियोजनाओं में (क) किये गये कार्य की भुगतान राशि कम है अथवा (ख) ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनका 90 प्रतिशत कर्ज बाकी है जिनकी अनंतिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (पीसीओडी) हासिल की जानी है। उधारदाताओं ने एनएचएआई से अनुरोध किया है कि वह केएनसीईएल के मामले में इस परिपत्र के अनुसार राशि जारी करे एवं मामला प्रतिफल जारी करने के संबंध में एनएचएआई के विचाराधीन है।

जहां तक आईएलएंडएफएस एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (आईईआईएसएल) का संबंध है, आईएलएंड एफएस समूह की कंपनियों को मोहलत प्रदान करने के संबंध में एनसीएलएटी के आदेश के अनुसार कोई प्रवर्तन कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। यह मानना है कि आईएलएंडएफएस समूह को आईएलएंडएफएस समूह के संपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन व्यवसाय की खरीद के लिए एक बाध्यकारी प्रस्ताव मिला था और इसके लिए स्विस चैलेंज पद्धति के आधार पर पर बोलियां आमंत्रित की जानी थी।

यह उल्लेखनीय है कि सभी परियोजनाओं में आंतरिक मूल्य होता है और आईआईएफसीएल विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बकाये की वसूली की उम्मीद करता है। तदनुसार, उपरोक्त खातों में ब्लैंकेट 100 प्रतिशत प्रावधानीकरण पर जोर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आईआईएफसीएल ऋण खातों पर पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित एवं भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के अनुसार अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के आधार पर पर्याप्त प्रावधानीकरण कर रहा है।

क2. वित्तीय देयताएं

अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 14) 786.62 करोड़ रुपये

उपरोक्त में एनबीसीसी द्वारा कंपनी को कार्यालय स्थल के आबंटन के लिए 38.30 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त के विलंबित भुगतान पर 2.22 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है।

इस प्रकार अन्य वित्तीय देयताओं को छुपाया गया है एवं वर्ष में 2.22 करोड़ का लाभ बढ़ा कर दिखाया गया है।

प्रबंधन का उत्तरः कंपनी ने टिप्पणियों को आगे की अवधि में अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।

लाभप्रदता पर टिप्पणियां

ख. लाभ हानि विवरण

ख.1 व्यय

मूल्याह्रास, परिशोधन एवं ह्रासन (टिप्पणी 8, 9 एवं 10) 17.67 करोड़ रुपये

आईआईएफसीएल कार्यालय स्थल, आवासीय फ्लैटों (टाईप VI) एवं कार पार्किंग स्थल पर मूल्याह्रास सीधी रेखा पद्धत्ति के अनुसार लगा रहा है। हालांकि टाईप V आवासीय फ्लैटों के संबंध में मूल्याह्रास मूल्य पद्धत्ति के अनुसार लगाया गया है।

इस प्रकार व्यय–मूल्याह्रास, परिशोधन एवं ह्रासन को बढ़ा कर दिखाया गया है एवं वर्ष में 1.02 करोड़ का लाभ छुपाया गया है।

प्रबंधन की टिप्पणियाः आईआईएफसीएल वित्त वर्ष 2020–21 से टाईप V आवासीय फ्लैटों के मूल्याह्रास की उक्त पद्धत्ति को सीधी रेखा पद्धत्ति (एसएलएम) में परिवर्तित कर देगा।

ग.2 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क. तुलन पत्र

क.1 आस्तियां

क1.1ऋण (टिप्पणी 5) 44776.60 करोड़ रुपये

आईआईएफसीएल ने आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लि. (आईटीएनएल) एवं आईएलएंडएफएस इन्वायर्नमैंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. द्वारा प्रवर्तित विशेष प्रयोजन माध्यम को ऋण प्रदान किया है। चार ऋण खातों एवं उनके लिए किये प्रावधानीकरण का विवरण इस प्रकार है

ऋणकर्ता का नाम	एनपीए की तिथि	बकाया मूलधन (राशि करोड़ रुपये में)	31.03.2020 को किया गया प्रावधानीकरण (राशि करोड़ रुपये में)
बरवा अड्डा एक्सप्रेसवेज लि.	30.04.2019	350.37	142.70
खेड सिन्नार एक्सप्रेसवेज लि.	31.12.2018	152.98	114.74
कीरतपुर नेड़ चौक एक्सप्रेसवेज लि.	31.12.2018	222.70	106.98
आईएलएंडएफएस इन्वायर्नमैंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि.	नवंबर, 2018	4.52	2.26
योग		**730.57**	**366.68**

सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध राष्ट्रीय कंपनी नियम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नये निदेशक मंडल द्वारा उपरोक्त सभी कंपनियों को लाल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है ताकि आईएलएंडएफएस समूह की कंपिनयों के कामकाज का प्रबंधन किया जा सके जिसका तात्पर्य है कि ऐसी इकाईयां अधिमानी प्रतिभूत वित्तीय लेनदारों के प्रति अपने भुगतान दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकती हैं।

तदनुसार लेखापरीक्षा से यह अभिमत निकलता है कि उपरोक्त कंपनियों में 730.57 करोड़ रुपये के संपूर्ण ऋण का प्रावधान किया गया है।

इसके फलस्वरूप ऋण को 363.89 करोड़ रुपये (730.57 करोड रुपये – 366.68 करोड़ रुपये) को बढ़ा चढ़ा कर दिखा गया है एवं उसी संदर्भ में प्रावधानीकरण पर छुपाया गया है। नतीजन 363.89 करोड़ के लाभ को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है।

प्रबंधन की टिप्पणियां:

आईआईएफसीएल ने अन्य बातों के साथ–साथ आईएलएंडएफएस समूह के निम्नलिखित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(राशि करोड़ रुपये में)

खाते का नाम	31.03.2020 को बकाया मूलधन (राशि करोड़ रुपये में)	31.03.2020 को किया गया प्रावधानीकरण (राशि करोड़ रुपये में)
बरवा अड्डा एक्सप्रेसवेज लि.	350.37	142.70 (40%)
खेड सिन्नार एक्सप्रेसवेज लि.	152.98	114.74 (75%)
कीरतपुर नेड़ चौक एक्सप्रेसवेज लि.	222.70	106.98 (48%)
आईएलएंडएफएस इन्वायर्नमैंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि.	4.52	2.26 (50%)
योग	**730.57**	**366.68**

लेखापरीक्षा में यह विचार था कि चूंकि उपरोक्त सभी कंपनियों को आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के मामलों के प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नये निदेशक मंडल द्वारा उपरोक्त सभी कंपनियों को लाल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है ताकि आईएलएंडएफएस समूह की कंपिनयों के कामकाज का प्रबंधन किया जा सके जिसका तात्पर्य है कि ऐसी इकाईयां अधिमानी प्रतिभूत वित्तीय लेनदारों के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकती हैं एवं तदनुसार, यह अभिमत था कि उपरोक्त कंपनियों में पूरे 730.57 करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान किया जाना चाहिए था।

इस संबंध में, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परिभाषा के अनुसार, 'रेड एंटिटीज' वे घरेलू समूह संस्थायें हैं जो अपने भुगतान दायित्वों को अधिमानी प्रतिभूत वित्तीय लेनदारों के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकती हैं जब भी ऐसे भुगतान देय हों।

नये मंडल द्वारा नियुक्त समाधान परामर्शदाता ने 'ग्रीन', 'एम्बर' व 'रेड' में संस्थाओं का वर्गीकरण 12–माह के नकदी प्रवाह आधारित ऋण चुकाने की क्षमता जांच के आधार पर किया है।

नकदी प्रवाह की उम्मीद पर आधारित उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि रेड संस्थाएं उधारदाताओं के देय होने पर भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि रेड संस्थाएं में कुल मिलाकर उधारदाताओं के दायित्वों को पूरा करने की क्षमता नहीं है। इसका यह तात्पर्य भी नहीं है कि ऐसी संस्थाओं का अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य/आंतरिक मूल्य नहीं होता है। यह उल्लेखनीय है कि खेड सिन्नार एक्सप्रेसवेज लि. एवं बरवा अड्डा एक्सप्रेसवेज लि. राजस्व पैदा करने वाली परियोजनाएं हैं जिनमें टोल को नियमित आधार पर एकत्र किया जा रहा है और निलंब खाते में जमा किया जा रहा है। हालाँकि, वर्तमान में राष्ट्रीय कंपनी नियम अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) द्वारा दी गई मोहलत के कारण उधारदाताओं के बकाया के शोधन पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। दोनों परियोजनाओं में समाधान पर परिचर्चा चल रही है और ऋणदाता समाधान के परिणाम के

आधार पर अपना बकाया वसूल करेंगे। इस प्रकार एक इकाई को 'रेड' के रूप में वर्गीकृत करने का तात्पर्य यह नहीं है कि खाते में कोई राजस्व क्षमता या संपत्ति मूल्य नहीं है।

कीरतपुर नेड़ चौक एक्सप्रेसवेज लि. के संबंध में, इस रिपोर्ट साथ यह उल्लेखनीय है कि परियोजनाएं अन्य बातों के साथ–साथ अधिकृत रास्ते (आरओडब्ल्यू) की अनुपलब्धता या ऋणभार मुक्त अधिकृत रास्ता प्रदान करने में देरी इत्यादि सहित प्राधिकरण की चूक के कारण प्रभावित हुई हैं। तदनुसार, प्राधिकरण अपनी चूक के लिए रियायत करार प्रावधानों के अनुरूप रियायतग्राही की भरपाई के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ठप पड़ी परियोजनाओं के समाधान पर दिनांक 09.03.2019 के अपने कार्यालय पत्रक के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किये हैं जिन परियोजनाओं में (क) किये गये कार्य की भुगतान राशि कम है अथवा (ख) ऐसी परियोजनाओं के लिए जिनका 90 प्रतिशत कर्ज बाकी है जिनकी अनंतिम वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (पीसीओडी) हासिल की जानी है। उधारदाताओं ने एनएचएआई से अनुरोध किया है कि वह केएनसीईएल के मामले में इस परिपत्र के अनुसार राशि जारी करे एवं मामला प्रतिफल जारी करने के संबंध में एनएचएआई के विचाराधीन है।

जहां तक आईएलएंडएफएस एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (आईईआईएसएल) का संबंध है, आईएलएंड एफएस समूह की कंपनियों को मोहलत प्रदान करने के संबंध में एनसीएलएटी के आदेश के अनुसार कोई प्रवर्तन कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। यह मानना है कि आईएलएंडएफएस समूह को आईएलएंडएफएस समूह के संपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन व्यवसाय की खरीद के लिए एक बाध्यकारी प्रस्ताव मिला था और इसके लिए स्विस चौलेंज पद्धति के आधार पर पर बोलियां आमंत्रित की जानी थी।

यह उल्लेखनीय है कि सभी परियोजनाओं में आंतरिक मूल्य होता है और आईआईएफसीएल विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बकाये की वसूली की उम्मीद करता है। तदनुसार, उपरोक्त खातों में ब्लैंकेट 100 प्रतिशत प्रावधानीकरण पर जोर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आईआईएफसीएल ऋण खातों पर पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित एवं भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के अनुसार अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के आधार पर पर्याप्त प्रावधानीकरण कर रहा है।

क2. वित्तीय देयताएं

अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 15) 814.73 करोड़ रुपये

उपरोक्त में एनबीसीसी द्वारा कंपनी को कार्यालय स्थल के आबंटन के लिए 38.30 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त के विलंबित भुगतान पर 2.22 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है।

इस प्रकार अन्य वित्तीय देयताओं को छुपाया गया है एवं वर्ष में 2.22 करोड़ का लाभ बढ़ा कर दिखाया गया है।

प्रबंधन का उत्तरः कंपनी ने टिप्पणियों को आगे की अवधि में अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।

लाभप्रदता पर टिप्पणियां

ख. लाभ हानि विवरण

ख.1 व्यय

मूल्याह्रास, परिशोधन एवं ह्रासन (टिप्पणी 9, 10 एवं 11) 17.83 करोड़ रुपये

आईआईएफसीएल कार्यालय स्थल, आवासीय फ्लैटों (टाईप VI) एवं कार पार्किंग स्थल पर मूल्याह्रास सीधी रेखा पद्धत्ति के अनुसार लगा रहा है। हालांकि टाईप V आवासीय फ्लैटों के संबंध में मूल्याह्रास मूल्य पद्धत्ति के अनुसार लगाया गया है।

इस प्रकार व्यय–मूल्याह्रास, परिशोधन एवं ह्रासन को बढ़ा कर दिखाया गया है एवं वर्ष में 1.02 करोड़ का लाभ छुपाया गया है।

प्रबंधन की टिप्पणियांः आईआईएफसीएल वित्त वर्ष 2020–21 से टाईप V आवासीय फ्लैटों के मूल्याह्रास की उक्त पद्धत्ति को सीधी रेखा पद्धत्ति (एसएलएम) में परिवर्तित कर देगा।

अनुबंध 1

प्रमोद पी. अग्रवाल
कंपनी सचिव

सी–154, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली–110065
टेलीफोन: +91-11-26311155, मोबाइल : 9810008621
ई–मेल: fcs.ppa@gmail.com

फार्म सं. एमआर 3
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष की
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हमने सचिवीय लेखापरीक्षा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप की है और **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** (इसके पश्चात् 'कंपनी' कहा जाए) द्वारा उचित कॉर्पोरेट प्रथाओं का अनुपालन किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षा का संचालन इस रीति से किया गया जो हमे कार्पोरेट आचार–व्यवहार/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने का आधार प्रदान करे।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लमिटेड की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी पुस्तिकाओं, भरे गए प्रपत्रों व विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के अतिरिक्त सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सूचीबद्ध सांविधिक उपबंधों का पालन किया और कंपनी में इसके उपरांत की गई रिपोर्टिंग की रीति में व उसके अधीन, काफी हद तक उचित बोर्ड प्रक्रियाएं व अनुपालन प्रणाली विद्यमान है:

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त संबंधी पुस्तिकाओं, भरे गए प्रपत्रों व विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और इसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके तहत तैयार किए गए विनियम और उप–नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाहरी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम'

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशों के लागू प्रावधान:

  (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का निर्गम और सूचीयन) विनियम, 2008;

  (ख) कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ संव्यवहार करने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पंजीयक निर्गम एवं शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993;

  (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015; एवं

  (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार एवं सहभागिता) विनियम, 1996

(vi) **आगे हम यह रिपोर्ट** करते है कि कंपनी में प्रचालित अनुपालन प्रणाली के संबंध में एवं उनके अनुसरण में नमूना जांच के आधार पर प्रासंगिक दस्तावेजों व अभिलेखों की जांच पर कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत एलबीएफसी को लागू नियमों, विनियमों एवं कंपनी विनिर्दिष्ट लागू कानून होने के कारण उसके अंतर्गत बनाये गये दिशानिर्देशों की सीमा तक अनुपालन किया है।

हमने निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) एवं आम बैठकों (एसएस–2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने आम तौर पर निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. ***कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, मंडल में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशकों के रूप में करने की विनिर्दिष्ट अपेक्षा पूरी नहीं की गई है। इसी तरह पूरे समीक्षाधीन वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के संदर्भ में मंडल समितियों – लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, 178, 135 की संबंधित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है। इस प्रकार उपरोक्त विभिन्न समितियों की संरचना में अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।***

   प्रबंधन से हमें सूचित किया है कि वे अपने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ नियमित आधार पर इस विषय पर विचार–विमर्श कर रहे हैं।

2. ***वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफसीएल के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के कारण अनुपालन विशयों का व्यापक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में अनुपालन संबंधी विशयों पर कुछ कमियों एवं निगरानी प्रणाली में कुछ कमजोरियों का पता चला।***

   कंपनी के प्रबंधन ने उक्त निरीक्षण दल की अधिकांश टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया एवं प्रबंधन इस विषय पर प्राधिकारियों से विचार–विमर्श कर रहा है।

3. ***कंपनी अधिनियम की धारा 173 (2) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निदेशकों एवं समितियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित बैठकों की कार्यवाही की नमूना जांच की गई। सत्यापन से यह सामने आया कि अधिनियम व नियमों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्डिंग में सुधार की आवश्यकता है।***

4. ***10 रुपये की दर से कुल 5,297,60 करोड़ रुपये के 529,76000 इक्विटी शेयर के आबंटन के संबंध में आबंटिती, भारत के राष्ट्रपति को शेयर सर्टिफिकेट सं. 24 अभी तक नहीं सौंपी गई है चूंकि कलेक्टर, स्टॉम्प, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को जारी पूंजी पर देय स्टॉम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया जा सका है। धारा 56 (4) (ख) के अनुसार शेयर सर्टिफिकेट आबंटन के दो माह की अवधि के भीतर सौंपा दिया जाना चाहिए।***

   कंपनी के प्रबंधन सूचित किया है कि उन्होंने 24/04/2020 को ऑनलाइन एप्लीकेशन भर लिया है एवं स्टॉम्प कलेक्टर, (मुख्यालय), दिल्ली सरकार के साथ इस विषय पर विचार–विमर्श कर रहे हैं।

आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त टिप्पणियों के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित कारणों के दृष्टिगत कंपनी के निदेशक मंडल का गठन में कार्यकारी निदेशकों, गैर कार्यकारी निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों का यथोचित संतुलन नहीं किया गया है। हालांकि लेखापरीक्षावधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का समुचित अनुपालन किया गया था।

आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रणालियों व प्रक्रियाओं में सुधार लाये जाने की आवश्यकता है ताकि वे लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी व सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार व कारोबार के अनुरूप हों।

आमतौर पर मंडल की बैठकों, एजेंडा की समय सारणी पर सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है एवं एजेंडा से संबंधित विस्तृत टिप्पण कम से कम सात दिन पहले भेजे गये थे तथा बैठक से पूर्व एजेंडा मदों पर विस्तृत जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने व प्राप्त करने व बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए समुचित प्रणाली विद्यमान है।

विधिवत अभिलिखित एवं अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बैठकों के कार्यवृत्तों के अनुसार वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में किसी निदेशक ने असहमति के विचार व्यक्त नहीं किये। अतः असहमति के विचार दर्ज नहीं किये गये है।

आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने लागू कानूनों के सम्यक अनुपालन में राइट आधार पर 10 रुपये के प्रति शेयर की दर से 529.76 करोड़ इक्विटी शेयर निर्गमित किये ताकि चुकता पूंजी को 5,289.60 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सके।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसरण में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई/कार्रवाई नहीं हुई जो कंपनी के कार्यों पर असर डालते हों।

कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण 21 मार्च, 2020 को अचानक राष्ट्रव्यापी पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप इस लेखापरीक्षा के लिए रिकार्डों का अधिकांश सत्यापन रिकार्डों के ऑनलाइन आदान–प्रदान से किया गया।

कृते **पी.पी अग्रवाल एंड कंपनी**
कंपनी सचिव
यूसी. सं.: एस2012डीई174200

(प्रमोद प्रसाद अग्रवाल)
प्रोपराइटर
सी.पी. सं.: 10566
यूडीआईएन: एफ004955बी000678683

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08 सितंबर, 2020

यह रिपोर्ट सम तारीख के हमारे पत्र के साथ ही पढ़ी जाए जो 'अनुबंध–क' में संलग्न है एवं यह इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।

अनुबंध–क

सेवा में,

सदस्यगण,
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

यह रिपोर्ट सम तारीख के हमारे पत्र के साथ ही पढ़ी जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन ठीक उसी तरह किया है, जैसे कि सचिवीय अभिलेखों की विषयवस्तु की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना उचित था। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के परीक्षण के आधार पर किया गया था कि सचिवालय के रिकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे कोविड–19 महामारी के फैलने की वर्तमान परिस्थितियों में मेरी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते है

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सटीकता और उपयुक्तता पर कंपनी के लेखापरीक्षित एवं अनुमोदित वित्तीय विवरणों के आधार पर भरोसा किया है।

4. जहां कहीं भी अपेक्षित हो, हमने कानूनों के अनुपालन, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के रूप में एक आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी मामलों का संचालन किया है।

कृते **पी.पी अग्रवाल एंड कंपनी**
कंपनी सचिव
यू.सी. सं.: एस2012डीई174200

(प्रमोद प्रसाद अग्रवाल)
प्रोपराइटर
सी.पी. सं.: 10566
यूडीआईएन: एफ004955बी000678683

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08 सितंबर, 2020

यह रिपोर्ट सम तारीख के हमारे पत्र के साथ ही पढ़ी जाए जो 'अनुबंध–क' में संलग्न है एवं यह इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।

अनुबंध II

फॉर्म संख्या एमजीटी 9

वार्षिक रिपोर्ट का निष्कर्ष

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

1.	**सीआईएन**	**U67190DL2006GOI144520**
2.	पंजीकरण तिथि	5 जनवरी 2006
3.	कंपनी का नाम	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	भारत सरकार का उद्यम
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क विवरण	पांचवा तल, ब्लॉक – 2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023 **फोन:** 91–11–24662777 **फैक्स:** 91–11–20815125 ई–मेल: info@iifcl.org
6.	कंपनी सूचीबद्ध है या नहीं	हाँ
7.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो का नाम, पता और संपर्क विवरण	**कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड** श्री उमेश पांडे कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31 और 32 वित्तीय जिला गाचिबॉली, हैदराबाद 500 032–भारत **फोन:** +91-40-6716 1595, **फैक्स:** +91-40-2343 0814 **आरसीएमसी प्राइवेट लिमिटेड** श्री रविंदर दुआ बी–25/1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–II, नई दिल्ली–110 020 फोन: +91-011-26387320,21,23 फैक्स: +91-011-26387322

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

(कंपनी के कुल कारोबार का 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाए)

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड*	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	अवसंरचना वित्तपोषण**	649–बीमा और पेंशन निधि गतिविधियों को छोड़कर अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियां	100%

** राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण –सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार*

आईआईएफसीएल की स्थापना 2006 में भारत सरकार ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के नाम से ज्ञात और जिसे व्यापक रूप से एसआईएफटीआई के रूप में संदर्भित किया जाता है, विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि के वित्तपोषण के मुख्य उद्देश्य के साथ की थी। आईआईएफसीएल से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले योग्य क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं के उप–क्षेत्रों की उन सुसंगत सूची में से हैं, जिन्हें 1 मार्च, 2012 को बुनियादी ढांचा पर गठित कैबिनेट कमेटी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें परिवहन, ऊर्जा, पानी, स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

सितंबर, 2013 से आईआईएफसीएल को आरबीआई में एनबीएफसी–एनडी–आईएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

III. नियंत्रक, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	कंपनी का पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनी	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1	आईआईएफसीएल (यूके) लिमिटेड	तीसरी मंजिल 72 किंग विलियम स्ट्रीट लंदन ईसी 4एन7एचआर यूनाइटेड किंगडम टेलीफोन और ईमेल सामान्य:+44–20–7776 8950 ईमेल: info@iifc.org.uk	06496661*	सहायक	100%	2(87)(ii)
2	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	पांचवा तल, ब्लॉक–2 प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 फोन नं: 91–11–2465573 ईमेल: contact@iifclprojects.com	U74999DL2012GOI231473	सहायक	100%	2(87)(ii)
3	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड	पांचवा तल, ब्लॉक – 2 प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023 फोन नं: +91-11-24665900-10 ईमेल: cio@iifclmf.com	U65991DL2012GOI233601	सहायक	100%	2(87)(ii)

* इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड को दिनांक 7 फरवरी, 2008 को ब्रिटेन के कंपनी अधिनियम 1985 के तहत (कंपनी संख्या 649666) लंदन में इंग्लैंड और वेल्स की रजिस्ट्रार में निगमित किया गया था।

IV. शेयर धारिता पद्धति (इक्विटी शेयर पूंजी का कुल इक्विटी के प्रतिशत के तौर पर विवरण)

i. श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरूआत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च 2019 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च 2020 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क) प्रवर्तक									-
(1) **भारतीय**									-
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	420.23 करोड	420.23 करोड	100%	-	999.991623 करोड	999.991623 करोड	100%	-
ग) राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय/निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (क) (1)	-	420.23 करोड	420.23 करोड	100%	-	999.991623 करोड	999.991623 करोड	100%	-
(2) विदेशी									-
क) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ग) निकाय/निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तकों की कुल शेयरधारिता (क)(1)+(ख)(2)	-	420.23 करोड	420.23 करोड	100%	-	999.991623 करोड	999.991623 करोड	100%	-
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									-
1. संस्थान									-
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) उद्यम पूंजीगत निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफ आई आई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजीगत निधिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) अन्य, (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर–संस्थान									-
क) निकाय/निगम									-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) वैयक्तिक शेयरधारक जिसके पास 1 लाख रुपये तक की न्यूनतम शेयर पूंजीधारिता हो।	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) वैयक्तिक शेयरधारक जिसके पास 1 लाख रुपये से अधिक की शेयर पूंजीधारिता हो।	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य, (उल्लेख करें)									-
i. क्यू एफ.आई.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. एन.आर.आई.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. समाशोधन सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv. सहायक कंपनियों द्वारा धारित शेयर जिन पर कोई मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v. अदावाकृत उचंत खाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi. ट्रस्ट.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	-	420.23 करोड	420.23 करोड	100%	-	999.991623 करोड	999.991623 करोड	100%	-

ii. प्रवर्तक की शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01–04–2019 को)			शेयरधारक का नाम	वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31–03–2020को)			वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में वचनबद्ध / गिरवी शेयरों का %					
महामहिम राष्ट्रपति भारत प्रतिनिधि	420,23,16,223	100	-	महामहिम राष्ट्रपति भारत प्रतिनिधि	999,99,16,223	100	-	शून्य
प्रतिनिधिक शेयरधारिता*	7			प्रतिनिधिक शेयरधारिता*	7			
	420,23,16,230	100%			999,99,16,230	100%		शून्य

* इसमें भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में 7 शेयरधारकों की शेयरधारिता शामिल हैं।

iii. प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया उल्लेख करें, यदि कोई बदलाव नहीं हुआ है)

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01–04–2019 को)				वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31–03–2020 को)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	वृद्धि (राशि करोड़ रुपये में)	दिनांक	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में	420,23,16,230	100	500.00 (नोट 1)	15.05.2019	470,23,16,230	100
वर्ष के अंत में	470,23,16,230	100	5,297.60 (नोट 2)	30.03.2020	999,99,16,230	100

नोट 1: वर्ष 2018–19 के दौरान, भारत सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र संख्या 6/13/2011–आई.एफ.–1 दिनांक 9 मई, 2019 के माध्यम से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इंडिया के इक्विटी अंशदान के रूप में 500,00,00,000/– रुपये (पांच सौ करोड़ रूपये मात्र) की राशि जारी करने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराया। भारत सरकार ने दिनांक 14 मई, 2019 को आईआईएफसीएल को इक्विटी अंशदान के रूप में 500,00,00,000/– रुपये (पांच सौ करोड़ रूपये मात्र) जारी किये। भारत सरकार द्वारा जारी राशि के प्रति आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयर का आबंटन होने पर, आईआईएफसीएल की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 4202.32/– करोड़ रुपये से बढ़कर 470.32/– करोड़ रुपये हो गई है।

नोट 2: वर्ष 2019–20 को समाप्त वित्तीय वर्ष दौरान, भारत सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र संख्या 6/13/2011–आई.एफ.–1 दिनांक 26 मार्च, 2020 द्वारा पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के माध्यम से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इंडिया के इक्विटी अंशदान के रूप में 5,297.60/– करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति से अवगत कराया। भारत सरकार ने दिनांक 30 मार्च, 2020 को आईआईएफसीएल को इक्विटी अंशदान के रूप में 5,297.60/– करोड़ रुपये जारी किये। भारत सरकार द्वारा जारी राशि के प्रति आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयर का आबंटन होने पर, आईआईएफसीएल की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 4702.32/– करोड़ रुपये से बढ़कर 999.92/– करोड़ रुपये हो गई है।

iv. शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता प्रतिमानः

(निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अलावा)

शीर्ष में 10 शेयरधारकों से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01–04–2019 को)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31–03–2020 को)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रवर्तको की शेयरधारिता की तिथिवार वृद्धि/कमी के कारणो का उल्लेख करते हुए। (आबटन/अंतरण/बोनस/श्रम–जन्य इक्विटी आदि)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	-	-	-	-

v. **निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कर्मियो की शेयरधारिता:**

प्रत्येक निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए शेयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01–04–2019 को)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31–03–2020 को)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरम्भ में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रवर्तको की शेयरधारिता की तिथिवार वृद्धि/कमी के कारणो का उल्लेख करते हुए। (आबटन/अंतरण/बोनस/श्रम–जन्य इक्विटी आदि)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	-	-	-	-

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, जिसका भुगतान देय नही है

(राशि रुपये में)

	जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमाएं	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरम्भ (01.04.2019) में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	149,438,535,000.00	171,302,228,144.86	8,723,404,085.88	329,464,167,230.74
ii) देय ब्याज लेकिन अप्रदत्त				0.00
iii)प्रोद्भूत ब्याज लेकिन अदेय		7,980,457,139.24		7,980,457,139.24
योग (i+ ii+ iii)	149,438,535,000.00	179,282,685,284.10	8,723,404,085.88	337,444,624,369.98
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
*परिवर्धन	-	22,978,135,355.89	21,312,435,499.78	44,290,570,855.67
*अपचयन	-	(8,978,528,467.40)	-	(8,978,528,467.40)
निवल परिवर्तन	-	13,99,96,06,888.49	21,312,435,499.78	35,312,042,388.27
वित्त वर्ष के आरम्भ (01.04.2019) में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	149,438,535,000.00	1,85,30,18,35,033.35	30,035,839,585.66	3,64,77,62,09,619.01
ii) देय ब्याज लेकिन अप्रदत्त				
iii)प्रोद्भूत ब्याज लेकिन अदेय	4,047,610,422.98	3,413,397,433.21		7,461,007,856.19
योग (i+ ii+ iii)	153,486,145,422.98	188,715,232,466.56	30,035,839,585.66	3,72,23,72,17,475.20

VI. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
	नाम	-	-	-
	पदनाम	-	-	-
1	सकल वेतन	-	-	-
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धिया	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-

2	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3	ऋम–जन्य इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन – लाभ प्रतिशत के रुप में – अन्य उल्लेख करे	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-
	योग (क)	-	-	-

ख. निदेशकों का पारिश्रमिकः

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम				कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक					
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-
	योग (1)	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक **(अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)**					
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-
	योग (2)	-	-	-	-	-
	योग (ख)=(1+2)	-	-	-	-	-

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमूख प्रबंधकीय कर्मी		
	नाम	**राजीव मुखीजा**	**मंजरी मिश्रा**	**कुल**
	पदनाम	**सी.एफ.ओ.**	**कंपनी सचिव**	
1	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार	0.44	0.30	**0.74**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियां			
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-
	– लाभ प्रतिशत के रुप में	-	-	-
	– अन्य उल्लेख करें	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-
	योग	**0.44**	**0.30**	**0.74**

VII. जुर्माने/दंड/अपराधों का समाधान

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित जुर्माने/दंड/समाधान शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
समझौता					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड			**शून्य**		
समझौता					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
समझौता					

अनुबंध – III

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड(ओ) और (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार

1. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले प्रस्तावित परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का सिंहावलोकन एवं सीएसआर नीति और परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के वेब–लिंक का संदर्भ के साथ–साथ कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), भारत सरकार का उद्यम ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत समाज और विशेष रूप से देश के अविकसित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। आईआईएफसीएल में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर) विद्यमान है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है। इस नीति में सीएसआर की गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए दो–स्तरीय संरचना (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की अध्यक्षता में मंडल स्तरीय समिति और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी एक कार्यान्वयन समिति) पर जोर दिया जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधान के अनुसार परिगणित शून्य सीएसआर बजट के बावजूद इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2019–20 में कोविड–19 वैश्विक महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अपने सीएसआर के तहत अपनी सहायता के तौर पर आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम केयर्स) कोष में 25,00,00,000/– रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये मात्र) का योगदान दिया है।

आईआईएफसीएल सीएसआर पहल का विवरण http://www.iifcl.co.in/Content/CSR%20Inititatives.aspx पर भी उपलब्ध है:–

2. सीएसआर समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में, निम्नलिखित सदस्यों के साथ सीएसआर के लिए एक बोर्ड स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआईएफसीएल– समिति के अध्यक्ष
- एक सरकार द्वारा नामित निदेशक
- एक पूर्णकालिक निदेशक

इसके अलावा, एक सीएसआर कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

- मुख्य महाप्रबंधक – सीएसआर (नोडल ऑफिसर)
- मुख्य महाप्रबंधक (ऋण)
- मुख्य वित्तीय अधिकारी
- महाप्रबंधक – सीएसआर

3. विगत तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ

विवरण	राशि (रुपये लाख में)
वित्तीय वर्ष 2016–17	39,314.79
वित्तीय वर्ष 2017–18	(1,02,638.96)
वित्तीय वर्ष 2018–19	41,506.24
योग	(7,272.64)
औसत निवल लाभ	(145.45)

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में उद्धृत राशि का दो प्रतिशत)

शून्य

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण

क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि: शून्य

(हालांकि आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर के परिप्रेक्ष्य में अपनी आरक्षित निधि से 25 करोड़ रुपये खर्च किये)

(ख) बिना खर्च राशि, यदि कोई हो: शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस तरीके से राशि खर्च की गई, उसका विवरण निम्नवत है–

राशि लाख रुपये में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.स	चिह्नित की गई सी.एस.आर परियोजना अथवा गतिविधि	वह क्षेत्र जिसमे परियोजना को कवर किया गया है	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य 2) कृपया उस राज्य और जिला उल्लेख करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम चलाये गये।	परियोजना अथवा कार्यक्रम–वार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप–शीर्षः (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के माध्यम से
1	पीएम केयर्स कोष में अंशदान	स्वास्थ्य	-	2500.00	2500.00	2500.00	-

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो इस स्थिति में कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण बताएगी।

लागू नहीं

7. सीएसआर समिति का एक जिम्मेदार बयान है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुसार हुआ है।

सीएसआर गतिविधियों की विगत पुनरीक्षा बैठक में निदेशक मंडल की सीएसआर समिति ने जिम्मेदारी को लेकर वक्तव्य जारी किया है कि वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति का अनुपालन किया गया है।

अनुबंध – IV

वर्ष 2019–20 के लिए आरक्षित निधि से/को अंतरित राशि का विवरण

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
चालू वर्ष 2019–20 के लिए करोपरांत लाभ	5,091.81	10242.67
जोड़ें : ऋण अस्तियों की आरक्षित निधि से अंतरण	-	-
जोड़ें : कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि से अंतरण	32.23	22.05
जोड़ें : कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि से अंतरण	-	-
घटायें : कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि से अंतरण	8.45	67.90
घटायें : कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि में अंतरण	-	-
घटायें : डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि से अंतरण	-	18177.50
घटायें : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (अपप) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	-	14797.64
घटायें : आरक्षित निधि को अंतरण 45 – आईसी	1024.06	2033.18
घटायें : निश्चित लाभ पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)	(28.49)	76.77
घटायें: अचल परिसंपत्तियों की धारणीय राशि का समायोजन (संक्रमणकाल के प्रावधानों को लागू करते हुए)		
घटायें : अंतरिम लाभांश		
घटायें : लाभांश वितरण कर		
शेष को तुलन–पत्र में ले जाना	**4120.03**	**(24888.27)**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
इंडिया इंफ्रास्ट्रकचर फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड
के सभी सदस्य

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में रिपोर्ट

सशर्त मत

हमने **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** ('कंपनी') के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य समग्र आय सहित) और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण, उस तारीख को समाप्त वर्ष के अंत में नकदी प्रवाह विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी सहित स्टैंडएलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (इसके पश्चात ''स्टैंडएलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण'' कहा जाए) शामिल है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त सशर्त मत वाले पैराओं के लिए आधार में उल्लिखित मामले के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना इस प्रकार अपेक्षित तरीके से देती हैं, जो कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित (''भारतीय लेखांकन मानक''), के अनुरूप और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं, दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ (अन्य समग्र आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में परिवर्तन व उसके नकद प्रवाह की एक सही एवं स्पष्ट दृष्टि देती हैं।

सशर्त मत का आधार

यूके में सहायक कम्पनी में निवेश

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी (यूके), एक सहायक कम्पनी, में निवेश का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा वहनीय लागत अर्थात 422.40 करोड़ रुपए पर किया गया है। जैसा कि सहायक कम्पनी की वित्तीय विवरणों से पता चला है, यूके में सहायक कम्पनी का निवल मूल्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत तैयार किये गये हैं और संभावित ऋण हानि मॉडल के तहत भारी प्रावधान किए गए हैं। प्रबंधन के मतानुसार, यूके में सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरण चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किये गये हैं और जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, यूके में सहायक कम्पनी के निवेश के उचित मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए, यूके में सहायक कम्पनी के निवेश के उचित मूल्यांकन के बिना, हम लाभ हानि खाते, आरक्षित निधि और निवेश (राशि मूल्यांकित) के ह्रासन, यदि कोई हो, के प्रभाव पर कोई भी टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का निष्पादन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व की और अधिक व्याख्या हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड से संबंधित लेखा परीक्षकों के दायित्वों में दी गई है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के साथ–साथ अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिक आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्व पूरे किए हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे सशर्त मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन हैं।

मामले का महत्व

1. हमने 17 फरवरी, 2020 को अद्यतन किए गए आरबीआई के मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016–17 के निदेश संख्या 16 के अनुसार ऋण आस्तियों की राशि से प्रावधान/ईसीएल का निवल न किए जाने के संदर्भ में ऋण आस्तियों की टिप्पणी संख्या 4 में दिए गए फुटनोट की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

2. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में टिप्पणी सं. 1 (ख) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जिसमें कोविड–19 महामारी की स्थिति से संबंधित लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंध व परिस्थितियों के कारण अनिश्चितताओं एवं प्रबंधन के वित्तीय प्रभाव का आकलन का उल्लेख है जिसके लिए बाद की अवधि के प्रभाव का निश्चित मूल्यांकन मुख्य तौर पर आगे की परिस्थितियों पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक कोविड–19 विनियामक पैकेज के अनुसार कंपनी ने 29 फरवरी, 2020 को मानक के तौर पर वर्गीकृत सभी पात्र उधारकर्ताओं को किश्तों के भुगतान पर मोहलत देने की पेशकश की। इस संबंध में जिन खातों में इस मोहलत का विकल्प चुना है उन्हें 29 फरवरी, 2020 तक देय के बकाये के दिनों के अनुसार निर्धारण किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णयानुसार, चालू अवधि की वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक उल्लेखनीय थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से एक के रूप में संबोधित किया गया, और इन पर हमारा मत तैयार करने के क्रम में, हमने इन मामलों पर कोई पृथक मत नहीं प्रदान किया है। हमने नीचे उन मामलों का उल्लेख किया है जिन्हें प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में संप्रेषित किया जाना था:

क्र.सं.	प्रबंधन	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का कैसे निवारण किया गया था
1.	**ग्राहकों को दिये गये ऋणों एवं अग्रिम राशि का ह्रासन** स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट सं. 1(क) 5: ह्रासन, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का नोट सं. 16: अपेक्षित ऋण हानि के अनुमान एवं बोध–निर्धारण का उपयोग एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट सं 5.7: ऋण देखें।	
	ऋण का ह्रासन भारतीय लेखांकन मानक–वित्तीय लिखतों के अपेक्षित एएस 109 वित्तीय प्रपत्रों के अनुसार ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल पर आधारित है। कंपनी का ह्रासन अनुमति ऐतिहासिक चूक दरों एवं ऋण हानि अनुपात सहित कुछ प्रबंधन अनुमानों पर आधारित है। ऋण एवं अग्रिम राशियों के ह्रासन की निर्धारण एवं मापन में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल है। ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रबंधन ने महत्वपूर्ण निर्णय का प्रयोग किया निम्नानुसार है: • ऋण चरणबद्धता मापदंड • चूक को देखते हुए संभावित चूक/हानि की गणना। • चूक के एक्सपोजर का निर्धारण • संभावित भारित परिदृश्य पर विचार एवं दूरंदेशी समष्टिगत आर्थिक कारक ईसीएल मॉडल की अनुप्रयोज्यता में अनेक डेटा सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इससे डाटा की पूर्णता एवं सटीकता बढ़ जाती है जिसे इस मॉडल में अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया है।	**हमने निम्नलिखित निर्धारित लेखापरी प्रक्रियाओं का निष्पादन किया है:** **डिजाइन/नियंत्रण** • भारतीय लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयोग किये गये ह्रासन सिद्धातों की औचित्यता एवं हमारी कारोबारी समझ व उद्योग की प्रथाओ के अनुसार मूल्यांकन; • ह्रासन प्रभार की गणना में उपयोग की गई ऋण ह्रासन प्रक्रिया पर प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन व कार्यान्वयन का मूल्यांकन; • प्रबंधन के परिव्यय के अनुमान का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की गई प्रासंगिक सूचना के समन्वय पर प्रबंधन के नियंत्रणों का मूल्यांकन। • वित्तीय विवरणों में ह्रासन अनुमतियों एवं प्रकटीकरण के मापन पर पुनरीक्षित नियंत्रण की जांच।
2.	**व्युत्पन्नी लिखतों एवं बचाव व्यवस्था संबंधी लेखांकन का मूल्यांकन** स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट सं. 1(क) 5.2% व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट सं. 3: व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें में लेखांकन नीतियां देखें।	
	कंपनी ने जोखिमों का प्रबंधन एवं जोखिमों की बचाव व्यवस्था के उद्देश्य से व्युत्पन्नी संविदाएं संपन्न की हैं जैसे उधारियों पर विदेशी विनिमय दर। कंपनी या तो नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था या मूल्य बचाव व्यवस्था करती है जो की जाने वाली बचाव व्यवस्था पर निर्भर करता है। बचाव व्यवस्था का लेखांकन का अनुप्रयोग एवं बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना जटिल एवं प्रचालनात्मक रूप से दुष्कर है। इसमें कंपनी के प्रबंधन की गहन निगरानी की आवश्यकता पड़ती है।	**हमारी प्रक्रिया में शामिल है।** **डिजाइन/नियंत्रण** निम्नानुसार जोखिम प्रबंधन नीतियों की जानकारी ली गई एवं प्रमुख नियंत्रणों की जांच की गई (i) नामांकित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार सहित बचाव व्यवस्था संबंध के नामांकन, बचाव व्यवस्था लेनदेन के निरीक्षण में प्रबंधन द्वारा दस्तावेजीकरण के समय पर (ii) बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की जांच सहित प्रबंधन द्वारा बचाव व्यवस्था संबंध की चालू निगरानी एवं समीक्षा के संबंध में

		मौलिक परीक्षण • चुनिंदा नमूनों की व्युत्पन्नी लिखतों के निर्धारण एवं मापन की भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार जांचय • भारतीय लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के साथ दस्तावेंजों का अनुपालन का आंकलन करने के लिए नमूना आधार पर बचाव व्यवस्था के दस्तावेजों की जांचय • तीसरे पक्षकारों से प्राप्त स्वतंत्र संपुष्टियों के प्रति व्युत्पन्नी लिखतों के नमूना आधारित मिलान की जांचय • बचाव व्यवस्था लेखांकन के अनुप्रयोज्यता एवं सटीकता की नमूना आधारित जांचय • स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वित्तीय जोखिम प्रबंधन, व्युत्पन्नी लिखत एवं बचाव व्यवस्था लेखांकन के संबंध में औचित्यता एवं प्रकटीकरण पर विचार।
3	**<u>सूचना प्रौद्योगिकी</u>** आईटी समर्थित लेखांकन प्रणाली का एकीकरण	
		<u>हमारी प्रक्रिया में शामिल है</u>
	कंपनी ने विगत वित्तीय वर्ष से एसएपी प्रणाली लागू की है ताकि सूचना प्रणाली की प्रभावी निर्भरता एवं वित्तीय लेखांकन एवं प्रतिवेदित किये जाने वाले अभिलेखों में स्वाचित नियंत्रणों पर भरोसा सुनिश्चित हो। कंपनी अभी भी आईटी समर्थित लेखांकन प्रणाली के स्थायीकरण एवं एकीकरण की प्रक्रिया में है। हमने 'आईटी प्रणाली एवं नियंत्रण' को प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के तौर पर प्रमुखता दी है क्योंकि यह ऋणों का ह्रासन, व्युत्पन्नियों का मूल्यांकन एवं बचाव व्यवस्था का लेखांकन, ईआरपी प्रणाली में से विदेशी मुद्रा में लाभ व हानि की संगणना जैसे प्रमुख वित्तीय कारकों की संगणना में शामिल मापन व जटिलता का पूर्ण स्वचालन हासिल करने के लिए आवश्यक अनुकूलन के प्रक्रियाधीन है।	आस्तियों के ह्रासन, व्यत्युपन्नी आस्तियां, विदेशी मुद्रा में लाभ व हानि एवं वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण की संगगना का मूल्यांकन। हमने इसे इस रिपोर्ट के साथ जुड़े अनुलग्नक 'ग' में प्रणाली के नियंत्रण की कमजोरी के तौर पर उल्लेख भी किया है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अन्य सूचना और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध शामिल हैं किंतु स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षक की रिर्पोट शामिल नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध हमें इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की लेखा परीक्षा की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारा मत में अन्य सूचना शामिल नहीं होती और हम इस पर आश्वासन के निष्कर्ष की आश्वस्ति किसी भी रूप में अभिव्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व ऊपर चिह्नित अन्य सूचना पढ़ने का है जब यह उपलब्ध हो जाए और, ऐसा करने के क्रम में, यह विचार करने का है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी से महत्वपूर्ण रूप से समनुरूप नहीं है या लेखा परीक्षा या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या रूप में उल्लिखित की गई प्रतीत होती है।

जब हम बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध को पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि इसमें महत्वपूर्ण मिथ्याकथन है, हमसे उन प्रभारों के लिए मामले को शासन को संप्रेषित करना, और यदि अपेक्षित हो, समीचीन कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल इस एकल वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के तहत जिम्मेदार है, जो कि वास्तविक और निष्पक्ष लेखे प्रदान करते हैं, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित लेखाकार सिद्धांतों के अनुसार आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह पर वास्तविक और स्पष्ट विचार देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकना, उपयुक्तलेखा नीतियों का चयन और निर्णय लेना और अनुमान लगाना उचित और विवेकसम्मत और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव सहित, संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, को सुनिश्चित करना भी प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कम्पनी की सतत प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, सतत प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने, जैसा भी प्रयोज्य हो, और लेखांकन के सतत प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि या तो कम्पनी दिवालिया होने लिए अभिप्रेत न हो या प्रचालन बंद न कर दे, या इसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई भी यथार्थपरक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे यह चूक से हुआ हो या धोखाधड़ी से, और लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो। औचित्यपूर्ण आश्वस्ति उच्च स्तर की आश्वस्ति है, किंतु ये गारंटी नहीं कि एसए के अनुसार की गई कोई लेखा परीक्षा सदैव किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन को ढूंढ लेगी जहां यह विद्यमान हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है यदि इनसे, व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की औचित्यपूर्ण रूप से संभावना है।

एसए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं और और सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को ध्यान में रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों की पहचान और आकलन करना, चाहे ये धोखाधड़ी से हुए हों या चूक द्वारा, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षाएं डिजाइन या निष्पादित करना है, और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना है जो हमारे मत के लिए एक आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन हों। धोखाधड़ी से परिणत होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से परिणत होने वाले मिथ्याकथन से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, जालसाजी, इरादतन लोप, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- ऐसी लेखा प्रक्रियाओं को तैयार करने में लेखा परीक्षा सक संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कम्पनी अधिनियम की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत, हम इस बारे में भी अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभावोत्पादकता विद्यमान है।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की तर्क संगति और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता निश्चित करना, जो प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हो, कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जिनसे कम्पनी की सतत प्रष्ठिान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न हो सकता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, ऐसे में हमसे अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों के प्रति ध्यान आकर्षित करें अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपना मत संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों की वजह से कम्पनी एक सतत प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणीएं अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करती हैं जो उचित प्रस्तुतकरण प्राप्त कर सकें।
- स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार विवरणों में गलत विवरण महत्वूपर्ण होते हैं जो, व्यक्तिगत रूप से सकल रूप से, इसे संभाव्य बनाते हैं कि वित्तीय विवरणों के औचित्यपूर्ण रूप से जानकार प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखापरीक्षा कार्य के स्कोप का नियोजन करने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (2) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण कारकों पर विचार करते हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र और समयसीमा और उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई

भी उल्लेखनीय खामियां शामिल हैं जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित करते हैं, के बारे में प्रशासन के लिए प्रभारित पक्षों को संप्रेषित करते हैं।

हम प्रशासन के लिए प्रभारित पक्षों को यह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों को संप्रेषित करते हैं जिनका प्रभाव औचित्यपूर्ण रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षोपायों पर माना जा सकता है।

प्रशासन के लिए प्रभारित पक्षों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि की वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक उल्लेखनीय हों और इस प्रकार प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हों। हम अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में उन मामलों का उल्लेख करते हैं जब तक कि कानून और विनियम में मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरणों से मना किया गया हो या जब, अत्यंत विरल परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से ऐसे संप्रेषण के लोक हित के लाभों से ऊपर होने की संभावना है।

अन्य मामले

- जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, कम्पनी द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के तहत स्वतन्त्र निदेशकों की वांछित संख्या में नियुक्त किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। तदनुसार, बोर्ड के गठन की कार्रवाई की उपरोक्त अपेक्षाओं के अनुसरण के बिना यथा संघटित रहेगी।
- विनिवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार आईआईएफसीएल को कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30 प्रतिशत अथवा निवल–मालियत का 5 प्रतिशत जो भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि आईआईएफसीएल ने सरकार से दिनांक 14 जनवरी, 2016 के पत्र के माध्यम से कम से कम तीन वर्ष के लाभांश के भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया था। आईआईएफसीएल के पत्र के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

इन मामलों में, हमारी राय संशोधित नहीं है

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

कंपनियों द्वारा यथापेक्षित (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार जारी किए गए आदेश 2016 ('आदेश') की अपेक्षा के अनुरूप, उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में लागू सीमा तक हम **अनुलग्नक क** में एक विवरण दे रहे हैं।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिए गए निर्देशों/उप–निर्देशों कोकम्पनी के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा करते समय सत्यापित किया गया और दिशा–निर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी रिपोर्ट **अनुलग्नक–ख** पर संलग्न है।

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक है, हम यह रिपोर्ट करते हैं:

(क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है, जो उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास में आवश्यक थे;

(ख) उपर्युक्त सषर्त मत के आधार में उल्लिखित मामले के सम्भावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में, लेखों की हमारी जांच से यहप्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कानून में अपेक्षित खाते की बहियों को उचित रूप से रखा गया है;

(ग) इस रिपोर्ट के साथ संलग्न समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकितवित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से अनुरक्षित लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

(घ) उपर्युक्त अनुच्छेद 6 में उल्लिखित मामले के सम्भावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्यक्त भारतीय लेखांकन मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणीएं कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखामानकों के अनुरूप है;

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 463(ई) के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के कारण यूके कंपनी अधिनियम, 1985 (वर्तमान में कंपनी अधनियम, 2006) के तहत इंग्लैंड एवं वेल्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ निगमित आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के अनुसार निदेशकों की निरर्हता की अपेक्षा मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती।

(च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता और इन नियन्त्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में **"अनुलग्नक–ग"** में दी गई अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता और इन नियन्त्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में असंशोधित राय व्यक्त की गई है।

(छ) एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रबंधकीय पारिश्रमिक लागू नहीं हैं।

(ज) हमारी राय में और हमारी जानकारी तथा हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरणों और अन्य पैरा में उल्लिखित सहायक कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरणों के साथ अन्य वित्तीय जानकारी के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, हम समय–समय पर संशोधित, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली 2014, के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में रिपोर्ट करते हैं कि:

i. जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, ऐसी कोई भी लंबित मुकदमेबाजी नहीं है, जो समूह के समेकित वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

ii. कम्पनी द्वारा व्युत्पन्नी संविदा सहित दीर्घावधि संविदाओं पर सामग्री के अनुमानित नुकसान, यदि कोई हों, के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के तहत यथोपेक्षित प्रावधान किए गए हैं।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित करना आवश्यक है।

कृते **ओ पी तुलस्यान एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 500028N

ह०/–
(राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
स.सं.: 081808
यूडीआईएन:20081808AAAACZ7457

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2020

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैरा–1 का संदर्भ

i. कम्पनी की अचल आस्तियों के संबंध में:

क. कम्पनी ने उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है जिनमें अचल आस्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाया गया है, जिसमें अचल आस्तियों का मात्रात्मक ब्यौरा और स्थिति शामिल है (संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर)

ख जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, अचल आस्तियों का प्रबंधन द्वारा औचित्यपूर्ण अंतरालों पर वास्तविक रूप से सत्यापन किया गया है। ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण कमियां नहीं पाई गई है।

ग जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, अचल आस्तियों का प्रबंधन द्वारा औचित्यपूर्ण अंतरालों पर वास्तविक रूप से सत्यापन कियागया है। ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण कमियां नहीं पाई गई है।

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	सकल मूल्य	निवल ब्लॉक	
भवन	27,201.12	25,980.59	एनबीसीसी सेंटर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली में ऑफिस के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी द्वारा पट्टा विलेख का अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया के लंबित रहते, कार्यालय परिसर का पूंजीकरण, उपयोग में लाई गई आस्तियों के आधार पर किया गया है।

ii. कम्पनी के व्यापार की प्रकृति इसे मालसूचियों को धारित करने की अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 का ऐसा उपबंध 3(ii) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

iii. कम्पनी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत आने वाली किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता साझेदारी या अन्य पक्षों को किसी भी तरह के ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित, नहीं दिये गये हैं।

iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई भी लेन–देन नहीं किया गया, जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हों।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है।

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने, कम्पनी द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों के लिए, कंपनीअधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव का निर्धारण नहीं किया है।

vii. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा लेखा–बहियों की जांच के आधार पर, कंपनी, आमतौर पर यथालागू भविष्य निधि, आयकर, सेवा कर, जी.एस.टी. और अन्य संवैधानिक देयताओं को समुचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर/सेवाकर/जी.एस.टी. के कोई ऐसे अतिदेय नहीं हैं जो विवाद के कारण खाते मे जमा न कराए गए हों। हालांकि, किसी प्रकार के विवाद के कारण आयकर, सेवाकर के अतिदेय निम्नानुसार हैं:

कानून का नाम	बकायों की प्रकृति	अवधि, जिससे राशि सम्बन्धित है	मंच, जहां विवाद लम्बित है	राशि (रुपये लाख में)	विरोध स्वरूप अदा की गई और वसूली योग्य के तहत दर्शाई गई राशि राशि (रुपये लाख में)	टिप्पणी
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	कर निर्धारण वर्ष 2008–09	आईटीएटी	159.00	159.00	उक्त मांग कर निर्धारण वर्ष 2010–11 और 2011–12 के रिफंड के प्रति समायोजित की गई
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	कर निर्धारण वर्ष 2011–12	आईटीएटी	343.00	-	आयकर विभाग द्वारा डिमांड नोटिस नहीं दिया गया है।
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	कर निर्धारण वर्ष 2014–15	आईटीएटी	1,425.27	-	आयकर विभाग द्वारा डिमांड नोटिस नहीं दिया गया है।

कानून का नाम	बकायों की प्रकृति	अवधि, जिससे राशि सम्बन्धित है	मंच, जहां विवाद लम्बित है	राशि (रुपये लाख में)	विरोध स्वरूप अदा की गई और वसूली योग्य के तहत दर्शाई गई राशि राशि (रुपये लाख में)	टिप्पणी
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	कर निर्धारण वर्ष 2016–17	सीआईटी(ए)	682.33	183.72	137 लाख रुपये का भुगतान किया गया एवं 46.72 लाख रुपये कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के रिफंड से समायोजित किये गये।

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और लेखा–बहियों की जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या बांड धारकों को ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

ix. अपनी पूरी जानकारी तथा विश्वास व हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कंपनी द्वारा लिए गए अवधिक ऋणोंका उपयोग, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा इस वर्ष के दौरान उस उद्देश्य के लिए किया गया, जिसके लिए बैंक के लंबित आवेदन के साथ जमा में अस्थायी तैनाती के अलावा ऋण प्राप्त किए गए थे। इसके अलावा, साल के दौरान सार्वजनिक आमंत्रण (ऋण लिखत सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं लिया गया है।

x. अपनी पूरी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस वर्ष के दौरान या कंपनी द्वारा कोई भी धोखाधड़ी नहीं हुई या उसकी सूचना नहीं मिली।

xi. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रबंधकीय पारिश्रमिक लागू नहीं है।

xii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है अतः आदेश का पैरा 3 (xii) लागू नहीं होता।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर संबंधित पक्षों के लेनदेन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन के तहत हैं और इस तरह के लेनदेन का खाता मानकों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित विवरण का वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण किया गया है।

xiv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों या शेयरों का कोई प्राथमिकताप्राप्त आवंटन या निजी स्थानन नहीं किया है। तथापि, कम्पनी ने वर्ष के दौरान कुल 100 करोड़ रुपये के 10 करोड इक्विटी शेयर भारत सरकार को जारी किए।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशक या उसके साथ जुड़े लोगों के साथ गैर नकद लेनदेन नहीं किया है।

xvi. कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अधीन पंजीकृत है। देखें प्रमाणत्र सं. N-14.03288 दिनांक 9, सितंबर, 2013

कृते **ओ पी तुलस्यान एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 500028N

ह०/–
(राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
स.सं.: 081808
यूडीआईएनः 20081808AAAACZ7457

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 जुलाई, 2020

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" खंड के अंतर्गत पैरा 2 में संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ख"

क्र. सं.	निदेश	लेखापरीक्षक के प्रत्युत्तर
क		
1	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को संसाधित करने की प्रक्रिया मौजूद है? यदि हां तो वित्तीय प्रभावों यदि कोई हों, के साथ–साथ लेखाओं की सत्यनिष्ठा को संसाधित करने के प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है एवं इन लेनदेनों की रिकार्डिंग कंपनी के ईआरपी सॉफ्टवेयर, एसएपी में की जाती है। यह ईआरपी सभी लेखांकन लेनदेनों के स्वचालित रूप से रिकार्ड का स्थिरीकरण एवं एकीकरण के प्रक्रिया में है जिसके कारण कुछ लेनदेन जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार ह्रासन हानि की संगणना एवं ऋणों पर संदिग्ध कर्जों का प्रावधान, अग्रिमों का वर्गीकरण/आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण, विदेशी मुद्रा के लेनेदनों, बचाव व्यवस्था की संविदाओं में विदेशी मुद्रा में लाभ/हानि की संगणना एसएपी (ईआरपी) से अलग की जाती है।
2	क्या कम्पनी की पुनर्भुगतान की अक्षमता कीवजह से कम्पनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते डालने के मामले या किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना की गई है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	विचाराधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋणों/कर्जों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते डालने के मामले या किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना किए जाने का कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों की ओर से विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को उपयुक्त रूप से लेखांकित किया गया है/इसके नियमों और शर्तों के अनुसार प्रयुक्त किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों की ओर से विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं हुई/प्राप्य नहीं है।

कृते **ओ पी तुलस्यान एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 500028N

ह०/–
(राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
स.सं.: 081808
यूडीआईएन:20081808AAAACZ7457

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2020

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ग''

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("कम्पनी")** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा–जोखा किया है, जो कंपनी के उस तिथि को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के साथ किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर बताए गए मार्गदर्शन नोट के आधार पर कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें अनुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, उसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार जरूरी विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समय पर तैयारी शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा–परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी नोट") और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में जारी मानदंडों को लेकर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों को आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा–परीक्षा के लिए लागू किया गया है और दोनों भारतीय संस्थान के सनदी लेखाकार द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और उसके अनुपालन के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनायें और लेखा परीक्षा का पालन करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित रखा गया हो और इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित किया गया है।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि सामग्री की कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और अनुमान लगाना शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक गलतियाँ के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या किसी तरह के त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षण को लेकर राय बनाने का आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षण के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने की एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की आस्तियों के लेनदेन और प्रकृति को दर्शाती हैंय (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक रूप में दर्ज किए जाते हैं और कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बताती रही हैं और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है कि कंपनी की आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों के रद्द किये जाने की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतफहमी हो सकती है और इसे चिह्नित नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियों मेंपरिवर्तन के कारण भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं व वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रहता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति में कमी आ सकती है।

ईआरपी सभी लेखांकन लेनदेनों के स्वचालित रूप से रिकार्ड का स्थिरीकरण एवं एकीकरण के प्रक्रिया में है जिसके कारण कुछ लेनदेन जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार ह्रासन हानि की संगणना एवं ऋणों पर संदिग्ध कर्जों का प्रावधान, अग्रिमों का वर्गीकरण/आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण, विदेशी मुद्रा के लेनेदनों, बचाव व्यवस्था की संविदाओं में विदेशी मुद्रा में लाभ/हानि की संगणना एसएपी (ईआरपी) से अलग की जाती है।

अभिमत

हमारी राय में, उपर्युक्त पैरा को छोड़कर, अपनी पूरी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (सीआईएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा सम्बन्धी मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली होती है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते **ओ पी तुलस्यान एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 500028N

ह०/–
(राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
स.सं.: 081808
यूडीआईएन:20081808AAAACZ7457

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2020

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी निदेशों/उप–निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वार्षिक एकल (स्टैंड अलोन) लेखाओं की लेखा–परीक्षा की है और यह प्रनाणित करते हैं कि हमने, सभी जारी निदेशों/उप–निदेशों का पालन किया है।

कृते **ओ पी तुलस्यान एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 500028N

ह०/–
(राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
स.सं.: 081808
यूडीआईएन:20081808AAAACZ7457

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2020

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

निदेशक मंडल
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पांचवां तल, प्लेट ए और बी, ऑफीस ब्लॉक II
ईस्ट किदवई नगर,
नई दिल्ली–110023

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 की अपेक्षानुसार, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर लागू सीमा तक, उक्त निदेशों के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में तथा लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि

1. यह कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करती है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–।(क) के प्रावधान के तहत इस कंपनी को दिनांक 9 सितंबर, 2013 को एन–14.03288 संख्या का पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है और यह कंपनी दिनांक 8 अप्रैल, 1999 की बैंक की प्रेस विज्ञप्ति तथा डीएनबीआर द्वारा जारी मुख्य दिशानिर्देश के पैरा 82 में निर्दिष्ट मुख्य कारोबार मानदंडों (वित्तीय आस्तियां/आय पद्धति) को पूरा करती है।

2. दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी इसके मुख्य कारोबार मानदंड (वित्तीय आस्तियां/आय प्रतिमान) के संदर्भ में ऐसे सीओआर धारित करना जारी रखने की हकदार है।

3. कंपनी मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग कंपनी – प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी एवं जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (भारतीय रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में निर्धारित अपेक्षित निवल स्वाधिकृत निधि अपेक्षा को पूरा कर रही है।

4. निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार न करने का संकल्प पारित किया है।

5. वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने कोई भी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।

6. कंपनी ने, गैर बैंकिंग कंपनी – प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली कंपनी एवं जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (भारतीय रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के संदर्भ में इस पर लागू आय अभिनिर्धारण, लेखांकन मानक, आस्ति वर्गीकरण और डूबंत एवं संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान करने के संबंध में विवेकसम्मत मानदंडों का अनुपालन किया है।

कृते **ओ पी तुलस्यान एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 500028N

ह०/–
(राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
स.सं.: 081808
यूडीआईएन:20081808AAAACZ7457

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2020

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र
सी.आई.एन. संख्या U67190DL2006GOI144520

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
I	**आस्तियां**			
1	**वित्तीय आस्तियां**			
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	2	1,473.92	9,448.43
(ख)	उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक शेष		939,974.25	514,458.60
(ग)	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें	3	124,349.31	98,961.84
(घ)	ऋण	4	3,363,722.28	3,513,615.62
(ङ)	निवेश	5	659,627.91	124,633.07
(च)	अन्य वित्तीय आस्तियां	6	61,449.95	39,725.66
	उप योग (1)		**5,150,597.62**	**4,300,843.21**
2	**गैर–वित्तीय आस्तियां**			
(क)	चालू कर आस्तियां (निवल)	7	36,348.93	20,950.44
(ख)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	8	26,898.39	26,458.42
(ग)	पूंजीगत कार्य प्रगति में	9	-	2,259.46
(घ)	अन्य मूर्त आस्तियां	10	450.18	501.86
(ङ)	अन्य गैर–वित्तीय आस्तियां	11	421.52	3,385.79
	उप योग (2)		**64,119.02**	**53,555.97**
	कुल आस्तियां (1+2)		**5,214,716.64**	**4,354,399.18**
II	**देयताएं और इक्विटी**			
क	**देयताएं**			
1	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	ऋण प्रतिभूतियां	12	1,854,385.35	1,854,385.35
(ख)	उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	13	1,793,376.75	1,440,256.32
(ग)	अन्य वित्तीय देयताएं	14	78,662.13	80,328.57
	उप योग (क–1)		**3,726,424.22**	**3,374,970.24**
2	**गैर वित्तीय देयताएं**			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	15	-	-
(ख)	प्रावधान	16	450,949.33	431,880.29
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	17	2,387.88	36,618.59
(घ)	अन्य गैर वित्तीय देयताएं	18	4,377.29	42,074.28
	उप योग (क–2)		**457,714.51**	**510,573.16**
	उप योग (क)		**4,184,138.73**	**3,885,543.40**
ख	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	19	999,991.62	420,231.62
(ख)	अन्य इक्विटी	20	30,586.29	48,624.16
	उप योग (ख)		**1,030,577.91**	**468,855.78**
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख)		**5,214,716.64**	**4,354,399.18**

1 से 29 तक की टिप्पणियां लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ.पी. तुलस्यान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या: 500028एन)

राकेश अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता सं.: 081808

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेशक मंडल की ओर से

आनंद मधुकर
(निदेशक)
डीआईएन सं.: 8563286

पी. आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं.: 6711526

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.07.2020

मंजरी मिश्रा
(सहायक महाप्रबंधक और कम्पनी सचिव)

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक – सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण
सी.आई.एन. संख्या U67190DL2006GOI144520

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
I	**आय**			
(क)	**प्रचालनों से आय**			
(क)	ब्याज आय	21	376,751.98	361,860.70
(ख)	शुल्क और कमीशन आय	22	4,557.07	3,244.20
	प्रचालनों से कुल राजस्व (क)		**381,309.05**	**365,104.90**
(ख)	अन्य आय	23	40,149.40	50,725.48
	कुल आय I (क–ख)		**421,458.45**	**415,830.38**
II	व्यय			
(क)	वित्तीय लागत	24	218,878.62	234,739.48
(ख)	शुल्क और कमीशन व्यय	25	4,683.36	4,342.31
(ग)	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि	26	2,315.22	6,732.86
(घ)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	2,834.82	2,723.09
(ङ)	वित्तीय लिखतों पर क्षति	28	18,924.96	8,820.69
(च)	मूल्यह्रास, ऋणशोधन और क्षति	8,9,10	1,766.84	692.40
(छ)	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		-	235.89
(ज)	अन्य व्यय	29	201,203.10	117,154.98
	कुल व्यय II		**450,606.92**	**375,441.70**
	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)		**(29,148.48)**	**40,388.68**
	असाधारण मदें		-	
	कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-II)		**(29,148.48)**	**40,388.68**
	कर व्यय:			
	(i) चालू कर			
	– चालू वर्ष		-	(26,004.20)
	– विगत वर्ष		-	(166.15)
	(ii) आस्थगित कर		34,240.27	(3,975.66)
	कुल कर व्यय IX (i+ii+iii)		**34,240.27**	**(30,146.01)**
	अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**5,091.81**	**10,242.67**
	क. (i) वे मदें जिन्हें लाभ हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	लाभों/(हानि) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनःमापन		38.08	(118.00)
	(ii) परिभाषित लाभ दायित्व के पुनःमापन से संबंधित आयकर		(9.58)	41.23
	अन्य व्यापक आय/(व्यय)(क)		**28.49**	**(76.77)**
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		**5,120.30**	**10,165.90**
	प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी प्रचालनों के लिए)			
	मूल (रुपये)		0.11	0.25
	तनुकृत (रुपये)		0.11	0.25

1 से 29 तक की टिप्पणियां लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ.पी. तुलस्यान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या: 500028एन)

राकेश अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता सं.: 081808

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.07.2020

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेशक मंडल की ओर से

आनंद मधुकर
(निदेशक)
डीआईएन सं.: 8563286

मंजरी मिश्रा
(सहायक महाप्रबंधक और कम्पनी सचिव)

पी. आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं.: 6711526

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक – सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2019 को शेष	420,231.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	
(क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गमन	50,000.00
31 मार्च 2020 को शेष	**470,231.62**

ख. अन्य इक्विटी

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	आरक्षित निधियां और अधिशेष									कुल
	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर/ बॉंडशोधन आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 Ic के तहत आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2019 को शेष	**585.14**	**235.50**	**99,995.05**	**(13,299.11)**	**142,145.82**	**50.51**	**2,633.78**	**2,033.18**	**(185,755.71)**	**48,624.16**
पूर्वावधिक त्रुटियां	-	-								-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लेखित शेष	**585.14**	**235.50**	**99,995.05**	**(13,299.11)**	**142,145.82**	**50.51**	**2,633.78**	**2,033.18**	**(185,755.71)**	**48,624.16**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-		5,091.81	5,091.81
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-		**5,091.81**	**5,091.81**
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-	-	-	-	32.23	2,500.00		1,004.01	3,536.25
अवधि के दौरान बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि का नकदी प्रवाह	-	-	-	(20,658.17)	-	-	-	-	-	(20,658.17)
प्रतिधारित आय को अंतरण	-	-	-	-	-	-	-		32.23	32.23
प्रतिधारित आय से अंतरण			-		-	8.45	-	1,024.06	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**585.14**	**235.50**	**99,995.05**	**(33,957.27)**	**142,145.82**	**26.72**	**133.78**	**3,057.24**	**(181,635.68)**	**30,586.29**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2018 को शेष	410,231.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	
(क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गमन	10,000.00
31 मार्च 2019 को शेष	**420,231.62**

ख. अन्य इक्विटी

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	आरक्षित निधियां और अधिशेष									कुल
	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर/ बॉडशोधन आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 प्ब के तहत आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2018 को शेष	**585.14**	**235.50**	**81,817.55**	**(2,639.52)**	**127,348.18**	**4.65**	**2,633.78**	-	**(160,867.44)**	**49,117.84**
पूर्वावधिक त्रुटियां	-									-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लेखित शेष	**585.14**	**235.50**	**81,817.55**	**(2,639.52)**	**127,348.18**	**4.65**	**2,633.78**	-	**(160,867.44)**	**49,117.84**
वर्ष के लिए लाभ	-								10,242.67	10,242.67
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-		**10,242.67**	**10,242.67**
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि						22.05			35,152.99	35,175.04
अवधि के दौरान बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि का नकदी प्रवाह				(10,659.59)						
प्रतिधारित आय को अंतरण						-			22.05	22.05
प्रतिधारित आय से अंतरण			18,177.50		14,797.64	67.90		2,033.18		
31 मार्च 2019 को शेष	**585.14**	**235.50**	**99,995.05**	**(13,299.11)**	**142,145.82**	**50.51**	**2,633.78**	**2,033.18**	**(185,755.71)**	**48,624.16**

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ.पी. तुलस्यान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या: 500028एन)

राकेश अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता सं.: 081808

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.07.2020

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेशक मंडल की ओर से

आनंद मधुकर
(निदेशक)
डीआईएन सं.: 8563286

मंजरी मिश्रा
(सहायक महाप्रबंधक और कम्पनी सचिव)

पी. आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं.: 6711526

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक – सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरण
सी.आई.एन. संख्या U67190DL2006GOI144520

(राशि लाख रुपये में)

क्र स	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(i)	कर पूर्व निवल लाभ	(29,148.48)	40,388.68
	निम्नलिखित हेतु समायोजन:		
(ii)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1,766.84	692.40
(iii)	प्रावधान/अपलेखन:	141,402.32	80,530.18
(iv)	प्रावधान/राशि का प्रतिलेखन	(85.50)	(220.55)
(v)	उधारियों पर विदेशी विनिमय उतार–चढ़ाव लाभ/(हानि)	74,157.76	43,205.53
(vi)	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि	5.09	7.75
(vii)	ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	11,658.34	10,805.63
(viii)	ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज	(5,194.49)	6,973.41
(ix)	आयकर पर ब्याज	-	(166.15)
(x)	शेयर पूंजी जारी करने के लिए स्टाम्प शुल्क		
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ	**194,561.88**	**182,216.88**
(i)	उधारी प्रचालनों से नकदी प्रवाह	28,050.69	(326,820.15)
(ii)	बिक्री/निवेश में (परिवर्धन)	(535,364.33)	112,779.94
(iii)	व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	-	-
(iv)	अन्य प्रचालन आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(92,316.95)	1,181.60
(v)	अन्य बैंक राशियों में (वृद्धि)/कमी	(425,515.66)	88,605.78
(vi)	अन्य प्रचालन देयताओं नें वृद्धि/(कमी)	(36,212.06)	835.93
	कर पूर्व प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**(866,796.43)**	**58,799.99**
	प्रदत्त कर (निवल)	-	(26,004.20)
	प्रचालनों से निवल नकदी	**(866,796.43)**	**32,795.78**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(i)	अचल आस्तियों (की खरीद)/के लिए बिक्री	(2,160.21)	(27,379.83)
(ii)	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में (वृद्धि)/कमी	2,259.46	17,855.22
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी	**99.25**	**(9,524.61)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
(i)	शेयर पूंजी के निर्गम/आबंटन से आय	579,760.00	10,000.00
(ii)	उधारियों से निवल आय	278,962.67	(25,658.77)
(iii)	कर्ज प्रतिभूतियों से आय/(कर्ज अदायगी)	-	(2.92)
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी	**858,722.67**	**(15,661.69)**
	नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	**(7,974.51)**	**7,609.48**
	जोड़ें: आरम्भिक नकदी एवं नकदी के समतुल्य	9,448.43	1,838.95
	समामेलन पर परिवर्धन	-	-
	अंत शेष नकदी एवं नकदी के समतुल्य	**1,473.92**	**9,448.43**
	अंत शेष नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं:–		
(i)	नकद राशि	-	0.01
(ii)	चालू खाते	1,473.92	9,448.42
(iii)	फ्लेक्सी जमा खाते		-
	योग	**1,473.92**	**9,448.43**

1) विगत अवधि(यों) के आंकड़ों को, रिपोर्टिंग अवधि के प्रस्तुतिकरण के तुलनीय बनाने हेतु, जहां कहीं आवश्यक था, पुन: समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

2) निम्नलिखित बैंक राशि कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है: 31 मार्च, 2020 को (425,515.66 लाख रुपये) बैंक शेष में (वृद्धि)/कमी (31 मार्च, 2019 को 88,605.78 लाख रुपये) में 31 मार्च, 2020 को 21,920.00 लाख रुपये (विगत वर्ष 27896262 लाख रुपये) शामिल है जिस पर धारणाधिकार बंधपत्रों के ब्याज भुगतान के लिए निर्धारित किया गया है। 27892.67 लाख रुपये की उधारियों से प्राप्त निवल आय में नये निर्गम, चुकौतियां एवं विदेशी विनिमय दर में बदलाव का प्रभाव शामिल है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ.पी. तुलस्यान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या: 500028एन)

राकेश अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता सं.: 081808

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेशक मंडल की ओर से

आनंद मधुकर
(निदेशक)
डीआईएन सं.: 8563286

पी. आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं.: 6711526

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.07.2020

मंजरी मिश्रा
(सहायक महाप्रबंधक और कम्पनी सचिव)

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक – सीएफओ)

टिप्पणी 2: नकदी और नकदी समतुल्य (राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
(क)	**नकदी और नकदी समतुल्य**		
(i)	नकद राशि	-	0.01
(ii)	बैंकों में शेष	1,473.92	9,448.42
	उप–योग (क)	**1,473.92**	**9,448.43**
(ख)	**अन्य बैंक शेष**		
(i)	बंधपत्रों पर बिना दावे के ब्याज के लिए बैको के पास चिह्नित शेष	1.38	1.38
(ii)	बैंकों में सावधि जमा (ऋणभार मुक्त)	414,854.37	341,885.22
	तीन महीने से अधिक और बारह महीने तक मूल परिपक्वता)		
(a)	बंधपत्रों के ब्याज भुगतान के सापेक्ष के रूप में धारित	21,920.00	8,000.00
(b)	बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए गिरवी	503,198.50	164,572.00
	उप–योग (ख)	**939,974.25**	**514,458.60**
	योग	**941,448.17**	**523,907.03**

टिप्पणी 3: व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें (राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	विवरण	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
		सांकेतिक राशि	उचित मूल्य	सांकेतिक राशि	उचित मूल्य
	आस्तियां				
	(i) अन्य व्युत्पन्नी:				
	विदेशी मुद्रा मूलधन और ब्याज दर	810,203.15	124,349.31	789,874.82	98,961.84
	कुल व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें (i)+(ii)	**810,203.15**	**124,349.31**	**789,874.82**	**98,961.84**

टिप्पणी 4: ऋण (राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
		परिशोधित लागत	परिशोधित लागत
(क)	**ऋण**		
(i)	**सावधि ऋण**		
I	**अवसंरचना ऋण: मानक आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष उधार	1,414,744.89	1,632,840.89
ख.	समूहगत नगरपालिका ऋण बाध्यता (पीएमडीओ) स्कीम	451.91	597.66
ग.	टेकआउट वित्तपोषण योजना	677,617.01	726,862.89
घ.	पुनर्वित्त योजना	607,575.05	501,666.00
II	**अवसंरचना ऋण: अवमानक आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष उधार	138,762.96	212,507.55
ख.	समूहगत नगरपालिका ऋण बाध्यता (पीएमडीओ) स्कीम	-	1,340.68
ग.	टेकआउट वित्तपोषण योजना	-	5,201.72
III	**अवसंरचना ऋण: संदिग्ध आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष उधार	418,470.82	331,982.65
ख.	समूहगत नगरपालिका ऋण बाध्यता (पीएमडीओ) स्कीम	7,444.01	6,213.70
ग.	टेकआउट वित्तपोषण स्कीम	97,629.51	93,830.21
IV	कर्मचारियों को ऋण*	974.48	563.03
(ii)	**अन्य**		
	संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम		
	सहायक कंपनियों की ओर से किया गया व्यय	51.65	8.64
	कुल (क) सकल	**3,363,722.28**	**3,513,615.62**
	घटाएं: क्षति हानि भत्ता^	-	-

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 परिशोधित लागत	31 मार्च, 2019 परिशोधित लागत
	कुल (क) निवल	**3,363,722.28**	**3,513,615.62**
(ख)	(i) मूर्त आस्तियों और अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत		
	अच्छा समझा गया	2,093,788.29	2,360,864.47
	संदिग्ध वर्गीकृत किया गया	662,307.29	651,076.51
	(ii) अप्रतिभूत	607,626.69	501,674.64
	कुल (ख) सकल	**3,363,722.28**	**3,513,615.62**
	घटाए: क्षति हानि भत्ता^^	-	
	कुल (ख) निवल	**3,363,722.28**	**3,513,615.62**
(ग)	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	607,575.05	501,666.00
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र से अन्य	2,756,147.24	3,011,949.62
	कुल (ग) सकल	**3,363,722.28**	**3,513,615.62**
	घटाए: क्षति हानि भत्ता^	-	-
	कुल (ग) निवल	**3,363,722.28**	**3,513,615.62**
	योग	**3,363,722.28**	**3,513,615.62**

क्षेत्र	**प्रतिभूति का ब्यौरा #**	(राशि लाख रुपये में)	
ऊर्जा और अन्य क्षेत्र	बंधक: पहला समरूप प्रभार, उधारकर्ता की सभी, वर्तमान एवं भावी, अचल संपत्तियों को बंधक करने के माध्यम से लिया गया।	1,415,893.68	1,617,753.95
	गिरवी: पहला समरूप प्रभार, उधारकर्ता के प्लांट एवं मशीनरी इत्यादि सहित सभी चल संपत्तियों को गिरवी रखने के माध्यम से लिया गया।		
	न्यूनतम 51: शेयरों की जमानत पर रखकर		
	निलंब खाता एवं उधारकर्ता रैंक सममात्रा के सभी अधिकार और स्वत्वाधिकार तथा ब्याज		
सडक एव एयरपोर्ट (पीपीपी)	परियोजना की वार्षिकी और टोल संग्रहण प्राप्त करने का अधिकार	1,339,227.43	1,393,624.00
	निलंब खाता एवं उधारकर्ता रैंक सममात्रा के सभी अधिकार और स्वत्वाधिकार तथा ब्याज		
	गिरवी: उधारकर्ता सभी चल संपत्तियों को गिरवी रख कर लिया गया पहला समरूप प्रभार,		
पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय संस्थान	अप्रतिभूत	607,575.05	501,666.00
	योग #	**3,362,696.16**	**3,513,043.95**

उपरोक्त प्रतिभूति के विवरण देते हुए फुटनोट में अवसंरचना ऋण राशि में, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार वर्ष के भीतर देय ऋण राशि तथा मूल अतिदेय राशि होने के नाते 2,06,584.15 लाख रुपये, शामिल है। (31 मार्च, 2019 को 2,60,124.23 लाख रुपये)। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2020 तक इन अग्रिमों के संबंध में 4,46,808.12 लाख रुपये (31 मार्च, 2019 तक 4,28,730.05 लाख रुपये) का सकल प्रावधान किया गया है।

* दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के लागू होने के तथा दिनांक 20 मई, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के अनुमोदन के अनुसरण में, मुख्य महाप्रबंधक – मुख्य वित्तीय अधिकारी को मुख्य प्रबंधकीय कर्मी के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, उनको प्रदान किये गए भवन निर्माण ऋण को संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार, ऋण की कुल राशि 4.03 लाख रुपये (दिनांक 31 मार्च, 2019 को 6.13 लाख रुपये) थी।

^ नोट: आरबीआई के दिनांक 2 अगस्त, 2019 को अद्यतन किए गए प्रमुख दिशानिर्देश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016–17 दिनांक 1 सितंबर, 2016 के संदर्भ में, आईआईएफसीएल ने इसीएल के अनुसार प्रावधानों सहित ऋण आस्तियों पर प्रावधान का अलग से प्रकटीकरण किया है (नोट 16) जिसे अवसंरचना ऋण आस्तियों के मूल्य (नोट 4) से निवल किए बिना किया गया है।

टिप्पणी 5: निवेश

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2029		
		एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल
	म्युचुअल फंड्स में निवेश (अनुद्धृत)(पूर्ण प्रदत्त) (फुटनोट क एवं ग देखें)						
(i)	आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सिरीज I	17,206.96	-	17,206.96	17,061.59	-	17,061.59
(ii)	आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सिरीज II	8,813.18	-	8,813.18	8,278.72	-	8,278.72
		26,020.13	-	26,020.13	25,340.31	-	25,340.31
	सरकारी प्रतिभूतियां अनुद्धृत (फुटनोट ख एवं ग देखें)						
(i)	6.35% भारत सरकार 2020	-	-	-	-	6,834.51	6,834.51
(ii)	6.90% भारत सरकार 2019	-	-	-	-	1,952.09	1,952.09
(iii)	7.85% एसएल (आंध्र प्रदेश) 2019	-	-	-	-	1,000.10	1,000.10
(iv)	6.29% (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2030	-	88,760.00	88,760.00	-	-	-
(v)	6.34% (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2031	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-
(vi)	6.34% (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2032	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-
(vii)	6.39% (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2033	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-
(viii)	6.39% (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2034	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-
(ix)	6.44% (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2035	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-
		-	529,760.00	529,760.00	-	9,786.70	9,786.70
	ऋण प्रतिभूतियां						
	बंधपत्रों में निवेश (अनुद्धृत) (पूर्ण प्रदत्त) (फुटनोट ख एवं ग देखें)						
	बंसल पाथवेज (मंगावन–चकघाट) प्रा.लि. में डिबेंचर	6,078.00	-	6,078.00	6,078.00	-	6,078.00
	सूरत हजीरा टोलवेज प्रा.लि. में डिबेंचर	13,786.00	-	13,786.00	13,786.00	-	13,786.00
		19,864.00	-	19,864.00	19,864.00	-	19,864.00
	इक्विटी लिखतें						
क	**इक्विटी लिखतों में निवेश अनुद्धृत (पूर्ण प्रदत्त) (फुटनोट ख एवं ग देखें)**						
	नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलेपमैंट कार्पोरेशन लि.	411.03	-	411.03	411.03	-	411.03
	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिर्सोसेज लि. (आईआईएफसीएल की ओर से प्रतिभूति न्यासी द्वारा धारित)	4,765.00		4,765.00	4,765.00		4,765.00
		5,176.02	-	5,176.02	5,176.03	-	5,176.03
	सहायक कंपनियां (लागत पर निवेश)						
(i)	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड	-	42,240.32	42,240.32	-	23,394.80	23,394.80

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2029		
		एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल
(ii)	आईईआएफसीएल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	-	1,250.00	1,250.00	-	1,250.00	1,250.00
(iii)	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	-	475.00	475.00	-	475.00	475.00
		-	43,965.32	43,965.32	-	25,119.80	25,119.80
	अन्य						
क.	संयुक्त पूंजी उद्यमों में निवेश अनुद्धत (पूर्ण प्रदत्त) (फुटनोट ख एवं ग देखें)						
(i)	आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इंवेस्टर्स ट्रस्ट II (पूर्ण प्रदत्त)	1,674.87	-	1,674.87	1,674.87	-	1,674.87
		1,674.87	-	1,674.87	1,674.87	-	1,674.87
ख.	**प्रतिभूति रसीदों में निवेश (अनुद्धत)(पूर्ण प्रदत्त) (फुटनोट ङ देखें)**						
(i)	एडेलवीज़ एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट–एससी–135–सिरीज़–I)	-	-	-	25.99	-	25.99
(ii)	एडेलवीज़ एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट–एससी–207–सिरीज़–I)	6,502.40	-	6,502.40	7,217.86	-	7,217.86
(iii)	एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल–एएसटी–VIII–ट्रस्ट)	4,952.10	-	4,952.10	7,428.15	-	7,428.15
(iv)	फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (फोनिक्स ट्रस्ट एफवाई 16–20)	1,972.00	-	1,972.00	2,465.00	-	2,465.00
(v)	एडेलवीज़ एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट–एससी–276–सिरीज़–I)	36,942.08	-	36,942.08	37,365.89	-	37,365.89
		50,368.58	-	50,368.58	54,502.89	-	54,502.89
	योग (क) सकल	**103,103.60**	**573,725.32**	**676,828.93**	**106,558.10**	**34,906.50**	**141,464.60**
(i)	विदेशी निवेश	-	42,240.32	42,240.32	-	23,394.80	23,394.80
(ii)	भारत में निवेश	103,103.60	531,485.00	634,588.60	106,558.10	11,511.70	118,069.80
	योग (ख)	**103,103.60**	**573,725.32**	**676,828.93**	**106,558.10**	**34,906.50**	**141,464.60**
	कुल (क) का मेल (ख) से होना है	103,103.60	573,725.32	676,828.93	106,558.10	34,906.50	141,464.60
	घटाएं: क्षति हानि के लिए भत्ता (ग)	17,201.01	-	17,201.01	16,831.53	-	16,831.53
	कुल निवल घ = (क) – (ग)	**85,902.59**	**573,725.32**	**659,627.91**	**89,726.57**	**34,906.50**	**124,633.07**

ह्रासन हानि के लिए भत्ता :

विवरण	31 मार्च, 2020			31 मार्च, 2029		
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	कुल
आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिर्सोसेज लि. (आईआईएफसीएल की ओर से प्रतिभूति न्यासी द्वारा धारित)	4,191.05		4,191.05	4,191.05	-	4,191.05
बंसल पाथवेज (मंगावन–चकघाट) प्रा.लि. में डिबेंचर	5,323.38	-	5,323.38	5,388.48	-	5,388.48
सूरत हजीरा में डिबेंचर	7,686.58	-	7,686.58	7,252.00	-	7,252.00
योग	**17,201.01**	-	**17,201.01**	**16,831.53**		**16,831.53**

फुटनोट्सः

(क) **उद्धृत निवेशों की सकल राशिः**

(i) लागत/बही मूल्य - -

(ii) बाजार मूल्य - -

(ख) **अनुद्धृत निवेशों की सकल राशि – लागत/बही मूल्य** 659,627.91 124,633.07

(ग) अलग–अलग निवेशों के मूल्यांकन के लिए नोट 1(ए)(6.2) का संदर्भ लें।

(घ) **वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग्स और रेटिंग्स में परिवर्तन का ब्यौराः**

'आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण साधनों'' की रेटिंग ''एएएए'' है जो क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इकरा और ब्रिकवर्क्स – क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई सर्वोत्तम रेटिंग है। कम्पनी को दी गई इन रेटिंग्स की पुष्टि स्टेंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा बीबीबी–/नकारात्मक/ए–3 के रूप में की गई है जो संप्रभु रेटिंग्स के बराबर है। वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।''

* निम्नलिखित निवेशों का निवल आस्ति मूल्य (रुपये में) निम्नानुसार है:

(i) आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सिरीज I 1,323,612.04 1,312,430.07

(ii) आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सिरीज II 881,317.80 827,871.94

(iii) ईएआरसी ट्रस्ट–एससी 135–सिरीज I - -

(iv) ईएआरसी ट्रस्ट–एससी 207–सिरीज I 1,055.83 1,172.02

(v) ईएआरसी ट्रस्ट–एससी 276–सिरीज I 960.93 1,057.03

(vi) आर्सिल–एएसटी–VIII–ट्रस्ट 800.00 750.00

(vii) फोनिक्स ट्रस्ट एफवाई 16.20 500.00 1,000.00

निवल आस्ति मूल्य में उतार–चढ़ाव को अस्थाई माना गया है।

टिप्पणी 6: अन्य वित्तीय आस्तियां (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
क	**अग्रिम राशि**		
	कर्मचारियों से प्राप्य अग्रिम	29.22	34.11
	प्रतिभूति जमा राशि में प्रदत्त	29.09	30.01
	अन्य	1,121.56	59.00
	उप–योग (क)	1,179.87	123.13
ख	**ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रदत्त एवं देय ब्याज**	1,502.36	13,160.70
	उप–योग (ख)	1,502.36	13,160.70
ग	**प्रदत्त किंतु अदेय ब्याज:**		
	बैंकों में सावधि जमा	33,031.85	6,749.61
	बंधपत्र	-	-
	सरकारी प्रतिभूतियां	93.66	162.69
	ऋण एवं अग्रिम	25,642.20	19,529.53
	उप–योग (ग)	58,767.72	26,441.83
	कुल योग (क)+(ख)+(ग)	**61,449.95**	**39,725.66**

टिप्पणी 7 : चालू कर आस्तियां (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	वसूली योग्य निवल आयकर	21,189.48	18,954.63
(ii)	वसूली योग्य सेवा कर (सेनवेट)	0.02	0.02
(iii)	वसूली योग्य वस्तु एवं सेवा कर	359.43	-
(iv)	वसूली योग्य निवल अग्रिम कर	14,800.00	1,995.80
	योग	**36,348.93**	**20,950.44**

टिप्पणी 8 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2019 का	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	अवधि हेतु	कटौती/ व्युत्क्रमण	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2029 को
मूर्त आस्तियां										
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	563.99	-	-	**563.99**	78.85	119.70	-	**198.55**	**365.44**	485.14
वाहन	71.25	21.71	26.84	**66.12**	9.04	20.33	13.31	**16.06**	**50.05**	62.20
कार्यालय उपकरण	328.61	-	-	**328.61**	39.67	129.97	-	**169.64**	**158.97**	288.94
प्लांट एवं मशीनरी	110.15	-	-	**110.15**	13.07	42.49	-	**55.56**	**54.59**	97.08
कंप्यूटर हार्डवेयर	244.28	33.58	69.36	**208.51**	58.74	92.80	62.91	**88.62**	**119.89**	185.54
भवन	25,231.66	1,969.46	-	**27,201.12**	200.05	1,020.49	-	**1,220.53**	**25,980.59**	25,031.61
बिजली के उपकरण	346.41	-	-	**346.41**	38.50	139.06	-	**177.56**	**168.85**	307.91
योग	**26,896.36**	**2,024.75**	**96.20**	**28,824.92**	**437.91**	**1,564.83**	**76.23**	**1,926.52**	**26,898.39**	**26,458.42**
गत वर्ष	173.45	26,730.64	7.75	26,896.36	54.79	383.20	0.07	437.91	26,458.42	118.66

टिप्पणी 9 : प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2019 का	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	अवधि हेतु	कटौती/ व्युत्क्रमण	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2029 को
प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य	2,259.46	-	2,259.46	**0.00**	-	-	-	-	**0.00**	2,259.46
योग	**2,259.46**	-	**2,259.46**	**0.00**	-	-	-	-	**0.00**	**2,259.46**
गत वर्ष	20,114.68	9,763.20	27,618.42	2,259.46	-	-	-	-	2,259.46	20,114.68

टिप्पणी 10: अमूर्त आस्तियां

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2019 का	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	अवधि हेतु	कटौती/ व्युत्क्रमण	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2029 को
कंप्यूटर साफ्टवेयर*	898.90	151.04	1.05	**1,048.89**	397.03	202.03	0.34	**598.72**	**450.18**	501.87
योग	**898.90**	**151.04**	**1.05**	**1,048.89**	**397.03**	**202.03**	**0.34**	**598.72**	**450.18**	**501.87**
गत वर्ष	249.71	649.19	-	898.90	87.84	309.20	-	397.03	30.12	40.85
*कंपनी द्वारा धारित अमूर्त आस्तियां, आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त आस्तियों से भिन्न हैं।										

टिप्पणी 11 : अन्य गैर वित्तीय आस्तियां

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2029 को
(i)	पूर्वदत्त खर्चे	7.53	7.96
(ii)	अन्य अग्रिम	414.00	3,377.83
	योग	**421.52**	**3,385.79**

टिप्पणी 12: ऋण प्रतिभूतियां (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(क)	अन्य				
I	प्रतिभूत बंधपत्र^				
(i)	500 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 500) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 9.36 प्रतिशत बंधपत्र, 27/07/2042 को प्रतिदेय	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(ii)	10,500 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 10,500) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 9.41 प्रतिशत बंधपत्र, 27/07/2037 को प्रतिदेय	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
(iii)	12,59,825 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 12,59,825) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III सिरीज 3 ए, 27/03/2034 को प्रतिदेय	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25
(iv)	12,87,311 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 12,87,311) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.80 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III सिरीज 3 बी, 27/03/2034 को प्रतिदेय	12,873.11	12,873.11	12,873.11	12,873.11
(v)	125,470 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 125,470) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III 27/03/2034 को प्रतिदेय	1,254.70	1,254.70	1,254.70	1,254.70
(vi)	5,15,765 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 5,15,765) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2034 को प्रतिदेय	5,157.65	5,157.65	5,157.65	5,157.65
(vii)	75,43,989 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 75,43,989) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.66 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2034 को प्रतिदेय	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89
(viii)	54,43,232 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 54,43,232) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.91 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज प्ट 22/01/2034 को प्रतिदेय	54,432.32	54,432.32	54,432.32	54,432.32
(ix)	1,59,113 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,59,113) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.50 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III 22/11/2033 को प्रतिदेय	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,591.13
(x)	18,68,982 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 18,68,982) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.50 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/11/2033 को प्रतिदेय	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82
(xi)	24,20,508 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 24,20,508) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.75 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/11/2033 को प्रतिदेय	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,205.08
(xii)	265 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 265) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 8.37 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज VI 30/08/2033 को प्रतिदेय	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
(xiii)	20 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 20) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 8.19 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज V 23/08/2033 को प्रतिदेय	200.00	200.00	200.00	200.00
(xiv)	42,472(31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 42,472) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.08 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 26/03/2033 को प्रतिदेय	424.72	424.72	424.72	424.72
(xv)	1,90,693(31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,90,693) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.58 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 26/03/2033 को प्रतिदेय	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,906.93
(xvi)	1,01,62,809 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,01,62,809) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.40 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2033 को प्रतिदेय	101,628.09	101,628.09	101,628.09	101,628.09

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(xvii)	14,01,415 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 14,01,415) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.90 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2033 को प्रतिदेय	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,014.15
(xviii)	210 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 210) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 7.41 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV-C 22/11/2032 को प्रतिदेय	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
(xix)	3,400 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 3,400) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 7.41 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III-C 15/11/2032 को प्रतिदेय	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
(xx)	1,22,807 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,22,807) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III 27/03/2029 को प्रतिदेय	1,228.07	1,228.07	1,228.07	1,228.07
(xxi)	1,59,58,486 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,59,58,486) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III सिरीज 2ए 27/03/2029 को प्रतिदेय	159,584.86	159,584.86	159,584.86	159,584.86
(xxii)	27,11,062 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 27,11,062) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.80 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III सिरीज 2बी 27/03/2029 को प्रतिदेय	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,110.62
(xxiii)	67,908 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 67,908) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.48 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2029 को प्रतिदेय	679.08	679.08	679.08	679.08
(xxiv)	27,98,922 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 22,98,922) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.48 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2029 को प्रतिदेय	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22
(xxv)	14,10,950 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 14,10,950) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.72 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2029 को प्रतिदेय	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,109.50
(xxvi)	89,009 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 89,009) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.38 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III 22/01/2028 को प्रतिदेय	890.09	890.09	890.09	890.09
(xxvii)	30,35,330 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 30,35,330) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.38 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2028 को प्रतिदेय	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30
(xxviii)	15,71,311 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 15,71,311) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.63 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 12/11/2028 को प्रतिदेय	15,713.11	15,713.11	15,713.11	15,713.11
(xxix)	11,297 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 11,297) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.48 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज VII 05/09/2028 को प्रतिदेय	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00
(xxx)	11,597 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 11,297) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.46 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज VI 30/08/2028 को प्रतिदेय	115,970.00	115,970.00	115,970.00	115,970.00
(xxxi)	6,303 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 6,303) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.26 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज V 23/08/2028 को प्रतिदेय	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00
(xxxii)	3,51,554 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 3,51,554) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.02 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 26/03/2028 को प्रतिदेय	3,615.54	3,615.54	3,615.54	3,615.54
(xxxiii)	1,04,064 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,04,064) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.52 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 26/03/2028 को प्रतिदेय	1,040.64	1,040.64	1,040.64	1,040.64

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(xxxiv)	67,41,162 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 67,41,162) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.36 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2028 को प्रतिदेय	67,411.62	67,411.62	67,411.62	67,411.62
(xxxv)	8,68,391,501(31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 8,68,391,501) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.86 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2028 को प्रतिदेय	8,683.91	8,683.91	8,683.91	8,683.91
(xxxvi)	500 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 500) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 7.38 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV-बी 21/11/2027 को प्रतिदेय	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(xxxvii)	1000 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1000) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 7.38 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III-बी 15/11/2027 को प्रतिदेय	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
(xxxviii)	38,58,714 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 38,58,714) प्रत्येक 1000रूपये के अंकित मूल्य के 8.16 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III सिरीज 1ए 27/03/2024 को प्रतिदेय	38,587.14	38,587.14	38,587.14	38,587.14
(xxxix)	12,80,511 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 12,80,511) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.41 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III सिरीज 1बी 27/03/2024 को प्रतिदेय	12,805.11	12,805.11	12,805.11	12,805.11
(xL)	41,188 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 41,188) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.16 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III 27/03/2024 को प्रतिदेय	411.88	411.88	411.88	411.88
(xLi)	1,91,778 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,91,778) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.41 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2024 को प्रतिदेय	1,917.78	1,917.78	1,917.78	1,917.78
(xLii)	79,57,885 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 79,57,885) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.41 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2024 को प्रतिदेय	79,578.85	79,578.85	79,578.85	79,578.85
(xLiii)	41,69,571 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 41,69,571) प्रत्येक 1000रूपये के अंकित मूल्य के 8.66 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2024 को प्रतिदेय	40,695.71	40,695.71	40,695.71	40,695.71
(xLiv)	17,26,340 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 17,26,340) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.01 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/11/2023 को प्रतिदेय	17,263.40	17,263.40	17,263.40	17,263.40
(xLv)	12,31,739 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 12,31,739) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.26 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 12/11/2023 को प्रतिदेय	12,317.39	12,317.39	12,317.39	12,317.39
(xLvi)	27,719 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 27,719) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.01 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III 12/11/2023 को प्रतिदेय	277.19	277.19	277.19	277.19
(xLvii)	50 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 50) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 8.11 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज VII 05/09/2023 को प्रतिदेय	500.00	500.00	500.00	500.00
xLviii)	100 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 100) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 8.01 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज VI 30/08/2023 को प्रतिदेय	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
(xLix)	19,27,319 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 19,27,319) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 6.86 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 26/03/2023 को प्रतिदेय	19,273.19	19,273.19	19,273.19	19,273.19
(L)	98,318 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 98,318) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.36 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 26/03/2023 को प्रतिदेय	983.18	983.18	983.18	983.18

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(Li)	84,46,348 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 84,46,348) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.19 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2023 को प्रतिदेय	85,463.48	85,463.48	85,463.48	85,463.48
(Lii)	11,18,644 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 11,18,644) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.69 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2023 को प्रतिदेय	11,186.44	11,186.44	11,186.44	11,186.44
(Liii)	2,140 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 2,140) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.21 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV-A 21/11/2022 को प्रतिदेय	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00
(Liv)	600 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 640) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 7.20 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III-A 15/11/2022 को प्रतिदेय	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
(Lv)	79,110 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 79,110) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.30 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 29/03/2018 के पूर्ववर्त खरीद के साथ 28/03/2026 को प्रतिदेय	791.10	791.10	791.10	791.10
(Lvi)	5,38,811 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 5,38,811) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.15 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 29/03/2016 के पूर्ववर्त खरीद के साथ 28/03/2021 को प्रतिदेय	5,388.11	5,388.11	5,388.11	5,388.11
	योग	**1,494,385.35**	**1,494,385.35**	**1,494,385.35**	**1,494,385.35**

अप्रतिभूत बंधपत्र^

(i)	10,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.55 प्रतिशत बंधपत्र 03/11/2024 को प्रतिदेय #	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
(ii)	4,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.12 प्रतिशत बंधपत्र 24/08/2024 को प्रतिदेय #	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
(iii)	6,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.12 प्रतिशत बंधपत्र 12/08/2024 को प्रतिदेय #	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
(iv)	5,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.90 प्रतिशत बंधपत्र 28/04/2024 को प्रतिदेय #	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(v)	5,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.10 प्रतिशत बंधपत्र 08/04/2024 को प्रतिदेय #	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(vi)	2,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.68 प्रतिशत बंधपत्र 18/12/2023 को प्रतिदेय #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(vii)	2,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 9.35 प्रतिशत बंधपत्र 17/11/2023 को प्रतिदेय #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(viii)	2,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.82 प्रतिशत बंधपत्र 19/12/2022 को प्रतिदेय #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		360,000.00	**360,000.00**	**360,000.00**	**360,000.00**
	कुल सकल (क)	**,854,385.35**	**1,854,385.35**	**1,854,385.35**	**1,854,385.35**
	भारत में ऋण प्रतिभूतिया	1,854,385.35	1,854,385.35	1,854,385.35	1,854,385.35
	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
	कुल सकल (ख)	**1,854,385.35**	**1,854,385.35**	**1,854,385.35**	**1,854,385.35**
	कुल (ख) का (क) के साथ मेल होना है	**1,854,385.35**	**1,854,385.35**	**1,854,385.35**	**1,854,385.35**

^	आईआईएफसीएल द्वारा जारी किए गए सभी प्रतिभूत और अप्रतिभूत बंधपत्र गैर–परिवर्तनीय और प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त, सभी प्रतिभूत बंधपत्र, कंपनी खातों के सभी अधिकारों, शीर्षकों, हितों, लाभों, दावों तथा मागों सहित कंपनी के सभी प्रकृति, वर्तमान और भावी, के प्राप्यों के समतुल्य आधार पर प्रतिभूत हैं।				
	वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग्स और रेटिंग्स में परिवर्तन का ब्यौराः आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण अनुदेश को "एएए" रेटिंग प्राप्त है – जो कि सीआरआईएसआईएल, सीएआईई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और ब्रिक्सवर्क्स – क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की गई उच्चतम रेटिंग है। कंपनी को प्रदान की गई रेटिंग की पुष्टि बीबीबी–/निगेटिव/ए–3 के रूप में मानक एवं अपमानक के आधार पर की गई है जो कि श्रेष्ठ रेटिंग के समतुल्य है। वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।				
#	अप्रतिभूत बंधपत्र भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा होते है जिनमें 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार शून्य (31 मार्च 2019 को शून्य) शामिल, जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर देय है।	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
	मोचित बंधपत्र या डिबेंचर जिनका पुनः जारी करने का अधिकार आईआईएफसीएल को है	शून्य		शून्य	

टिप्पणी 13: उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
क)	**सावधि ऋण**				
(i)	**अन्य पक्षकारों से अप्रतिभूत ऋण :**				
	अप्रतिभूत ऋणः				
क	एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	1,080,662.67	1,080,662.67	993,406.28	993,406.28
ख	आईबीआरडी (विश्व बैंक)	125,481.34	125,481.34	121,719.35	121,719.35
ग	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)	166,099.20	166,099.20	155,404.80	155,404.80
घ	हेडिटेंस्टाल्टफर वेडिराउघबाउ (केएफडब्ल्यू)	16,300.14	16,300.14	19,971.85	19,971.85
ङ	जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी	104,475.00	104,475.00	62,520.00	62,520.00
ख)	**मांग पर प्रतिदेय ऋणः**				
	प्रतिभूत ऋणः				
i)	बैंकों से*	300,358.40	300,358.40	87,234.04	87,234.04
	(सावधि जमा प्राप्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभूत)				
	कुल (क)	**1,793,376.75**	**1,793,376.75**	**1,440,256.32**	**1,440,256.32**
	भारत में उधारियां	300,358.40	300,358.40	87,234.04	87,234.04
	भारत से बाहर उधारियां–एफ ऋण	1,493,018.35	1,493,018.35	1,353,022.28	1,353,022.28
	कुल (ख) को कुल (क) से मेल	**1,793,376.75**	**1,793,376.75**	**1,440,256.32**	**1,440,256.32**
	अन्य पक्षों से सभी अप्रतिभूत सावधि ऋण, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जिनमें से (दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार, 47,742.07 लाख रूपये, 3,198.59 लाख रूपये, 7,173.72 लाख रूपये एवं 11,073.29 लाख रूपये (31 मार्च, 2019 के अनुसार, 41,958.54 लाख रूपये, 4,908.36 लाख रूपये और 6,582.34 लाख रूपये एवं शून्य)) की राशि, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर क्रमशः एडीबी, केडब्ल्यूएफ और विश्व बैंक को देय है।				
*	नामे (डेबिट) शेष का निवल	0.14	0.14	0.15	0.15

दीर्घावधिक ऋणों के पुर्नभुगतान की शर्तें

i) **एशियाई विकास बैंक**

ट्रैंच	करार के अनुसार ऋण की राशि (अल्पावधि सहित) (राशि लाख अमरीकी डॉलर में)	ब्याज की दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	3000	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +20बीपीएस	15.12.2012	15.06.2032	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.50% की प्रत्येक किश्त
II	2000	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +20बीपीएस	15.06.2014	15.12.2033	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.50% की प्रत्येक किश्त
III	2100	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +20बीपीएस	15.12.2014	15.06.2034	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 0.827816% से 5.550311% तक बलूनिंग किश्त
IV	2500	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +30बीपीएस	15.12.2015	15.06.2035	अर्ध–वार्षिक	
V	2400	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +40बीपीएस	15.12.2016	15.06.2036	अर्ध–वार्षिक	
VI	4000	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +40बीपीएस	15.03.2018	15.03.2033	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.173900% से 4.559913% तक बलूनिंग किश्त
VII	3000	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +50बीपीएस	01.05.2023	01.05.2038	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.173900% से 4.559913% तक बलूनिंग किश्त
योग	**19000**					

ii) **आईबीआरडी (विश्व बैंक)**

करार के अनुसार ऋण की राशि (लाख डॉलर में)	ब्याज की दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
1950*	6एम यूएसडी एलआईबीओआर +परिवर्ती कीमत अंतर लागत	15.04.2017	15.04.2037	अर्धवार्षिक	15.10.2036 तक ऋण राशि के 2.44% एवं 15.04.2037 तक ऋण राशि के 2.40% की किस्त (तें)

* आईबीआरडी (विश्व बैंक) की ऋण राशि 10,000 लाख अमरीकी डॉलर की ऋण राशि के निरस्तीकरण का विवरण को देखते हुए उसकी ऋण व्यवस्था दिनांक 18 दिसंबर, 2013 के पुर्ररचना के कारण 1,950 लाख अमरीकी डॉलर तक घट गई है।

iii) क्रैडिएन्स्टाल्ट फर विडेरुफबाऊ (केएफडब्ल्यू)

ट्रैंच	करार के अनुसार ऋण की राशि (लाख यूरो में)	ब्याज की दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	165.89	0.75%	30.06.2020	30.06.2050	अर्ध–वार्षिक	- 271,000 यूरो 30.06.2020 से 30.12.2021 तक - 272,000 यूरो 30.06.2022 से 30.12.2049 तक और 272581.03 यूरो दिनांक 30.06.2050 को
II	334.11	4.99%	30.06.2015	30.06.2020	अर्ध–वार्षिक	- 3,037,000 यूरो 30.06.2015 से 30.06.2018 तक - 3,038,000 यूरो 30.12.2018 से 30.12.2019 तक और 3,038,418.97 यूरो दिनांक 30.06.2020 को
योग	**500.00**					

iv) यूरोपियन इंवेस्टमैंट बैंक

ट्रैंच	करार के अनुसार ऋण की राशि (लाख यूरो में)	ब्याज की दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	350.00	6एम ईयूआरआईबीओआर + आल इन स्प्रैड 0.275%	22.06.2020	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किश्त 11,66,666.67 यूरो
II	400.00	6एम ईयूआरआईबीओआर + आल इन स्प्रैड 0.436%	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किश्त 14,28,571.43 यूरो
III	400.00	6एम ईयूआरआईबीओआर + आल इन स्प्रैड 0.426%	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किश्त 14,28,571.43 यूरो
IV	850.00	6एम ईयूआरआईबीओआर + आल इन स्प्रैड 0.346%	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किश्त 30,35,714.29 यूरो
योग	**2000.00**					

v) जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी

ट्रैंच	करार के अनुसार ऋण की राशि (जापानी येन लाख में)	ब्याज की दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
भाग-I	10,000.00	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर फ्लोर 0.10% और उच्चतम सीमा 6.208%	20.03.2022	20.03.2036	अर्ध–वार्षिक	पहली किश्त ऋण राशि की 3.448328% और अनुवर्ती किश्त ऋण राशि की 3.448274%
भाग-II	90,000.00	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर फ्लोर 0.10% और उच्चतम सीमा 6.208%	20.03.2022	20.03.2036	अर्ध–वार्षिक	पहली किश्त ऋण राशि की 3.448328% और अनुवर्ती किश्त ऋण राशि की 3.448274%

टिप्पणी 14: अन्य वित्तीय देनदारियां (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.219 को
(i)	प्राप्त प्रतिभूति जमा राशि	14.15	15.05
(ii)	अन्य	4,037.90	508.95
(iii)	**उधार राशियों पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज**		
	बंधपत्रों और सावधि ऋणों पर	74,610.08	79,804.57
	योग	**78,662.13**	**80,328.57**

टिप्पणी 15: चालू कर देयताएं (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.219 को
(i)	आयकर के लिए प्रावधान	-	-
	Total	-	-

टिप्पणी 16: प्रावधान (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.219 को
	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
(i)	छुट्टी नकदीकरण	153.43	86.00
(ii)	बीमारी छुट्टी	163.69	201.73
(iii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	789.56	764.47
(iv)	छुट्टी किराया रियायत	68.13	59.31
(v)	परिलब्धि संशोधन	658.11	350.02
	अन्य		
(i)	व्युत्पन्नों पर बाजार हेतु चिंहाकित	1,830.89	1,688.71
(ii)	मानक आस्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान	10,788.99	11,368.19
(iii)	अवमानक आस्तियों के लिए प्रावधान	16,361.59	21,907.60
(iv)	संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान	213,474.61	213,320.21
(v)	पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	492.35	1,599.92
(vi)	अनर्जक आस्तियों पर व्यय	477.40	-
(vii)	भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार संभावित क्रेडिट हानि	205,690.58	180,534.12
	योग	**450,949.33**	**431,880.29**

टिप्पणी 17 : आस्थगित कर देयताएं (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.219 को
(I)	**निम्न के कारण आस्थगित कर देयता:**		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष अवसंरचना आरक्षित निधि	35,775.26	49,104.29
(ii)	मूल्यह्रास	334.96	357.21
(iii)	मानक ऋण आस्तियों के लिए दावों में कटौती	-	1,511.95
(iv)	अन्य	(1,265.10)	(600.04)
	आस्थगित कर देयताएं	**34,845.12**	**50,373.43**
(II)	**निम्न के कारण आस्थगित कर देयता:**		
(i)	कर के लिए प्रस्तुत फुटकर देयता खातों (ब्याज पूंजीकरण) में जमा ब्याज	2,011.26	12,655.05
(ii)	अपेक्षित ऋण हानि	29,523.86	-
(iii)	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	38.62	30.05
(iv)	बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	41.20	70.49
(v)	व्यय जिन पर टीडीएस नहीं काटा गया	0.02	4.72
(vi)	चिकित्सा सहायता स्कीम के लिए प्रावधान	198.72	267.14

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.219 को
(vii)	परिलब्धि संशोधन के लिए प्रावधान	165.63	122.31
(viii)	छुट्टी किराया रियायत	17.15	20.73
(ix)	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान *	460.80	584.35
	आस्थगित कर देयताएं	**32,457.24**	**13,754.83**
	आस्थगित कर देयता (निवल)	**2,387.88**	**36,618.59**
*	व्युत्पन्नियों पर बाजार से बाजार हानियों के संबंध में सृजित		

टिप्पणी 18: अन्य गैर–वित्तीय देयताएं (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.219 को
(क)	**अग्रिम में प्राप्त आय**		
(i)	विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान	-	(0.02)
(ख)	**अन्य देय**		
(i)	देय सांविधिक देयताएं	828.11	73.96
(ii)	बंधपत्रों पर अदावा ब्याज	1.38	1.38
(iii)	देय प्रतिबद्धता प्रभार	96.63	-
(iv)	कर्मचारियों/पूर्णकालिक निदेशकों को देय	0.88	(1.94)
(v)	फुटकर देनदारी खाता (ब्याज पूंजीकरण)	3,142.55	41,095.01
(vi)	अन्य	307.74	905.90
	योग	**4,377.29**	**42,074.29**

टिप्पणी 19: इक्विटी शेयर पूंजी (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.219 को
क	**प्राधिकृत**		
	10 रुपए प्रत्येक के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 को 10 रुपए प्रत्येक के 6,000,000,000 इक्विटी शेयर)	**1,000,000.00**	**600,000.00**
	निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त		
ख	10 रुपए प्रत्येक के 9,999,916,230 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 को 10 रुपए प्रत्येक के 4,202,316,230 इक्विटी शेयर)	999,991.62	420,231.62
	योग	**999,991.62**	**420,231.62**

फुटनोट:

क) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी/शेयरों का समाशोधन

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	
	शेयरों की संख्या	राशि लाख रुपये में	शेयरों की संख्या	राशि लाख रुपये में
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ मे बकाया शेयर	4,202,316,230	420,231.62	4,102,316,230	410,231.62
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निर्गत किये गये शेयर	5,797,600,000	579,760.00	100,000,000	10,000.00
रिपोर्टिंग अवधि के आखिर मे बकाया शेयर	9,999,916,230	999,991.62	4,202,316,230	420,231.62

ख) कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी के धारक भारत सरकार और इसके नामिती हैं।

ग) हस्तांतरित कम्पनी होने के नाते, आईआईएफसीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी कुल 6,00,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 500,000 लाख इक्विटी शेयरों से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 10,00,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 100,000 लाख इक्विटी शेयर हो गई।

घ) वर्ष के दौरान, कम्पनी ने भारत सरकार को अधिकार निर्गम मे माध्यम से कुल 579,760 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 57,976 लाख इक्विटी शेयर जारी किए हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कम्पनी ने भारत सरकार को अधिकार निर्गम मे माध्यम से कुल 10,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 1,000 लाख इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

ङ) वित्तीय संस्थाएं शेयर पूंजी का उपयोग विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार पूंजी की पर्याप्तता, एक्सपोजर मानकों और लीवरेज अनुपात को बनाए रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से अपने स्वामित्व वाली निधियों के सुदृढ़ीकरण के लिए करती है। आईआईएफसीएल ने 2019–20 के दौरान भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई गई समस्त पूंजी का उपयोग तदनुसार किया गया है।

टिप्पणी 20: अन्य इक्विटी (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.219 को
(क)	**पूंजी आरक्षित निधि (गैर चालू प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ)**		
	प्रारंभिक शेष	585.14	585.14
	अंतिम शेष	**585.14**	**585.14**
(ख)	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता (बंधपत्रों पर)**		
	प्रारंभिक शेष	235.50	235.50
	अंतिम शेष	**235.50**	**235.50**
(ग)	**डिबेंचर/बंधपत्र प्रतिदान आरक्षित निधि**		
	प्रारंभिक शेष	99,995.05	81,817.55
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण	-	18,177.50
	अंतिम शेष	**99,995.05**	**99,995.05**
(घ)	**नकद प्रवाह हेज आरक्षित निधि**		
	प्रारंभिक शेष	(13,299.11)	(2,639.52)
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण	(20,658.17)	(10,659.59)
	अंतिम शेष	**(33,957.27)**	**(13,299.11)**
(ङ)	**अन्य आरक्षित निधियां**		
(i)	**आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि (फुटपोट 1)**		
	प्रारंभिक शेष	142,145.82	127,348.18
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण (निवल)	-	14,797.64
	अंतिम शेष	**142,145.82**	**142,145.82**
(ii)	**कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि (फुटनोट 2)**		
	प्रारंभिक शेष	50.51	4.65
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण	8.45	67.90
	घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त और लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरित राशि	32.23	22.05
	अंतिम शेष	**26.72**	**50.51**
(iii)	**कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायी आरक्षित निधि (फुटनोट 3)**		
	प्रारंभिक शेष	2,633.78	2,633.78
	घटाएं: प्रयुक्त राशि	2,500.00	-
	अंतिम शेष	**133.78**	**2,633.78**
(iv)	**आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-IC के अंतर्गत आरक्षित निधि (फुटनोट 4)**		
	प्रारंभिक शेष	**2,033.18**	-
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण	1,024.06	**2,033.18**
	अंतिम शेष	**3,057.24**	**2,033.18**
(च)	**लाभ हानि विरणिका में अधिशेष**		

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.219 को
1.	प्रारंभिक शेष	(185,755.71)	(160,867.44)
2.	जोड़ें: करोपरांत लाभ	5,091.81	10,242.67
3.	जोड़ें: कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि से अंतरण	32.23	22.05
4.	घटाएं: कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि में अंतरण	8.45	67.90
5.	घटाएं: डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि में अंतरण	-	18,177.50
6.	घटाएं: आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	-	14,797.64
7.	घटाएं: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुन–मापन प्राप्ति/(हानि)	(28.49)	76.77
8.	घटाएं: आयकर अधिनियम की धारा 45-IC के अंतर्गत आरक्षित निधि निधि	1,024.06	2,033.18
9.	**अंतिम शेष**	**(181,635.68)**	**(185,755.71)**
	योग	**30,586.29**	**48,624.16**

फुटनोट:

1. विशेष आरक्षित निधि, भारत में अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के यू/एस 36 (1) (viii) को बनाए रखने के लिए आवश्यक वैधानिक आरक्षित निधि है।
2. स्टाफ वेलफेयर रिजर्व को स्टाफ, खेल, सांस्कृतिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के बीच बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
3. 31 को समाप्त वर्ष से
4. आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के अनुसार आरक्षित कोष बनाया गया है।

टिप्पणी 21: ब्याज आय

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		परिशोधित ऋण पर मापी गई वित्तीय आस्तियां	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	प्रत्यक्ष उधारी के तहत ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	224,937.78	205,467.31
(ii)	पीएमडीओ स्कीम के तहत ऋणों पर ब्याज	104.87	198.05
(iii)	पुनर्वित्तपोषण स्कीम के तहत ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	17,593.13	24,763.53
(iv)	टेकआउट वित्तपोषण स्कीम के तहत ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	76,767.31	77,619.55
(v)	दंड – ब्याज	1,161.88	1,228.26
(vi)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	515.48	1,231.50
(vii)	बंधपत्रों पर ब्याज	713.30	2,482.44
(viii)	बैंकों में जमा पर ब्याज	54,958.23	48,870.05
	योग	**376,751.98**	**361,860.70**

टिप्पणी 22: शुल्क और कमीशन

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	अग्रिम शुल्क	989.13	431.86
(ii)	प्रक्रिया शुल्क	75.74	94.50
(iii)	पूर्वभुगतान प्रभार	1,970.06	1,186.92
(iv)	प्राप्त कमीशन	92.68	-
(v)	ऋण संवृद्धि से शुल्क	573.77	603.40
(vi)	अन्य प्रभार	855.70	927.52
	योग	**4,557.07**	**3,244.20**

टिप्पणी 23: अन्य आय

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	बट्टे खाते में डाले गये ऋण की वसूली	848.67	12,426.67
(ii)	बट्टे खाते में डाले गये ऋण आस्तियों पर प्रावधान से अन्य राशियां/प्रावधान	85.50	220.55
(iii)	विविध आय	392.06	120.69
(iv)	स्वैप सौदों पर लाभ	31,991.32	37,957.58
(v)	देयता जिसकी अब आवश्यकता नहीं	6,831.85	-
	योग	**40,149.40**	**50,725.48**

टिप्पणी 24: वित्त लागतें

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष परिशोधित लागत पर मापा वित्तीय देनदारियों पर समाप्त	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	बंधपत्रों और डिबेंचरों पर ब्याज	155,258.94	160,402.35
(ii)	बैंक उधारियों पर ब्याज	2,385.43	14,995.80
(iii)	एशियन डेवलेपमेंट बैंक (एडीबी) के ऋणों पर ब्याज	52,550.70	45,144.42
(iv)	आईबीआरडी (विश्व बैंक) के ऋणों के संबंध में स्वैप लेन–देनों के निवल भुगतान पर देय ब्याज	7,893.12	13,427.98
(v)	केएफडब्ल्यू के ऋणों पर ब्याज	563.26	619.17
(vi)	ईआईबी के ऋणों पर ब्याज	135.37	130.44
(vii)	जेआईसीए से ऋण पर ब्याज	91.80	19.33
	योग	**218,878.62**	**234,739.48**

टिप्पणी 25: शुल्क और कमीशन व्यय

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	सरकारी को गारंटी शुल्क	4,282.56	4,222.11
(ii)	बंधपत्र शोधन व्यय	153.02	120.20
(iii)	उधारियों पर अग्रिम शुल्क	247.79	-
	योग	**4,683.36**	**4,342.31**

टिप्पणी 26: उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
	(क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)		
	व्यापार पोर्टफोलियो पर		
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय लिखतों पर	2,315.22	6,732.86
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर लाभ/(हानि) (ख)	**2,315.22**	**6,732.86**
	उचित मूल्य परिवर्तन: (ग)		
	–शोध्य	-	-
	–अशोध्य	2,315.22	6,732.86
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि) (ख) मिलान (ग) से करना है	**2,315.22**	**6,732.86**
	*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उन परिवर्तनों से भिन्न हैं जो ब्याज आय/व्यय के लेखा पर उत्पन्न होते हैं।		

टिप्पणी 27: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	वेतन एवं भत्ते	1,777.90	1,479.09
(ii)	भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	242.99	296.24
(iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	813.93	947.76
	योग	**2,834.82**	**2,723.09**

टिप्पणी 28: वित्तीय लिखतों पर ह्रासन (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		परिशोधित लागत पर मापा वित्तीय उपकरणों पर	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	ऋण और अग्रिम	18,078.08	1,628.12
(ii)	निवेश	369.48	7,192.57
(iii)	अनर्जक आस्तियों पर व्यय	477.40	-
	योग	**18,924.96**	**8,820.69**

टिप्पणी 29: अन्य व्यय (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागतें	65.12	1,201.06
(ii)	मुद्रण और लेखन सामग्री	7.19	10.12
(iii)	विज्ञापन और प्रचार	5.16	7.91
(iv)	निदेषकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	1.24	4.93
(v)	लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	13.70	20.91
(vi)	विधिक और व्यावसायिक प्रभार	192.19	53.97
(vii)	बीमा	1.58	1.77
(viii)	विदेशी मुद्रा संव्यवहारों और रूपांतरणों पर निवल हानि	74,157.76	43,205.53
(ix)	अन्य व्यय	4,319.87	860.00
(x)	व्युत्पन्नियों पर मार्केट टू मार्केट (लाभ)/हानि	142.18	(452.90)
(xi)	बट्टे खाते में डाली गई ऋण राशि नोट 1(ख)(20(ख)) देखें,	122,297.10	72,241.70
	योग	**201,203.10**	**117,154.98**

नोट 1: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य टिप्पणियां

आईआईएफसीएल एक सार्वजनिक कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अतर्गत भारत में स्थित और निगमित है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय पांचवां तल, प्लेट ए और बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली, भारत में है।

आईआईएफसीएल की स्थापना व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण योजना के तहत व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितंबर, 2013 को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–गैर–जमा–अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफसी–एनडी–आईएफसी) के रूप में एन–14.03288 से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफसीएल को सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का करोबार करने की अनुमति दी है।

(क) महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

1.1 **लेखांकन अभिसमय:** आईआईएफसीएल अपनी वित्तीय विवरणों को, गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनियों (एनबीएफसी) के लिए, कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।।। के खंड ।।। में मुहैया कराए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करती है। निम्न मामलों को छोड़कर, वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर और एक ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार की गई हैं।

क. अन्य व्यापक आय के माध्म से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियां (एफवीओसीआई)

ख. व्युत्पन्न वित्तीय लिखत

ग. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामांकित वित्तीय आस्तियां और देयताए

घ. परिभाषित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मापी गई योजना आस्तियांए

जिन सब का मापन, संबंधित भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथोपेक्षित या अनुमत्त उचित मूल्य पर किया गया है। वित्तीय विवरणीएं भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई है और सभी मूल्यों को, जहां अन्यथा इंगित किया गया उनको छोड़कर, निकटतम लाख रुपए में पूर्ण किया गया है।

1.2 **प्राक्कलनों का उपयोग:** आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमानों और धारणा बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तिथि और राजस्व व व्यय की बताई गई राशि की आस्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में माना गया है, जिसमें परिणामों को मूर्तरूप दिया गया है।

आईआईएफसीएल भविष्य के बारे में, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों की अनिश्चितता के किसी अन्य प्रमुख स्रोत के बारे में कोई धारणा नहीं बनाती जिनें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और देनदारियों की वहन राशि के महत्वपूर्ण समायोजन में परिणत होने वाला महत्वपूर्ण जोखिम हो।

2. अनुपालन का विवरण

आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरण सतत प्रतिष्ठान आधार पर और दिनांक 16 फरवरी 2015 की अधिसूचना जीएसआर 111(ई) द्वारा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और दिनांक 30 मार्च 2016 की अधिसूचना जीएसआर 111(ई) द्वारा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के अंतर्गत कॉरपारेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ये भारतीय लेखांकन मानक आईआईएफसीएल द्वारा भारतीय लेखांकन मानक के अंगीकरण की भारतीय लेखांकन मानक अंतगरण तारीख से तैयार किए गए हैं और किसी अन्य प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों को 10 अगस्त 2019 को निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने कि लिए प्राधिकृत और अनुमोदित किया गया था।

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

वित्तीय आस्तियों और देनदारियों को सामान्य तुलन पत्र में सकल मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है। ये केवल ऑफसैट होती हैं और इन्हें निवल मूल्य पर रिपोर्ट नहीं किया जाता जब, किसी भावी घटना पर आकस्मिक हुए बिना स्वीकृत बिना किसी शर्त के विधिक रूप से प्रवर्तनीय या होने के अतिरिक्त, पक्षकार भी निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में निवल आधार पर समाधान के लिए अभिप्रेत हों:

- व्यापार का सामान्य क्रम
- चूक की घटना
- आईआईएफसीएल और/या इसके प्रतिपक्षकारों के ऋण–अशोधन या दिवालिया की घटना

प्रमुख निवल व्यवस्थाओं (उदाहरणार्थ आईएसडीए) के साथ व्युत्पन्न आस्तियों और देनदारियों को केवल तब निवल मूल्य पर प्रस्तुत किया जाता है जब वे उपर्युक्त सभी मापदंडों की निवल–अहर्ता को पूरा करते हों, न कि केवल चूक की स्थिति में।

4. आय/व्यय की स्वीकृति

4.1. परिशोधित लागत पर मापे गए सभी वित्तीय लिखतों के लिए, ब्याज वाहित करने वाली आस्तियों जिन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में और एफवीटीपीएल में नामित वित्तीय लिखतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की ब्याज आय या व्यय को ईआईआर का उपयोग करते हुए दर्ज किया जाता है। इस गणना में वित्तीय लिखत की सभी संविदागत शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व–भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखा जाता है और इनमें वे कोई भी शुल्क या संवृद्धि लागतें शामिल होती हैं जो प्रत्यक्षतः लिखत में आरोप्य हैं और ईआईआर का अभिन्न अंग है, किंतु भावी क्रेडिट हानियों के लिए नहीं। जब किसी वित्तीय आस्ति का मूल्य या इसी प्रकार की वित्तीय आस्तियों के समूह का मूल्य किसी क्षति हानि से घट जाता है, तो ब्याज आय को ब्याज की दर का इस्तेमाल करते हुए जारी रखा जाता है जिनका उपयोग क्षति हानि का मापन करने के उद्देश्य से भावी नकद प्रवाहों में छूट देने के लिए किया जाता है।

4.2. प्रदान किए गए ऋणों पर अग्रिम शुल्क आय को उन मामलों में उपचित आधार पर आय माना जाता है जहां ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर आवंटित राशि पर किए गए हों।

4.3. कम्पनी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभार का लेखांकन व्यय के रूप में किया जाता है जब ऋण के आहरण में कमी, ऋण करार के अनुसार ऋण की संस्वीकृत राशि से कम हो।

4.4. उधारियों के खातों में वसूलियों का विनियोजन संबंधित ऋण करारों के अनुसार किया जाता है।

4.5. लाभांश का लेखांकन उपचित आधार पर किया जाता है जब लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो। तथापि, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा इसे अनुमोदित किए जाने के बाद उत्पन्न होता है।

4.6. पूर्वावधिक से संबंधित आय/व्यय, जो कुल आय के 0.1 प्रतिशत से अधिक न हो, तो इन्हें चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

4.7. आंशिक ऋण संवर्धन गारंटी शुल्क की स्वीकृति उपचित आधार पर लेखांकन वर्ष में की जाती है जब वसूली का औचित्यपूर्ण अधिकार स्थापित किया जाता है। अग्रिम में प्राप्त किसी भी आंशिक संवर्धन गारंटी शुल्क को आस्थगित किया जाता है और इसे बीमांकन की अवधि पर आय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

4.8. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर ब्याज/छूट या किसी अन्य प्रभार सहित आय को केवल तब स्वीकृत किया जाता है जब इसकी उगाही वास्तव में की गई हो। आस्ति के बनने से पूर्व ऐसी किसी भी आय और शेष अतृप्त आय का आरक्षित रखा जाता है।

5. वित्तीय लिखतें:

5.1. **मान्यता और प्रारंभिक मापन:**

कम्पनी प्रारंभिक तौर पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को समाधान की तारीख पर स्वीकृत करती है। वित्तीय आस्ति या वित्तीय देनदारी को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में, एफवीटीपीएल में शामिल न की गई मदों के लिए, संव्यवहार लागतों को जोड़कर मापा जाता है जो इसके अधिग्रहण या निर्गम प्रत्यक्षतः जुड़े हों।

5.2. **वर्गीकरण:**

क. वित्तीय आस्तियां:

कम्पनी की वित्तीय आस्तियों में नकद और नकद समतुल्य, बैंक शेष, सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों को छोड़कर कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कम्पन्यिों/कर्मचारियों को ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल होते हैं।

प्रारंभिक स्वीकृति होने पर, एक वित्तीय आस्ति को वर्गीकृत होती है:

क) **परिशोधित लागत:**

वित्तीय लिखतों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है जब:

- उनमें संविदागत शर्तें हों, जो विनिर्दिष्ट तारीखों पर नकद प्रवाहों को उत्पन्न करती हों, जो एकमात्र बकाया मूलधन पर ब्याज और मूलधन के भुगतान को दर्शाती हों; और
- ये ऐसे व्यापार मॉडल के भीतर धारित हों, जहां इनका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाहों को एकत्रित करने के लिए धारित करके प्राप्त हो जाता है।

इन लिखतों पर प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में प्रत्यक्षतः आरोप्य संव्यवहार लागतें जोड़कर स्वीकृत किया जाता है, जिनका प्रभाव कुल आय के 0.5 प्रतिशत से अधिक हो। क्रेडिट क्षति का मापन त्रि–स्तरीय टिप्पणी 6.7 'वित्तीय आस्तियों की क्षति' में उल्लिखित संभावित क्रेडिट हानि मॉडल पर आधारित होता है।

ख) **अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य:**

वित्तीय लिखतों का मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं किया जाता है जब:

- उनमें संविदागत शर्तें हों, जो विनिर्दिष्ट तारीखों पर नकद प्रवाहों को उत्पन्न करती हों, जो एकमात्र बकाया मूलधान पर ब्याज और मूलधन के भुगतान को दर्शाती हों; और
- ये ऐसे व्यापार मॉडल के भीतर धारित हों, जहां इनका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाहों को एकत्रित करके और वित्तीय आस्तियों को बेचकर, दोनों से प्राप्त हो जाता हो।

इन लिखतों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में प्रत्यक्षतः आरोप्य संव्यवहार लागतों को जोड़कर स्वीकृत किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले लाभों और हानियों को इक्विटी के एक पृथक घटक के भीतर अन्य व्यापक आय में शामिल किया गया है। क्षति हानियों या व्युत्क्रमों, बयाज राजस्व और विदेशी मुद्रा लाभों और हानियों को लाभ और हानि में स्वीकृत किया गया है। निपटान होने पर, विगत में अन्य व्यापक आय में स्वीकृत संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय विवरण में पुनः वर्गीकृत किया गया है। क्रेडिट क्षति का मापन त्रि–स्तरीय संभावित क्रेडिट हानि मॉडल के आधार पर किया जाता है जैसा कि परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू होता है।

ग) **लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्यः**

- व्यापार के लिए धारित मदें;
- संविदागत शर्तों पर ऋण लिखत जो केवल मूलधान और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित वित्तीय लिखतों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर स्वीकृत किया जाता है, जबकि संव्यवहार लागतों को आय विवरण में प्राप्त के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद, इनका मापन उचित मूल्य पर किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को आय विवरण में उनके उत्पन्न होते ही स्वीकृत किया जाता है। जहां किसी वित्तीय आस्ति का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है, तो प्रति–पक्षकार की क्रेडिट साख को परिलक्षित करने के लिए एक क्रेडिट मूल्यांकन शामिल किया जाता है, जो क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को आरोप्य उचित मूल्य में आवागमन को दर्शाता है।

कारोबार के लिए धारित वित्तीय लिखतें

किसी वित्तीय लिखत को कारोबार के लिए धारित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि इसका अधिग्रहण या अर्जन मुख्यतः नजदीकी रूप में बिक्री या पुनःखरीद के उद्देश्य के लिए किया जाता है, या यह वित्तीय लिखतों के पोर्टफोलियो के भाग को निर्मित करता है जिनका प्रबंधन एक साथ किया जाता है और जिनके लिए अल्पावधि लाभप्रदता का साक्ष्य उपलब्ध होता है, या विशेषक बचाव व्यवस्था संबंध में व्युत्पन्न नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक स्वीकृत पर, अप्रतिसंहरणीय रूप से किसी वित्तीय आस्ति को नामांकित कर सकता है जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीपीएल पर एफवीओसीआई पर मापे जाने की अपेक्षाओं को पूरा करती हो, यदि ऐसा करने से अन्यथा उत्पन्न होने वाली लेखा बेमेल समाप्त होता हो या उल्लेखनीय रूप से कम होता हो।

घ) **इक्विटी लिखतें**

इक्विटी लिखतों में निवेश वे होते हैं जो आईआईएफसीएल द्वारा ऐसे व्यापार संयोजन में न तो कारोबार के लिए न आकस्मिक कारक के लिए धारित होता है जिस पर भारतीय लेखांकन मानक 103 'व्यापार संयोजन' लागू होता है, इनका मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है, जहां प्रबंधनद्वारा कोई अप्रतिसंहरणीय चयन किया गया है। अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई राशियों को बाद में लाभ या हानि में अंतररित नहीं किया जाता। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है जब तक कि लाभांश स्पष्टतः निवेश की लागत के भाग की वसूली को दर्शाता हो।

सभी अन्य वित्तीय आस्तियां एफवीटीपीएल के मूल्यांकन के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं।

परिवर्ती मापन

संविदागत नकदी प्रवाह के संग्रहण के लिए धारित वे आस्तियों जहां वे नकदी प्रवाह मूलधन एवं ब्याज के पूर्ण भुगतान दर्शाते हैं, का परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया गया है। जब आस्ति को मान्यता नहीं दी गई है अथवा वह खराब अवस्था में हो तो ऋण निवेश पर लाभ अथवा हानि को जिसका बाद में परिशोधन लागत पर मूल्यांकन किया गया है, लाभ अथवा हानि में माना गया है। इन वित्तीय आस्तियों से अर्जित ब्याज को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए वित्तीय आय में शामिल किया गया है जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5 प्रतिशत से अधिक है।

अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन रिपोर्टिंग की प्रत्येक तिथि उचित मूल्य पर किया गया है। उचित मूल्य में होने वाले बदलाव को अन्य समग्र आय में माना गया है। हालांकि, कंपनी ब्याज से होने वाली आय, खराबी के कारण हानि एवं प्रत्यावर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को आय विवरण में मान्यता दी गई है।

पुनवर्गीकरण

आईआईएफसीएल द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए अपना कारोबारी मॉडल बदलने के बाद की अवधि को छोड़कर, वित्तीय आस्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया है।

ख. वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं नकदी अथवा कोई अन्य वित्तीय आस्ति किसी दूसरी संस्था को सुपुर्द करना अथवा वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं को ऐसे शर्तों के अधीन किसी दूसरी संस्था के साथ अदला–बदली करने का संविदागत दायित्व है जिनकी कंपनी के लिए हानिकारक होने की संभावना है।

वर्गीकरण, आरंभिक मान्यता एवं मापन

ऐसे वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य के ऋणात्मक लेन–देन संबंधी लागतों पर माना गया है जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5: से अधिक होने के कारण सीधे तौर पर वित्तीय देयताओं की समस्या के लिए जिम्मेदार है । परिशोधित लागत की गणना अर्जन एवं शुल्क अथवा लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की गई है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आय (लेन–देन की लागतों का निवल) एवं मोचन राशि के बीच किसी अंतर को ईआईआर का उपयोग करते हुए उधारियों की अवधि में लाभ व हानि के विवरण में माना गया है।

परिवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता देने के उपरांत वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन ईआईआर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया गया है। लाभ एवं हानि को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ व हानि के विवरण में माना जाता है जब देयताओं को मान्यता नहीं दी गई हो। ईआईआर परिशोधन में लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के तौर पर शामिल किया गया है।

संविदागत नकदी प्रवाह को केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के तौर पर परिभाषित करना:

इस मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ 'मूलधन' प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य के तौर पर परिभाषित है। 'ब्याज' मुद्रा के समय मूल्य एवं उस विशेष अवधि के दौरान मूलधन की बकाया राशि से जुड़े ऋण जोखिमों एवं अन्य बुनियादी ऋण जोखिमों व लागतों (जैसे चलनिधि जोखिम एवं प्रशासनिक लागत) के अतिरिक्त लाभ सीमा के प्रतिफल के तौर पर परिभाषित किया गया है।

ग. व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें :

व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें वे संविदायें होती है जिनका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित मूल्य, सूचकांक या अन्य परिवर्ती से व्युत्पन्न होती हैं। आमतौर पर, इसमें अदला–बदली (स्वैप), वायदा दर करार, भावी सौदे व विकल्प जैसे लिखतें शामिल होती हैं। आईआईएफसीएल ने उचित मूल्य पर तुलन पत्र में माने गये इन संविदाओं की विदेशी मुद्रा की उधारियों में विदेशी मुद्रा जहां प्रयोज्य है, में अंतर होने के कारण आने वाले जोखिम को कम करने के लिए बचाव व्यवस्था की संविदा के रूप में व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें संपन्न की हैं एवं जहां वे प्रभावी बचाव व्यवस्था संबंध के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट हैं, उन्हें छोड़कर, व्यापार के तौर पर वर्गीकृत की गई हैं तथा बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नी के तौर पर वर्गीकृत की गई है। व्युत्पन्नियों को उचित मूल्य के धनात्मक होने पर आस्ति के तौर पर एवं उचित मूल्य के ऋणात्मक होने पर देयताओं के तौर पर दर्शाया गया है।

क. जहां भी कंपनी ने वायदा संविदा अथवा लिखतें यानि वायदा विनिमय संविदायें संपन्न की हैं, उनमें वायदा विनिमय संविदा संपन्न करने की तिथि को वायदा दर व विनिमय दर के बीच के अंतर को भारतीय लेखांकन मानक–21 के अनुसार संविदाकाल के दौरान आय या व्यय के तौर पर माना गया है।

ख. विदेशी मुद्रा के ऋणों में की गई बचाव व्यवस्था को विदेशी मुद्रा में दिये गये ऋणों (यानि स्वाभाविक बचाव व्यवस्था) को समायोजित करने के पश्चात एफआईएफओ आधार समायोजित किए गये हैं।

ग. ब्याज दर स्वैप सहित वायदा विनिमय संविदा के रद्द करने अथवा नवीकरण करने पर किसी प्रकार के लाभ अथवा हानि को वर्ष की आय अथवा व्यय के तौर पर माना गया है।

घ. कंपनी द्वारा संपन्न जेपीवाई येन में हुए ब्याज दर अदला–बदली लेन–देन के संबंध में कंपनी तुलन पत्र की तिथि को प्रतिभूतियों की दैनिक बाजार मूल्य पर हानि के तौर पर दर्शाया गया है।

ङ. वायदा संविदा की शुरूआत पर एवं बचाव व्यवस्था के अनुसार प्रतिपक्षकार से वसूली गई अथवा प्रतिपक्षकार को भुगतान किए गये अतर्निहीत विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व की चुकौती के समय पर हाजिर विनियम दर में अंतरण के कारण होने वाले अधिशेष अथवा घाटे को क्रमशरू ऐसा ऋण चुकाने के समय पर लाभ अथवा हानि के तौर पर माना गया है।

च. विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहीत लेनदेन है) एवं अदला–बदली संविदा (उपरोक्त ऋणों से होने वाली किसी भी हानि के प्रति बचाव व्यवस्था) को अलग–अलग लेनदेन के तौर पर माना गया है।

छ. विदेशी मुद्रा की उधारियों का विदेशी मुद्रा में बदलाव के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखांकन मानक (एएस 21) के अनुसार पुन उल्लेख किया गया है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से आईसीएआई का जून, 2015 में जारी ''व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन'' पर दिशानिर्देश नोट का पालन किया है। विनिमय दर में किसी प्रकार का परिवर्तन, पिछली रिपोर्टिंग तिथि के बाद से रिपोर्टिंग तिथि को विदेशी मुद्रा में उधार ली गई राशि पर और इस अवधि के दौरान उधार लेने के तिथि से व्युत्पन्न संविदाओं का उचित मूल्य के मुकाबले निर्धारित किया गया है एवं किसी प्रकार के लाभ अथवा हानि को नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि के तौर पर माना गया है। व्युत्पन्नी संविदाओं के उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराये गये है।

मार्गदर्शी नोट के अनुसार, नकद प्रवाह बचाव व्यवस्था के तहत, बचाव व्यवस्था लिखत का आकलन उचित मूल्य पर किया जाता है लेकिन एक प्रभावी बचाव व्यवस्था के लिए निर्धारित किसी भी लाभ अथवा हानि को इक्विटी में माना गया है जैसे नकद प्रवाह बचाव व्यवस्था वाली आरक्षित निधि। इसका मुख्य उद्देश्य उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में अस्थिरता से बचना है, जब बचाव व्यवस्था से जुड़े मदों पर लाभ अथवा हानि उसमें शामिल नहीं होती है।

5.3. **मान्यता न देना:**

वित्तीय आस्तियां

आईआईएफसीएल ऐसी वित्तीय आस्तियों को मान्यता नहीं देता है जब वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा वह लेन–देन में संविदागत नकदी प्रवाह प्राप्त करने के ऐसे अधिकारों को हस्तांतरित कर देता है जिसमें वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम व प्रतिफल का बड़ा हिस्सा हस्तातंरित कर दिये जाते हैं अथवा जिसमें आईआईएफसीएल न तो स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों का हस्तांतरण करता है और न ही बरकरार रखता है और इस प्रकार वह वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण नहीं रखता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऋण आस्तियों के मामले मे

(क) ऐसी परियोजनाएं जहां रियायत करार (सीए) परियोजना प्राधिकरण द्वारा समाप्त कर दिये गये हैं, के लेखे को वित्तीय वर्ष में मान्यता नहीं दी गई जिसमें संविदा समाप्त हो गई हो।

(ख) ऐसी परियोजनाएं जहां रियायतदाता करार (सीए) रियायतदाता द्वारा समाप्त कर दिये गये हैं, हानि मेरिट एवं मामले के तथ्यों के आधार पर दर्शाई गई है।

(ग) ऐसे मामलों में जहां वित्तीय आस्ति का निश्चित मूल्य आस्ति पुनर्रचना कंपनी इत्यादि की मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रस्ताव के आधार पर कुर्क की गई है, हानि कमी की सीमा तक दशाई गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक विनियमों के अनुसार लागू एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/131 डीबीआर सं. बीपी. बीसी101/21.04.048/2017.18 दिनांक 13 फरवरी, 2018 के अनुसरण में वापिस मानी गई कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना (एसडीआर), दबावग्रस्त आस्तियों की सतत पुनर्रचना योजना (एस4ए), बाह्य कार्यनीतिक ऋण पुर्नरचना योजना के तहत आने वाले मामलों अथवा ऐसे मामलों को छोड़कर, यदि जब तक ऋण आस्ति की बिक्री/वसूली के लिए कोई मूलभूत प्रस्ताव उपलब्ध न हो तो ऋण आस्ति को 5 वर्ष से अधिक समय के लिए अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो अथवा परियोजना के अनूसूचित वाणिज्यिक प्रचालनों में 4 वर्ष से अधिक समय का विलंब किया गया हो, कोई ऋण आस्ति अथवा कोई अन्य अपसी सहमति वाली पुनर्रचित/निपटान प्रक्रिया को मान्यता नहीं दी जाएगी।

वित्तीय आस्ति के तौर पर मान्यता न दिये जाने पर आस्ति की हस्तंगत राशि (अथवा जिसे मान्यता नहीं दी गई है उस आस्ति के हिस्से को आबंटित हस्तंगत राशि) एवं (प) प्राप्त प्रतिफल (प्राप्त की गई कोई नई आस्ति से स्वीकार की गई कोई नई देयता घटाकर राशि सहित) एवं (पप) ओसीआई में न माने गये कोई संचयी लाभ अथवा हानि के बीच के अंतर को लाभ व हानि विवरण में माना जाता है।

एफवीओसीआई में निर्दिष्ट इक्विटी निवेश प्रतिभूतियों के संबंध में ओसीआई में माने गये कोई संचयी लाभ/हानि को ऐसी प्रतिभूतियों को मान्यता न दिये जाने के कारण लाभ व हानि विवरण में मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता न दिये जाने के योग्य अंतरित वित्तीय आस्तियों में कोई ब्याज जो कंपनी द्वारा सृजित या प्रतिधारित है, को अलग आस्ति या देयता के रूप में माना गया है।

वित्तीय देनदारियां

आईआईएफसीएल वित्तीय देयता को तब मान्यता नहीं देता है जब वह संविदागत दायित्वों से मुक्त हो जाता है अथवा उसके संविदागत दायित्व रद्द हो जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं। ऐसी वित्तीय देयता जो समाप्त हो गई है अथवा किसी दूसरे पक्षकार को हस्तातंरित कर दी गई है की हस्तंगत राशि एवं हस्तांरित की गई कोई गैर नकदी आस्ति अथवा स्वीकार की गई देयता सहित अदा गये प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ व हानि विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में माना गया है।

मौजूदा उधारकर्ता एवं ऋण लिखतों के ऋणदाता के बीच वसतुतरू भिन्न शर्तों के साथ की गई अदला–बदली की गणना मूल वित्तीय देयता के समापन के रूप में की जाएगी एवं इसे नई वित्तीय देयता के रूप में माना जाएगा। इसी तरह मौजूदा वित्तीय देयता अथवा उसके किसी हिस्से की शर्तों का पर्याप्त संशोधन (चाहे देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण हो या उक्त के कारण न हो) मूल वित्तीय देयता के समापन के रूप में माना जाएगा एवं इसे नई वित्तीय देयता के रूप में माना जाएगा।

5.4. **आशोधनः**

वित्तीय आस्तियां

यदि किसी वित्तीय आस्ति की शर्तों का संशोधन किया किया जाता है तो कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि संशोधित आस्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह काफी हद तक अलग रहता है तो मूल वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त माने जाते हैं। इस मामले में, मूल वित्तीय आस्ति को मान्यता नहीं दी गई है एवं उचित मूल्य पर नई वित्तीय आस्ति के रूप में मानी गई है।

यदि परिशोधित लागत पर ली गई संशोधित आस्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त भिन्नता नहीं दिखाई देती है तो ऐसे संशोधन के कारण वित्तीय आस्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। इस मामले में, कंपनी ने वित्तीय आस्ति की सकल हस्तंगत राशि की पुर्नगणना की है एवं लाभ व हानि के विवरण में सकल लाभ या हानि के रूप में सकल हस्तगत राशि को समायोजित करने से आने वाली राशि माना है। वित्तीय आस्ति की सकल हस्तंगत राशि की पुनः मोल–तोल की गई या संशोधित संविदागत नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में पुनः गणना की जाएगी जिसे वित्तीय आस्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर (या क्रेडिट–खरीदे हुए या मूल के प्रभावी दर पर समायोजित, क्रेडिट– क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियां) अथवा संशोधित प्रभावी ब्याज दर जब लागू हो, पर छूट दी जाती है। यदि उधारकर्ता की वित्तीय

कठिनाइयों के कारण ऐसा संशोधन किया जाता है तो लाभ या हानि क्षतिग्रस्तता हानि के साथ दर्शाया जाता है। अन्य मामलों में, इसे ब्याज आय के रूप में दर्शाया जाता है।

5.5. उचित मूल्य मापन

वित्तीय लिखतों का महत्वपूर्ण हिस्सा तुलन पत्र में उचित मूल्य पद दर्शाया गया है।

'उचित मूल्य' वह कीमत होती है जो किसी आस्ति को मूलधन की मूल्यांकन की तिथि को बाजार के प्रतिभागियों के बीच अथवा ऐसे प्रतिभागियों की अनुपस्थिति में ऐसी तिथि जिस तिथि को कंपनी को सबसे अधिक लाभ हो, बेचने से प्राप्त होती है अथवा जिसका बाजार के प्रतिभागियों के बीच योजनाबद्ध लेन–देन में देयता हस्तांरित करने में भुगतान करना पड़ता है। देयता का उचित मूल्य इसकी गैर–निष्पादकता जोखिम को दर्शाती है।

जब कोई उचित मूल्य उपलब्ध होता है तो कंपनी किसी लिखत के उचित मूल्य का मूल्यांकन, सक्रिय बाजार में उस लिखित के लिए उद्धृत मूल्य का उपयोग करते हुए करती है। बाजार को तब सक्रिय माना जाता है जब आस्ति अथवा देयता के लेन–देन पर्याप्त बारंबारता व मात्रा में होते हैं एवं मूल्य निर्धारण की जानकारी निरंतर उपलब्ध रहती है।

यदि सक्रिय बाजार में कोई उद्धृत कीमत न हो तो आईआईएफसीएल ऐसी मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करता है जिसमें प्रासंगिक अवलोकनयोग्य सूचनाओं के उपयोग का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है और जो अप्रचलित सूचनाओं के उपयोग को कम करके दर्शाता है। चुनी गई मूल्यांकन तकनीक में उन सभी कारकों को शामिल किया गया है जिसे बाजार के प्रतिभागी लेन–देन के मूल्य–निर्धारण में ध्यान में रखते हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण आम तौर पर, लेन–देन की कीमत – अर्थात दिए गए अथवा प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य है। यदि आईआईएफसीएल यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लेन–देन मूल्य से भिन्न है एवं उचित मूल्य का न तो उसी के अनुरूप आस्ति अथवा देयता के सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य द्वारा और न ही मूल्यांकन तकनीक पर आधारित है जिसके लिए किसी भी अलक्षित निविष्टि का मूल्यांकन के संबंध में महत्वहीन होने का अनुमान लगाया जाता है तो आरंभिक तौर पर वित्तीय लिखत का मूल्यांकन प्रारंभिक मान्यता एवं लेन–देन कीमत पर उचित मूल्य के बीच के अंतर को समायोजित करने के बाद उचित मूल्य पर किया जाता है। इसके उपरांत समुचित अंतर के आधार पर लाभ व हानि विवरण में उस अंतर को माना गया है।

मांग विशेषता वाली वित्तीय देयता (उदाहरणार्थ मांग जमा) के उचित मूल्य, मांग पर देय राशि है।

अनउद्धृत इक्विटियों का आईआईएफसीएल के पास उपलब्ध सूचना की उपलब्धता के अधीन, नीचे दिए गए दृष्टिकोण के आधार पर, ऐसे क्रम में उचित मूल्यांकन किया गया है, जिसमें वे दिखाई देते हैं

क. कंपनी की नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण से निवेशिती संस्था का विश्लेषित विवरण

ख. एक रुपये पर, यदि नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है।

नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति आधार के अनुसार अवसंरचना ऋण निधियों और वैकल्पिक निवेश निधियों की इकाइयाँ मूल्यवान हैं। प्रतिभूति प्राप्तियां नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य या बही मूल्य के अनुसार मूल्यवान है, जो भी कम हो। अवसंरचना कर्ज निधि एवं वैकल्पिक निवेश निधि की इकाईयों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य के अनुसार किया गया है।

5.6. उचित मूल्य मापन के लिए मूल्यांकन तकनीक

यह दर्शाने के उद्देश्य से कि कैसे उचित मूल्य व्युत्पन्न किये गये हैं, वित्तीय लिखतों को निम्नलिखित समीक्षा के अनुसार मूल्यांकन तकनीकी के पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:

- स्तर 1 के वित्तीय लिखतें: ये वे लिखतें होती हैं जहां मूल्यांकन में प्रयुक्त निविष्टियां समान आस्ति अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार से उद्धृत कीमतों पर समायोजित की जाती हैं जब कंपनी मापन तिथि तक पहुंच स्थापित की है। कंपनी ने बाजार को तभी सक्रिय माना है जब समान आस्तियों एवं देयताओं की मात्रा एवं चलनिधि के संबंध में पर्याप्त व्यापारिक गतिविधियां हुई हों एवं जब बाध्यकारी एवं प्रयोज्य कीमत उद्धरण तुलन पत्र की तिथि को उपलब्ध है।
- स्तर 2 के वित्तीय लिखतें: ये वे लिखतें होती हैं जहां मूल्यांकन में प्रयुक्त निविष्टियां पर्याप्त हैं एवं लिखत के जीवनकाल की पूरी अवधि में उपलब्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर प्राप्य बाजार डेटा से व्युत्पन्न होती हैं। ऐसी निविष्टियों में सक्रिय बाजार में इसी तरह की आस्तियों अथवा देयताओं के लिए उद्धृत कीमत, सुस्त बाजार में समान लिखतों के लिए उद्धृत कीमत एवं ब्याज दरों और घटते आगम, अंतर्निहित अस्थिरता तथा ऋण की कीमत लागत में अंतर जैसे उद्धृत मूल्य के अलावा अन्य अवलोकन योग्य निविष्टि शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त परिसंपत्ति की स्थिति या अवस्थिति के समायोजन की आवश्यकता हो सकती है या यह उस सीमा तक हो सकती है जिसकी संबंधित लिखतों के साथ तुलना की जा सके। हालांकि यदि ऐसे समायोजन अलक्षित निविष्टियों के आधार पर किये जाते हैं जो पूरे मापन के लिए पर्याप्त हैं तो आईआईएफसीएल ऐसी लिखतों को स्तर 3 के तौर पर वर्गीकृत करेगा।
- स्तर 3 के वित्तीय लिखतें – ये वे लिखतें होती हैं जिसमें एक अथवा उससे अधिक अलक्षित निविष्टि शामिल होती है, जो संपूर्ण मापन के लिए पर्याप्त हैं।

5.7. **वित्तीय आस्तियों का ह्रासन**

आईआईएफसीएल ने वित्तीय आस्तियों के निम्नलिखित वर्गों के लिए अपेक्षित ऋण हानियों (ईसीएल) का मूल्यांकन करने में तीन स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है जिसका आकलन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं किया है:

- अन्य समग्र आय के माध्यम से परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य मूल्यांकित कर्ज लिखत
- ऋण प्रतिबद्धताएं; और
- वित्तीय गारंटी संविदाएं।

कोई ईसीएल इक्विटी निवेश पर नहीं माना गया है।

वित्तीय आस्तियां आरंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में बदलाव के आधार पर निम्नलिखित तीन चरणों के माध्यम से वर्गीकृत की गई है:

चरण 1: 12 महीने की ईसीएल

वे सभी एक्सपोजर जहां आरंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई हो एवं जो शुरूआत से हानि वाले ऋण नहीं हैं, इस चरण के तहत वर्गीकृत हैं।

चरण 2: आजीवन ईसीएल– हानि वाले ऋण नहीं

वे सभी एक्सपोजर जहां आरंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई हो लेकिन हानि वाले ऋण नहीं हैं, इस चरण के तहत वर्गीकृत हैं। 30 दिन गुजरने के बाद देय ऋण जोखिम में पर्याप्त वृद्धि के रूप में माना जाता है।

चरण 3: आजीवन ईसीएल– हानि वाले ऋण

सभी एक्सपोजर का आकलन हानि वाले ऋण के तौर पर तब किया जाता है जब एक अथवा एक अधिक घटनाओं उनका उस आस्ति के अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इस चरण में वर्गीकृत हैं। ऐसे एक्सपोजर के लिए जो हानि वाले ऋण बन गये हैं, आजीवन ईसीएल मानी गई है एवं ब्याज की आय की गणना सकल हस्तांगत राशि के बजाय परिशोधित (प्रावधान का निवल) पर प्रभावी ब्याज दर को अपनाकर की गई है।

ऋण आस्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के अनुसार, प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं का न्यूनतम होगी जो निम्नलिखित हैं:

(i) मानक आस्तियां: सामान्य प्रावधान ब्याज अर्जित पर वर्ष के अंत तक देय नही, सहित कर्ज की बकाया राशि पर 0.40 पर किया गया है।

(ii) अवमानक आस्तियां: कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया गया है।

(iii) संदिग्ध आस्तियां

(क) 100 प्रतिशत का प्रावधान उस सीमा तक है जहां अग्रिम को प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य द्वारा कवर नहीं किया जाता है, जिसके लिए कंपनी के पास एक वैध संसाधन है।

(ख) उपरोक्त मद के आधार पर, मद (क) के अलावा, जिस अवधि के लिए संपत्ति संदिग्ध बनी हुई है, प्रतिभूत हिस्से के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का प्रावधान करने का प्रावधान यानि कि बकाया के वास्तविक मूल्य का अनुमान, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

वह अवधि जिसके लिए आस्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(iv) ऋण आस्ति

संपूर्ण आस्ति को अपलिखित किया जाता है, हालांकि यदि किसी कारण से आस्तियों की बही में डालने की अनुमति दी जाती है तो बकाये का 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(v) पुनर्रचित ऋण आस्तियां

निम्नलिखित मामलों में पुनर्रचित मानक आस्ति के लिए प्रावधान उचित मूल्य में कमी के प्रावधान सहित भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(क) स्वीकृत कंपनियों को नई परियोजना ऋण 24 जनवरी, 2014 से प्रभावी प्रावधान 5 प्रतिशत की दर से किया जाएगा।

(ख) 23 जनवरी, 2014 को सभी कंपनियों के लिए पुनर्रचित किए गये बकाया ऋण के स्टॉक (बकाया पुनर्रचित ऋण) के शेयर के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 5 प्रतिशत का प्रावधान है।

वित्तीय आस्ति के वर्गीकरण के चरणों का निर्धारण

सूचना देने की हर तिथि को सभी वित्तीय आस्तियों को सूचना देने की तिथि एवं प्रारंभिक मान्यता की तिथि के बीच अपेक्षित अवधि में होने वाली चूक के जोखिम की तुलना करते हुए प्रारंभिक मान्यता के बाद से एक्सपोजर के ऋण जोखिम में वृद्धि के आधार पर, तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी ऐसी युक्तियुक्त एवं सामर्थ्यकारी सूचना पर विचार करती है जो इस प्रयोजन के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना प्रासंगिक और उपलब्ध होते हैं।

किसी एक्सपोजर को आस्ति की गुणवत्ता खराब होने पर चरण 1 से चरण 3 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि बाद की अवधि में, आस्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है एवं ऋण जोखिम में पूर्व के किसी मूल्यांकित महत्वपूर्ण वृद्धि की विपरीत स्थिति में होती है तो 30 दिनों से कम समय वाले एक्सपोजर को चरण 1 माना जाता है।

चरण 1 के तौर पर मानी गई वित्तीय आस्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान बारह महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पर आधारित है। जबकि चरण 2 एवं चरण 3 के तौर पर मानी गई वित्तीय आस्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान आजीवन ईसीएल मॉडल के आधार पर किए जाते हैं। जब कोई आस्ति न वसूले जा सकने वाली होती है तो उसे संबंधित प्रावधान के प्रति मान्यता नहीं दी जाती है। इस तरह की आस्तियों को सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के उपरांत मान्यता नहीं दी गई है एवं हानि की मात्रा निर्धारित कर दी गई है।

हालाँकि, यह असत्य अनुमान है 90 से अनधिक दिनों तक देय रहने वाली वित्तीय आस्ति चूक नहीं होती है जब तक कि कोई संस्था के पास यह दर्शाने वाली युक्तियुक्त एवं समर्थनयोग्य सूचना नहीं होती है कि और अधिक पश्चवर्ती चूक संबंधी मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन प्रयोजनो के लिए प्रयुक्त चूक की परिभाषा सभी वित्तीय लिखतों पर सतत रूप से लागू किया जाते हैं जब तक कि यह प्रदर्शित करने वाली सूचना उपलब्ध न हो कि किसी विशेष वित्तीय लिखतों के लिए कोई दूसरी परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

तदनुसार, किसी खाते को हानि वाले ऋण के तौर पर माना जाएगा एवं यदि निम्न में से कोई भी घटना घटित हो तो उसे चरण 3 में स्थानांतरित किया जाएगा।

- खाता विगत 90 दिनों से अधिक दिनों से देय (डीपीडी) हो
- आईआईएफसीएल ऋण दायित्व की ऐसी दबावग्रस्त पुर्नरचना के लिए सहमति दे, जहां मूलधन, ब्याज या (जहां प्रासंगिक है) शुल्क की महत्वपूर्ण छूट अथवा स्थगन के कारण ह्रासित वित्तीय दायित्व की संभावना हो।

विगत दिनों से देय (डीपीडी) का मूल्यांकन, ब्याज एवंध्अथवा मूलधन का भुगतान न किये जाने की दिनों की संख्या, बिल के अतिदेय रहने के दिनों की संख्या, किसी खाते के निरंतर सीमा/आहरण शक्ति से अधिक रहने अथवा खाते में जमा रकम खाते में प्रभारित ब्याज से कम है, के आधार पर किया जाता है।

निम्न ऋण जोखिम अनुमान

भारतीय लेखांकन मानक आईएनडी एएस 101 – *''वित्तीय लिखतें'' निर्दिष्ट करती हैं कि 'वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम अनुच्छेद 5.5.10 के प्रयोजनार्थ अल्प माना जाता है, यदि वित्तीय लिखत में चूक का जोखिम कम है तो उधारकर्ता के पास निकट भविष्य में एवं लंबी अवधि में आर्थिक एवं कारोबारी स्थितियों में प्रतिकूल बदलाव की अवस्था में अपने संविदागत नकदी प्रवाह के दायित्वों की पूरा करने की मजबूत क्षमता है लेकिन यह आवश्यक रूप से उधारकर्ता के अपने संविदागत नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता नहीं करेगी (अनुच्छेद–बी 5.5.22)''। ''इसके अतिरिक्त, जबकि इसने अल्प ऋण जोखिम वाले 'निवेश वर्ग' की बाहरी रेटिंग का उदाहरण दिया है, यह स्वीकार करता है कि वित्तीय लिखतों को अल्प ऋण जोखिम के रूप में माने जाने के लिए बाहरी रेटिंग होना आवश्यक नहीं है (अनुच्छेद–बी 5.5.23)।*

तदनुसार किसी लिखत को निम्न स्थितियों में अल्प ऋण जोखिम वाला माना जाता है:

- शून्य विनियामक जोखिम भार के तौर पर निर्दिष्ट शून्य अप्रत्याशित हानि: यह देखते हुए कि नियामक जोखिम–भार के अनुसार अनुमानित अप्रत्याशित हानि 0% है तो अपेक्षित हानि भी शून्य ही होगी। ऐसे मामलों में ईसीएल शून्य होगा। ऐसी आस्ति वर्गों के उदाहरण घरेलू राष्ट्रिक, ''एए'' या बेहतर की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग के साथ विदेशी राष्ट्रिक हैं।
- 20 प्रतिशत तक के विनियामक जोखिम भार के तौर पर निर्दिष्ट शून्य अप्रत्याशित हानि: 20 प्रतिशत के विनियामक जोखिम–भार के अनुरूप पोर्टफोलियों के लिए कम अप्रत्याशित हानि को देखते हुए, इनमें भी अपेक्षित नुकसान बहुत कम होगा। हालांकि ईसीएल शून्य नहीं हो सकता है या अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शा सकते हैं कि ऐसे आस्ति वर्ग/पोर्टफोलियो के लिए चूक की दरें शून्य होती हैं। ऐसी परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरणों में 'ए' की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग के साथ विदेशी राष्ट्रिक, घरेलू अनुसूचित आईआईएफसीएल (वे पूंजी पर्याप्तता की नियामक अपेक्षा पूरा करने में असफल हैं उनका अल्प ऋण जोखिम नहीं होता है), बाहरी रूप से मूल्यांकित घरेलू 'एएए' कॉर्पोरेट्स, स्टाफ ऋण शामिल हैं। इन पोर्टफोलियों के लिए प्रेक्षित चूक दरें भी शून्य होती हैं।

इन विवरणों में, सभी कर्मचारी ऋणों को अल्प ऋण जोखिम के तौर पर माना गया है।

प्रयुक्त पोर्टफोलियो में विभाजन का स्तर

जोखिम मापदंडों के अनुप्रयोग के प्रयोजनार्थ विभाजन आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) मॉडल के अनुरूप किया जाता है। हालाँकि, आगे के अनुमानों के लिए, आईआईएफसीएल इनमें से कुछ सब–पोर्टफोलियों को व्यापक श्रेणियों में समूहित करने का विकल्प चुन सकता है या कुछ मामलों में उन्हें सामान्य जोखिम वाले कारकों के आधार पर उप–खंडों में विभाजित कर सकता है।

ईसीएल का मापन

ईसीएल अपेक्षित ऋण के निष्पक्ष एवं संभाव्यता–भारित अनुमानों से व्युत्पन्न होते हैं एवं इसका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है

- वे वित्तीय आस्तियां जिनका रिपोर्टिंग तिथि को ऋण का स्वरूप नहीं बिगड़ा है: प्रभावी ब्याज दर से छूट देकर वित्तीय आस्ति के अपेक्षित जीवनकाल में नकदी के पूरे घाटे का वर्तमान मूल्य। नकदी की कमी संविदा के अनुसार आईआईएफसीएल को देय नकदी प्रवाह एवं वह नकदी प्रवाह जिसकी आईआईएफसीएल को प्राप्त करने की उम्मीद है, के बीच का अंतर है।
- वित्तीय आस्तियां जो रिपोर्टिंग तिथि में क्रेडिट अनुसार क्षतिग्रस्त हैं: सकल वहन राशि और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अंतर के रूप में प्रभावी ब्याज दर से छूट दी गई है।
- अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएं: संविदागत नकदी प्रवाह जो आईआईएफसीएल को देय है यदि प्रतिबद्धता में गिरावट आती है एवं वह नकदी प्रवाह जिसकी आईआईएफसीएल को प्राप्त करने की उम्मीद है, के बीच का अंतर का वर्तमान मूल्य।
- वित्तीय गारंटी अनुबंध: धारक को प्रतिपूर्ति के अपेक्षित भुगतान में वह राशि घटा कर जिसे आईआईएफसीएल वसूलने की उम्मीद है

ईसीएल लाभ हानि विवरण में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण लेखा के प्रावधान का उपयोग करके माने गये हैं। अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर पर मूल्यांकित ऋण लिखतों के मामले में, ईसीएल का मूल्यांकन तीन चरणों के दृष्टिकोण पर आधारित है जो परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू होता है। आईआईएफसीएल ने लाभ हानि में प्रावधान शुल्क को तुलन पत्र में आस्ति के हस्तगत राशि में अपचयन किये बिना अन्य समग्र आय में मानी गई अनुरूप राशि के साथ माना है।

ह्रासन (क्षति) आरक्षित निधि:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2019–20/170 दिनांक 13 मार्च, 2020 के अनुसार आईआईएफसीएल भारतीय लेखांकनमानक द्वारा अपेक्षित ह्रासन भत्ता रखेगा। आईआईएफसीएल इसी तरह मानक के अलावा पुनर्रचित आस्ति, एनपीए कालावधि इत्यादि के लिए उधारकर्ता/लाभार्थी वार वर्गीकरण, प्रावधानीकरण सहित आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधापीकरण (आईआरएसीपी) के मौजूदा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं संगणना प्रावधान भी करेगा।

जहां भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन ह्रासन भत्ता आईआरएसीपी (मानक आस्ति प्रावधानीकरण सहित) के तहत अपेक्षित प्रावधानीकरण से कम है तो वहां आईआईएफसीएल को 'ह्रासन आरक्षित निधि' को अलग करने के लिए अपने करोपरांत निवल लाभ अथवा हानि से अंतर का विनियोजन करना आवश्यक होगा। 'ह्रासन आरक्षित निधि' के शेश की नियामक पूंजी के प्रयोजनार्थ गणना नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित निधि से धनराशि आहरित करने की अनुमति नहीं होगी।

5.8. **त्वरित प्रावधानीकरण**

आईआईएफसीएल, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत एक विवेकशील ऋणदाता के रूप में कार्यरत है जो सामान्य प्रावधान के अलावा, आस्ति वर्गीकरण के आधार पर प्रतिभूतध्अप्रतिभूत भागों के लिए निर्धारित प्रतिशत लागू करने के संदर्भ में जैसा समय–समय पर संशोधित हो, अपेक्षित वसूली की स्थिति के अनुसार मामला दर मामला आधार पर त्वरित प्रावधानीकरण करता है।

त्वरित प्रावधानीकरण ऐसे अपवादस्वरूप मामलों में प्रस्तावित किया गया है जहां भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान पर्याप्त होने के बाद भी, हालांकि प्रबंधन के दृष्टिकोण से, ऐसी परिस्थितियों हो सकती हैं, जो सुधार की संभावनओं को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे मामलों में प्रबंधन एक विवेकसम्मत उपाय के तौर पर त्वरित प्रावधानीकरण पर मामला दर मामला दृष्टिकोण अपनाता है।

त्वरित प्रावधानीकरण मोटे तौर पर निम्नलिखित मानकों पर निर्भर करता है:

- परियोजना की स्थिति
- प्रवर्तक की धन लगाने की क्षमता
- मूर्त प्रतिभूति, नकद प्रवाह और उपलब्ध रियायतें
- सहायता संघ द्वारा वसूली के लिए उठाए गए कदम
- प्रबंधन का बोध

उपरोक्त वर्णित कारकों को ध्यान में रखते हुए 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक के प्रावधान किये गये हैं।

6. पट्टे पर देना

परिचालन पट्टे के तहत पट्टा भुगतान पट्टा अवधि पर ऋजु रेखा के आधार पर लाभ हानि के विवरण में व्यय के तौर पर माने गये हैं।

7. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का दिन–प्रतिदिन के शोधन, संचित मूल्यह्रास घटाकर एवं मूल्य में संचित हानि को छोड़कर अर्जन की लागत पर उल्लेख किया गया है

संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर को निपटान पर मान्यता नहीं दी जाती है अथवा जब उससे भविष्य में आर्थिक लाभ की अपेक्षा नहीं रह जाती है। आस्ति को मान्यता न दिये जाने पर होने वाला कोई लाभ अथवा हानि (निवल निपटान आय एवं आस्ति की हस्तांगत राशि के बीच अंतर के तौर पर परिगणित) लाभ हानि विवरण में उस तिथि को माना जाता है जिस तिथि को आस्ति को मान्यता नहीं दी गयी हो।

8 अमूर्त आस्तियां एवं विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

अलग से अधिग्रहित अमूर्त आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक मान्यता के उपरांत, अमूर्त आस्तियों को किसी भी संचित परिशोधन व संचित हानि, यदि कोई हो, की लागत पर किया गया है।

पहले से ही पूंजीकृत अमूर्त आस्ति पर बाद के व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे मौजूदा आस्ति में निहित भावी आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है व उत्तरव्यापी प्रभाव से परिशोधित होती है।

आंतरिक उपयोग के लिए अर्जित सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है) एवं जिसके कारण भविष्य के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ हों, को अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाता है जब वह इसके उपयोग के लिए तैयार होता है।

विकास संबंधी व्यय अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाएगा यदि वह भारतीय लेखांकन मानक 38 'अमूर्त आस्ति' के अनुसार पात्रता मानदंड पूरा करते हों, अन्यथा इसे व्यय के रूप में माना जाएगा।

अमूर्त आस्ति के किसी मद को तब मान्यता नहीं दी जाती है जब उसके के निपटान पर अथवा जब इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। किसी भी अमूर्त आस्ति को मान्यता न देने से होने वाले लाभ या हानि का निवल निपटान आय एवं आस्ति की हस्तांगत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है एवं आस्ति को मान्यता न दिये जाने पर उसे लाभ व हानि के विवरण में माना जाता है।

9 मूल्यह्रास/परिशोधन

मूल्यह्रास की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल से अधिक उनके अवशिष्ट मूल्यों पर संपत्ति और लिखत की लागत को लिखने की विधि विधि का उपयोग करके की जाती है। उपयोगी जीवन को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।। के अनुसार माना जाता है।

आईआईएफसीएल का कार्यालय परिसर का 30 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे का ऋण चुकाया गया है।

परिशोधन की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर उनके अवशिष्ट मूल्यों के संबंध में अमूर्त आस्ति की लागत का अवलेखन करने के लिए ऋजु–रेखा पद्धति का उपयोग करके की जाती है। पट्टा आस्ति के मामले में, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की गणना पट्टा अवधि के समापन के आधार पर की जाती है।

अमूर्त आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल का आकलन या तो परिमित होता है या अनिश्चित होता है। परिमित जीवनकाल वाली अमूर्त आस्तियां उपयोगी आर्थिक जीवनकाल में परिशोधित होती हैं। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त आस्ति के लिए परिशोधन अवधि एवं परिशोधन विधि की कम से कम हर वित्तीय वर्ष के आखिर में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन या आस्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित कार्य प्रणाली की गणना परिशोधन अवधि या कार्यप्रणाली जो भी उपयुक्त हो, में बदलाव करते हुए की जाती है जिसे बाद में लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवनकाल वाली अमूर्त आस्ति पर परिशोधन व्यय, आय विवरण में अलग पंक्ति के मद के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

10 गैर–वित्तीय आस्तियों का ह्रासन

आईआईएफसीएल प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन करता है कि गैर–वित्तीय आस्ति ह्रासित हो सकती है। मूल्यांकन के अनुसार ज्ञात हानि को व्यय के रूप में माना गया है।

11 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

कारोबार की सामान्य अवधि में आईआईएफसीएल बैंकों को चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करता है जो आमतौर पर सहायता संघ के सदस्यों को लाभार्थियों के पक्ष में ऋणदाताओं की ओर से साख पत्रधवित्तीय गारंटी जारी करने के लिए जारी किया जाता है। चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) प्रारंभिक तौर पर, प्राप्त प्रीमियम के कारण उचित मूल्य पर 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में माना गया है। प्रारंभिक मान्यता के उपरांत, प्रत्येक गारंटी के तहत आईआईएफसीएल की देयता

का मूल्यांकन राशि आय विवरण में माने गये संचयी परिशोधन से घटाकर प्रारंभिक तौर मानी गई उच्च राशि एवं गारंटी के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय दायित्व का निपटान करने में अपेक्षित व्यय के बेहतर अनुमान के आधार पर किया गया है। वित्तीय गारंटियों से संबंधित देयता में कोई भी वृद्धि ऋण हानि व्यय में आय विवरण में दर्ज की गई है। प्राप्त प्रीमियम गारंटी के जीवनकाल पर ऋजु रेखा के आधार पर आय विवरण में निवल शुल्क एवं कमीशन आय में माना गया है।

12 प्रावधान और आकस्मिकताएँ

ऐसे प्रावधान तब माने जाते हैं जब आईआईएफसीएल का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप हो एवं यह संभावना हो कि दायित्वों का निपटान करने के लिए सन्निहित आर्थिक लाभ के संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक होगा। जब धन के समय के मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है तो आईआईएफसीएल देयता के लिए विशिष्ट वर्तमान दर दर्शाते हुए पूर्व–कर दर पर अपेक्षित नकदी प्रवाह को छूट देकर प्रावधान के स्तर को निर्धारित करता है। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय अन्य परिचालन व्ययों में किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ व हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

आकस्मिक देयता निम्नानुसार मानी व विगोपित की गई है:

क) पिछली घटना से उत्पन्न होने वाला संभावित दायित्व जिसकी मौजूदगी की पुष्टि समूह के नियंत्रण के भीतर न होने वाली एक या उससे अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा घटित न होने से की जाएगीय या

ख) पिछली की घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जिसे माना नहीं गया है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी अथवा दायित्व की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब ऐसा संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व विद्यमान होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना अल्प होती है तो कोई प्रावधान या विगोपन नहीं किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्ति को नहीं माना गया है। हालांकि, आकस्मिक आस्ति का आकलन निरंतर किया गया है एवं यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह पैदा होगा तो आस्ति एवं उससे संबंधित आय उस अवधि में मानी गई है जिसमें बदलाव हुआ है।

प्रतिबद्धताओं में ग्राहक को ऋण देने के करार के अनुसार ऋण का प्रदान करने की ऐसी बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं जहां तक संविदा में स्थापित किसी शर्त का उल्लंघन न हो।

13. आय पर कर

13.1 वर्तमान कर

वर्तमान एवं पूर्व वर्षों में कर आस्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन, कराधान प्राधिकरणों से वसूल किए जाने अथवा कराधान प्राधिकरणों अदा की गई राशि के आधार पर किया जात है। राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कर दरें एवं कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तिथि के तक अधिनियमित किए गए या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं जहां आईआईएफसीएल ने कारोबार किया है एवं कर योग्य आय सृजित की है।

इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से मानी गई मदों से संबंधित वर्तमान आयकर को इक्विटी में माना गया है एवं लाभ या हानि के विवरण में नहीं माना गया है। प्रबंधन समय–समय पर, उन परिस्थितियों के संबंध में कर विवरणी में ली गई अवस्थाओं का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहां प्रावधान स्थापित करते हैं जहां यथोचित हो।

13.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में आस्तियों एवं देयताओं की रखाव राशि एवं कर योग्य लाभ की संगणना में प्रयुक्त तत्संबंधी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर माना गया है एवं इसकी तुलन पत्र देयता विधि का उपयोग करते हुए गणना की गई है। आस्थगित कर आस्तियां आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, उसी सीमा तक अप्रयुक्त कर हानि एवं अप्रयुक्त कर ऋण के लिए माना गया है जिसमें यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसे उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानि एवं अप्रयुक्त कर ऋण में उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर आस्तियों की रखाव राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को समीक्षा की गई है एवं इसे उस सीमा तक घटा दिया है जहां इसकी ये संभावना न हो कि इससे अस्थायी अंतरों में उपयोग किया जा सकने वाला पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताओं का मूल्यांकन उस कर दरों पर किया गया है जिसकी उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें कर की दरों (और कर कानून) के आधार पर देयता का निपटान किया गया है अथवा आस्ति जुटाई गयी है एवं तुलन पत्र की तिथि को अधिनियमित किया गया या मौलिक रूप अमल में लाया गया है।

14 प्रति शेयर उपार्जन

आईआईएफसीएल अपने साधारण शेयरों के लिए बुनियादी और तनुकृत ईपीएस डेटा प्रस्तुत करता है। मूल ईपीएस की गणना अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। तनुकृत ईपीएस को इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले लाभ या हानि को समायोजित करके निर्धारित किया जाता है और सभी dilutive संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किए

गए साधारण शेयरों की भारित–औसत संख्या, जिसमें कर्मचारियों को दिए गए शेयर विकल्प शामिल होते हैं।

15. कर्मचारी हितलाभ

15.1 सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उनकी अघोषित राशि पर उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

15.2 कर्मचारियों के पारिश्रमिक से कटौती किए जाने वाले भविष्य निधि का अंशदान एवं नियोक्ता के अंशदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफओ) कार्यालय में जमा किया जाता है।

15.3 एनपीएस से परिभाषित परिभाषित योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ योजना में योगदान करने के लिए कंपनी के अनदेखे दायित्व पर मान्यता प्राप्त हैं। इसे आईडीबीआई बैंक को भुगतान किया जाता है, जो एनपीएस सुविधा के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस सेवा प्रदाता है और अवधि से संबंधित व्यय किया जाता है।

15.4 सभी सेवा निवृत्त लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ उस वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा में व्यय के रूप में माने जाते हैं जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की है। व्यय को देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर माना गया है जो बीमांकिक मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग करके निर्धारित किया गया है।

15.5 अवसान संबंधी हित लाभ व्यय के रूप में माने गये हैं।

15.6 बीमांकिक मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा हानि को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में होने की अवधि में माना गया है।

15.7 कर्मचारी दायित्व हितलाभ यानि बीमारी अवकाश, अवकाश, यात्रा रियायत छूट एवं चिकित्सा सहायता योजना के रूप में है उसी के बीमांकिक मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग की तारीख तक की अवधि के लिए प्रदान की गई है।

15.8 उपदान आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह उपदान निधि के नाम पर न्यास द्वारा समूह उपदान योजना भारतीय जीवन बीमा निगम को देय राशि के आधार पर प्रदान की गई है।

15.9 अवकाश नकदीकरण सुविधा, एलआईसी समूह अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत देय राशि के आधार पर प्रदान की गई है।

15.10 नियुक्ति की शर्तों के अनुसार जहां लागू हो, वहां कार्यकारी निदेशकों के अवकाश नकदीकरण, उपदान और बीमारी अवकाश के लिए प्रावधान किया गया है एवं देयता की अनुमानित राशि के आधार पर उपर्जित किया गया है।

16 महत्वपूर्ण लेखांकन मान्यताएं एवं अनुमान

आईआईएफसीएल की लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में धारणा, अनुमान एवं मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि कहीं विभिन्न मान्यताएं अथवा अनुमान अपनाये गये थे तो परिणामी मूल्य बदल जाएंगे जिससे आईआईएफसीएल की निवल परिसंपत्ति व आय पर प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए अनुमान उस तिथि के सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित हैं। यद्यपि आईआईएफसीएल के पास आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमानों का आकलन विश्वसनीय ढंग से किया गया है तथापि वास्तविक मात्रा उन अनुमानों से भिन्न हो सकती है। अनुमानों एवं अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा सतत आधार पर की गई है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में माना गया है जिसमें वे अनुमान संशोधित किए गये हैं एवं भविष्य में किसी भी अवधि में प्रभाव डालती हों। लेखांकन नीतियां जो निर्णय, अनुमान एवं मान्यताओं के उपयोग के लिए सबसे अधिक सुग्राही हैं, नीचे विनिर्दिष्ट हैं।

- **उचित मूल्य मापन**

  वित्तीय लिखतों का महत्वपूर्ण हिस्से को उचित मूल्य पर तुलन पत्र में ले जाया जाता है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी आस्ति की बिक्री से प्राप्त होगा अथवा जिसका मूल्यांकन की तिथि को बाजार के प्रतिभागियों के बीच योजनाबद्ध लेन–देन में देयता स्थानांतरित करने के संबंध में भुगतान किया जाएगा। जहाँ वित्तीय आस्ति अथवा देयता के वर्गीकरण का परिणामों उचित मूल्य, जहाँ भी संभव हो, पर आकलन किया जा रहा है वहां उचित मूल्य सबसे अधिक लाभकारी सक्रिय बाजार में उद्धृत बोली अथवा प्रस्ताव का संदर्भ देते हुए निर्धारित किया जाता है जिस पर आईआईएफसीएल की तत्काल पहुँच है। ऋण जोखिम के कोई समायोजन को भी उचित मूल्य में शामिल किया गया है। सक्रिय बाजार में उद्धृत वित्तीय देयता के संबंध में निवल जोखिम की स्थिति का उचित मूल्य ही वर्तमान प्रस्ताव मूल्य है एवं वित्तीय आस्ति के संबंध में, बोली की कीमत को धारित अथवा जारी लिखतों की इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है। जहां किसी विशेष आस्ति अथवा देयता के लिए कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है तो वहां आईआईएफसीएल उचित मूल्य पर निकालने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करता है जिसमें सबसे नये लेन–देन में प्राप्त लेन–देन की कीमतों का उपयोग, बाजार की स्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि को मौजूद जोखिमों पर आधारित मितीकाटा वाला नकदी प्रवाह विश्लेषण, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल एवं अन्य मूल्यांकन तकनीक शामिल है। ऐसा करने के लिए, उचित मूल्य का अनुमान ऐसी मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाता है जिसमें बाजार की अवलोकन योग्य सूचनाओं का अधिकतम उपयोग किया जाता

है एवं इकाई–विशिष्ट सूचना पर कम निर्भरता होती है। प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण है लेनदेन कीमत (यानी दिए गए या प्राप्त किए गए प्रतिफल का उचित मूल्य) जब तक कि उस लिखत का उचित मूल्य, उसी लिखत (यानि बिना संशोधन अथवा पुनर्पैकेजिंग के) में अन्य अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन अथवा ऐसी मूल्यांकन तकनीकी जिनके परिवर्ती कारक में अवलोकनयोग्य बाजार का ही डेटा शामिल है, के साथ तुलना प्रमाणित नहीं होती है। जब इस तरह के प्रमाण विद्यमान होते हैं तो आईआईएफसीएल प्रारंभिक मान्यता पर (यानी पहले दिन को) लाभ या हानि में लेनदेन मूल्य और उचित मूल्य के बीच अंतर को मानता है।

- **ऋण और अग्रिम राशि पर हानि शुल्क**

  ऋण एवं अग्रिम के संबंध में ह्रासित हानि का निर्धारण करते समय, भावी नकदी प्रवाह की मात्रा एवं समय के आकलन में प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इन नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने में आईआईएफसीएल, उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति एवं संपार्श्विक के निवल वसूली योग्य मूल्य के बारे में निर्णय करता है। ये अनुमान कई कारकों से संबंधित मान्यताओं पर आधारित हैं एवं वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में यह ह्रासित भत्ता में परिवर्तित हो सकता है। ह्रासित मद के सामूहिक आकलन में ऋण पोर्टफोलियो (जैसे क्रेडिट गुणवत्ता, बकाया के स्तर, ऋण उपयोग, संपार्श्विक अनुपात की तुलना में ऋण) एवं जोखिम व आर्थिक डेटा का सकेंद्रण (बेरोजगारी का स्तर, अचल संपत्ति कीमत सूचकांक, देश के जोखिम एवं भिन्न–भिन्न व्यक्तिगत समूहों का कार्य–निष्पादन सहित) के लेखा आंकड़े लिये गये हैं।

- **ह्रासित ऋण के अलावा अन्य प्रावधान**

  प्रावधान कर्मचारी पात्रता, पुनर्रचना लागत एवं मुकदमेबाजी प्रावधान जैसी भावी दायित्वों की श्रेणी के संबंध में किये गये हैं। कुछ प्रावधानों में विभिन्न घटनाओं के संभावित परिणाम एवं भावी अनुमानित नकदी प्रवाह के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इन प्रावधानों के मूल्यांकन में लेनदेन के अंतिम परिणामों के बारे में प्रबंधन निर्णयों का प्रयोग शामिल है। एक वर्ष से अधिक समय के बाद किए जाने वाले भुगतान पर उस दर से छूट दी जाती है जो वर्तमान ब्याज दरों एवं उस प्रावधान के लिए विशिष्ट जोखिम दोनों को दर्शाती है।

- **ऋण एवं अग्रिम**

  ऋण एवं अग्रिमों का मूल्यांकन, प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन की लागत के योग तथा बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर किया गया है।

17. उधारियां एवं कर्ज प्रतिभूतियां

उधारियां एवं कर्ज प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन की लागत को घटाकर तथा बाद में एफवीटीपीएल में समूह निर्दिष्ट देयताओं को छोड़कर, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर किया गया है।

18. उधार की लागत

विदेशी मुद्रा की उधारियों पर किये गये विनिमय के अंतर को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है। विनिमय की राशि का अंतर जो देशी मुद्रा की उधारियों पर ब्याज एवं विदेशी मुद्रा की उधारियों पर ब्याज के बीच अंतर से अनधिक है, उसे उधारियों की लागत के रूप में माना गया है और इसकी गणना भारतीय लेखांकन मानक एएस 23–उधारी लागत के अंतर्गत की गई है एवं विनिमय का शेष अंतर, यदि कोई हो, की गणना भारतीय लेखांकन मानक एएस 21–विदेशी विनिमय दरों में बदलाव के प्रभाव के अंतर्गत की गई है।

इस प्रयोजनार्थ, देशी मुद्रा के उधारियों के ब्याज दर को कंपनी द्वारा लिए गए बैंक ओवरड्राफ्ट की दर माना गया है।

19. सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनी, कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई होती है। नियंत्रण तब होता है जब इकाई पर कंपनी का अधिकार उजागर होता है अथवा कंपनी के पास इकाई में अपनी भागीदारी से परिवर्ती प्रतिफल के अधिकार होते हैं व इकाई पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उस प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता होती है।

अधिकार को उन मौजूदा अधिकारों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है जो प्रासंगिक क्रियाकलापों को निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं जो इकाई के प्रतिफल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

सहायक कंपनियों में निवेश लागत पर लिया गया है। लागत में निवेश हासिल करने के लिए किये गये भुगतान की कीमत एवं प्रत्यक्ष तौर पर देय लागत शामिल है।

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप लेनदेन की तिथि को कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार जो भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार समझी गई, सहायक कंपनी में निवेश का रखाव मूल्य माना है।

20. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

20.1 विदेशी मुद्रा में व्यय एवं आय की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित बैंकों की विनिमय दरों पर की गई है।

20.2 निम्नलिखित शेष राशि को लेखाबंदी की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों (भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर) पर भारतीय मुद्रा में बदला गया है:

(क) प्रोद्भत आय अथवा व्यय लेकिन क्रमशः विदेशी मुद्रा ऋण एवं विदेशी मुद्रा उधारियों पर देय नहीं।

(ख) विदेशी मुद्रा में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संबंध में आकस्मिक देयता।

20.3 विदेशी मुद्रा ऋण देयता को रिपोर्टिंग की तारीख को प्रचलित आरबीआई के संदर्भ दर पर भारतीय मुद्रा में बदला गया है विनिमय में होने वाले अंतर को लेखा मानक 11, लेखांकन मानक एएस 21–विदेशी विनिमय दरों में बदलाव के प्रभाव के अनुसार लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

20.4 विदेशी मुद्रा ऋण आस्तियों, देयाताओं एवं प्रोद्भूत/प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं आय व व्यय पर वास्तविक/रूपांतरण लाभ/हानि (निवल) लाभ व हानि विवरण में जमा/प्रभारित किया गया है।

21. व्युत्पन्नी लेखांकन

21.1 जहां भी कंपनी ने वायदा संविदा अथवा कोई लिखत यानि वायदा विनिमय संविदा अनुबंध के सत्व संपन्न की है तो वायदा विनिमय संविदा की तारीख पर वायदा दर एवं विनिमय दर के बीच के अंतर को भारतीय लेखांकन मानक एएस –11 के अनुसार, संविदा के पूरे जीवनकाल पर आय या व्यय के रूप में माना गया है।

21.2 विदेशी मुद्रा ऋण पर की गई बचाव व्यवस्था, विदेशी मुद्रा (यानी स्वाभाविक बचाव व्यवस्था) में दिए गए ऋणों के समायोजन के उपरांत एफआईएफओ के आधार पर समायोजित की गई है।

21.3 ब्याज दर अदला–बदली सहित वायदा विनिमय संविदा के निरसन अथवा नवीनीकरण से होने वाला कोई लाभ या हानि को उस वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में माना गया है।

21.4 कंपनी द्वारा संपन्न जेपीवाई येन में ब्याज दर अदला–बदली लेनदेन के संबंध में कंपनी तुलन पत्र की तिथि को मार्क टू मार्केट हानि का प्रावधान कर रही है।

21.5 बचाव व्यवस्था संविदा के अनुसार वायदा संविदा की शुरूआत में एवं क्रमशः प्रतिपक्षकार से वसूले गये अथवा अदा किय गये अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व के भुगतान में हाजिर विनिमय दर में अंतर के लेखे पर अधिशेष या घाटे को ऐसे ऋण चुकाने के समय पर लाभ अथवा हानि के रूप में माना गया है।

21.6 विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और अदला–बदली संविदा (पूर्वोक्त ऋण पर होने वाली कोई हानि के बचाव के लिए) को अलग–अलग लेनदेन के रूप में माना गया है।

21.7 विदेशी मुद्रा उधारियों का लेखांकन मानक 11, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार पुनः वर्णन किया गया है।

जून, 2015 में जारी "व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए लेखांकन" पर आईसीएआई द्वारा जारी किया गया मार्गदर्शी सूचना, 1 अप्रैल, 2016 से लागू है एवं कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से इसे लागू किया है। विनिमय दर में किसी भी तरह का परिवर्तन, पिछली रिपोर्टिंग तिथि के बाद से रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर और इस अवधि के दौरान उधार लेने की तिथि से, व्युत्पन्न संविदाओं का उचित मूल्य के प्रति स्पष्ट किया गया है एवं कोई लाभ अथवा हानि नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि के रूप में मानी गई है। व्युत्पन्न संविदा का उचित मूल्य संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रदान किया गया है।

मार्गदर्शी सूचना के अनुसार, बचाव व्यवस्था लिखत का मूल्यांकन उचित मूल्या पर किया जाता है लेकिन प्रभावी बचाव व्यवस्था से होने वाला कोई लाभ व हानि को इक्विटी जैसे नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था में माना गया है। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ व हानि विवरण में अस्थिरता से बचने का है जब बचाव व्यवस्था से जुड़े मदों पर लाभ अथवा हानि उसमें शामिल नहीं होती है।

22. राजस्व अनुदान के लिए लेखांकन

22.1 अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में अवधि में ऐसे व्यवस्थित आधार पर श्अन्य आयश के रूप में माना गया है जो उन्हें संबंधित लागतों से मिलान करने लिए आवश्यक है जिनकी वे क्षतिपूर्ति करने का इरादा रखते है परंतु इसमें अनुदान की राशि की स्वीकृति एवं वसूली के साथ संलग्न शर्तों का अनुपालन का उचित आश्वासन हो।

22.2 पूर्व अवधियों में पहले से किए गए व्यय के संबंध में प्राप्त अनुदान को अनुदान के अनुमोदन के वर्ष में लाभ व हानि विवरण में माना गया है।

22.3 वर्ष के अंत में अनुदान की अप्रयुक्त राशि, यदि कोई हो, को वर्तमान के देताओं के तहत दिखाया गया है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके सूचना दी गई है जिससे कर पूर्व लाभ गैर–नकदी प्रकृति के लेनदेन एवं पिछले या भविष्य की नकद प्राप्तियों के किसी भी आस्थगन एवं प्रोद्भवन प्रभाव के लिए समायोजित किये गये हैं। कंपनी के प्रचालन, निवेश एवं वित्तपोषण के क्रियाकलाप अलग–अलग किये गये हैं।

(ख) वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां

1. पूर्व अवधि के आय एवं व्यय (लेखांकन मानक–8) जिन्हें लाभ व हानि विवरण में नियमित मदों के अंतर्गत शामिल किया गया है निम्नानुसार हैं।

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(क) आय		
(i) ऋण एवं अग्रिमों पर आय	-	-
(ii) दंडस्वरूप ब्याज	-	-
(iii) अन्य प्रभार	-	-
योग (क)	-	-
(ख) व्यय		
(i) स्थापना एवं अन्य व्यय	-	-
(iii) वेतन एवं मजदूरी	-	-
योग (ख)	-	-
चालू वर्ष के लाभ पर लाभ/(हानि) के माध्यम से निवल प्रभाव (क)–(ख)	-	-

2. **लेखांकन नीतियों में बदलाव**

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

3. **भारतीय लेखांकन मानक 19 (संशोधित 2005) "कर्मचारी हितलाभ" (भारतीय लेखांकन मानक – 19) के तहत प्रकटीकरण**

भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी हितलाभ" के अनुसार, प्रकटीकरण जैसा कि लेखांकन मानक में परिभाषित है निम्न तालिकानुसार है:

क) **उपदान योजना (वित्तपोषित):** उपदान देयता भावी भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है, जिन्हें सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या प्रत्याहार की स्थिति में किए जाने की आवश्यकता होती है। यही आईआईएफसीएल कर्मचारी सामूहिक उपदान निधि के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से सामूहिक उपदान योजना पर भारतीय जीवन बीमा निगम को देय राशि के आधार पर प्रदान की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम सामूहिक उपदान योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की उपदान देयता राशि का भुगतान आईआईएफसीएल करता है और उसने वित्तीय विवरणों की तिथि की यथास्थिति उपदान देयता के बीमांकित मूल्यांकन की राशि को सुनिश्चित नहीं किया है।

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य अवधारणाएं निम्नानुसार हैं:

प्रयुक्त विधि	अनुमानित इकाई ऋण विधि
i) छूट दर	6.79%
ii) भावी लागत वृद्धि दर	5.50%
iii) योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की अपेक्षित दर	6.79%

I. उपदान योजना के लिए अवधारणा:

	2019-20	2018-19
मृत्यु दर	एलआईसी (2006–08)	एलआईसी (2006–08)
आहरण दर	1 % से 3 % आयु पर निर्भर)	1 % से 3 % आयु पर निर्भर)
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.79%	7.66%
वेतन में वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50%

II. परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशील विश्लेषण (राशि लाख रुपये में)

क) छूट दर में बदलाव का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**36,541,143**
(क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(2,314,594)
(ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	2,546,683
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**36,541,143**
(क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	2,566,598
(ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(2,352,176)

मृत्यु और आहरण के कारण ग्रहणशीलता आर्थिक नहीं होती है इसलिए बीमाकंक द्वारा इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पूर्व पेंशन की वृद्धि की दर के रूप ग्रहणशीलता लागू नहीं है। आईआरडीए के परिपत्र संख्या आईआरडीए/एसीटीएल/आरईजी/परि./123/06/2013 दिनांक 28 जून, 2013 के अनुसार वर्तमान बीमा पत्र में किसी भी नये सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए आईआईएफसीएल ने पुरानी पॉलिसी अर्थात पॉलिसी संख्या 331776 के साथ नये कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी यानि पॉलिसी संख्या 103001183 में अंशदान किया है।

(राशि लाख रुपये में)

1.	निवल परिभाषित हितलाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	365.41	278.53
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	404.97	332.65
ग)	तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मानी गई निवल आस्तियां/(देयता)	39.55	54.13
	योजनागत आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	332.65	217.16
ख)	योजनागत आस्तियों का वास्तविक प्रतिफल	26.66	19.02
ग)	मृत्यु प्रभार	(0.35)	(1.52)
घ)	कर्मचारी का अंशदान	92.03	111.39
ङ)	प्रदत्त हितलाभ	(46.03)	(13.39)
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	404.97	332.65
2.	**हितलाभ दायित्व में परिवर्तन**		
क)	अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	278.53	193.90
ख)	अर्जन का समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	21.34	14.95
घ)	सेवा लागत	48.63	41.08
ङ)	कटौती संबंधी लाभ/हानि सहित विगत सेवा लागत	-	-
च)	प्रदत्त हितलाभ	(46.03)	(13.39)
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	62.95	41.98
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	365.41	278.53
3.	**निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व में परिवर्तन**		
क)	अवधि के आरंभ में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	86.00	0.26
ख)	अर्जन का समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	66.46	69.30
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	6.59	0.02
ङ)	पुनर्मापन	(5.61)	80.87
च)	निधि को अदा गया किया अंशदान	-	(64.45)
छ)	उद्यम द्वारा सीधे अदा गया किया हितलाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	153.43	86.00
4.	**दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण**		
क)	जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.22)	-
ख)	वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	38.92	1.65
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	24.25	40.33

ख) अर्जित छुट्टी देयताः किसी कर्मचारी को देय अर्जित छुट्टी वह अवधि होती है जिसे कर्मचारी ने अर्जित किया हो, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में ली गई छुट्टी की अवधि घटा दी जाती है। ये कार्यकाल के एक बटा ग्यारहवें हिस्से में अर्जित होती है।

प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति
i) छूट की दर	6.79%
ii) भावी लागत वृद्धि दर	5.50%
iii) योजना आस्तियों की संभावित दर	6.79%

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण (राशि लाख रुपये में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**55,091,376**
(क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(3,375,510)
(ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	3,651,542
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**55,091,376**
(क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	3,694,920
(ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(3,401,075)

मृत्यु और आहरण के कारण ग्रहणशीलता आर्थिक नहीं होती है इसलिए बीमाकंक द्वारा इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पूर्व पेंशन की वृद्धि की दर के रूप ग्रहणशीलता लागू नहीं है।

(राशि लाख रुपये में)

1.	**निवल परिभाषित हितलाभ (आस्ति)/देयता**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	477.46	443.44
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	324.03	357.44
ग)	तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मानी गई निवल आस्तियां/(देयता)	(153.43)	(86.00)
	योजनागत आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	357.44	287.29
ख)	योजनागत आस्तियों का वास्तविक प्रतिफल	25.27	22.96
ग)	मृत्यु प्रभार	(2.20)	(3.61)
घ)	कर्मचारी का अंशदान	-	64.45
ङ)	प्रदत्त हितलाभ	(56.48)	(13.65)
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	324.03	357.44
2.	**हितलाभ दायित्व में परिवर्तन**		
क)	अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	443.44	287.55
ख)	अर्जन का समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	33.97	22.17
घ)	सेवा लागत	66.46	69.30
ङ)	कटौती संबंधी लाभ/हानि सहित विगत सेवा लागत	-	-
च)	प्रदत्त हितलाभ	(56.48)	(13.65)
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(9.92)	78.06
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	477.46	443.44
3.	**निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व में परिवर्तन**		
क)	अवधि के आरंभ में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	86.00	0.26
ख)	अर्जन का समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	66.46	69.30
क)	निवल ब्याज लागत (आय)	6.59	0.02
ख)	पुनर्मापन	(5.61)	80.87
ग)	निधि में अदा गया किया अंशदान	-	(64.45)
घ)	उद्यम द्वारा सीधे अदा गया किया हितलाभ	-	-
ङ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	153.43	86.00
4.	**दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण**		
क)	जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.29)	-
ख)	वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	48.94	2.51
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(58.58)	75.56

II. **अन्य कर्मचारी हितलाभ (अनिधिक)**

अन्य कर्मचारी हितलाभों (अनिधिक) के लिए बीमांकिक अवधारणाएं

ग) अवकाश किराया रियायतः कंपनी के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी, जिन्होंने अपने अथवा अपने परिवार द्वारा यात्रा करने की तिथि को निरंतर अस्थायी सेवा सहित एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इस सुविधा के लिए पात्र हैं। दो साल के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार रियायत स्वीकार्य होगी। और इस तरह का पहला सेट /ब्लॉक उस महीने की पहली तारीख से शुरू होगा जिसमें एक कर्मचारी कंपनी में शामिल होगा, लेकिन इसके बाद ही उसे एक वर्ष की निरंतर सेवा के अस्थायी सेवा/परिवीक्षा अवधि सहित पूरा होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है।

क) आर्थिक अवधारणाएं (राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
i) छूट दर (%)	6.79 %	7.66
ii) भावी वेतन वृद्धि दर (%)	5.50 %	5.50
iii) योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की अपेक्षित दर (%)	6.79%	7.05

ख) जनसांख्यिकीय अवधारणाएं

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
i) सेवा निवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60
ii) मृत्य दर तालिका	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (आईएएलएम) (2006–08)	
iii) आयु	**आहरण दर (%)**	**आहरण दर (%)**
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से ऊपर	1.00	1.00

परिभाषित हितलाभ दायित्व की ग्रहणशीलता का विश्लेषण (राशि लाख रुपये में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**6,813,045**
(क)	0.50% प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(394,948)
(ख)	0.50% प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	434,026

मृत्यु और आहरण के कारण ग्रहणशीलता आर्थिक नहीं होती है इसलिए बीमाकंक द्वारा इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पूर्व पेंशन की वृद्धि की दर के रूप ग्रहणशीलता लागू नहीं है।

(राशि लाख रुपये में)

1.	**निवल परिभाषित हितलाभ (आस्ति)/देयता**	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	68.13	59.31
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मानी गई निवल आस्तियां/(देयता)	(68.13)	(59.31)
2.	**योजनागत आस्तियों में परिवर्तन**		
क)	अवधि के आरंभ में योजनागत आस्तियों का वर्तमान मूल्य	59.31	57.58
ख)	ब्याज लागत	4.54	4.44
ग)	सेवा लागत	10.36	10.71
घ)	प्रदत्त हितलाभ	(91.10)	(147.94)
ङ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	85.02	134.53
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	68.13	59.31
3.	**निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व में परिवर्तन**		
क)	अवधि के आरंभ में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	59.31	57.58
ख)	सेवा लागत	10.36	10.71
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	4.54	4.44

घ)	पुनर्मापन	85.02	134.53
ङ)	निधि में अदा गया किया अंशदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे अदा गया किया हितलाभ	(91.10)	(147.94)
घ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	68.13	59.31
4.	**दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण**		
क)	जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.04)	-
ख)	वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	8.40	-
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	76.66	134.53

घ) बीमारी छुट्टी: बीमारी छुट्टी एक आधा छुट्टी वेतन है। जहां किसी कर्मचारी ने कम से कम तीन वर्षों की अवधि तक कंपनी में सेवा की है, तो उस कर्मचारी को अनुरोध पर कर्मचारी की सेवा की पूर्ण अवधि के दौरान, अधिकतम वर्ष तक छुट्टी वेतन पर बीमारी छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, छुट्टी वेतन पर ऐसीबीमारी छुट्टी कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि की दुगनी के रूप में कर्मचारी की बीमारी छुट्टी खाते में दर्ज की जाएगी।

परिभाषित हितलाभ दायित्व का ग्रहणशीलता विश्लेषण (राशि लाख रुपये में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**16,368,732**
(क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(1,103,870)
(ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	1,199,454
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**16,368,732**
(क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	1,213,861
(ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(1,111,938)

मृत्यु और आहरण के कारण ग्रहणशीलता आर्थिक नहीं होती है इसलिए बीमाकंक द्वारा इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पूर्व पेंशन की वृद्धि की दर के रूप ग्रहणशीलता लागू नहीं है।

(राशि लाख रुपये में)

1.	**निवल परिभाषित हितलाभ (आस्ति)/देयता**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	163.69	201.73
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मानी गई निवल आस्तियां/(देयता)	(163.69)	(201.73)
2.	**हितलाभ दायित्व में परिवर्तन**		
क)	अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	201.73	128.83
ख)	अर्जन का समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	15.45	9.93
घ)	सेवा लागत	23.00	32.01
ङ)	कटौती संबंधी लाभ/हानि सहित विगत सेवा लागत	-	-
च)	प्रदत्त हितलाभ	-	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(76.50)	30.96
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	163.69	201.73
3.	**निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व में परिवर्तन**		
क)	अवधि के आरंभ में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	201.73	128.83
ख)	अर्जन का समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	23.00	32.01
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	15.45	9.93
ङ)	पुनर्मापन	(76.50)	30.96
च)	निधि में अदा गया किया अंशदान	-	-

छ)	उद्यम द्वारा सीधे अदा गया किया हितलाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	163.69	201.73
4.	**दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण**		
क)	जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.20)	-
ख)	वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	18.43	1.34
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(94.74)	29.63

ड.) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) (सितंबर 2015 से शुरू किया गया): भारतीय लेखांकन मानक–19 के अनुसार 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन। कंपनी ने सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व का ग्रहणशीलता विश्लेषण

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**78,956,090**
(क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(1,092,124)
(ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	1,200,316

मृत्यु और आहरण के कारण ग्रहणशीलता आर्थिक नहीं होती है इसलिए बीमाकंक द्वारा इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

ग्रहणशीलता भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पूर्व पेंशन की वृद्धि की दर के रूप लागू नहीं है।

(राशि लाख रुपये में)

1.	**निवल परिभाशित हितलाभ (आस्ति)/देयता**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	789.56	764.47
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मानी गई निवल आस्तियां/(देयता)	(789.56)	(764.47)
2.	**हितलाभ दायित्व में परिवर्तन**		
क)	अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	764.47	717.99
ख)	ब्याज लागत	58.56	55.36
ग)	सेवा लागत	66.28	74.76
घ)	प्रदत्त हितलाभ	(0.13)	(0.05)
ङ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(99.62)	(83.58)
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	789.56	764.47
3.	**निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व में परिवर्तन**		
क)	अवधि के आरंभ में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	764.47	717.99
ख)	सेवा लागत	66.28	74.76
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	58.56	55.36
घ)	पुनर्मापन	(99.62)	(83.58)
ङ)	निधि में अदा गया किया अंशदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे अदा गया किया हितलाभ	(0.13)	(0.05)
घ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	789.56	764.47
4.	**दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण**		
क)	जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(99.62)	(83.58)

च) प्रत्येक कर्मचारी हितलाभ के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मानी गई राशि निम्नानुसार है:

(राशि लाख रुपये में)

कर्मचारी हितलाभ	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
अर्जित छुट्टी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	9.92	(78.06)
उपदान पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(62.95)	41.98
एलएफसी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(85.02)	(134.53)
पीआरएमबी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	99.62	83.58
एसएल पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	76.50	(30.96)
योग	**38.08**	**(118.00)**

4. कंपनी का मुख्य कारोबार बुनियादी ढांचे के लिए वित्त/पुनर्वित्त प्रदान करना है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी **भारतीय लेखांकन मानक–108, प्रचालनिक खंड** के अनुसार कंपनी का एक से अधिक रिपोर्टिंग खंड नहीं है।

5. **भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–24, संबंधित पक्षकार** प्रकटीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन के प्रकटीकरण नीचे दिये गए है:

क. <u>प्रबंधकीय पारिश्रमिक और संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण</u>

(i) <u>प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक</u>

<u>पूर्णकालिक निदेशक</u>

– श्री पी आर जयशंकर – प्रबंध निदेशक (29.05.2020 से)

– श्री पंकज जैन – प्रबंध निदेशक के तौर पर अतिरिक्त प्रभार (28.12.2017 से 28.05.2020 तक)

<u>निदेशकों के अतिरिक्त अन्य प्रबंधकीय कार्मिक</u>

– श्री राजीव मुखीजा – मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ

– श्रीमती मंजरी मिश्रा – सहायक महाप्रबंधक–कंपनी सचिव

(ii) <u>पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियाँ:</u> (क) आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड

(ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(ग) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड

ख) सबंधित पक्षकारो के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (31 मार्च, 2019 को समाप्त गत वर्ष)के दौरान लेन–देन:

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(क)	**प्रबंधकीय पारिश्रमिक (निदेशकों के अतिरिक्त)**		
	(i) श्री राजीव मुखीजा (मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ)		
	पारिश्रमिक	43.86	80.80*
	(ii) श्रीमती मंजरी मिश्रा (सहायक महाप्रबंधक–कंपनी सचिव)		
	पारिश्रमिक	29.56	30.52*
(ख)	**सहायक/सहयोगी कंपनियों के प्राप्त/वसूली योग्य किराया**		
	आई.आई.एफ.सी.एल. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	88.45	69.78
	आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड	95.60	82.49
(ग)	**सहायक कंपनियों से वसूली गई/वसूली योग्य किराये के अतिरिक्त राशि:**		
	आई.आई.एफ.सी.एल. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	44.46	13.28
	आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड	120.29	79.40
	आई.आई.एफ.सी. (यू.के.) लिमिटेड		-
(घ)	**वर्ष के दौरान निवेश:**		
	आई.आई.एफ.सी. (यू.के.) लिमिटेड	18,845.52	-

*राशि में आईआईएफसीएल के कर्मचारियों को वेतन में संशोधन के अनुमोदन के उपरांत श्री राजीव मुखीजा एवं श्रीमती मंजरी मिश्रा को क्रमशः अदा किये गये 29.48 लाख रुपये एवं 4.92 लाख रुपये का बकाया राशि शामिल है।

ग) बकाया शेष

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
i)	**इक्विटी शेयरों में निवेशः**		
	पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां:		
	(क) आई.आई.एफ.सी. (यू.के.) लिमिटेड	42,240.33	23,394.80
	(ख) आई.आई.एफ.सी.एल. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	475.00	475.00
	(ग) आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड	1,250.00	1,250.00
	सहायक/सहयोगी कंपनियों से वसूली योग्य राशि		
	(क) आई.आई.एफ.सी.एल. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	27.44	0.93
	(ख) आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड	23.88	7.37
	(ग) आई.आई.एफ.सी. (यू.के.) लिमिटेड	0.34	0.34

6. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक–33, प्रति शेयर के संदर्भ में प्रति शेयर आय (मूल एवं तुनुकृत) निम्नलिखित तालिकानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	
	शेयर	राशि लाख रुपये में	शेयर	राशि लाख रुपये में
शेयर का काल्पनिक मूल्य (रुपयें में)	10/-		10/-	
इक्विटी शेयर की संख्या (संख्या लाख में)	99,999.16		42,023.16	
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में) (विभाजक) (मूल)	46,883.93		41,779.33	
निवल लाभ (करोपरांत) (अंश)		5,120.30		10,165.90
प्रति शेयर आय (मूल) (रुपये में)		0.11		0.25
प्रति शेयर आय (तनुकृत) (रुपये में)		0.11		0.25

7. कंपनी की अचल आस्तियों को 'कॉर्पोरेट आस्ति' समझा जाता है नकद सृजन करने वाली इकाई नहीं, जैसा कि "आस्तियों का ह्रास" के विषय में भारतीय लेखांकन मानक–36 में परिभाषित है। 31मार्च, 2020 को परिस्थितियों में ऐसी कोई स्थिति अथवा बदलाव नहीं हुआ जो आस्तियों की किसी प्रकार की क्षति का संकेत देते हों।

8. (क) भारतीय लेखांकन मानक–37 प्रावधान "आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियों" के तहत प्रकटीकरण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
प्रस्तावित वेतन संशोधन		
प्रारम्भिक शेष	350.02	917.28
अवधि के दौरान परिवर्धन	308.09	350.02
वर्तमान देयताओं के प्रति प्रदत्त/अंतरित राशि	-	(917.28)
अंतिम शेष	**658.11**	**350.02**
मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	11,368.19	11,073.47
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	2,563.74	294.72
अंतिम शेष	**10,788.99**	**11,368.19**
अवमानक आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	21,907.60	1,28,383.99
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	16,361.59	21,907.60
एनपीए को बट्टे खाते मेंडाले जाने के कारण प्रावधान का प्रतिलेखन	(21,907.60)	(1,28,383.99)
अंतिम शेष	**16,361.29**	**21,907.60**

पुनर्रचित आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	1,599.92	5,287.72
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	239.68	(3,687.80)
एनपीए को बट्टे खाते में डाले जाने के कारण प्रावधान का प्रतिलेखन	(1,347.25)	-
अंतिम शेष	**492.35**	**1,599.92**
संदिग्ध आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	213,320.21	95,715.36
अवधि के दौरान परिवर्धन	38,129.67	1,25,936.36
एनपीए को बट्टे खाते में डाले जाने के कारण प्रावधान का प्रतिलेखन	(37,975.28)	(8,331.51)
अंतिम शेष	**213,474.61**	**2,13,320.21**
निवेशों में कमी के लिए प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	16,831.53	9,638.96
अवधि के दौरान परिवर्धन	434.58	7,252.00
निवेशों की बिक्री के कारण समायोजित प्रावधान	(65.10)	59.43
अंतिम शेष	**17,201.01**	**16,831.53**

(ख) अन्य प्रकटीकरण:

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
आयकर (निवल)		
प्रारम्भिक शेष	(1,995.80)	(18,825.68)
अवधि के दौरान परिवर्धन	-	26,004.20
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	1,995.80	9,174.32
अंतिम शेष	**-**	**(1,995.80)**
यात्रा रियायत छूट		
प्रारम्भिक शेष	59.31	57.57
अवधि के दौरान परिवर्धन	99.92	147.94
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	91.10	146.20
अंतिम शेष	**68.13**	**59.31**
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
प्रारम्भिक शेष	764.46	717.99
अवधि के दौरान परिवर्धन	25.22	46.52
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	0.12	0.05
अंतिम शेष	**789.56**	**764.46**
छुट्टी नकदीकरण		
प्रारम्भिक शेष	86.00	-
अवधि के दौरान परिवर्धन	123.91	99.65
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	56.48	13.65
अंतिम शेष	153.43	86.00
बीमारी छुट्टी		
प्रारम्भिक शेष	201.73	128.83
अवधि के दौरान परिवर्धन	(38.44)	72.9
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	-	-
अंतिम शेष	163.69	201.73
व्युत्पन्नियों पर एमटूएम हानि		
प्रारम्भिक शेष	1,688.71	2,141.62
अवधि के दौरान परिवर्धन	142.18	(452.91)
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	-	-
अंतिम शेष	**1,830.89**	**1,688.71**

9. आकस्मिक देयताओं एवं प्रतिबद्धताओं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है) के क्षेत्र निम्नलिखित तालिकानुसार है:–

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(क)	**आकस्मिक देयताएं:**		
	(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें कर्ज के तौर पर अभिस्वीकृत नहीं किया गया:		
	(i) दिनांक 7 मार्च, 2014 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2008–09 के आय कर के बकाये की मांग	159.00	159.00
	(ii) दिनांक 28दिसंबर, 2018 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के आय कर के बकाये की मांग	682.33	682.33
	(iii) दिनांक 23 मार्च, 2018 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014–15 के आय कर के बकाये की मांग	1,425.27	1,425.27
	(iv) दिनांक 23 मार्च, 2018 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011–12के आय कर के बकाये की मांग	343.00	343.00
	(ख) गारंटियां	शून्य	शून्य
	(ग) अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है:		
	(i) साख पत्र (एलसी) जारी करने के लिए चुकौती आश्वासन पत्र (कंपनी ने स्वीकृत ऋण सहायता के संवितरण के प्रति एलसी की धनराशि बाद में जारी करने के लिए संबंधित उधारकर्ताओं की ओर से एलसी जारी करने में ऋणदाताओं के सहायता संघ के संबंधित अग्रणी बैंकों /सदस्य बैंकों को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है)	14,185.32	14,185.32
	(ii) ऋण संवृद्धि योजना के तहत दी गई गारंटी	28,443.40	29,380.50
(ख)	**प्रतिबद्धताएँ:**		
	(क) पूंजीगत लेखा पर संविदाओं की वह अनुमानित राशि जिनका निष्पादन किया जाना शेष है एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है: पूंजीगत लेखा पर संविदाओं की वह अनुमानित राशि जिनका निष्पादन किया जाना शेष है (निवल अग्रिम राशि)	1033.55	1,600.08
	(ख) शेयरों एवं अन्य निवेशों पर आंशिक रूप से अदा गई न मांगी गई देयता: आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट प्प की उद्यम इकाईयों के संबंध में पूंजी प्रतिबद्धता के कारण न मांगी गई देयता	-	-
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ: कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत संविदाओं की वह अनुमानित राशि जिनका निष्पादन किया जाना शेष है (निवल अग्रिम राशि)	589.59	589.59

10. विदेशी मुद्रा में उपार्जन एवं व्यय (राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(क) विदेशी मुद्रा में उपार्जन (वास्तविक प्राप्ति आईआरएस व्युत्पन्न संविदाओं के तहत प्राप्त ब्याज को छोड़कर):		
(i) ब्याज	-	-
(ii) प्राप्त अनुदान	-	-
(iii) प्राप्त लाभांश	-	-
योग	-	-
(क) ब्याज एवं अन्य मामलों के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय (वास्तविक परिव्यय):		
(i) उधारियों पर ब्याज	61,234.25	59,341.33
(ii) प्रतिबद्धता प्रभार	204.30	-
(iii) विदेशी यात्रा	8.17	14.76
(iv) अन्य व्यय	41.19	-
योग	**61,487.91**	**59,356.09**

11. उद्यम पूंजी इकाईयों में निवेश

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने आईडीएफसी, सिटी बैंक के साथ कंपनी द्वारा प्रवर्तित आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट।। की उद्यम पूंजी इकाइयों में कंपनी ने शून्य(यथा 31 मार्च, 2019 में शून्य रुपये) निवेश किया है (कंपनी द्वारा निवेश की संचयी राशि 9,247.56 लाख रुपयेहै)। कंपनी ने इस 10,000 लाख रुपये की कुल प्रतिबद्धता में से उद्यम में निवेशक के तौर पर अंशदान दिया है और इसमें कंपनी का संयुक्त नियंत्रण नहीं है। चूंकि इस निधि में वितरण योग्य लाभ नही होता है इसलिए बही में इस तरह के निवेशों की गणना नहीं की गई है। हालांकि कंपनी ने वर्ष की समाप्ति के दौरान उद्यम पूंजी इकाईयों के मोचन के संबंध में शून्य आय कर सहित (31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये)शून्य राशि प्राप्त की है (31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 3,263.55 लाख रुपये)।

12. कंपनी के पास 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान 34,250.71 लाख रुपये की निवल आस्थगित कर देयताएं आरक्षित हैं (आस्थगित कर देयता में 15,528.30 लाख रुपये की गिरावट आई है तथा आस्थगित कर आस्ति में 18702.41 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2019 को समाप्त विगत वर्ष में कंपनी ने 3,934.42 लाख रुपये की निवल आस्थगित देयताएं सृजित की हैं (आस्थगित कर देयताओं में 4,021.36 लाख रुपये की वृद्धि तथा आस्थगित कर आस्ति में 86.89 लाख रुपये की निवल कमी हुई है)।

ऋण आस्तियों पर क्षति/प्रावधान पर आस्थगित कर आस्ति के सृजन के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक मंडल से प्राप्त राय के उपरांत कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पहली बार ऋण आस्तियों पर क्षति/प्रावधान पर 29,523.86 लाख रुपये की आस्थगित कर आस्ति सृजित की है। तदनुसार वित्त वर्ष 2019–20 में करोपरांत लाभ में 29,523.86 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है जबकि 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर देयता में 29,523.86 लाख रुपये की गिरावट आई है।

13. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक ऐसा कोई आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम के उपक्रम के तौर पर पंजीकृत हो। यद्यपि कंपनी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रति कोई देयता बकाया नहीं है और इस अधिनियम के अधीन निर्धारित होनेवाली अन्य सूचना शून्य हैं।

14. व्युत्पन्नी लेनदेन

क) वर्ष 2007–08 के दौरान कंपनी ने 5,000 लाख रुपये (2,73,23.62 लाख जापानी येन कल्पित मूलधन के समतुल्य) के दो ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) लेन देन किए जो 19 दिसंबर, 2022 को परिपक्व होंगे। इन आईआरएस सौदों के अनुसार कंपनी जापानी येन की कल्पित राशि पर 7.46% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगी (जिसमें एक सौदे में 5 वर्ष के लिए कूपन भुगतान 1 जापानी येन = 0.3658 भारतीय रुपये तथा दूसरे सौदे में 1 जापानी येन = 0.3662 भारतीय रुपये निश्चित किए गए है) तथा कल्पित मूलधन पर 8.82% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करेगी। 31 मार्च 2020 को 1,830.89 लाख रुपये (31 मार्च, 2019 तक 1,688.71 लाख रुपये) के उपरोक्त स्वैप लेनदेनों से कंपनी ने काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा की गई संगणना एवं अन्य मूल्यांककों द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार मार्क–टू–मार्केट हानि का प्रावधान किया है जिसमें 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष को 142.18 लाख रुपये (31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष को 472.91 लाख रुपये) भी शामिल है।

ख) 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान उपरोक्त टिप्पणी 14(क) में संदर्भित दो ब्याज दर अदला–बदली (आईआरएस) के लेनदेनों में से 2,000 लाख रुपये का कल्पित मूल धन खोला गया जिसके परिणामस्वरूप टिप्पणी 14(क) में संदर्भित ब्याज दर अदला–बदली (आईआरएस) लेनदेनों का कुल कल्पित मूलधन घटकर 8,000 लाख रुपये हो गया।

ग) कंपनी ने निम्नलिखित बहुपक्षीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा की उधारियों पर अस्थिर ब्याज दर के अलावा विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव से संबंधित जोखिमों की बचाव व्यवस्था के लिए निम्न पारस्परिक मुद्रा अदला–बदली स्वैप(मूलधन एवं ब्याज) अनुबंध किये:

(राशि लाख रुपये में)

संस्थान	विदेशी मुद्रा (विनिमय) राशि	
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):–		
अमरीकी डॉलर	11,066.71	11,135.38
भारतीय रुपया	8,34,274.31	667,154.88
क्रेडिटेंस्टाल्टफर वेडिराफ्बाउ (केएफडब्ल्यू):		
यूरो	100.00	130.95
भारतीय रुपया	8,305.01	8,000.61
आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक:		
अमरीकी डॉलर	1,664.41	1,759.57
भारतीय रुपया	1,25,473.29	1,14,719.33

काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा की गई संगणना एवं अन्य मूल्यांककों द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार मार्क–टू–मार्केट उपरोक्त अनुबधों में 31 मार्च, 2020 को एम2एम लाभ 1,22,778.08 लाख रुपये (1,643.28 लाख रुपये की सकल हानि को घटा कर सकल लाभ 1,24,421.36 लाख रुपये) था और 31 मार्च 2019 को यह लाभ 99,157.34 लाख रुपये था (4,821.03 लाख रुपये की सकल हानि को घटाकर सकल लाभ 1,03,978.38 लाख रुपये)।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखांकन व्यवहार के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाले सही लेखांकन व्यवहार पर सलाह देने के संदर्भ में भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति की राय मांगी थी कि विदेशी मुद्रा के ऋण पर किस सीमा तक बचाव व्यवस्था की जाए। इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने दिनांक 22 सितंबर, 2015 को इस विषय पर पत्र के माध्यम से राय दी है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने जून, 2015 में 'व्युत्पन्नी संविदाओं का लेखांकन' पर मागर्दर्शी टिप्पणी भी जारी की है जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू है एवं कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इसे लागू कर दिया है। प्रतिवेदन करने की पिछली तिथि से एवं अवधि के दौरान उधारी की आहरण द्वारा गिरावट की तिथि से प्रतिवेदन करने की तिथि को विदेशी मुद्रा की उधारी की राशि पर विनिमय दर में कोई बदलाव होने पर व्युत्पन्नी संविदाओं के उचित मूल्य के प्रति प्रतितुलन किया जाता है एवं किसी प्रकार के लाभ व हानि को नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित निधि माना जाता है। व्युत्पन्नी अनुबधों का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षकार प्रदान करते हैं।

इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने दिनांक 26 दिसंबर, 2016 के पत्र के माध्यम से व्युत्पन्नियों पर मार्गदर्शी टिप्पणी लागू करते समय बचाव व्यवस्था वाल संविदाओं पर मार्केट–टू–मार्केट/उचित मूल्य के संबंध में आईआईएफसीएल के सामने आ रही समस्याओं से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को अवगत करा दिया है। इस पत्र की प्रतिलिपि भारतीय रिजर्व बैंक को भी भेजी गई थी। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा दिनांक 3 मई, 2017 के पत्र के अनुसार यह मामला भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की अनुसंधान समिति को भेजा गया है।

ऋण की बचाव व्यवस्था वाले हिस्से का विवरण पुनः प्रस्तुत किया जाता है जो एएस–11 के अनुरूप अंतिम दरों पर निम्न प्रकार है।

(राशि लाख रुपये में)

संस्थान	विदेशी मुद्रा (विनिमय) राशि	
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):–		
अमरीकी डॉलर	11,066.71	11,135.38
भारतीय रुपया	8,34,274.31	770,248.69
क्रेडिटेंस्टाल्टफर वेडिराफ्बाउ (केएफउब्ल्यू):		
यूरो	100.00	130.95
भारतीय रुपया	8,305.01	10,175.51
आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक:		
अमरीकी डॉलर	1,664.41	1,759.57
भारतीय रुपया	1,25,473.29	1,21,711.55

व्युत्पन्नी अनुबंधों के लेखांकन पर मागदर्शी टिप्पणी के अनुसार वित्तीय मुद्रा निवेश (एक्सपोजर) का प्रकटीकरण :–

(राशि लाख रुपये में)

I. आस्तियां	विनिमय दर	चालू वर्ष		विगत वर्ष		
		विदेशी मुद्रा में राशि	रुपये में राशि	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	रुपये में राशि
प्राप्य (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-
अन्य मौद्रिक आस्तियां (जैसे कि आईसीडी/विदेशी मुद्रा में दिया गया ऋण)	-	-	-	-	-	-
कुल प्राप्य (क)	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी संविदाओं द्वारा बचाव (ख)	-	-	-	-	-	-
बिना बचाववाले प्राप्य (ग=क–ख)	-	-	-	-	-	-

II. देयताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	रुपये में राशि	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	रुपये में राशि
देय (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
उधारियां (इसीबी एवं अन्य)	यूएसटी यूरो जापानी येन	75.3859 83.0496 0.6965	15,999.60 2,196.27 1,50,000.00	12,06,144.00 1,82,399.34 1,04,475.00	69.1713 77.7024 0.6252	16,121.22 2,257.03 1,00,000.00	11,15,125.63 1,75,376.65 62,520.00
कुल देय (घ)	यूएसटी यूरो जापानी येन	75.3859 83.0496 0.6965	15,999.60 2,196.27 1,50,000.00	12,06,144.00 1,82,399.34 1,04,475.00	69.1713 77.7024 0.6252	16,121.22 2,257.03 1,00,000.00	11,15,125.63 1,75,376.65 62,520.00
युत्पन्नी अनुबंधों द्वारा बचाव व्यवस्था (ङ)	यूएसटी यूरो जापानी येन	75.3859 83.0496 0.6965	12,731.13 100.00 -	9,59,747.61 8,305.01 -	69.1713 77.7024 0.6252	12,894.94 130.95 -	8,91,960.25 10,175.51 -
बिना बचाववाले देय (च=घ–ङ)	यूएसटी यूरो जापानी येन	75.3859 83.0496 0.6965	3,268.47 2096.27 1,50,000.00	2,46,396.39 1,74,094.33 1,04,475.00	69.1713 77.7024 0.6252	3,226.67 2126.08 1,00,000.00	2,23,165.39 1,65,201.05 62,520.00

III. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	रुपये में राशि	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	रुपये में राशि
आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिबद्धताएं	-	-	-	-	-	-	-
योग (छ)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी संविदाओं द्वारा बचाव (ज)	-	-	-	-	-	-	-
बिना बचाव वाले देय (झ=छ–ज)	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा में बिना बचाव वाला कुल निवेश (ञ=ग+च+झ)	-	-	-	-	-	-	-

घ) विदेशी मुद्रा वाले ऋणों की बिना बचाव वाली स्थिति निम्नलिखित तालिकानुसार है: (राशि लाख रुपये में)

संस्थान	बिना बचाव की स्थिति की राशि	
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
एशियन डेवलपमेंट बैंक:		
अमरीकी डालर	3,268.36	3,226.16
भारतीय रुपया	2,46,388.35	223,157.59
क्रेडिटेंस्टाल्टफर वेडिरापबाउ (केएफडब्ल्यू):		
यूरो	96.27	126.08

भारतीय रुपया	7,995.13	9,796.34
आईबीआरडी विश्व बैंक:		
अमरीकी डालर	0.11	0.11
भारतीय रुपया	8.04	7.80
यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)		
यूरो	2,000.00	2,000.00
भारतीय रुपया	1,66,099.20	1,55,404.80
जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) जेपीवाई भारतीय रुपया	1,50,000.00 1,04,475.00	1,00,000.00 62,520.00

च) लेखांकन नीति 6.6.2 की शर्तों के अनुसार विनिमय दर (उदाहरणार्थ भा रि बैं. संदर्भ दरें) लेखाबंदी तिथि को प्रचलित दरें निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विनिमय दरें	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
1	अमरीकी डालर/भारतीय रुपया	75.3859	69.1713
2	यूरो/भारतीय रुपया	83.0496	77.7024
3	जेपीवाई(जापानी येन)/भारतीय रुपया	0.6965	0.6252

15. बंधपत्र मोचन आरक्षित निधि का सृजन

क) निजी स्थाननवाले बंधपत्रों के परिप्रेक्ष्य में: जैसा कि कंपनी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में भारत सरकार के दिनांक 14 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. एस.ओ.143(ई)(एफ नं. 3/5/2008) के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2)72) के अंतर्गत अधिसूचित है, अत: भारत सरकार के कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2013 के परिपत्र संख्या 04/2013 के अनुसार निजी स्थानन वाले बंधपत्रों के परिप्रेक्ष्य में बंधपत्र मोचन आरक्षित निधि सृजित करने की आवश्यकता नहीं है।

ख) सार्वजनिक रूप से स्थानन वालेबंधपत्रों के परिप्रेक्ष्य में: कंपनी ने वित्त वर्ष 2012–13 में 3,15,631.89 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2013–14 में 6,87,754.25 लाख रुपयेके 1000/–रुपये के अंकित मूल्य केकर मुक्त(टैक्स फ्री) बंधपत्रऔर वित्त वर्ष 2010–11 में 9,096.18 लाख रुपये के दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र जारी किए। इस प्रकार कंपनी ने सरकारी निर्गम के माध्यम से कुल मिलाकर 10,12,482.32 लाख रुपये के बंधपत्र जारी किये।

कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर्स) नियम 2014 के नियम18(7)(इ)(पप) के अनुसार कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक मेंभारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1997 के तहत पंजीकृत एनबीएफसीज कंपनी डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित करेंगी। डीआरआर की 'पर्याप्तता' वर्तमान सेबी (कर्ज प्रतिभूति का निर्गम एवं सूचीयन) विनियमन 2008 के अनुसार सरकारी निर्गम के माध्यम से जारी डिबेंचर की कीमत के 25:होगी हालांकि निजीतौर पर स्थानन वाले डिबेंचर्स के मामले में किसी भी डीआरआर की आवश्यकता नहीं होती है।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कपंनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम में संशोधन किया है देखें 19 अगस्त, 2019 की अधिसूचना। तदनुसार कंपनी को अब मोचनीय अपरिवर्तनीय डिबेंचर के निर्गम पर डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि सृजित करने की आवश्यकता नहीं है।

स्टाक एक्सचेंज के साथ सूचीयन करार में निहित प्रकटीकरण अपेक्षा के अनुसार, यह बताया गया कि कंपनी ने वैयक्तिक, ऐसोसियेट तथा कंपनी के निदेशकों को उनकी रूचि से संबद्ध प्रकृति के ऋण एवं अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है। इसके साथ ही कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा शेयर में कोई भी निवेश किसी भी प्रकार के ऋण(उधारी) से नहीं किया गया है।

16. कंपनी के कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण 1 नवंबर, 2017 से बकाया है। वेतन में पुनरीक्षण लंबित होने के कारण 1 नवंबर, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के लिए 658.11 लाख रुपये (31 मार्च, 2019 तक 350.02 लाख रुपये) का अनुमानित प्रावधान किया गया है।

17. (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफसीएल को दिनांक 9 सितंबर, 2013 को सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने वाले गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार जारी रखने का प्रमाणपत्र जारी किया है।

(ख) कंपनी पर भा.रि. बैंक द्वारा जारी एनबीएफसी–आईएफसी के विवेकपूर्ण मानदंड लागू नहीं होते हैं, चूंकि यह भारत सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनी है। एनबीएफसी–आईएफसी के कंपनी के रूप में पंजीयन पर तथा भारत सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनी होने के कारण इसे भारत सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमन के तमाम सिद्धांतों की अनुपालना के लिए खाका तैयार करने की आवश्यकता होती है और इनको ही ठीक उसी रूप में, भा.रि.बैंक की दिनांकित 12 दिसंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.पीडी/सीसी सं. 86/03.02.089/2006.07 के निदेशानुसार भा.रि. बैंक (गैर–बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) में जमा कराना

है। इन अपेक्षाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने 21 नवंबर, 2014 के माध्यम से भा.रि.बैंक के विनियमन के अनुसार 1 दिनांक, 2015 से प्रभावी विभिन्न सिद्धांतों की अनुपालना का खाका प्रस्तुत किया है।

(ग) कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2020 को शून्य बकाया शेष (31 मार्च, 2019 को पांच ऋण खातों में 80,838.35 लाख रुपये) वाले ऋण खातों को पुर्नरचित/पुनर्अनुसूचित नहीं किया है और इन खातों में 31 मार्च, 2019 को प्रतिभूति के मूल्य में कोई गिरावट नहीं आई है, देखें नोट1(क)(5.7)(v)।

(घ) लेखांकन नीति सं. 1(क)(6.8) के अनुसरण में 10 मामलों में त्वरित प्रावधानीकरण अपनाने के कारण निम्नानुसार है:

i. दीघी पोर्ट लिमिटेड :

महाराष्ट्र समुद्रीय बोर्ड (एमएमबी), महाराष्ट्र सरकार के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के तहत दीघी पोर्ट का विकास किया जा रहा है जो'निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, सहभागी, हस्तांतरण (बूस्ट)' के तहत बालाजी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (बीआईपीएल) द्वारा किया जारहा है। इसमें बन्दरगाह का विकास, प्रचालन, वित्तपोषण व रखरखाव भी शामिल है। सीडीआर के तहत पुनर्रचना के बावजूद परियोजनाका कार्यान्वयन पूरा नहीं हुआ है एवं राजस्व प्रवाह अभी तक न्यूनतम बना हुआ है। बन्दरगाह की क्षमता के बढ़ाने का उपयोगिता अभी भीसड़क व रेल की संयोजकता पर निर्भर है जिसमें लगभग तीन वर्ष का समय लगने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कंपनी केशेयरधारकों के मतभेदों का निवारण नहीं हो पाया है व प्रवर्तक रणनीतिक निवेशक में निधि लगाने/निदेशकों को जोड़ पाने मेंअसमर्थ हैं। अतः इस स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 50 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 70 प्रतिशत काप्रावधानीकरण किया गया है।

ii. वेस्ट हरियाणा हाईवेज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

इस परियोजना में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग–10 के बहादुरगढ़–रोहतक खंड पर मौजूदा सड़क का 29.7 किमी से 87 किमी. (लगभग 63.49 किमी.) की सड़क का संवर्धन शामिल है। इस सड़क को निर्धारित तिथि अर्थात 03.05.2008 से 25 वर्ष की अवधि के लिए निर्माण, प्रचालन एवं हस्तांरण (बीओटी) आधार पर (टोल आधारित) पर छह/चार लेन का निर्माण कार्य शामिल है। इस परियोजना में रियायतदाता प्राधिकरण एनएचएआई है। भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण 01.05.2010 की एससीओडी की तुलना में परियोजना को पीसीओडी नंवबर, 2015 में हासिला हुई। इसके अतिरिक्त टोल का संग्रहण पूर्वानुमान की तुलना में बहुत कम है, जो ऋणदाताओं की बकाया राशि के शोधन हेतु पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 30 प्रतिशत प्रावधानीकरण की अपेक्षा में 50 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

iii. ट्रांसट्रॉय तिरूपति तिरूथानी चेन्नई टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड

इस परियोजना में 30 वर्ष की अवधि के लिए अभिकल्पना निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन, हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग–205 के तिरूपति– तिरूथानी चेन्नई खंड का 274.80 किमी. से 341.60 तक एंव तमिलनाडु में 0.00 किमी. से 59.60 किमी. तक चार लेन बनाना शामिल है। परियोजना का रियायतदाता प्राधिकारण एनएचएआई है। इस परियोजना ने फरवरी, 2015 में पीसीओडी हासिल कर लिया है। हालांकि परियोजना का टोल संग्रहण बहुत कम है जो ऋणदाताओं की बकाया राशि के शोधन हेतु पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के 30 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

iv. जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

आईआईएफसीएल ने अपने टेकआउट वित्त योजना के तहत जून, 2015 में 900 करोड़ रुपये के यमुना एक्सप्रेसवे (प्रवर्तक जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड) परियोजना का वित्तपोषण किया था। आईडीबीआई बैंक, अग्रणी सहायता संघ के अनुरोध के अनुसार वर्ष 2012 में पीसीओडी हासिल कर लिया गया है जो मूल उद्योगों (5/25 योजना) के प्रति दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली (फ्लैक्सीबल) पुनर्रचना की भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के कार्यान्वयन के अधीन नियम व शर्तों के साथ है। इस परियोजना के निकट ओखला पक्षी अभयारण्य होनेसे एनजीटी द्वारा निर्माण क्षेत्र को घटाने के आदेश के कारण परियोजना में काफी विलंब हुआ जिसके कारण अनुमानित राजस्व प्रभावित हुआहै एवं परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई। बाद में इस आदेश में ढील दी गयी। इस प्रकार परियोजना को विकसित करने की अनुमति मिली।इस बीच 31.12.2016 को खाता अवमानक हो गया। ऋणदाता इस परियोजना के शेषचरण को तेजी से पूरा करने के लिए नए ऋणदाताओंसे एकमुश्त अतिरिक्त वित्तपोषण की प्रक्रिया से समस्या का समाधान करने के अनेक प्रयास कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप मेट्रो रेलनिर्माण/विमानपत्तन के साथ संयोजकता होने से कपनी का समग्र राजस्व/वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी।

आईआईएफसीएल ने मौजूदा दिशानिर्देशों और आरबीआई के दिनांक 23 जून, 2017 के पत्र के अनुसार, उन ऋण खातों जहां एनसीएलटी कार्यवाही आरंभ हो चुकी है, में प्रावधानीकरण के लिए दिनांक 31.03.2018 तक 40 प्रतिशत अर्थात 36,000 लाख रुपये का प्रावधान किया है। आरबीआई की दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के अनुसरण में विभिन्न फॉरबियरेंस स्कीमों को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप, आईआईएफसीएल ने, उन एनसीएलटी मामलों, जहां पहले से ही 50 प्रतिशत का प्रावधानीकरण नहीं किया गया था, में प्रावधानीकरण में 50 प्रतिशत तक सावधानीपूर्वक वृद्धि की है। परिणामस्वरूप, इससे जेपी इंफ्राटेक के 90 करोड़ रुपये के ऋण खाते में 10 प्रतिशत तक का अतिरिक्त प्रावधान हुआ है और इसे दिवाला एवं दिवालियापन संहित (आईबीसी) और भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के अनुसरण में विभिन्न क्षमादायी योजना को वापस किये जाने में शामिल मामलों के तहत एनसीएलटी के मामलों के संदर्भ के अनुसरण में बनाए गए अन्य ऋण खातों के प्रावधान के साथ आपवादिक प्रावधान के रूप में प्रदर्शित किया है।

v. आईवीआरसीएल इंदौर गुजरात टोलवे लिमिटेड

भूमि तथा अन्य अपेक्षित अनुमोदनों में देरी के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई है। परियोजना लागत में वृद्धि और समय में वृद्धि को ऋणदाताओं द्वारा अतिरिक्त मियादी ऋण के माध्यम से समर्थित किया गया। तथापि, परियोजना में और देरी हुई तथा वर्तमान में एनएचएआई से एकमुश्त निधि संयोजक वन टाइम फंड (इफ्यूशन) की सहायता से क्रियान्वयनाधीन है। उपरोक्त तथ्य को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 20 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 65 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

vi. सोमा आइसोलक्स सूरत हाजीरा टोलवेज लिमिटेड

कम टोल संग्रहण के साथ परियोजना चालू है, जो कि ऋण शोधन के लिए पर्याप्त नहीं है। खाते में दबावग्रस्त आस्तियों की सतत संरचना स्कीम का प्रस्ताव किया गया था परंतु इसे आरबीआई के दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र के कारण संपन्न नहीं किया जा सका। उधारकर्ता ने एक समाधान योजना प्रस्तुत की है, जो ऋणदाताओं के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 20 प्रतिशत अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 61.24 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

vii. अटलांटा इन्फ्रा एसेट्स लिमिटेड

पीसीओडी के उपरांत, टोल संग्रहण अपेक्षा से कम था। देयताओं की अदायगी न करने के कारण, आईआईएफसीएल में चल रहा खाता दिनांक 30.09.2015 को एनपीए में चला गया। तदुपरान्त, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने सितंबर, 2016 में अटलांटा इन्फ्रा एसेट्स लिमिटेड को 145.521 लाख रुपये की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया और एनएचएआई ने निर्णय को चुनौती दी। नीति आयोग/एनएचएआई के दिशानिर्देशों के आधार पर, अग्रणी बैंक (यूनियन बैंक) ने एनएचएआई को 75 प्रतिशत राशि की प्राप्ति के लिए बीजी जारी की। आईआईएफसीएल को उसका समानुपातिक शेयर प्राप्त हुए और उसके अनुसार दिनांक 31.03.2017 को खाते को अपग्रेड किया गया। हालांकि, मध्यस्थ के निर्णय के विरुद्ध एनएचएआई की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, एनएचएआई द्वारा मार्च, 2018 में गैर–नवीकरण के कारण बीजी को उपयोग में लाया गया। तदनुसार, दिनांक 31.03.2018 को आईआईएफसीएल में खाता पुनः एनपीए में चला गया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडो के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

viii. एल एवं टी हलोल शामलाजी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड

पीसीओडी के उपरांत, टोल संग्रहण, आरंभिक अनुमानों से कम था। एसडीआर को प्रयुक्त किया गया और आंशिक ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया। 5/25 के तहत पुनर्संरचना भी की गई। वर्तमान स्थिति में, खाता के दबावग्रस्त रहना जारी है। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडो के अनुसार 30 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 75 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

ix. पटना बख्तियारपुर टोलवेज लिमिटेड

परियोजना ने पीसीओडी प्राप्त की और अप्रैल, 2015 से टोल संग्रहण आरंभ किया। नवंबर, 2017 के अंत में एलआईई की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 46.847 किलोमीटर (92.58%) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है तथा शेष कार्य अभी पूरा किया जाना है। परियोजना आवागमन में अपेक्षित प्रदर्शन समस्याओं का सामना कर रही है जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक टोल राजस्व आरंभिक अनुमानों की तुलना में कम रहा। कंपनी वित्तीय दबाव में है और प्रवर्तकों ने परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की अदायगी में असमर्थता व्यक्त की है। दिनांक 31.12.2017 को खाता एनपीए में परिवर्तित हो गया। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

x. एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड

खम्बालिया के निकट सलाया, जिला देवभूमि द्वारका, गुजरात स्थित सब–क्रिटिकल टैक्नोलॉजी के तहत आयातित कोयला आधारित थर्मल पॉवर परियोजना है। "दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान – संशोधित ढांचा" के संबंध में दिनांक 12 फरवरी, 2018 के आर.बी.आई. के परिपत्रके अनुसार, बाह्य एसडीआर प्रबंधन में परिवर्तन की वर्तमान योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ और अतः दिनांक 29 जुलाई, 2017 को कंपनी का खाता अवमानक में परिवर्तित हो गया। जे.एल.एम. में ऋणदाताओं ने एन.सी.एल.टी के तहत कार्यवाहियां आरम्भ करने के विकल्प को शामिल करने का निर्णय लिया। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

18. लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैः (राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(i) लेखा परीक्षा शुल्क	9.00	9.00
(ii) कराधान मामले	1.80	1.80
(iii) प्रमाणीकरण कार्य	2.90	3.60
(iv) 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए लेखा परीक्षा शुल्क	2.70	2.70
योग	**16.40**	**17.10**

19. विभिन्न कर निर्धारण वर्ष (षों) के लिए आय कर के बकाया कर निर्धारण की स्थिति निम्नानुसार है:

कर निर्धारण वर्ष	स्थिति
2008–09	आईआईएफसीएल ने आयकर विभाग के दिनांक 07 मार्च 2014 के आदेश के अनुसार वर्ष 2008–09 कर निर्धारण वर्ष के लिए 159 लाख रुपये के कर बकाया की मांग के विरुद्ध अपील दाखिल की है। आयकर आयुक्त (अपील) –4 ने 8 सितंबर, 2015 को आदेश पारित किया और आईआईएफसीएल की अपील खारिज कर दी है। आईआईएफसीएल ने दिनांक 16 नवंबर, 2015 को आईटीएटी के समक्ष दोबारा अपील दाखिलकी है। आईटीएटीने सीआईटी (ए) के समक्ष 29 अगस्त, 2017 को यह मामला पुनः शुरू किया है।
2011–12	मंजूरी न मिलने के उपरांत दिनांक 29.04.2018 को धारा 148 के तहत कर निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ। दिनांक 27 दिसंबर, 2016 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दाखिल की गई एवं 7.95 करोड़ रुपये के आय कर मांग की राशि जमा की गई। सीआईटी (ए) ने अस्वीकृत खर्चों की आंशिक अनुमति दी। आय कर विभाग ने आईटीएटी में अपील दाखिल की है।
2013–14	दिनांक 23.02.2016 को धारा 143(3) के तहत कर निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ। दिनांक 23.03.2016 को सीआईटी (ए) के समक्ष इसकी अपील दाखिल की गई, एवं आंशित अस्वीकृति के उपरांत दिनांक 20.10.2020 को आदेश प्राप्त हुआ। दिनांक 19.12.2016 को आईटीएटी में अपील दाखिल की गई। 48.31 लाख रुपये के आय कर मांग की राशि जमा की गई। आईटीएटी ने दिनांक 17.01.2020 के अपने आदेश के माध्यम से आईआईएफसीएल की अपील पर आंशिक अनुमति दी है। आईआईएफसीएल ने आगे अपील करने को प्राथमिकता नहीं दी एवं दिनांक 22.06.2020 को एओ को अपील प्रभावी पत्र दाखिल किया है।
2014–15	मंजूरी न मिलने के उपरांत दिनांक 29.11.2016 को कर निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ। दिनांक 27 दिसंबर, 2016 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दाखिल की गई एवं 9.35 करोड़ रुपये के आय कर मांग की राशि जमा की गई। सीआईटी (ए) ने अस्वीकृत खर्चों की आंशिक अनुमति दी। आय कर विभाग ने आईटीएटी में अपील दाखिल की है।
2016–17	दिनांक 28.12.2018 को धारा 143(3) के तहत कर निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ। इसके लिए सीआईटी(ए) के समक्ष दिनांक 25.01.2019 को निर्धारण आदेश में बताई गई अस्वीकृतियों के विरुद्ध अपील दाखिल की गई और प्रतिवाद के तहत 137 लाख रुपये के 20:की कर मांग की राशि जमा की गई एवं 46.71 लाख रुपये कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के रिफंड से समायोजित की ली गई।

20. अन्य प्रकटीकरण:

क. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने शून्य रुपये निवल बही मूल्य (31 मार्च, 2019 को शून्य रुपये) की वित्तीय आस्तियां पुर्ननिर्माण कंपनियों को सौंप दी है। कंपनी ने डीबीओडी बीपीबीसी संख्या 98/21.04.132/2013–14 दिनांक 26 फरवरी, 2014 एवं आय मान्यता पर विवेकसम्मत मापदण्डों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 043/03.10.119/2015–16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार शून्य की निवल कमी को (31 मार्च, 2019 को भी शून्य) आठ तिमाहियों की अवधि में विभाजित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये की राशि को (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये) समाप्त (चार्ज ऑफ) कर दिया गया है।

ख. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने 12 खातों के 1,22,297.10 लाख रुपये (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 7 ऋण खातों में 72,241.70 लाख रुपये) को बट्टे खाते में डाल दिया है। नोट 1(क)(5.3) देखें।

ग. आईआईएफसीएल ने निवेशों में मूल्यह्रास के लिए 17,201.01 लाख रुपये का प्रावधान निम्नानुसार किया है:

- वर्ष 2017–18 के दौरान ऋणदाताओं ने भारतीय रिजर्व बैंक के रणनीतिक ऋण पुनर्रचना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधन में हुए बदलाव को दर्शाने के लिए ईडबल्यू इंडिया स्पेशल फंड II प्रा. लिमिटेड के पक्ष में सामूहिक रूप से 26 प्रतिशत वापस ले लिए। इस डील का भाग होने के कारण, मैसर्स आधुनिक पावर एंड नैचुरल रिसौर्सेज लिमिटेड (एपीएनआरएल) से 52,000.00 लाख रुपये के मूलधन और उस पर 2545.99 लाख रुपये के ब्याज तथा अन्य ऊपरी देयताओं के बकाया ऋण को एक आस्ति पुर्ननिमाण कंपनी, एडेवीज एसेट रीकन्स्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी) को एपीएनआरएल की इक्विटी शेयर पूंजी 9710.71 लाख रुपये (अर्थात 10 रुपये के प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर) और 38,884.95 लाख रुपये की प्रतिभूति रसीद सहित 108.18 लाख रुपये के अग्रिम प्राप्य सहित 38,884.95 लाख रुपये के प्रतिफल पर बेच दिया। ईएआरसी ने साथ ही साथ, 10 रुपये प्रत्येक के अनुसार एपीएनआरएल के इक्विटि शेयर के कुल 4945.70 लाख रुपये 1.2045 प्रति शेयर की दर से कुल 595.72 लाख रुपये में खरीदे। तदनुसार, आईआईएफसीएल, एपीएनआरएल के इक्विटी शेयर की बिक्री की कीमत के रूप में ईएआरसी द्वारा आईआईएफसीएल को प्रदत्त राशि को उचित मूल्य समझता है। तदनुसार, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, एपीएनआरएल में आईआईएफसीएल द्वारा धारित शेष इक्विटी का मूल्य 1.2045 प्रति शेयर है इस प्रकार 4,191.05 लाख रुपये के इक्विटी निवेशों के ह्रास के लिए का प्रावधान किया गया।

- मैसर्स टॉपवर्थ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रियायतग्राही के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, 8,000.00 लाख रुपये की बकाया ऋण राशि में से 6,078.00 लाख रुपये की राशि को नए रियायतग्राही अर्थात बंसल पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड को वार्षिक रूप से 0.01 प्रतिशत कूपन दर से वैकल्पिक परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर रखने वाले 0.01 प्रतिशत के माध्यम से निष्पादित अथवा जारी किया गया। 1,922.00 लाख रुपये के शेष बकाया ऋण को नए रियायतग्राही, बंसल पाथवेज (मंगावान–चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड पर रखा जाएगा। तदनुसार, 5,388.48 लाख रुपये के निवेश में मूल्यह्रास संबंधी प्रावधान को बंसल पाथवेज (मंगावान–चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डिबेंचरों पर 25 वर्षों के बाद पुनर्भुगतान किया जाना है।
- समाधान योजना के अनुमोदन के परिणास्वरूप, अगस्त 2018 में, मैसर्स सूरत हजीरा एनएच–6 टॉलवेज प्रा.लि. के मामले में, 29,024.00 लाख रुपए के वित्तपोषितएक्सपोजर को, अंतिम तारीख के अनुसार, 15,238 लाख रुपए के धारणीय ऋण और 13,786.00 लाख रुपए के अधारणीय ऋण में परिवर्तित किया गया। अनुमोदित योजना में, अन्य बातों के साथ–साथ,ब्याज दर में कमी, चुकौती अवधि के विस्तार आदि के रूप में राहत प्रदान किया जाना शामिल था। तदनुसार, 7,686.58 लाख रुपए के ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है।

घ. यथा 31 मार्च, 2020 को निवेश एवं प्रतिभूति रसीदों का प्रकटीकरण: (राशि लाख रुपये में)

विवरण		विगत 5 वर्षों में जारी प्रतिभूति रसीदें	5 वर्षों से पहले किंतु विगत 8 वर्ष से कम में जारी की गई प्रतिभूति रसीदें	8 वर्षों से पहले जारी की गई प्रतिभूति रसीदें
(i)	बैंक द्वारा आधारभूत रूप में बेचे गये एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य	50,368.58	-	-
	हेतु धारित प्रावधान (i)	-	-	-
(ii)	बैंक/वित्तीय संस्थानों/गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनिया द्वारा आधारभूत रूप में बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य	-	-	-
	हेतु धारित प्रावधान(ii)	-	-	-
योग (i) + (ii)		**50,368.58**	-	-

21. वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने उधारकर्ताओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों से 31 दिसंबर, 2019 तक की स्थिति तथा बैंकों एवं अन्य पक्षों आदि से 31 मार्च, 2020 की स्थिति पर शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे थे। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ऋण अवसंरचना ऋणों, उधारियों तथा अन्य कर्जों एवं ऋण शेष के अंतर्गत दिखाये गये कुछ शेष पुष्टि एवं मिलान के अधीन हैं एवं प्रबंधन की राय में ऐसी पुष्टि एवं मिलान के अलावा कुछ मामलों में ब्याज दरों के लंबित पुनर्निर्धारण के कारण कोई तात्विक प्रभाव प्रत्याशित नहीं है। 31 मार्च 2019 के पश्चात 31 दिसंबर, 2019 को (एनपीए खातों को छोड़कर) कुल 23,63,435.37 लाख रुपये बकाया शेष वाले उधारकर्ता (गत वर्ष 28,66,410.05 लाख रुपये) 97.35 प्रतिशत (गत वर्ष 90.91 प्रतिशत) की बकाया राशि दर्शा रहे हैं। महत्वपूर्ण बकाया राशि वाले बैंक एवं अन्य पक्षों ने भी 31 मार्च, 2020 तक कर्ज/ऋण की बकाया राशि की पुष्टि की है जिसका विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वित्त वर्ष 2019.20		वित्त वर्ष 2018.19	
	शेष राशि की पुष्टि (लाख रुपये में)	% पुष्टिकृत शेष का	शेष राशि की पुष्टि (लाख रुपये में)	% पुष्टिकृत शेष का
विदेशी संस्थानों से उधारियां	1,493,018.35	100%	13,53,022.28	100%
बैंकों से ओवरड्राफट सुविधा	3,00,358.40	100%	87,234.04	100%
उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश	1,674.87	100%	1,674.87	100%
प्रतिभूति रसीदों में निवेश	50,568.58	100%	54,502.89	100%
सावधि जमाओं में निवेश	939,974.25	100%	514,458.60	100%
बंधपत्रों/सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अभौतकीकरण के रूप में)	529,760.00	100%	9,786.70	100%
म्युचुअल फंडों में निवेश	26,020.13	100%	25.340.31	100%

22. आईसीएआई द्वारा 15 मई 2015 को जारी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों की गतिविधियों के तहत व्यय के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शी नोट से संबंधित प्रकटीकरण :

क) सीएसआर व्यय सहित विभिन्न मदों के व्यय का विवरण : (राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	परियोजना ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
1	पीएम केयर्स फंड	भारत में कोरोना वाइरस को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी पहल को सहायता।	2500.00	
2	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइजेशन लिमिटेड	बोर्सिमुगुड़ी (असम) का एकीकृत विकास	-	3.52
3	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड (आरईआईएल)	भारत के पिछड़े जिलों में 1500 सौर सड़क प्रकाश की स्थापना	-	43.61
4	सुलभ इंटरनेशनल सोसियल सर्विस ओर्गनाइजेशन	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल में कल्याओं के लिए शौचालय का निर्माण	-	20.89
5	प्यारी फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट	बाग्मुंडी (पुरुलिया), पश्चिम बंगाल का एकीकृत विकास	-	7.84
6	लोयन्स क्लब ऑफ पलक्कड	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल में बोरवेल की स्थापना और शौचालय का निर्माण	-	3.93
7	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	राष्ट्रीय संस्कृति निधि में योगदान	-	146.09
8	सीएसआर उपरि व्यय		-	10.01
	कुल योग		**2500.00**	**235.89**

ख) सीएसआर व्यय के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

i) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने वाली अपेक्षित सकल राशि 589.69 लाख रुपये (31 मार्च, 2019 को 1,731.91 लाख रुपये) थी।

ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि: (राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		
	नकद	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल	नकद	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
(i) किसी भी एसेट का निर्माण/अधिग्रहण*	-	-	-	225.88	-	225.88
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	2500.00#	-	2500.00	10.01	-	10.01
कुल	2500.00	-	2500.00	235.89	Nil	235.89

*किसी भी आस्ति का निर्माण/अर्जन में घरों में सौर प्रकाश का अधिष्ठापन शामिल है।

#इस राशि का भुगतान सीएसआर आरक्षित निधि से किया गया है।

23. गैर–बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार न करना अथवा धारिता न करना) कंपनी विवेकसम्मत मापदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के अनुच्छेद 13 के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्षः **(1) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए ऋण व अग्रिम राशि** **एवं उन पर उपार्जित ब्याज लेकिन अदा नहीं किया गयाः**				
(क) डिबेंचर : प्रतिभूत : अप्रतिभूत (सार्वजनिक जमा अर्थ के अंतर्गत आने वाले डिबेंचरों के अलावा)	14,94,385.35 3,60,000.00		14,94,385.35 3,60,000.00	
(ख) आस्थगित ऋण	-		-	

(ग) सावधि ऋण	1,493,018.35		13,53,022.28	
(घ) अंतर कॉर्पोरेट ऋण एवं उधार		-	-	
(ङ) वाणिज्यिक (लेखा) पत्र		-	-	
(च) अन्य ऋण (अल्पकालिक बैंक ऋण)	300,358.40	-	87,234.04	

आस्ति पक्षः	**बकाया राशि**	
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**
(2) प्राप्त बिल निम्नलिखित (4) में शामिल प्राप्यों के अलावा, सहित ऋण एवं अग्रिमों का अलग–अलग विवरणः		
(क) प्रतिभूत	2,756,095.59	30,11,940.98
(ख) अप्रतिभूत	607,626.69	5,01,674.64
(3) एएफसी क्रियाकलापों में गिने जाने वाले किराए पर पट्टाकृत		
(i) विविध कर्जदारों के अंतर्गत पट्टा किराया सहित पट्टाकृत आस्तियां		
(क) वित्तीय पट्टा	-	-
(ख) प्रचालन पट्टा	-	-
(ii) विविध कर्जदारों के अंतर्गत किराया प्रभार सहित किराए पर स्टाक		
(क) किराए पर आस्तिय	-	-
(ख) पुनः कब्जे में ली गई आस्तियां	-	-
(iii) एएफसी क्रियाकलापों में गिने जाने वाले अन्य ऋण		
(क) ऐसे ऋण जहां आस्तियां पुनः कब्जे में ली गई है	-	-
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा ऋण	-	-
(4) निवेशों का ब्यौराः		
वर्तमान निवेशः		
1. उद्धृतः		
(i) शेयरः (क) इक्विटी ख) अधिमानी	- -	- -
(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया उल्लेख करें)	-	-
2. अनुद्धृतः		
(i) शेयरः (क) इक्विटी ख) अधिमानी	- -	- -
(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
(v) अन्य (कृपया उल्लेख करें)	-	-
दीर्घकालिक निवेशः		
1. उद्धृतः		
(i) शेयरः (क) इक्विटी ख) अधिमानी	- -	- -
(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	1,10,834.58
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया उल्लेख करें)	-	-
2. अनुद्धृतः		
(i) शेयरः (क) इक्विटी ख) अधिमानी	49,141.34 -	30.295.83 -
(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	19,864.00	19,864.00
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटे	26,020.13	25,340.31
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	529,760.00	9.786.70
(v) अन्य (इक्विटी शेयर पूंजी में अग्रिम) उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश)	1,674.87	1,674.87
(vi) प्रतिभूति रसीदों में निवेश	50,368.58	54,502.89
योग	**4,040,551.21**	**36,54,508.55**

(5) उपरोक्त (2) एवं (3) में दिये गए विवरणानुसार वित्तपोषित आस्तियों का समूह–वार उधारकर्ता वर्गीकरण			
श्रेणी	**प्रावधानों की निवल धनराशि (31 मार्च, 2020 तक)**		
	प्रतिभूत	**अप्रतिभूत**	**योग**
1. संबन्धित पक्ष			
क) सहायक कंपनियां	-	-	-
ख) उसी समूह में समान कंपनिया	-	-	-
ग) अन्य संबन्धित पक्ष	-	-	-
2. संबन्धित पक्षों के अलावा	23,15,852.78	6,00,035.25	2,915,888.03
योग	23,15,852.78	6,00,035.25	2,915,888.03
श्रेणी	**प्रावधानों की निवल धनराशि (31 मार्च, 2019 तक)**		
	प्रतिभूत	**अप्रतिभूत**	**योग**
1. संबन्धित पक्ष			
क) सहायक कंपनियां	-	-	-
ख) उसी समूह में समान कंपनिया	-	-	-
ग) अन्य संबन्धित पक्ष	-	-	-
2. संबन्धित पक्षों के अलावा*	25,89,166.95	4,95,146.95	30,84,313.90
योग	**25,89,166.95**	**4,95,146.95**	**30,84,313.90**
(6) शेयर एवं प्रतिभूतियाँ (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घकालिक) का समूहवार निवेशक वर्गीकरण			
श्रेणी	**प्रावधानों की निवल धनराशि (31 मार्च, 2020 तक)**		
	प्रतिभूत	**अप्रतिभूत**	**योग**
1. संबन्धित पक्ष			
क) सहायक कंपनियां	-	43,965.32	43,965.32
ख) उसी समूह में समान कंपनिया	-	26,020.13	26,020.13
ग) अन्य संबन्धित पक्ष	-	-	-
2.संबन्धित पक्षों के अलावा	-	984.98	984.98
श्रेणी	**प्रावधानों की निवल धनराशि (31 मार्च, 2019 तक)**		
	प्रतिभूत	**अप्रतिभूत**	**योग**
1. संबन्धित पक्ष			
क) सहायक कंपनियां	-	25,119.80	25,119.80
ख) उसी समूह में समान कंपनिया	-	29,597.12	29,597.12
ग) अन्य संबन्धित पक्ष	-	-	-
2. संबन्धित पक्षों के अलावा	-	984.98	984.98

(7) अन्य जानकारी		
विवरण	**31 मार्च, 2020 तक**	**31 मार्च, 2019 तक**
(i) **सकल अनर्जक आस्तियां**		
(क) संबन्धित पक्ष	-	-
(ख) संबन्धित पक्षों के अलावा	662,307.29	6,51,076.51
(ii) निवल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबन्धित पक्ष	-	-
(ख) संबन्धित पक्षों के अलावा	3,27,832.88	3,44,077.28
(iii) कर्ज चुकाव में अर्जित आस्तियां	Nil	Nil

24. भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 002/03.10.001/2014–15 दिनांक 10 नवंबर, 2014 के अनुसरण में प्रकटीकरण

24.1 पूंजी

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
टियर I पूंजी	10,63,924.51	4,76,848.29
टियर II पूंजी	10,788.99	11,368.19
कुल पूंजी	**10,74,713.49**	**4,88,216.48**
कुल जोखिम भारित आस्तिया	34,84,135.01	3,581,547.26
पूंजीगत अनुपात		
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के तौर पर टियर I पूंजी (%)	30.54	13.31
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के तौर पर टियर II पूंजी (%)	0.31	0.32
कुल पूंजी (%)	**30.85**	**13.63**
टियर–II पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋणों की राशि	-	-
सतत ऋण लिखितें जारी करके जुटाई गई राशि	-	-

24.2 निवेश

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020को समाप्त वर्श	31 मार्च, 2019को समाप्त वर्श
1	निवेश का मूल्य		
(i)	निवेश का सकल मूल्य	676,828.93	1,41,464.59
(क)	भारत में	634,588.60	1,18,069.79
(ख)	भारत के बाहर	42,240.32	23,394.80
(ii)	मूल्यह्रास के प्रावधान	-	-
(क)	भारत में	17,201.01	16,831.53
(ख)	भारत के बाहर	-	-
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य	659,627.91	1,24,633.06
(क)	भारत में	617,387.59	1,01,238.26
(ख)	भारत के बाहर	42,240.32	23,394.80
2	निवेशों के मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों में उतार–चढ़ाव		
(i)	प्रारम्भिक शेष	16,831.15	9638.96
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	369.86	7252.00
	घटाएँ: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान अपलेखन/प्रतिलेखन	-	59.43
	अंतिम शेष	17,201.01	16,831.15

24.3 व्युत्पन्नियां

25.3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (विनिमय)

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019को समाप्त वर्ष
1	कल्पित मूलधन का स्वैप करार	8,000.00	8,000.00
2	ऐसी हानियां, जो यदि होती हैं तो काउंटर पार्टी करारों के अंतर्गत अपने दायित्व पूरे करने में विफल रहती हैं	-	-
3	स्वैप (विनिमय) संपन्न करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	-	-
4	स्वैप (विनिमय) से उत्पन्न ऋण जोखिम का सकेंद्रीकरण	-	-
5	स्वैप (विनिमय) बही का उचित मूल्य	(1,830.89)	(1,688.71)

24.3.2 व्युत्पन्नियों में जोखिम का प्रकटीकरण:

गुणात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी के लिए उस सीमा के विशेष संदर्भ में व्युत्पन्नियों से संबंधित उनकी जोखिम प्रबंधन नीतियों का उल्लेख करना आवश्यक होता है, जिनके लिए व्युत्पन्नियों का उपयोग किया गया है तथा संबद्ध जोखिम एवं कारोबार के उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 10 नवंबर, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में निम्न प्रकार से इनका प्रकटीकरण किया जा रहा है:

क) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों की मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए ब्युत्पन्नी लेन देन करता है। कंपनी ने बचाव व्यवस्था (हेजिंग) वाली नीति बनाई है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित संसाधन एवं कोषागार नीति का हिस्सा है। कंपनी के व्युत्पन्नी लेन देन इस नीति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिनका उपयोग अंतर्निहित देयताओं के अनुसार बचाव व्यवस्था के लिए किया जाएगा।

ख) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों पर उत्पन्न मुद्रा संबंधी जोखिमों (बाजार जोखिम) और ब्याज दर की बचाव व्यवस्था करने/कम करने के उद्देश्य से व्युत्पन्नी लेन देन करता है।

ग) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों के विनिमय एवं ब्याज दर की बचाव व्यवस्था के उद्देश्य के लिए व्युत्पन्नी लेन–देन करता है किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। व्युत्पन्नी लेन–देन शब्द निरंतर प्रभावोत्पादकता के लिए तदनुरूपी अंतर्निहित (देयताओं) के साथमेल खाता है। समान शब्द की संकल्पना के माध्यम से आरंभ के समय उक्त प्रभावोत्पादकता का पता लगाया जाता है।

घ) आईआईएफसीएल वरिष्ठ प्रबंधन तथा निदेशक मंडल को क्रमशः मासिक व तिमाही आधार पर व्युत्पन्नी लेनदेन एवं उनके एमटीएम की स्थिति की रिपोर्ट देता है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल के आर एंड टी सलाहकारों के द्वारा तिमाही आधार पर एमटीएम की स्वतंत्र निगरानी की जा रही है।

ड.) आईआईएफसीएल की बही में विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियां शून्य है।

च) आईआईएफसीएल अपनी विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के बचाव के लिए परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर विनिमय करता है। मात्रात्मक प्रकटीकरण में दर्शाए गए आंकडे पृथक नहीं हो सकते हैं क्योंकि सौदा मूल्य और ब्याज नकदी प्रवाह के लिए समेकित आधार पर बही में दर्ज किया जाता है।

छ) बचाव वाले एवं बिना बचाव वाले लेनदेन के अभिलेखन, आय की पहचान, प्रीमियम व छूट, बकाया संविदाओं का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, संपार्श्विक एवं ऋण जोखिम न्युनीकरण के लिए लेखांकन नीति 1(क)(4) में किया जाता है।

ज) आईआईएफसीए के प्रबंध निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रबंधन एवं निवेश कमेटी के द्वारा संसाधन एवं कोषागार नीति के अनुसार अपने कुल इक्सपोजर का 65–70 प्रतिशत के बीच अपनी बचाव की स्थिति को रखेगा। इसके अतिरिक्त वायदा प्रीमियम की बचत के साथ खुली स्थिति का विनिमय उतार चढ़ाव अंतर किसी भी समय पर कंपनी के निबल मूल्य के10 प्रतिशत का उल्लंघन नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि पोर्टफोलियो आधार पर, वित्तीय वर्ष में रुपये में 5 प्रतिशत या उससे अधिक की गिरावट आती है, आईआईएफसीएल. अपनी स्थिति का 75 प्रतिशत पर रखेगा।

जोखिम प्रबंधन अवसंरचना

क) आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित समेकित जोखिम प्रबंधन संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन पर काम करता है।इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल की संसाधन और कोष नीति को वार्षिक रूप से बोर्ड की प्रबंधन और निवेश समिति द्वाराअनुमोदित किया जाता है। यह रूपरेखा नीति मार्गदर्शी मापदंड मुहैया कराती है जिसके आधार पर आईआईएफसीएल अपने उन मुद्राजोखिम का प्रबंधन करने से संबंधित निर्णय लेता है जो विदेषी मुद्रा ऋण के कारण जोखिमपूर्ण होते हैं।

ख) इसके साथ ही आईआईएफसीएल ने मंडल स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति एवं बोर्ड स्तरीय आस्ति देयता प्रबंधन समिति(एलको समिति) गठित की है जो कारोबारी प्रचालन के जोखिमों के प्रबंधन को मजबूती प्रदान करती है। एलको नकदी एवं ब्याज दर जोखिम की निगरानी करता है जिसमें आस्तियों की प्राप्तियां एवं कर्ज सेवा उत्तरदायित्व की दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक नकदी प्रोफाइल शामिल हैं। क्रास करेंसी (मुद्रा) विनिमय तथा मुद्रा विनिमय की बचाव देयताओ सहित व्युत्पन्नी लेनदेन भी शामिल हैं। ये व्युत्पन्नी लेन देन बचाव उद्देश्य से किए जाते हैं न कि व्यापारिक या प्रत्याशी उद्देश्य से किए जाते हैं।

अंतर्निहित जोखिमों के प्रकार

i. ऋण जोखिम– ऋण जोखिम के अंतर्गत एक उधारकर्ता के ऋण की मात्रा में कमी के कारण पैदा होने वाली हानियों के साथ साथ यह जोखिम भी होते हैं जिसमें एक उधारकर्ता ऋण या एक अग्रिम के संविदात्मक पुनर्भुगतान में चूककर्ता हो सकता है। आईआईएफसीएल में अवसंरचना ऋण में क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन रूपरेखा मौजूद है।

ii. बाजार जोखिम –बाजार जोखिम वे जोखिम हैं जो लिखतोंया लिखतों के पोर्टफोलियों के बाजार मूल्य में आई विपरीत परिस्थितियों के कारण हानि उठाते हैं। बाजार जोखिम में मुद्रा जोखिम तथा ब्याजदर जोखिम समाहित होता है। मुद्रा जोखिम तब पैदा होता है जब रुपये एवं विदेशी मुद्रा की विनिमय दरों में परिवर्तन/ उतार चढ़ाव आता है। ब्याज दर एक्सपोजर मुख्यतः लंबी अवधि के दौरान ब्याज दरों में बदलाव के कारण होता है।आईआईएफसीएल अपनी कारोबारी गतिविधि के भाग के रूप में बाजार जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों का सामना करती है।

iii. चलनिधि जोखिम–चलनिधि जोखिम वित्तपोषण की मांगको पूरा करने एवं लेनदेन के तर्क संगत मूल्य पर उधार निधियों के क्रियान्वयन में संस्थान की विफलता के कारण होने वाली हानि का जोखिमहै। येबाजारचलनिधि जोखिम या वित्तपोषणचलनिधि जोखिम हो सकते हैं। आईआईएफसीएल चलनिधि जोखिम से निपटने के लिए पर्याप्त चलनिधि एवं विपणनीय प्रतिभूतियों को प्रबंधित करके और संयुक्त ऋण व्यवस्था की एक पर्याप्त राशि में माध्यम से निधि हेतु पहुंच बनाने के द्वारा जोखिम से निपटता है।

iv. प्रचालनात्मक जोखिम – प्रचालनात्मक जोखिम वह जोखिम है जो अपर्याप्त प्रणाली एवं नियंत्रण, सूचना प्रणाली की कमी, मानव गलतियों अथवा प्रबंधन की असफलता के परिणामस्वरूप उभरता है। आईआईएफसीएल की प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति प्रचालनात्मक जोखिमों को प्रबंधित करने का प्रयास करती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (राशि लाख रुपये)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युपन्नियां (काल्पनिक मूल राशि)	8,10,203.15	8,10,203.15	7,97,874.82	7,97,874.82
	बचाव के लिए	8,10,203.15	8,10,203.15	7,89,874.82	7,89,874.82
(ii)	बाजार से बाजार स्थितियां (1)	1,22,778.08	1,22,778.08	97,273.13	97,273.13
	क. आस्ति (+)	1,24,421.35	1,24,421.35	103,978.37	103,978.37
	ख. देयताएं (-)	(1,643.27)	(1,643.27)	(6,705.24)	(6,705.24)
(iii)	ऋण एक्सपोजर	-	-	-	-
(iv)	बिना बचाव वाले एक्सपोजर	5,24,965.72	5,24,965.72	5,48,426.66	5,48,426.66

24.4 प्रतिभूति से संबंधित प्रकटीकरण

आस्ति पुर्ननिर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनिर्निर्माण कंपनी हेतु बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरेः

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	एससी/आरसी हेतु बेचे गए खातों का समस्त मूल्य (निवल प्रावधानों का)	-	-
(iii)	समस्त प्रतिफल	-	-
(iv)	पूर्व के वर्षों में स्थानांतरित खातों के परिप्रेक्ष्य में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल (लाभ)/हानि	-	-

24.5 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरेः

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2020को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019को समाप्त वर्ष
(i)	बेचे गए खातों की संख्या	-	-
(ii)	कुल बकाया	-	-
(iii)	कुल प्राप्त प्रतिफल	-	-

24.6 आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च, 2020 पर कुछ निश्चित आस्ति एवं देयता मदों की परिपक्वता का प्रतिमानः (राशि लाख रुपये में)

विवरण	1 माह तक	1 माह से अधिक व 2 माह तक	दो माह से अधिक व 3 माह तक	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
विवरण									
देयताएं	3,00,358.40	-	-	-	-	-	-	-	3,00,358.40
बैंकों से उधारियां	-	-	-	-	-	5,388.11	7,09,660.74	11,39,336.50	18,54,385.35
बाजार से उधारियां									
आस्तियां	10,132.31	9,630.75	83,020.14	1,29,690.85	2,60,667.10	12,91,744.88	7,38,199.76	48,96,804.05	74,19,889.83
वित्तीय गतिविधियों के तहत प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	5,29,760.00	5,29,760.00
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा आस्ति	7,235.78	3,586.86	-	24,477.53	33,296.13	1,46,028.51	1,71,298.49	11,07,095.05	14,93,018.35

31 मार्च, 2019 पर कुछ निश्चित आस्ति एवं देयता मदों की परिपक्वता का प्रतिमान (राशि लाख रुपये में)

विवरण	1 माह तक	1 माह से अधिक व 2 माह तक	दो माह से अधिक व 3 माह तक	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
देयताएं									
बैंकों से उधारियां	87,234.94	-	-	-	-	-	-	-	87,234.94
बाजार से उधारियां	-	-	-	-	-	5,388.11	409,660.74	1,439,336.50	1,854,385.35
आस्तियां									
वित्तीय गतिविधियों के तहत प्राप्य	32,802.57	21,658.63	57,256.56	191,168.09	243,515.12	1,204,335.31	906,458.66	3,274,938.57	59,32,133.50
निवेश	3,101.90	-	11,355.31	3,152.37	17,889.22	72,102.84	76,699.47	604,183.13	788,484.24
विदेशी मुद्रा आस्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं	3,291.17	-	16,640.71	6,477.35	26,852.85	128,859.86	143,420.39	1,027,480.86	1,353,023.19

24.7 एक्सपोजर

25.7.1 भू संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर

यथा 31 मार्च, 2020 को कंपनी का भू संपदा क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक्सपोजर नहीं है (गत वर्ष में भी शून्य है)।

25.7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजरः (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019को समाप्त वर्ष
(i)	इक्विटी शेयरों, बंधपत्रों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी मूल निधि का कार्पोरेट ऋण में अन्य रूप से निवेश नहीं किया जाता है;	-	-
(ii)	शेयरों(आईपीओ / इएसपीओ सहित), संपरिवर्त्नीय बंध पत्रों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बंधपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा निर्बंध आधार पर अग्रिम दिया जाता है;	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम,जहां शेयर या संपरिवर्तनीय बंधपत्रों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों में प्राथमिक प्रतिभूति के तौर पर लिया गया है;	-	-
(iv)	शेयरों या संपरिवर्तनीय बंध पत्रों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमी तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम अर्थात जहां शेयरों या संपरिवर्तनीय बंध पत्रों अथवा शेयरो/संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर करती है;	-	-
(v)	स्टॉक धारकों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी स्टॉक ब्रोकरों व गारंटियों के प्रति प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम राशि;	-	-
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तकों का अंशदान पूरा करने के लिए शेयरों/बंधपत्रों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा निर्बंध आधार पर कार्पोरेट को संस्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमोंके प्रति कंपनियों का पूरक ऋण;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधियों के प्रति सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत, दोनों)	1,674.87	1,674.87

24.8 अतिरिक्त प्रकटीकरणः प्रावधानों एवं आकस्मिकताएं (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	लाभ–हानि विवरण में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग– अलग विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(i)	एनपीए के प्रति प्रावधान	3,34,474.41	3,06,390.27
(ii)	आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(34,240.27)	30,146.01
(iii)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्रचित खातों एवं एसडीआर खातों सहित)	1,12,333.71	1,22,339.77

24.9 अग्रिम निवेश एवं एन.पी.ए का संकेन्द्रणः

(i) अग्रिमों का संकेन्द्रण (राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	16,45,094.89	15,67,399.20
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	48.97%	41.54%

(ii) एक्सपोजर का संक्रेन्द्रण (राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	16,45,094.89	15,67,399.20
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल इक्सपोजर के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के इक्सपोजर का प्रतिशत	48.97%	41.54%

(iii) एनपीए का संक्रेन्द्रण (राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
शीर्ष चार खातों का कुल एक्सपोजर	2,04,886.07	1,97,032.02

(iv) क्षेत्रवार– एनपीए

क्र.सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति एन.पी.ए. का प्रतिशत	
		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
1	कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाकलाप	-	-
2	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-
3	कार्पोरेट उधारकर्ता	19.70%	18.53%
4	सेवाएं	-	-
5	अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-
6	आटो(वाहन) ऋण	-	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

(v) एन पी ए में उतार–चढ़ावः (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(i)	नवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)		9.75%	9.84%
(ii)	एनपीए में उतार–चढ़ाव			
	क)	प्रारंभिक शेष	6,51,076.51	5,39,244.45
	ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,38,931.07	2,19,361.95
	ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां/बट्टे खाते में डालना	1,27,700.29	1,07,529.89
	घ)	अंतिम शेष	662,307.29	6,51,076.51
(iii)	निवल एनपीए में उतार–चढ़ाव			
	क)	प्रारंभिक शेष	3,45,613.65	1,48,527.61
	ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	(16,993.49)	1,77,279.26
	ग)	वर्ष के दौरान कटौतिया	787.28	19,806.78
	घ)	अंतिम शेष	3,27,832.88	3,45,613.65
(iv)	एनपीए के प्रावधानों में उतार–चढ़ाव (मानक आस्तियों पर किये गये प्रावधान को छोड़कर)			
	क)	प्रारंभिक शेष	3,06,462.86	2,90,716.84
	ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,55,924.57	42,082.69
	ग)	अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	1,26,913.02	87,723.11
	घ)	अंतिम शेष	3,34,474.41	3,06,462.86

24.10 ग्राहकों की शिकायतें

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	547	584
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	547	584
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

24.11 अतिरिक्त प्रकटीकरण (विगोपन)

क्र.सं.	प्रकटीकरण	टिप्पणी
(i)	अन्य वित्तीय नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/ लाइसेंस/प्राधिकार पत्र	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त पहचान सं U67190DL2006GOI144520
(ii)	वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग एवं रेटिंगों में स्थानांतरण	कंपनी द्वारा जारी घरेलू बांडों के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट एएए स्टैबल है। वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एसएंडपी बीबीबी–है। चालू वर्ष 2019–20 के दौरान रेटिंग में कोई स्थानांतरण नहीं हुआ।
(iii)	किसी नियामक के द्वारा लगाया गया जुर्माना, यदि कोई हो	शून्य
(iv)	सूचना अर्थात क्षेत्र, देश और साझेदार संयुक्त उद्यम	
	(क) संयुक्त उद्यम	कोई नहीं
	(ख) विदेशी सहायक कंपनियां	आईआईएफसी(यूके) लिमिटेड, कंपनी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है जो लंदन(यूके) से कारोबार करती है और भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषण करती है।

24.12 पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

क्र. सं	पुनर्रचना का प्रकार		सीडीआर व्यवस्था के तहत	एसएमई कर्ज पुनर्रचना व्यवस्था के तहत	अन्य (लाख में)					कुल (राशि लाख रुपये में)				
	आस्ति वर्गीकरण		कुल	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण													
1	01.04.2019 को पुनर्रचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	8.00	5.00	15.00	-	28.00	8.00	5.00	15.00	-	28.00
		बकाया राशि	-	-	135,503.19	43,070.33	115,781.66	-	294,355.18	135,503.19	43,070.33	115,781.66	-	294,355.18
		उस पर प्रावधान	-	-	6,775.16	4,302.63	65,165.48	-	76,243.27	6,775.16	4,302.63	65,165.48	-	76,243.27
2	वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान नई पुनर्रचना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	1.00	2.00	5.00	-	8.00	1.00	2.00	5.00	-	8.00
		बकाया राशि	-	-	577.00	53,391.57	42,749.04	-	96,717.62	577.00	53,391.57	42,749.04	-	96,717.62
		उस पर प्रावधान	-	-	28.85	5,339.16	12,714.54	-	18,082.55	28.85	5,339.16	12,714.54	-	18,082.55
3	वित्त वर्ष 2019–20 उधारकर्ताओं के दौरान पुनर्रचना के मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
4	ऐसी पुनर्रचित मानक अग्रिम जिनका वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधानीकरणएवं/ अथवा अतिरिक्त राशि जोखिम भारित होना समाप्त हो गया हो इसलिए उन्हें अगले में वित्तीय वर्ष 2019–20 के आरम्भ में पनु रचित मानक अग्रिमों के तौर पर दर्शाये जाने की आवश्यकता न हो।	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	5.00				5.00	5.00				5.00
		बकाया राशि	-	-	75,232.98				75,232.98	75,232.98				75,232.98
		उस पर प्रावधान	-	-	3,761.65	-	-		3,761.65	3,761.65	-	-		3,761.65

क्र. सं	पुनर्रचना का प्रकार		सीडीआर व्यवस्था के तहत	एसएमई कर्ज पुनर्रचना व्यवस्था के तहत	अन्य (लाख में)					कुल (राशि लाख रुपये में)				
	आस्ति वर्गीकरण		कुल	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण													
5	वित्तीय वर्ष 2019–20 में पुनर्रचित खातों की श्रेणी में गिरावट	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	2.00	5.00	-	-	7.00	2.00	5.00	-	-	7.00
		बकाया राशि	-	-	51,000.16	43,070.33	-	-	94,070.49	51,000.16	43,070.33	-	-	94,070.49
		उस पर प्रावधान	-	-	2,550.01	4,302.63	-	-	6,852.64	2,550.01	4,302.63	-	-	6,852.64
6	वित्तीय वर्ष 2019–20 में पुनर्रचित खातों का अपलेखन/ पूर्वभुगतान	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	-	1.00	-	1.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	23,444.36	-	23,444.36	-	-	23,444.36	-	23,444.36
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	14,666.17	-	14,666.17	-	-	14,666.17	-	14,666.17
7	30.09.2019 को पुनर्रचित खाते (लेखाबंदी आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	2.00	2.00	19.00	-	23.00	2.00	2.00	19.00	-	23.00
		बकाया राशि	-	-	9,847.05	53,391.57	135,086.34	-	198,324.96	9,847.05	53,391.57	135,086.34	-	198,324.96
		उस पर प्रावधान	-	-	492.35	5,339.16	63,213.85	-	69,045.36	492.35	5,339.16	63,213.85	-	69,045.36

24.13 विदेश में स्थित परिसंपत्तियां (उनके लिए जो विदेशों में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के पास है)

संयुक्त उद्यम/ सहायक कंपनी के नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य साझेदार	देश	कुल परिसंपत्तियां (राशि अमरीकी डॉलर में)
आईआईएफसी (यूके) लि.	कोई नहीं	यूनाइटेड किंगडम	शून्य आईआईएफसीएल के पास आईआईएफसी (यूके) लि. की कोई विदेशी परिसंपत्ति नहीं है।

25. पूंजी प्रबंधनः

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति हेतु भारतीय मानक लेखांकन 1 के पैरा 134–136 की आवश्यकता के अनुसार पूंजी प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में प्रकटीकरण का संदर्भ में यह उल्लिखित है कि आईआईएफसीएल एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी–अवसंरचना कंपनी है, अतः आईआईएफसीएल कोभा.रि.बैंक के विनियमों के अनुसार स्वाधिकृत निधियों के रूप में संदर्भित पूंजी अनुरक्षित करना आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर निर्देश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी –प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी तथा जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार स्वाधिकृत निधि का तात्पर्य चुकता इक्विटी पूंजी, अधिमानी शेयर से है जोकि इक्विटी, मुक्त आरक्षित निधि, शेयर प्रिमियम खाते एवं पूंजीगत आरक्षित निधि में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय होती हैं जिसे संचित हानि शेष, अमूर्त आस्तियों के बही मूल्य एवं आस्थगित राजस्व व्यय यदि कोई हो, द्वारा आई गिरावट में आस्ति के पुनर्मूल्यांकन से सृजित आरक्षित निधि को छोड़कर आस्ति की बिक्री का आय के अधिशेष में दर्शाया जाता है।

भारत सरकार समय–समय पर आईआईएफसीएल में पूंजी डालती रहती है। यह आईआईएफसीएल को भा.रि. बैंक के द्वारा निर्धारितपूंजीगत अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल लाभांश के वितरण को पूंजी अर्थात भारत सरकार की निर्देशों के अधीननिवल स्वाधिकृत निधियों खाते में प्रभाव के रूप में देखता है। कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के संबंध में उद्देश्यों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

26. वित्त मंत्रालय के निवेश एवं जन आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 5/1/2016–नीति – दिनांकित 27 मई, 2016 में "केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी पुनर्रचना पर दिशानिर्देश" जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश लाभांश के भुगतान, बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों की खरीद वापसी तथा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों के विखंडन के बारे में प्रावधान उपलब्ध कराते हैं। बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों की खरीद वापसी के ये दिशानिर्देशआईआईएफसीएल पर लागू नहीं होते हैं। लाभांश के भुगतान केदिशानिर्देश के अनुसार आईआईएफसीएल को अपने करोपरांत लाभ का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का 30 प्रतिशत या अपनी निवल संपदा का 5 प्रतिशत इसमें विद्यमान कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि, आईआईएफसीएल ने 14 जनवरी, 2016 को भारत सरकार से लाभांश के भुगतान के लिए 3 साल की छूट का अनुरोध किया जो कि वित्त वर्ष 2015–16 में 36,323.41 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2016–17 में 37,119.74 रुपये और 2017–18 में 31,995.93 लाख रुपये तथा वित्त वर्ष 2018–19 में 23,442.79 लाख रुपये था। इसके अलावा आईआईएफसीएल ने दिनांक 19, सितंबर, 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से वित्त वर्ष 2021–22 तक लाभांश के भुगतान में छूट देने का अनुरोध किया था। वित्तीय वर्ष 2019–20 में लाभांशक का भुगतान 3,09,173.37 लाख रुपए बनता है। आईआईएफसीएल के पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है।

27. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा के क्रम में, लेखा परीक्षकों ने निम्नानुसार इंगित किया है:

सहायक कंपनी में निवेश को उचित मूल्य के बजाय लागत पर ले जाने के लिए महत्व दिया गया है। सहायक कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के अनुसार, कंपनी का निवल मूल्य भी समाप्त हो गया है। जैसा कि हमें समझाया गया है, यूके की सहायक कंपनी का वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) के तहत तैयार किया गया है और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल के तहत भारी प्रावधान किए गए हैं। हालाँकि, कंपनी में संपूर्ण उधार की गारंटी भारत सरकार और आरबीआई द्वारा दी गई है। प्रबंधन की राय में, आईआईएफसी यूके के वित्तीय विवरण चिंता की वजह से तैयार किए जाते हैं और वे पूंजी में कंपनी द्वारा 233.95 करोड़ का निवेश में किसी भी क्षरण की उम्मीद नहीं करते हैं।

जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है आईआईएफसीह यूके आईआईएफसीएल की 100 प्रतिषत स्वामित्व वाली अनुषंगी है, निवेश के उचित मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसलिए, सहायक कम्पनी में निवेश के उचित मूल्यांकन की अनुपस्थिति में, हम क्षति, यदि कोई हो, पर कोई टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।

<u>प्रबंधन का उत्तरः</u>

निवेदन किया जाता है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड) की एक विनिर्दिष्ट स्तर पर पूंजी अनुरक्षित करने की कोई विनियामक अपेक्षा नहीं है। तथापि, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2008 से 2010 तक (आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का इक्विटी निवेश किया। (आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में 30 मिलियन अमरीकी डॉलर का और वित्तीय वर्ष 2015–16 में 50 मिलियन अमरीकी डॉलर लाभांष घोषित किया जिसका योग 50 मिलियन डॉलर बनता है।

इसके अतिरिक्त आईआईएफसीएल ने निम्नलिखित के कारण अपनी ऋण बही का गहन प्रावधानीकरण व समाशोधन किया है।

- इसके अतिरिक्त, आरबीआई परिपत्र 12 फरवरी 2018 (दवाबग्रस्त आस्तियों का समाधान – संषोधित रूपरेखा) का निर्गमन जिसके परिणामस्वरूप सभी योजनाओं को वापस लिया गया जैसे दवाबग्रस्त अस्तियों का पुनरुद्धार, सीडीआर, मौजूदा दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, एसडीआर, एसडीआर से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन; और
- ऋण–अशोधन और दिवालियापन संहिता का कार्यान्वयन जिसके परिणामस्वरूप एनपीए मामलों को अनिवार्यतः समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए एनसीएलटी को संदर्भित किया जा रहा है।

आईआईएफसीएल की तर्ज पर इसी प्रकार का ऋण पुस्तिकाओं में गहन प्रावधानीकरण और सफाई आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में आरंभ किया गया। इसके परिणामस्वरूप आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के निवल मूल्य का ह्रास हो गया।

आईआईएफसीएल आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में 10 वर्ष की अवधि तक 250 मिलियन डॉलर तक का इक्विटी निवेश के अभिदान के माध्यम से आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में नई पूंजी मुहैया कराने का इरादा रखती है।

चूंकि आईआईएफसीएल पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा गतिविधियों से निवल लाभ अर्जित करने के मापदंड पूरे नहीं कर रही है (जो आरबीआई के फेमा विनियमों के अनुसार एक अपेक्षा है), और इसकी टीयर । पूंजी में सहायक/समूह कम्पनियों में निवेश करने की गुंजाइष नहीं है, कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से आरबीआई के फेमा विनियमों के अनुसार अनुमोदन प्रदान करने और आईआईएफसीएल को, विनियामक कोण से टीयर। पूंजी में क्षति के बिना आईआइएफसी (यूके) लिमिटेड में निवेश की अनुमति देने का अनुरोध किया। आरबीआई ने 29 मार्च 2019 के पत्र द्वारा फेमा के दृष्टिकोण से आईआईएफसीएल के अनुरोध को अनुमोदित किया, किंतु 4 जुलाई 2019 के पत्र द्वारा विनियामक कोण से आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड में निवेश करने के आईआईएफसीएल के अनुरोध को नहीं माना। आईआईएफसीएल सहायक समूह में निवेश की गुंजाइश बढ़ाने के साथ आईआईएफसी (यूके) लि. में नई इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराना चाहता है।

28. पीएफसी (अग्रणी बैंक) के साथ सहायता संघ के अंतर्गत आईआईएफसीएल एवं आरईसी ने तूतिकोरिन, तमिलनाडु में 1ग 660 मेगावाट कोल आधारित थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने के लिए इंड–बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड को आंशिक वित्तपोषण किया है। आईआईएफसीएल ने 250 करोड़ रुपये स्वीकृत किये एवं एक्सिस बैंक में चल रहे टीआरए खाते में 89 करोड़ रुपये संवितरित किये। उधारकर्ता ने टीआरए की निधि का दूसरे काम में उपयोग किया। सहायता संघ ने ऋण की राशि संवितरित करने का निर्णय पलट दिया एवं दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज की जिसकी जांच अभी चल रही है। दिनांक 22 मार्च, 2019 को आयोजित आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल को इस खाते में चल घटनाक्रम से अवगत कराया गया एवं 28 मार्च, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक को इस धोखाधड़ी की घटना की सूचना दी गई।

29. नीति संख्या 1(क)(5.2)(क)(क) के अनुसरण में ऋण आस्तियों पर कुल आय का 0.5 प्रतिशत से अनधिक सीधे लगाये जाने वाले प्रारंभिक शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क अथवा कोई अन्य शुल्क लाभ हानि विवरण में प्रारंभिक तौर पर प्रोद्भूत आधार पर माने जाते हैं।

30. भारत सरकार ने दिनांक 9 फरवरी, 2012 के अपने पत्र द्वारा आईआईएफसीएल को सूचित किया था कि यह निर्णय लिया गया हैकि दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कारीडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन की 41 प्रतिशतइक्विटी आईआईएफसीएल द्वारा अधिग्रहित की जाएगी। ऐसा कुछ भी होते हुए आईआईएफसीएल को सिफ्टी यानि अर्थक्षम अवसरंचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना जिसके तहत आईआईएफसीएल अपने क्रियाकलाप संचालित करता है, के अनुसार इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने का आदेश नहीं दिया गया।

31. कोविड–19 वैश्विक महामारी ने आर्थिक दृष्टि से व्यापक व्यवधान पैदा किये हैं जिससे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इकाईयों का कम क्षमता में कामकाज एवं अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति तक पहुंचा दिया है। उद्योगों एवं ऋणदाताओं की इस विकट स्थिति का निवारण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बारे में लाये गये कर्ज शोधन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से कुछ नियामक उपायों की घोषणा की।

अर्थक्षम कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित विवरण/तौर तरीकों के साथ सावधि ऋण के भुगतान का पुनर्निर्धारण किया गया:

- (i) मूलधन एवं/अथवा ब्याज घटकों (ii) 1 मार्च, 2020 एवं 31 मई, 2020 के बीच पड़ने वाले एकबारगी चुकौती के भुगतान पर तीन माह के ऋणस्थगन की अनुमति दी जाती है।
- ऐसे ऋणों के चुकौती की समयावधि के अलावा अवशिष्ट अवधि को ऋणस्थगन अवधि के उपरांत आगे तीन माह आगे बढ़ाया गया। ऋणस्थगन अवधि के दौरान सावधि ऋणों के बकाया हिस्से पर ब्याज लगना जारी रहेगा।
- यह सुविधा उन खातों के लिए है जो 01.03.2020 को मानक हैं। और आगे राहत का अनुरोध प्राप्त होने पर आगे ऋणस्थगन की समीक्षा की जाएगी। सावधि ऋणों के लिए जहां ऋण चुकाना प्रारंभ नहीं हुआ है ऐसे ऋणों के तीन माह के ब्याज के हिस्से की गणना की जाएगी।
- इस अवधि में दंडस्वरूप ब्याज व शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- ऋणस्थगन के दौरान ब्याज की राशि तीन माह की अवधि के लिए अर्जित की जाएगी एवं इस तरह अर्जित ब्याज के भुगतान

का निर्णय अग्रणी बैंक के निर्णय पर मामला दर मामला आधार पर लिया जाएगा। चूंकि आईआईएफसीएल सहायता संघ व्यवस्था (पुनर्वित्त खातों को छोड़कर) के अंतर्गत ही ऋण प्रदान करता है व अग्रणी बैंक का अनुसरण करता है अतः उपरोक्त राहत अग्रणी ऋणदाता के अनुमोदन के अनुरूप होगी। ऐसे खातों के संबंध में जहां आईआईएफसीएल अग्रणी ऋणदाता है उनमें भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुपालन में सहायता संघ के अन्य ऋणदाताओं के साथ परामर्श करके लागू राहत प्रदान की जाएगी।

- एकमात्र ऋणदाता होने की स्थिति में आईआईएफसीएल अपनी पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे खातों में अवशिष्ट अवधि के लिए चुकौती समयावधि ऋणस्थगन के उपरांत तीन माह आगे बढ़ा दी जाएगी जहां ब्याज दर यथावत रहेगी एवं संचित ब्याज का ऋणस्थगन के बाद आगे की देय तिथि को भुगतान करना होगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार चूंकि ऋणस्थगन/आस्थगन उधारकर्ताओं को कोविड–19 के कारण आई आर्थिक गिरावट पर काबू पाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से प्रदान किया जा रहा है अतः इसे भारतीय रिजर्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों के समधान के लिए विवेकसम्मत रुपरेखा) निदेश, 2019 दिनांक 7, जून, 2019 ("विवेकसम्मत रूपरेखा") के परिशिष्ट के अनुच्छेद 2 के तहत उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई के कारण ऋण करार की नियम व शर्तों में रियायत अथवा परिवर्तन के तौर पर नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार ऐसे उपाय के कारण आस्ति वर्गीकरण में गिरावट नहीं आएगी। सावधि ऋणों का आस्ति वर्गीकरण जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के उपरोक्त परिपत्र के अनुच्छेद 2 के अनुसार राहत प्रदान की गई है, संशोधित देय तिथि एवं संशोधित चुकौती समयावधि के आधार पर किया जाएगा।

32. कर व्ययों और भारत की कर दरों द्वारा बहुगणित लेखांकन लाभ का मिलान (भारतीय लेखांकन मानक 12):

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कर पूर्व लाभ	(29,148.48)	40,388.67
सांविधिक आय कर दर	25.17%	34.944%
संभावित आयकर व्यय	(7,336.09)	14,113.42
आयकर समायोजन का कर प्रभावः		
आयकर अधिनियम की धारा 36(1) कटौती का लाभ	-	(6,451.81)
निवल प्रावधान अस्वीकृत	4,763.03	3,082.32
अन्य गैर– कटौती योग्य कर व्यय	760.49	15,592.87
गत वर्ष का आयकर	-	(166.45)
अन्य	1,812.56	-
आस्थगित कर	(34,240.27)	3,975.66
कर व्यय	**(34,240.27)**	**30,146.01**

33. परिशोधित लागत/उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य मापांकन अनुक्रमः

क. उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 – समरूप आस्तियों एवं देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 – स्तर 1 में समाहित उद्धृत मूल्य के अलावा इनपुट (निविष्टि) जो कि आस्ति एवं देयताओं के लिए पालनीय है फिर चाहे वे प्रत्यक्ष (जैसे कि कीमतें) अथवा अप्रत्यक्ष(जैसे कि मूल्यों से व्युत्पन्न) हों।

स्तर 3 – आस्ति एवं देयताओं के लिए जोकि पालनीय बाजारी डाटा पर आधारित है (अपालनीय इनपुट)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति :			
परिशोधित लागत	-	-	49,40,345.72
एफवीटीपीएल	-	76,388.71	1,33,863.19
वित्तीय देयताएं:			
परिशोधित लागत	18,54,385.35	-	18,72,038.87

विवरण	31.03.2019		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति :			
परिशोधित लागत	-	-	4,112,154.81
एफवीटीपीएल	-	79,843.20	108,845.20
वित्तीय देयताएं:			
परिशोधित लागत	18,54,385.35	-	1,520,584.89

ख. वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य, जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा गया है: (राशि लाख रुपये में)

विवरण	31.03.2020		31.03.2019	
	धारणीय मूल्य	उचित मूल्य	धारणीय मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्तियां	49,40,345.72	49,40,345.72	4,112,154.81	4,112,154.81
वित्तीय देयताएं	37,26,424.22	37,26,424.22	3,374,970.24	3,374,970.24

34. खंडवार एक्पोजर और क्षति हानि का ब्यौरा (राशि लाख रुपये में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
31 मार्च 2020 को				
कुल एक्सपोजर	24,22,370.53	2,74,875.78	6,62,307.29	33,59,553.61
क्षति भत्ता	30,060.77	82,272.94	3,34,474.41	4,46,808.12
ईसीएल:	1.24%	29.93%	50.50%	13.30%
31 अप्रैल 2019 को				
कुल एक्सपोजर	2,693,880.46	410,842.13	342,566.53	3,447,289.12
क्षति भत्ता	24,915.33	84,672.01	160,735.47	270,322.81
ईसीएल:	1.30%	32.30%	47.39%	12.30%

35. आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार प्रावधानों के मिलान एवं खंड वार संभावित ऋण हानि का प्रकटीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सकल धारणीय राशि	भारतीय लेखांकन मानक 109 में अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल धारणीय राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भारतीय लेखांकन मानक 109 के प्रावधानों एवं आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)-(4)	-6	(7) = (4)-(6)
अर्जक आस्तियां						
मानक	चरण 1	24,22,370.53	30,060.77	23,92,309.76	9,689.48	20,371.29
	चरण 2	2,74,875.78	82,272.94	1,92,602.84	1,099.50	81,173.44
	एफआईटीएल	3,142.55	3,142.55	0.00	3,142.55	0.00
उप योग		**27,00,388.86**	**1,15,476.26**	**25,84,912.60**	**13,931.53**	**1,01,544.73**
अनर्जक आस्तियां (एनपीए)						
अवमानक	**चरण 3**	1,38,762.96	49,514.16	89,248.80	16,361.59	33,152.57
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3	2,69,425.69	1,29,766.91	1,39,658.78	68,368.23	61,398.68
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3	2,27,215.93	1,36,205.33	91,010.59	1,26,619.42	9,585.92
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	26,902.72	18,988.01	7,914.71	18,486.96	501.05
संदिग्ध का उप योग		5,23,544.34	2,84,960.25	2,38,584.09	2,13,474.61	71,485.64

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सकल धारणीय राशि	भारतीय लेखांकन मानक 109 में अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल धारणीय राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भारतीय लेखांकन मानक 109 के प्रावधानों एवं आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
-1	-2	-3	-4	(5)=(3)-(4)	-6	(7) = (4)-(6)
हानि	**चरण 3**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एनपीए का उप योग		**6,62,307.29**	**3,34,474.41**	**3,27,832.88**	**2,29,836.20**	**1,04,638.21**
अन्य मदें जैसे गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं इत्यादि जो भारतीय लेखांकन मानक 109 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते है लेकिन वर्तमान आय में पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) में शामिल नहीं किया गया है।	चरण 1			0.00		0.00
	चरण 2			0.00		0.00
	चरण 3			0.00		0.00
उप योग		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	चरण1	24,22,370.53	30,060.77	23,92,309.76	9,689.48	20,371.29
	एफआईटीएल	3,142.55	3,142.55	0.00	3,142.55	0.00
	चरण2	2,74,875.78	82,272.94	1,92,602.84	1,099.50	81,173.44
योग	चरण3	6,62,307.29	3,34,474.41	3,27,832.88	2,29,836.20	1,04,638.21
	योग	**33,62,696.16**	**4,49,950.67**	**29,12,745.49**	**2,43,767.73**	**2,06,182.94**

36. जहां पर आवश्यक समझा गया है वहां पर पूर्व वर्ष के अंकों को पुनर्समूहित किया जा गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ.पी. तुलस्यान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या: 500028एन)

राकेश अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता सं.: 081808

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.07.2020

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेशक मंडल की ओर से

आनंद मधुकर
(निदेशक)
डीआईएन सं.: 8563286

मंजरी मिश्रा
(सहायक महाप्रबंधक और कम्पनी सचिव)

पी. आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं.: 6711526

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक – सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसरण में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि वह अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निहित लेखांकन के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करे। यह उनकी दिनांक 22 जुलाई, 2020 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत, 31मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक अनूपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कार्य–पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह सांविधिक लेखा मुख्य रूपसे सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कर्मचारियों के अन्वेषण और कुछ लेखांकन रिकोर्डों के चुनिन्दा परीक्षण तक ही सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों, जो मेरे ध्यान आए और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबन्धित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है, पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क. तुलन पत्र

क. आस्तियां

क1. ऋण (टिप्पणी 5) 33637.22 करोड़ रुपये

आईआईएफसीएल ने आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लि. (आईटीएनएल) एवं आईएलएंडएफएस इन्वायर्नमैंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. द्वारा प्रवर्वित विशेष प्रयोजन माध्यम को ऋण प्रदान किया है। चार ऋण खातों एवं उनके लिए किये प्रावधानीकरण का विवरण इस प्रकार है:

ऋणकर्ता का नाम	एनपीए की तिथि	बकाया मूलधन (राशि करोड़ रुपये में)	31.03.2020 को किया गया प्रावधानीकरण (राशि करोड़ रुपये में)
बरवा अड्डा एक्सप्रेसवेज लि.	30.04.2019	350.37	142.70
खेड सिन्नार एक्सप्रेसवेज लि.	31.12.2018	152.98	114.74
कीरतपुर नेड़ चौक एक्सप्रेसवेज लि.	31.12.2018	222.70	106.98
आईएलएंडएफएस इन्वायर्नमैंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि.	नवंबर, 2018	4.52	2.26
योग		730.57	366.68

सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध राष्ट्रीय कंपनी नियम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नये निदेशक मंडल द्वारा उपरोक्त सभी कंपनियों को लाल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है ताकि आईएलएंडएफएस समूह की कंपिनयों के कामकाज का प्रबंधन किया जा सके जिसका तात्पर्य है कि ऐसी इकाईयां अधिमानी प्रतिभूत वित्तीय लेनदारों के प्रति अपने भुगतान दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकती हैं।

तदनुसार लेखापरीक्षा से यह अभिमत निकलता है कि उपरोक्त कंपनियों में 730.57 करोड़ रुपये के संपूर्ण ऋण का प्रावधान किया गया है।

इसके फलस्वरूप ऋण को 363.89 करोड़ रुपये (730.57 करोड रुपये – 366.68 करोड़ रुपये) को बढ़ा चढ़ा कर दिखा गया है एवं उसी संदर्भ में प्रावधानीकरण पर छुपाया गया है। नतीजन 363.89 करोड़ के लाभ को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है।

क2. वित्तीय देयताएं

अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 14) 786.62 करोड़ रुपये

उपरोक्त में एनबीसीसी द्वारा कंपनी को कार्यालय स्थल के आबंटन के लिए 38.30 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त के विलंबित भुगतान पर 2.22 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है।

इस प्रकार अन्य वित्तीय देयताओं को छुपाया गया है एवं वर्ष में 2.22 करोड़ का लाभ बढ़ा कर दिखाया गया है।

लाभप्रदता पर टिप्पणियां

ख. लाभ हानि विवरण

ख.1 व्यय

मूल्याह्रास, परिशोधन एवं ह्रासन (टिप्पणी 8, 9 एवं 10) 17.67 करोड़ रुपये

आईआईएफसीएल कार्यालय स्थल, आवासीय फ्लैटों (टाईप VI) एवं कार पार्किंग स्थल पर मूल्याह्रास सीधी रेखा पद्धत्ति के अनुसार लगा रहा है। हालांकि टाईप V आवासीय फ्लैटों के संबंध में मूल्याह्रास मूल्य पद्धत्ति के अनुसार लगाया गया है।

इस प्रकार व्यय–मूल्याह्रास, परिशोधन एवं ह्रासन को बढ़ा कर दिखाया गया है एवं वर्ष में 1.02 करोड़ का लाभ छुपाया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड
के सभी सदस्य
समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में रिपोर्ट

अभिमत

हमने **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** (इसके पश्चात 'नियंत्रक कंपनी' कहा जाए) के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2021 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य समग्र आय सहित) और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, उस तारीख को समाप्त वर्ष के अंत में नकदी प्रवाह विवरण और महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी सहित समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (इसके पश्चात ''समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण'' कहा जाए) शामिल है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त सशर्त मत वाले पैराओं के लिए आधार में उल्लिखित मामले के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना इस प्रकार अपेक्षित तरीके से देती हैं, जो कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित (''भारतीय लेखांकन मानक''), के अनुरूप और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं, दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ (अन्य समग्र आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में समेकित परिवर्तन व उसके नकद प्रवाह की एक सही एवं स्पष्ट दृष्टि देती हैं।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का निष्पादन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुरूप किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व की और अधिक व्याख्या हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड से संबंधित लेखा परीक्षकों के दायित्वों में दी गई है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के साथ–साथ अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिक आचार संहिता कीअपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्व पूरे किए हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे सशर्त मत के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन हैं।

मामले का महत्व

1. हमने 2 अगस्त, 2019 को अद्यतन किए गए आरबीआई के मास्टर निदेश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016–17 के निदेश संख्या 16 के अनुसार ऋण आस्तियों की राशि से प्रावधान/ईसीएल का निवल न किए जाने के संदर्भ में ऋण आस्तियों की टिप्पणी संख्या 4 में दिए गए फुटनोट की ओर ध्यान आकृष्ट किया।
2. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में टिप्पणी सं. 1 (ख) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जिसमें कोविड–19 महामारी की स्थिति से संबंधित लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंध व परिस्थितियों के कारण अनिश्चितताओं एवं प्रबंधन के वित्तीय प्रभाव का आकलन का उल्लेख है जिसके लिए बाद की अवधि के प्रभाव का निश्चित मूल्यांकन मुख्य तौर पर आगे की परिस्थितियों पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक कोविड–19 विनियामक पैकेज के अनुसार कंपनी ने 29 फरवरी, 2021 को मानक के तौर पर वर्गीकृत सभी पात्र उधारकर्ताओं को किश्तों के भुगतान पर मोहलत देने की पेशकश की। इस संबंध में जिन खातों में इस मोहलत का विकल्प चुना है उन्हें 29 फरवरी, 2021 तक देय के बकाये के दिनों के अनुसार निर्धारण किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णयानुसार, चालू अवधि की वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए सर्वाधिक उल्लेखनीय थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से एक के रूप में संबोधित किया गया, और इन पर हमारा मत तैयार करने के क्रम में, हमने इन मामलों पर कोई पृथक मत नहीं प्रदान किया है। हमने नीचे उन मामलों का उल्लेख किया है जिन्हें प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में संप्रेषित किया जाना था :

क्र. सं.	प्रबंधन	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का कैसे निवारण किया गया था
1.	**ग्राहकों को दिये गये ऋणों एवं अग्रिम राशि का ह्रासन** समेकित वित्तीय विवरणों का नोट सं. 1(क) 5 हेतु ह्रासन, समेकित वित्तीय विवरण का नोट सं. 16 अपेक्षित ऋण हानि के अनुमान एवं बोध–निर्धारण का उपयोग एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट सं. 5.7 ऋण देखें।	

क्र. सं.	प्रबंधन	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का कैसे निवारण किया गया था
	ऋण का ह्रासन भारतीय लेखांकन मानक–वित्तीय लिखतों के अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल पर आधारित है। कंपनी का ह्रासन अनुमति ऐतिहासिक चूक दरों एवं ऋण हानि अनुपात सहित कुछ प्रबंधन अनुमानों पर आधारित है। ऋण का ह्रासन भारतीय लेखांकन मानक–वित्तीय लिखतों के अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल पर आधारित है। कंपनी का ह्रासन अनुमति ऐतिहासिक चूक दरों एवं ऋण हानि अनुपात सहित कुछ प्रबंधन अनुमानों पर आधारित है। ऋण एवं अग्रिम राशियों के ह्रासन की निर्धारण एवं मापन में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल है। ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रबंधन ने महत्वपूर्ण निर्णय का प्रयोग किया निम्नानुसार है: • ऋण चरणबद्धता मापदंड • चूक को देखते हुए संभावित चूक/हानि की गणना। • चूक के एक्सपोजर का निर्धारण • संभावित भारित परिदृश्य पर विचार एवं दूरंदेशी समष्टिगत आर्थिक कारक ईसीएल मॉडल की अनुप्रयोज्यता में अनेक डेटा सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इससे डाटा की पूर्णता एवं सटीकता बढ़ जाती है जिसे इस मॉडल में अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया है।	हमने निम्नलिखित निर्धारित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन किया है: डिजाइन/नियंत्रण • भारतीय लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयोग किये गये ह्रासन सिद्धांतों की औचित्यता एवं हमारी कारोबारी समझ व उद्योग की प्रथाओ के अनुसार मूल्यांकनय • ह्रासन प्रभार की गणना में उपयोग की गई ऋण ह्रासन प्रक्रिया पर प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन व कार्यान्वयन का मूल्यांकनय • प्रबंधन के परिव्यय के अनुमान का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की गई प्रासंगिक सूचना के समन्वय पर प्रबंधन के नियंत्रणों का मूल्यांकन। • वित्तीय विवरणों में ह्रासन अनुमतियों एवं प्रकटीकरण के मापन पर पुनरीक्षित नियंत्रण की जांच।
2.	**व्युत्पन्नी लिखतों एवं बचाव व्यवस्था संबंधी लेखांकन का मूल्यांकन** समेकित वित्तीय विवरणों का नोट सं. 1(क) 5.2 हेतु व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का नोट सं. 3 व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें में लेखांकन नीतियां देखें।	
	कंपनी ने जोखिमों का प्रबंधन एवं जोखिमों की बचाव व्यवस्था के उद्देश्य से व्युत्पन्नी संविदाएं संपन्न की हैं जैसे उधारियों पर विदेशी विनिमय दर। कंपनी या तो नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था या मूल्य बचाव व्यवस्था करती है जो की जाने वाली बचाव व्यवस्था पर निर्भर करता है। बचाव व्यवस्था का लेखांकन का अनुप्रयोग एवं बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना जटिल एवं प्रचालनात्मक रूप से दुष्कर है। इसमें कंपनी के प्रबंधन की गहन निगरानी की आवश्यकता पड़ती है।	**हमारी प्रक्रिया में शामिल है।** **डिजाइन/नियंत्रण** निम्नानुसार जोखिम प्रबंधन नीतियों की जानकारी ली गई एवं प्रमुख नियंत्रणों की जांच की गई (i) नामांकित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार सहित बचाव व्यवस्था संबंध के नामांकन, बचाव व्यवस्था लेनदेन के निरीक्षण में प्रबंधन द्वारा दस्तावेजीकरण के समय पर (ii) बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की जांच सहित प्रबंधन द्वारा बचाव व्यवस्था संबंध की चालू निगरानी एवं समीक्षा के संबंध में
		मौलिक परीक्षण • चुनिंदा नमूनों की व्युत्पन्नी लिखतों के निर्धारण एवं मापन की भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार जांचय • भारतीय लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के साथ दस्तावेजों का अनुपालन का आंकलन करने के लिए नमूना आधार पर बचाव व्यवस्था के दस्तावेजों की जांचय • तीसरे पक्षकारों से प्राप्त स्वतंत्र संपुष्टियों के प्रति व्युत्पन्नी लिखतों के नमूना आधारित मिलान की जांचय • बचाव व्यवस्था लेखांकन के अनुप्रयोज्यता एवं सटीकता की नमूना आधारित जांचय • नियंत्रक कंपनी के वित्तीय विवरणों में वित्तीय जोखिम प्रबंधन, व्युत्पन्नी लिखत एवं बचाव व्यवस्था लेखांकन के संबंध में औचित्यता एवं प्रकटीकरण पर विचार।

क्र. सं.	प्रबंधन	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का कैसे निवारण किया गया था
3	**सूचना प्रौद्योगिकी** आईटी समर्थित लेखांकन प्रणाली का एकीकरण	
		हमारी प्रक्रिया में शामिल है।
	नियंत्रक कंपनी ने विगत वित्तीय वर्ष से एसएपी प्रणाली लागू की है ताकि सूचना प्रणाली की प्रभावी निर्भरता एवं वित्तीय लेखांकन एवं प्रतिवेदित किये जाने वाले अभिलेखों में स्वाचित नियंत्रणों पर भरोसा सुनिश्चित हो। कंपनी अभी भी आईटी समर्थित लेखांकन प्रणाली के स्थायीकरण एवं एकीकरण की प्रक्रिया में है। हमने 'आईटी प्रणाली एवं नियंत्रण' को प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के तौर पर प्रमुखता दी है क्योंकि यह ऋणों का ह्रासन, व्युत्पन्नियों का मूल्यांकन एवं बचाव व्यवस्था का लेखांकन, ईआरपी प्रणाली में से विदेशी मुद्रा में लाभ व हानि की संगणना जैसे प्रमुख वित्तीय कारकों की संगणना में शामिल मापन व जटिलता का पूर्ण स्वचालन हासिल करने के लिए आवश्यक अनुकूलन के प्रक्रियाधीन है।	आस्तियों के ह्रासन, व्यत्युपन्नी आस्तियां, विदेशी मुद्रा में लाभ व हानि एवं वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण की संगणना का मूल्यांकन। हमने इसे इस रिपोर्ट के साथ जुड़े अनुलग्नक 'ग' में प्रणाली के नियंत्रण की कमजोरी के तौर पर उल्लेख भी किया है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अन्य सूचना और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल है किंतु समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षक की रिर्पोट शामिल नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध हमें इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की लेखा परीक्षा की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारा मत में अन्य सूचना शामिल नहीं होती और हम इस पर आश्वासन के निष्कर्ष की आश्वस्ति किसी भी रूप में अभिव्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व ऊपर चिह्नित अन्य सूचना पढ़ने का है जब यह उपलब्ध हो जाए और, ऐसा करने के क्रम में, यह विचार करने का है कि क्या अन्य सूचना समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी से महत्वपूर्ण रूप से समनुरूप नहीं है या लेखा परीक्षा या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या रूप में उल्लिखित की गई प्रतीत होती है।

जब हम बोर्ड की रिपोर्ट और बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकोकं को पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण मिथ्याकथन है, हमसे उन प्रभारों के लिए मामले को शासन को संप्रेषित करना, और यदि अपेक्षित हो, समीचीन कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

नियंत्रक कम्पनी का निदेशक मंडल इस एकल वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के तहत जिम्मेदार है, जो कि वास्तविक और निष्पक्ष लेखे प्रदान करते हैं, कंपनी (लेखा) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित लेखाकार सिद्धांतों के अनुसार आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह पर वास्तविक और स्पष्ट विचार देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकना, उपयुक्तलेखा नीतियों का चयन और निर्णय लेना और अनुमान लगाना उचित और विवेकसम्मत और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव सहित, संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों जो उपरोक्त नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के तैयारी के प्रयोजनार्थ उपयोग की गई हैं, को सुनिश्चित करना भी प्रबंधन की जिम्मेदारी है

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनी का निदेशक मंडल कम्पनी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, सतत प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने, जैसा भी प्रयोज्य हो, और लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि या तो कम्पनी दिवालिया होने लिए अभिप्रेत न हो या प्रचालन बंद न कर दे, या इसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई भी यथार्थपरक विकल्प न हो।

समूह में शामिल संबंधित निदेशक मंडल भी समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे यह चूक से हुआ हो या धोखाधड़ी से, और लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो। औचित्यपूर्ण आश्वस्ति उच्च स्तर की आश्वस्ति है, किंतु ये गारंटी नहीं कि एसए के अनुसार की गई कोई लेखा परीक्षा सदैव किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन को ढूंढ लेगी जहां यह विद्यमान हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है यदि इनसे, व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, इन समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की औचित्यपूर्ण रूप से संभावना है।

एसए के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का उपयोग करते हैं और और सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को ध्यान में रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों की पहचान और आकलन करना, चाहे ये धोखाधड़ी से हुए हों या चूक द्वारा, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षाएं डिजाइन या निष्पादित करना है, और ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना है जो हमारे मत के लिए एक आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन हों। धोखाधड़ी से परिणत होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से परिणत होने वाले मिथ्याकथन से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, जालसाजी, इरादतन लोप, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- ऐसी लेखा प्रक्रियाओं को तैयार करने में लेखा परीक्षा सक संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत, हम इस बारे में भी अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभावोत्पादकता विद्यमान है।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की तर्क संगति और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के आधार पर प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता निश्चित करना, जो प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हो, कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जिनसे कम्पनी की सतत प्रष्ठिान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न हो सकता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, ऐसे में हमसे अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में किए गए संबंधित प्रकटीकरणों के प्रति ध्यान आकर्षित करें अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपना मत संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों की वजह से कम्पनी एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणीएं अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करती हैं जो उचित प्रस्तुतकरण प्राप्त कर सकें।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर व्यापार गतिविधियों या निकायों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम भारत में निगमित धारक कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निदेष, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जिसमें उन कम्पनियों की समेकित वित्तीय विवरणिकाएं भी षामिल हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्ष हैं। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य निकायों के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे लेखा परीक्षक उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षाओं के निदेष, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम केवल अपने लेखा परीक्षा प्रचालन के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार विवरणों में गलत विवरण महत्वूपर्ण होते हैं जो, व्यक्तिगत रूप से सकल रूप से, इसे संभाव्य बनाते हैं कि वित्तीय विवरणों के औचित्यपूर्ण रूप से जानकार प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखापरीक्षा कार्य के स्कोप का नियोजन करने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (2) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण कारकों पर विचार करते हैं।

हम समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल नियंत्रक कंपनी एवं ऐसी अन्य इकाईयों के अभिशासन में प्रभार वाले व्यक्तियों को अपनी लेखा परीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र और समयसीमा और उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी उल्लेखनीय खामियां शामिल हैं जिन्हें हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित करते हैं, के बारे में प्रशासन के लिए प्रभारित पक्षों को संप्रेषित करते हैं।

हम प्रशासन में प्रभार संभालने वाले पक्षों को यह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों को संप्रेषित करते हैं जिनका प्रभाव औचित्यपूर्ण रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षोपायों पर माना जा सकता है।

प्रशासन के लिए प्रभारित पक्षों को संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि की समेकित भारतीय लेखांकन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक उल्लेखनीय हों और इस प्रकार प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हों। हम अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में उन मामलों का उल्लेख करते हैं जब तक कि कानून और विनियम में मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरणों से

मना किया गया हो या जब, अत्यंत विरल परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से ऐसे संप्रेषण के लोक हित के लाभों से ऊपर होने की संभावना है।

अन्य मामले

- हमने तीन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी में 31 मार्च 2021 को 15,410.33 लाख रुपये की कुल संपत्ति, समाप्त वर्ष की उस तिथि को कुल राजस्व 54,440.62 लाख रुपये और निवल नकदी बहिर्वाह 8,311.24 लाख रुपये दर्शाई गई है जिसे समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में माना गया है। समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में सहायक कंपनी के 4,612.28 लाख रुपये के करोपरांत निवल लाभ के हिस्सा भी समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण में समेकित के तौर पर शामिल है। इन वित्तीय विवरणों का लेखा–परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन और समेकित भारतीय लेखांकन मानक के बारे में हमारी राय पर वित्तीय विवरणों से सुसज्जित है, जहाँ तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, और हमारी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) और (11) के संदर्भ में रिपोर्ट, जहां तक यह उपर्युक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।
- इन सहायक कंपनियों में से एक इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस (यूके) लिमिटेड भारत के बाहर स्थित है, जिसके वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम (यूके) में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं और जिनका लेखा–परीक्षण आमतौर पर स्वीकार किये गये यूनाइटेड किंगडम (यूके) में लागू लेखांकन मानक के तहत अन्य लेखापरीक्षक द्वारा किया गया है। कंपनी प्रबंधन ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड के वित्तीय विवरण को यूनाइटेड किंगडम (यूके) में आम तौर पर स्वीकार किये गये लेखांकन मानक से भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों में बदल दिया है और इसके अतिरिक्त इन वित्तीय विवरणों का भारत में सनदी लेखाकार की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा लेखा परीक्षा की गई थी एवं समुचित समेकन प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया गया है। हमने कंपनी प्रबंधन द्वारा किए गए इन परिवर्तन के समायोजन की समीक्षा की और उस पर भरोसा किया है। जहां तक इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड की शेष राशियों और कार्यों का संबंध है, हमारे मतानुसार वह अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए परिवर्तन के समायोजन और हमारे द्वारा की गई समीक्षा पर आधारित है।
- नियंत्रक कंपनी वित्त मंत्रालय से अधिनियम की धारा 149 (1) के तहत स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्तियों की प्रतीक्षा है। तदनुसार, बोर्ड पूर्वोक्त खंड की आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना गठित हुआ है।
- निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी को करोपरांत लाभ के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का 30 प्रतिशत या सीपीएसई के कुल निवल मूल्य का 5 प्रतिशत का भुगतान करना होता है जो भी अतिरिक्त कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन अधिक हो। हालांकि, 14 जनवरी 2016 को आईआईएफसीएल के विडियो लेटर में सरकार से कम से कम 3 साल के लिए लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त नियंत्रक कंपनी ने अपने 19 सितंबर, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से सरकार से कम से कम वित्त वर्ष 2021–22 तक लाभांश के भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया था। उक्त पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 1(ख) 31 की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया जिसमें उल्लेख है कि भारत में निगमित सहायक कंपनियां एनबीएफसी नहीं होती हैं एवं उनकी वित्तीय विवरण अनुसूची III के अनुभाग II के अनुसार तैयार किये जाते हैं एवं नियंत्रक कंपनी के वित्तीय विवरण अनुसूची III के अनुभाग III के अनुसार हैं।

इन मामलों में, हमारी राय संशोधित नहीं है

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 ('आदेश') उक्त आदेश के अनुच्छेद 2 में को देखते हुए समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए लागू नहीं है।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक है, हम यह रिपोर्ट करते हैं:
   (क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है, जो उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों कीहमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास में आवश्यक थे;
   (ख) उपर्युक्त सषर्त मत के आधार में उल्लिखित मामले के सम्भावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में, लेखों की हमारी जांच से यहप्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी कानून में अपेक्षित खाते की बहियों को उचित रूप से रखा गया है;
   (ग) इस रिपोर्ट में तैयार समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य समग्र आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकितव विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से अनुरक्षित प्रासंगिक लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

(घ) उपर्युक्त सशर्त अभिमत के आधार में उल्लिखित मामले के सम्भावित प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्यक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं;

(ङ) कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 463(ई) के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की निरर्हता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती।

(च) नियंत्रक कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पर्याप्तता और इन नियन्त्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में "अनुलग्नक–क" में दी गई अलग रिपोर्ट देखें।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली 2014, के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मतानुसार एवं हमारी बेहतर जानकारी में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, ऐसी कोई भी लंबित मुकदमेबाजी नहीं है, जो समूह के समेकित वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

ii. समूह द्वारा व्युत्पन्नी संविदा सहित दीर्घावधि संविदाओं पर सामग्री के अनुमानित नुकसान, यदि कोई हों, के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के तहत यथोपेक्षित प्रावधान किए गए हैं।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित करना आवश्यक है।

कृते **ओ पी तुलस्यान एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 500028N

ह०/–
(राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
स.सं.: 081808
यूडीआईएन:20081808AAAACY4851

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22 जुलाई, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

हमारी रिपोर्ट के खंड "अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैरा– 2(च) में संदर्भित अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुई कंपनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ, हमने उस तिथि तक की इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ('नियंत्रक कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल, जो भारत में निगमित कंपनी है, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए होल्डिंग कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो होल्डिंग कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी, त्रुटियों, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयबद्ध तैयारी और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (लेखांकन मानक) और वित्तीय मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार अपना ऑडिट किया, जिसे आईसीएआई द्वारा जारी किया गया था और इसे धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना गया था। कंपनी अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए नियंत्रक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने की एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की आस्तियों के लेनदेन और प्रकृति को दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक रूप में दर्ज किए जाते हैं और कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बताती रही हैं और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है कि कंपनी की आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों के रद्द किये जाने की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतफहमी हो सकती है और इसे चिह्नित नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं व वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रहता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति में कमी आ सकती है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमजोरियों को चिन्हित किया गया एवं नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन के मूल्यांकन में शामिल किया गया।

नियंत्रक कंपनी ने गत वर्ष से एसएपी प्रणाली लागू की है एवं यह पूर्णताया स्वचालन के प्रक्रियाधीन है जिसके कारण कुछ लेनदेन जैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार ह्रासन हानि की संगणना एवं ऋणों पर संदिग्ध कर्जों का प्रावधान, अग्रिमों का वर्गीकरण/आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण, विदेशी मुद्रा के लेनेदनों, बचाव व्यवस्था की संविदाओं में विदेशी मुद्रा में लाभ/हानि की संगणना आईटसी सिस्टम में मैनुअली रिकार्ड की जाती है।

अभिमत

हमारे मतानुसार उपर्युक्त पैरा 1 को छोड़कर, नियंत्रक कंपनी में सभी संबंधों में वित्तीय रिपोर्टिंग में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (सीआईएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा सम्बन्धी मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को देखते हुए नियंत्रक कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते **ओ पी तुलस्यान एंड कं.**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 500028N

ह०/–
(राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
स.सं.: 081808
यूडीआईएनः20081808AAAACY4851

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 जुलाई, 2020

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित बैलेंस शीट
सी.आई.एन. संख्या U67190DL2006GOI144520

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	नोट सं.	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I	आस्तियां			
1	वित्तीय आस्तियां			
(क)	नकदी और नकदी समतुल्य	2	10,153.25	9,816.47
(ख)	उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक शेष		1,354,013.47	781,900.51
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	3	124,349.33	98,961.84
(घ)	प्राप्य	4	900.10	88.73
(ङ)	ऋण	5	4,477,660.03	4,708,274.14
(च)	निवेश	6	615,662.59	99,513.26
(छ)	अन्य वित्तीय आस्तियां	7	64,717.57	43,878.30
	उप योग (1)		**6,647,456.34**	**5,742,433.25**
2	गैर–वित्तीय आस्तियां			
(क)	चालू कर आस्तियां (निवल)	8	36,451.98	23,296.62
(ख)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	9	26,981.86	26,531.48
(ग)	पूंजीगत कार्य प्रगति में	10	0.00	2,259.46
(घ)	अन्य मूर्त आस्तियां	11	450.87	502.85
(ङ)	अन्य गैर–वित्तीय आस्तियां	12	443.63	3,402.84
	उप योग (2)		**64,328.34**	**55,993.25**
	कुल आस्तियां (1+2)		**6,711,784.67**	**5,798,426.50**
II	देयताएं और इक्विटी			
A	देयताए			
1	वित्तीय देयताएं			
(क)	ऋण प्रतिभूतियां	11	3,258,824.67	3,143,046.67
(ख)	उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)	14	1,793,421.58	1,440,256.32
(ग)	अन्य वित्तीय देयताएं	15	81,472.86	83,752.25
	उप योग (क-1)		**5,133,719.10**	**4,667,055.24**
2	गैर वित्तीय देयताएं			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	16	13,525.14	12,639.29
(ख)	प्रावधान	17	599,870.58	650,257.17
(ग)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	18	2,318.82	36,568.89
(घ)	अन्य गैर वित्तीय देयताएं	19	4,409.34	42,158.36
	उप योग (क-2)		**620,123.89**	**741,623.71**
	उप योग (क)		**5,753,842.99**	**5,408,678.95**
ख	इक्विटी			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	20	999,991.62	420,231.62
(ख)	अन्य इक्विटी	21	(42,049.93)	(30,484.06)
	उप योग (ख)		**957,941.68**	**389,747.56**
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख)		**6,711,784.67**	**5,798,426.50**

1 से 30 तक की टिप्पणियां लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ.पी. तुलस्यान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या: 500028एन)

राकेश अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता सं.: 081808

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेशक मंडल की ओर से

आनंद मधुकर
(निदेशक)
डीआईएन सं.: 8563286

पी. आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं.: 6711526

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.07.2020

मंजरी मिश्रा
(सहायक महाप्रबंधक और कम्पनी सचिव)

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक – सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि विवरण
सी.आई.एन. संख्या U67190DL2006GOI144520

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	नोट सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I	**आय**			
क	**प्रचालनों से आय**			
(क)	ब्याज आय	**22**	426,277.12	418,005.30
(ख)	शुल्क और कमीशन आय	**23**	9,466.21	8,466.31
	प्रचालनों से कुल राजस्व (क)		**435,743.32**	**426,471.61**
ख	**अन्य आय**	**24**	39,937.62	50,726.80
	कुल आय I (क+ख)		**475,680.94**	**477,198.42**
II	**व्यय**			
(क)	वित्तीय लागत	**25**	254,872.66	280,388.14
(ख)	शुल्क और कमीशन व्यय	**26**	12,757.77	11,211.55
(ग)	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि	**27**	2,315.22	6,732.86
(घ)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	**28**	3,699.91	3,713.52
(ङ)	वित्तीय लिखतों पर क्षति	**29**	25,390.82	74,127.55
(च)	मूल्यह्रास, ऋणशोधन और क्षति	**9,10,11**	1,783.48	705.29
(छ)	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		-	235.89
(ज)	अन्य व्यय	**30**	201,632.59	117,921.30
	कुल व्यय II		502,452.44	495,036.09
	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)		(26,771.50)	(17,837.68)
	असाधारण मदें		-	-
	कर पूर्व लाभ/(हानि) (I+II)		(26,771.50)	(17,837.68)
	कर व्ययः			
	(i) चालू कर			
	- चालू वर्ष		(89.44)	(26,214.61)
	- पूर्ववर्ती वष		2,066.18	5,158.36
	(ii) आस्थगित कर		34,248.71	(3,976.15)
	कुल कर व्यय IX (i+ii+iii)		**36,225.45**	**(25,032.40)**
	अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**9,453.95**	**(42,870.08)**
	क. (i) वे मदें जिन्हें लाभ हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	लाभों/(हानि) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनःमापन		(5.34)	(81.08)
	(ii) परिभाषित लाभ दायित्व के पुनःमापन से संबंधित आयकर		1.35	30.96
	अन्य व्यापक आय/(व्यय)(क)		**(4.00)**	**(50.12)**
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		**9,449.95**	**(42,920.20)**
	प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी प्रचालनों के लिए)			
	मूल (रुपये)		0.09	(1.02)
	तनुकृत (रुपये)		0.09	(1.02)

1 से 29 तक की टिप्पणियां लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ.पी. तुलस्यान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्याः 500028एन)

राकेश अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता सं.: 081808

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.07.2020

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेशक मंडल की ओर से

आनंद मधुकर
(निदेशक)
डीआईएन सं.: 8563286

मंजरी मिश्रा
(सहायक महाप्रबंधक और कम्पनी सचिव)

पी. आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं.: 6711526

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक – सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2019 को शेष	420,231.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	
(क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गमन	579,760.00
31 मार्च 2020 को शेष	**999,991.62**

ख. अन्य इक्विटी

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	आरक्षित निधियां और अधिशेष											कुल
	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर/ बॉडशोधन आरक्षित निधि	नकद प्रवाह हेज आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर रिजर्व	हानि आरक्षित	आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 IC के तहत आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2019 को शेष	**585.14**	**235.50**	**99,995.05**	**(13,299.11)**	**142,145.82**	**50.53**	**2,633.78**	**16,410.66**	-	**2,033.18**	**(281,274.61)**	**(30,484.06)**
पूर्वावधिक त्रुटियां	-	-									-	-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लेखित शेष	**585.14**	**235.50**	**99,995.05**	**(13,299.11)**	**142,145.82**	**50.53**	**2,633.78**	**16,410.66**	-	**2,033.18**	**(281,274.61)**	**(30,484.06)**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-			9,453.95	9,453.95
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-			**9,453.95**	**9,453.95**
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-	-	-	-	32.23	2,500.00	-			3,731.65	6,263.89
अवधि के दौरान बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि का नकदी प्रवाह	-	-	-	(20,658.17)								(20,658.17)
विदेशी मुद्रा रूपांतरण अंतर आरक्षित								(2,327.43)				(2,327.43)
प्रतिधारित आय में अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-			32.23	32.23
प्रतिधारित आय से अंतरण			-	-	-	8.45	-	-	7,164.93	1,024.06	-	8,197.44
31 मार्च 2020 को शेष	**585.14**	**235.50**	**99,995.05**	**(33,957.27)**	**142,145.82**	**26.75**	**133.78**	**14,083.23**	**7,164.93**	**3,057.24**	**(275,520.08)**	**(42,049.92)**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क. इक्विटी भोयर पूंजी

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2018 को शेष	410,231.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	
(क) वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गमन	10,000.00
31 मार्च 2019 को शेष	**420,231.62**

ख. अन्य इक्विटी

राशि लाख रुपये में)

विवरण	आरक्षित निधियां और अधिशेष											कुल
	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर/ बॉंडशोधन आरक्षित निधि	नकद प्रवाह हेज आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि	कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर रिजर्व	हानि आरक्षित	आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 IC के तहत आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल 2018 को शेष	**585.14**	**235.50**	**81,817.55**	**(2,639.52)**	**127,348.18**	**8.14**	**2,633.78**	**16,488.84**	-	-	**(203,312.30)**	**23,165.31**
पूर्वावधिक त्रुटियां	-											-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनः उल्लेखित शेष	**585.14**	**235.50**	**81,817.55**	**(2,639.52)**	**127,348.18**	**8.14**	**2,633.78**	**16,488.84**	-	-	**(203,312.30)**	**23,165.31**
वर्ष के लिए लाभ	-										(42,870.07)	(42,870.07)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)											-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-				**(42,870.07)**	**(42,870.07)**
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि						25.51					35,114.28	35,139.79
अवधि के दौरान बट्टाव व्यवस्था आरक्षित निधि का नकदी प्रवाह				(10,659.59)								(10,659.59)
विदेशी मुद्रा रूपांतरण अंतर आरक्षित निधि में अंतरण								(78.18)				(78.18)
प्रतिधारित आय में अंतरण											22.05	22.05
प्रतिधारित आय से अंतरण			18,177.50		14,797.64	67.90				2,033.18		35,076.22
31 मार्च 2019 को शेष	**585.14**	**235.50**	**99,995.05**	**(13,299.11)**	**142,145.82**	**50.53**	**2,633.78**	**16,410.66**	-	**2,033.18**	**(281,274.61)**	**(30,484.06)**

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ.पी. तुलस्यान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्याः 500028एन)

राकेश अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता सं.: 081808

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.07.2020

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेशक मंडल की ओर से

आनंद मधुकर
(निदेशक)
डीआईएन सं.: 8563286

मंजरी मिश्रा
(सहायक महाप्रबंधक और कम्पनी सचिव)

पी. आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं.: 6711526

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक – सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण
सी.आई.एन. संख्या U67190DL2006GOI144520

(राशि लाख रुपये में)

क्र सं	विवरण		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
(i)	कर पूर्व निवल लाभ		(26,771.50)	(17,837.68)
	निम्नलिखित हेतु समायोजन:			
(ii)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		1,783.48	705.29
(iii)	प्रावधान/अपलेखन:		71,452.96	153,981.79
(iv)	प्रावधान/राशि का प्रतिलेखन		(85.50)	(220.55)
(v)	उधारियों पर विदेशी विनिमय उतार–चढ़ाव लाभ/(हानि)		74,157.76	43,212.27
(vi)	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि		5.09	7.75
(vii)	ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रोद्भूत एवं देय ब्याज		11,658.34	10,805.63
(viii)	ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज		(2,457.10)	6,973.41
(ix)	आयकर पर ब्याज		-	(166.15)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ		**129,743.53**	**197,461.76**
(i)	उधारी प्रचालनों से नकदी प्रवाह		108,794.83	(402,444.14)
(ii)	बिक्री/निवेश में (परिवर्धन)		(516,149.33)	112,779.94
(iii)	व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी		(811.38)	67.83
(iv)	अन्य प्रचालन आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(89,211.22)	3,189.01
(v)	अन्य बैंक राशियों में (वृद्धि)/कमी		(572,112.96)	221,500.27
(vi)	अन्य प्रचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी)		(34,176.14)	(2,370.23)
	कर पूर्व प्रचालनों से नकदी प्रवाह		**(973,922.67)**	**130,184.43**
	प्रदत्त कर (निवल)		1,976.74	(20,890.10)
	प्रचालनों से निवल नकदी	**A**	**(971,945.93)**	**109,294.34**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
(i)	अचल आस्तियों (की खरीद)/के लिए बिक्री		(2,194.83)	(27,389.60)
(ii)	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में (वृद्धि)/कमी		2,259.46	17,855.22
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी	**B**	**64.62**	**(9,534.38)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
(i)	शेयर पूंजी के निर्गम/अभिदान से आय		579,760.00	10,000.00
(ii)	उधारियों से निवल आय		279,007.50	(25,665.51)
(iii)	कर्ज प्रतिभूतियों से आय/(कर्ज अदायगी)		115,778.00	(77,267.70)
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी	**C**	**974,545.50**	**(92,933.21)**
घ	**विदेशी मुद्रा रूपांतरण के अंतर का प्रभाव**	**D**	**(2,327.43)**	**(78.18)**
	नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग+घ)		**336.77**	**6,748.57**
	जोड़े: आरम्भिक नकदी एवं नकदी के समतुल्य		9,816.47	3,067.89
	समामेलन पर परिवर्धन		-	-
	अंत शेष नकदी एवं नकदी के समतुल्य		**10,153.25**	**9,816.47**
(i)	नकद राशि		0.12	0.12
(ii)	चालू खाते		1,522.34	9,491.35
(iii)	फ्लेक्सी जमा खाते		8,630.79	325.00
	योग		**10,153.25**	**9,816.47**

1) विगत अवधि(यों) के आंकड़ों को, रिपोर्टिंग अवधि के प्रस्तुतिकरण के तुलनीय बनाने हेतु, जहां कहीं आवश्यक था, पुन: समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
2) निम्नलिखित बैंक राशि कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है: 31 मार्च, 2020 को (5,71,890.91 लाख रुपये) अन्य बैंक शेष में (वृद्धि)/कमी (31 मार्च, 2019 को 2,21,500.27 लाख रुपये) में 31 मार्च, 2020 को 21,920.00 लाख रुपये (विगत वर्ष 8,300 लाख रुपये) शामिल है जिस पर धारणाधिकार बंधपत्रों के ब्याज भुगतान के लिए निर्धारित किया गया है।
3) 279,007.50 लाख रुपये की उधारियों से प्राप्त निवल आय (विगत वर्ष 25,655.51 लाख रुपये) में नये निर्गम, चुकौतियां एवं विदेशी विनिमय दर में बदलाव का प्रभाव शामिल है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ.पी. तुलस्यान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(कम्पनी पंजीकरण संख्या: 500028एन)

राकेश अग्रवाल
(पार्टनर)
सदस्यता सं.: 081808

कृते और इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लि.
के निदेशक मंडल की ओर से

आनंद मधुकर
(निदेशक)
डीआईएन सं.: 8563286

पी. आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन सं.: 6711526

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.07.2020

मंजरी मिश्रा
(सहायक महाप्रबंधक और कम्पनी सचिव)

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक – सीएफओ)

टिप्पणी 2: नकदी और नकदी समतुल्य (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
(क)	**नकदी और नकदी समतुल्य**		
(i)	नकद राशि	0.12	0.12
(ii)	बैंकों में शेष	1,522.34	9,491.35
(iii)	बैंकों में सावधि जमा (ऋणभार मुक्त)	8,630.79	325.00
	उप–योग (क)	**10,153.25**	**9,816.47**
(ख)	**अन्य बैंक शेष**		
(i)	बंधपत्रों पर बिना दावे के ब्याज के लिए बैंको के पास चिह्नित शेष	1.38	1.38
(ii)	बैंकों में सावधि जमा (ऋणभार मुक्त) तीन महीने से अधिक और बारह महीने तक मूल परिपक्वता)	414,952.37	606,063.24
(iii)	बैंकों में सावधि जमा (ऋणभार मुक्त बारह महीने से अधिक की मूल परिपक्वता)	343,633.71	3,263.89
(क)	बंधपत्रों के ब्याज भुगतान के सापेक्ष के रूप में धारित	21,920.00	8,000.00
(ख)	बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए गिरवी	573,506.01	164,572.00
	उप–योग (ख)	**1,354,013.47**	**781,900.51**
	योग	**1,364,166.71**	**791,716.97**

टिप्पणी 3: व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
		सांकेतिक राशि	उचित मूल्य	सांकेतिक राशि	उचित मूल्य
	आस्तियां				
	(i) **अन्य व्युत्पन्नी:**				
	विदेशी मुद्रा मूलधन और ब्याज दर	810,203.15	124,349.31	789,874.82	98,961.84
	कुल व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें (i)+(ii)	**810,203.15**	**124,349.31**	**789,874.82**	**98,961.84**

टिप्पणी 4: व्यापार प्राप्य (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	मानी गई वस्तु पर प्राप्य, अप्रतिभूत		
	अन्य	900.10	88.73
	योग	**900.10**	**88.73**

टिप्पणी 5: ऋण (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(क)	**ऋण**		
(i)	**सावधि ऋण**		
I	**अवसंरचना ऋण: मानक आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष उधार	2,206,420.31	2,382,414.91
ख.	समूहगत नगरपालिका ऋण बाध्यता (पीएमडीओ) स्कीम	451.91	597.66
ग.	टेकआउट वित्तपोषण योजना	677,617.01	726,862.89
घ.	पुनर्वित्त योजना	607,575.05	501,666.00
II	**अवसंरचना ऋण: अवमानक आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष उधार	192,460.97	388,602.70
ख.	समूहगत नगरपालिका ऋण बाध्यता (पीएमडीओ) स्कीम	-	1,340.68
ग.	टेकआउट वित्तपोषण योजना	-	5,201.72
III	**अवसंरचना ऋण: संदिग्ध आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष उधार	687,011.76	600,971.99
ख.	समूहगत नगरपालिका ऋण बाध्यता (पीएमडीओ) स्कीम	7,444.01	6,213.70

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
ग.	टेकआउट वित्तपोषण स्कीम	97,629.51	93,830.21
IV	कर्मचारियों को ऋण*	997.86	563.03
(ii)	**अन्य**		
I	**संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम**		
a.	सहायक कंपनियों की ओर से किया गया व्यय	51.65	8.64
	कुल (क) सकल	**4,477,660.03**	**4,708,274.14**
	घटाएं: क्षति हानि भत्ता^	-	-
	कुल (क) निवल	**4,477,660.03**	**4,708,274.14**
(ख)	(i) मूर्त आस्तियों और अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत		
	अच्छा समझा गया	2,885,487.09	3,110,438.49
	संदिग्ध वर्गीकृत किया गया	984,546.25	1,096,161.01
	(ii) अप्रतिभूत	607,626.69	501,674.64
	कुल (ख) सकल	**4,477,660.03**	**4,708,274.14**
	घटाएं: क्षति हानि भत्ता^	-	-
	कुल (ख) निवल	**4,477,660.03**	**4,708,274.14**
(C)	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	607,575.05	501,666.00
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र से अन्य	3,870,084.98	4,206,608.14
	कुल (ग) सकल	**4,477,660.03**	**4,708,274.14**
	घटाएं: क्षति हानि भत्ता^	-	-
	कुल (ग) निवल	**4,477,660.03**	**4,708,274.14**
	योग	**4,477,660.03**	**4,708,274.14**

फुटनोट:

क्षेत्र	प्रतिभूति का ब्यौरा#	(राशि लाख रुपये में)	
ऊर्जा और अन्य क्षेत्र	बंधक: पहला समरूप प्रभार, उधारकर्ता की सभी, वर्तमान एवं भावी, अचल संपत्तियों को बंधक करने के माध्यम से लिया गया। गिरवी: पहला समरूप प्रभार, उधारकर्ता के प्लांट एवं मशीनरी इत्यादि सहित सभी चल संपत्तियों को गिरवी रखने के माध्यम से लिया गया। न्यूनतम 51: शेयरों की जमानत पर रखकर निलंब खाता एवं उधारकर्ता रैंक सममात्रा के सभी अधिकार और स्वत्वाधिकार तथा ब्याज	2,529,808.05	2,812,412.46
सड़क एवं एयरपोर्ट (पीपीपी)	परियोजना की वार्षिकी और टोल संग्रहण प्राप्त करने का अधिकार निलंब खाता एवं उधारकर्ता रैंक सममात्रा के सभी अधिकार और स्वत्वाधिकार तथा ब्याज गिरवी: उधारकर्ता सभी चल संपत्तियों को गिरवी रख कर लिया गया पहला समरूप प्रभार,	1,339,227.43	1,393,624.00
पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय संस्थान	अप्रतिभूत	607,575.05	501,666.00
	योग #	**4,476,610.53**	**4,707,702.46**

उपरोक्त प्रतिभूति के विवरण देते हुए फुटनोट में अवसंरचना ऋण राशि में, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार वर्ष के भीतर देय ऋण राशि तथा मूल अतिदेय राशि होने के नाते 4,74,610.53 लाख रुपये, शामिल है। (31 मार्च, 2019 को 3,76,431.62 लाख रुपये)। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2020 तक इन अग्रिमों के संबंध में 5,95,404.34 लाख रुपये (31 मार्च, 2019 तक 6,46,943.39 लाख रुपये) का सकल प्रावधान किया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के लागू होने के तथा दिनांक 20 मई, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के अनुमोदन के अनुसरण में, मुख्य महाप्रबंधक – मुख्य वित्तीय अधिकारी को मुख्य प्रबंधकीय कर्मी के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, उनको प्रदान किये गए भवन निर्माण ऋण को संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार, ऋण की कुल राशि 4.03 लाख रुपये (दिनांक 31 मार्च, 2019 को 6.13 लाख रुपये) थी।

नोट: आरबीआई के दिनांक 2 अगस्त, 2019 को अद्यतन किए गए प्रमुख दिशानिर्देश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016–17 दिनांक 1 सितंबर, 2016 के संदर्भ में, आईआईएफसीएल ने इसीएल के अनुसार प्रावधानों सहित ऋण आस्तियों पर प्रावधान का अलग से प्रकटीकरण किया है (नोट 17) जिसे अवसंरचना ऋण आस्तियों के मूल्य (नोट 5) से निवल किए बिना किया गया है।

टिप्पणी 6: निवेश

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को				31.03.2019 को			
		एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	अन्य*	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	अन्य*	कुल
	म्युचुअल फंड्स								
(i)	आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सिरीज I	17,206.96	-	-	17,206.96	17,061.59	-	-	17,061.59
(ii)	आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सिरीज II	8,813.18	-	-	8,813.18	8,278.72	-	-	8,278.72
		26,020.13	-	-	**26,020.13**	**25,340.31**	-	-	**25,340.31**
	सरकारी प्रतिभूतियां								
	6.35% भारत सरकार 2021	-	-	-	-	-	6,834.51	-	6,834.51
	6.90% भारत सरकार 2019	-	-	-	-	-	1,952.09	-	1,952.09
	7.85% एसएल (आंध्र प्रदेश) 2019	-	-	-	-	-	1,000.10	-	1,000.10
	8.27% (केरल) 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.29% (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2030	-	88,760.00	-	88,760.00				
	6.34% (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2031	-	88,200.00	-	88,200.00				
	6.34% (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2032	-	88,200.00	-	88,200.00				
	6.39% (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2033	-	88,200.00	-	88,200.00				
	6.39% (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2034	-	88,200.00	-	88,200.00				
	6.44% (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति 2035	-	88,200.00	-	88,200.00	-	-	-	-
		-	**529,760.00**	-	**529,760.00**	-	**9,786.70**	-	**9,786.70**
	ऋण प्रतिभूतियां								
	बंधपत्रों में निवेश (अनुद्धृत) (पूर्ण प्रदत्त)								
	बंसल पाथवेज (मंगावन–चकघाट) प्रा. लि. में डिबेंचर	6,078.00	-	-	6,078.00	6,078.00	-	-	6,078.00
	सूरत हजीरा टोलवेज प्रा. लि. में डिबेंचर	13,786.00	-	-	13,786.00	13,786.00	-	-	13,786.00
		19,864.00	-	-	**19,864.00**	**19,864.00**	-	-	**19,864.00**
	इक्विटी लिखतें								

टिप्पणी 5: ऋण (राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को				31.03.2019 को			
		एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	अन्य*	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	अन्य*	कुल
d-	**अनुद्धृत इक्विटी लिखतें**								
	दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलेपमैंट कार्पोरेशन लि.	411.03	-	-	411.03	411.03	-	-	411.03
	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिर्सोसेज लि. (आईआईएफसीएल की ओर से प्रतिभूति न्यासी द्वारा धारित)	4,765.00	-	-	4,765.00	4,765.00	-	-	4,765.00
		5,176.02	-	-	**5,176.02**	**5,176.02**	-	-	**5,176.02**
	अन्य								
a.	संयुक्त पूंजी उद्यमों में निवेश अनुद्धृत (पूर्ण प्रदत्त)								
(i)	आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इंवेस्टर्स ट्रस्ट II (पूर्ण प्रदत्त)	1,674.87	-	-	1,674.87	1,674.87	-	-	1,674.87
b.	प्रतिभूति रसीदों में निवेश (अनुद्धृत)(पूर्ण प्रदत्त)			-					
(i)	एडेलवीज़ एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट–एससी–135–सिरीज़–I)	-	-	-	-	25.99	-	-	25.99
(ii)	एडेलवीज़ एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट–एससी–207–सिरीज़–I)	6,502.40	-	-	6,502.40	7,217.86	-	-	7,217.86
(iii)	एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल–एएसटी–VIII–ट्रस्ट)	4,952.10	-	-	4,952.10	7,428.15	-	-	7,428.15
(iv)	फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (फोनिक्स ट्रस्ट एफवाई 16–20)	1,972.00	-	-	1,972.00	2,465.00	-	-	2,465.00
(v)	एडेलवीज़ एसेट रिकंक्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट–एससी–276–सिरीज़–I)	36,942.08	-	-	36,942.08	37,365.89	-	-	37,365.89
		50,368.58	-	-	**50,368.58**	**54,502.89**	-	-	**54,502.89**
	योग (क) सकल	**103,103.60**	**529,760.00**	-	**632,863.60**	**106,558.09**	**9,786.70**	-	**116,344.79**
(i)	विदेशी निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii)	भारत में निवेश	103,103.60	529,760.00	-	632,863.60	106,558.09	9,786.70	-	116,344.79
	योग (ख)	**103,103.60**	**529,760.00**	-	**632,863.60**	**106,558.09**	**9,786.70**		**116,344.79**
	कुल (क) का मेल (ख) से होना है	103,103.60	529,760.00	-	632,863.60	106,558.09	9,786.70	-	116,344.79
	घटाएं: क्षति हानि के लिए भत्ता (ग)	17,201.01	-	-	17,201.01	16,831.53	-	-	16,831.53
	कुल निवल घ = (क) – (ग)	**85,902.59**	**529,760.00**		**615,662.59**	**89,726.56**	**9,786.70**	-	**99,513.26**

हानि के लिए भत्ते का विवरण

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 को				31.03.2019 को			
		एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	अन्य*	कुल	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	अन्य*	कुल
(i)	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिर्सोसेज लि. (आईआईएफसीएल की ओर से प्रतिभूति न्यासी द्वारा धारित)	4,191.05	-	-	4,191.05	4,191.05	-	-	4,191.05
(ii)	बंसल पाथवेज (मंगावन–चकघाट) प्रा. लि. में डिबेंचर	5,323.38	-	-	5,323.38	5,388.48	-	-	5,388.48
(iii)	सूरत हजीरा में डिबेंचर	7,686.58	-	-	7,686.58	7,252.00	-	-	7,252.00
	योग	**17,201.01**	-	-	**17,201.01**	**16,831.53**	-	-	**16,831.53**

*वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन लागत पर किया गया है।

फुटनोट्सः

(क)	**उद्धृत निवेशों की सकल राशिः**		
(i)	लागत/बही मूल्य	-	-
(ii)	बाजार मूल्य	-	-
(ख)	**अनुद्धृत निवेशों की सकल राशि – लागत/बही मूल्य**	615,662.59	99,513.26
(ग)	अलग–अलग निवेशों के मूल्यांकन के लिए नोट 1(ए)(6.2) का संदर्भ लें।		
(घ)	**वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग्स और रेटिंग्स में परिवर्तन का ब्यौराः**		

"आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण साधनों" की रेटिंग "एएएए" है जो क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इकरा और ब्रिकवर्क्स – क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई सर्वोत्तम रेटिंग है। कम्पनी को दी गई इन रेटिंग्स की पुष्टि स्टेंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा बीबीबी–/नकारात्मक/ए–3 के रूप में की गई है जो संप्रभु रेटिंग्स के बराबर है। वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई परिवर्तन नही हुआ है।"

* निम्नलिखित निवेशों का निवल आस्ति मूल्य (रुपये में) निम्नानुसार है:

(i)	आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सिरीज ए	1,323,612.04	1,458,323.45
(ii)	आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड आईडीएफ सिरीज बी	881,317.80	1,063,891.62
(iii)	ईएआरसी ट्रस्ट–एससी 135–सिरीज I	-	943.46
(iv)	ईएआरसी ट्रस्ट–एससी 207–सिरीज I	1,055.83	1,271.27
(v)	ईएआरसी ट्रस्ट–एससी 276–सिरीज I	960.93	1,000.00
(vi)	आर्सिल–एएसटी–टप्प्–ट्रस्ट	800.00	1,000.00
(vii)	फोनिक्स ट्रस्ट एफवाई 16–20	500.00	1,000.00
	निवल आस्ति मूल्य में उतार–चढ़ाव को अस्थाई माना गया है।		
(ङ)	**निवेश में गिरावट के लिए कुल प्रावधान**	17,201.01	16,831.53

टिप्पणी 7: अन्य वित्तीय आस्तियां (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
क	**अग्रिम राशि**		
	कर्मचारियों से प्राप्य अग्रिम	32.54	61.94
	प्रतिभूति जमा राशि में प्रदत्त	35.53	37.66
	अन्य	1,670.38	60.73
	उप–योग (क)	**1,738.46**	**160.33**
ख	**ऋणों एवं अग्रिमों पर अर्जित एवं देय ब्याज**	1,502.36	13,160.70
	उप–योग (ख)	**1,502.36**	**13,160.70**
ग	**प्रदत्त किंतु अदेय ब्याज:**		
	बैंकों में सावधि जमा बंधपत्र	35,740.89	6,888.58
	सरकारी प्रतिभूतिया	93.66	162.69
	ऋण एवं अग्रिम	25,642.20	23,506.00
	उप–योग (ग)	**61,476.75**	**30,557.27**
	कुल योग (क)+(ख)+(ग)	**64,717.57**	**43,878.30**

टिप्पणी 8: चालू कर आस्तियां (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	वसूली योग्य निवल आयकर	21,211.33	21,252.58
(ii)	वसूली योग्य सेवा कर (सेनवेट)	0.02	0.02
(iii)	वसूली योग्य वस्तु एवं सेवा कर	371.18	6.19
(iv)	वसूली योग्य निवल अग्रिम कर	14,869.45	2,037.83
	योग	**36,451.98**	**23,296.62**

टिप्पणी 9: अचल आस्तियां

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2019 को	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	अवधि हेतु	कटौती/ व्युत्क्रमण	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
मूर्त आस्तियां										
फर्नीचर एवं फिटिंग्स	609.16	4.48	-	**613.64**	105.38	127.32	-	**232.70**	**380.94**	503.78
वाहन	74.93	21.71	26.84	**69.79**	10.99	20.88	13.31	**18.56**	**51.24**	63.94
कार्यालय उपकरण	332.52	0.25	-	**332.77**	42.58	130.40	-	**172.98**	**159.79**	289.94
प्लांट एवं मशीनरी	137.38	2.45	-	**139.83**	39.63	45.01	-	**84.63**	**55.20**	97.76
कंप्यूटर हार्डवेयर	253.76	53.36	69.36	**237.77**	67.37	97.25	62.91	**101.70**	**136.05**	186.39
पट्टाधारिता निवेश	84.95	7.63	-	**92.58**	34.78	8.59	-	**43.38**	**49.20**	50.16
भवन	25,231.66	1,969.46	-	**27,201.12**	200.05	1,020.49	-	**1,220.53**	**25,980.59**	25,031.61
बिजली के उपकरण	346.41	-	-	**346.41**	38.50	139.06	-	**177.56**	**168.85**	307.91
योग	**27,070.78**	**2,059.34**	**96.20**	**29,033.92**	**539.27**	**1,589.00**	**76.23**	**2,052.05**	**26,981.86**	**26,531.49**
गत वर्ष	703.86	3.31	0.84	706.33	438.64	21.71	0.67	459.68	246.65	265.23

टिप्पणी 10: प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2019 को	परिवर्धन	निपटान/ सगायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	अवधि हेतु	कटौती/ व्युत्क्रमण	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य	2,259.46	-	2,259.46	**0.00**	-	-	-	-	**0.00**	2,259.46
योग	**2,259.46**	-	**2,259.46**	**0.00**	-	-	-	-	**0.00**	**2,259.46**
गत वर्ष	14,895.70	5,460.39	241.41	20,114.68	-	-	-	-	20,114.68	14,895.70

टिप्पणी 11: अमूर्त आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2019 को	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को	अवधि हेतु	कटौती/ व्युत्क्रमण	31.03.2020 को	31.03.2020 को	31.03.2019 को
कंप्यूटर साफ्टवेयर*	902.30	151.08	1.05	**1,052.33**	399.43	202.37	0.34	**601.46**	**450.87**	502.87
योग	**902.30**	**151.08**	**1.05**	**1,052.33**	**399.43**	**202.37**	**0.34**	**601.46**	**450.87**	**502.87**
गत वर्ष	117.10	0.65	-	117.75	85.42	7.19	-	92.61	25.14	31.66

*कंपनी द्वारा आयोजित अमूर्त संपत्ति आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति के अलावा अन्य हैं।

नोट: आईआईएफसीएल का कार्यालय 1 जनवरी 2019 से नए परिसर में स्थानांतरित हो गया है। परिसर को प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई राशि को खातों की किताबों में पूंजीकृत किया गया है। चूंकि पट्टे के समझौते को निष्पादित किया जाना बाकी है, इसलिए आईआईएफसीएल ने 30 वर्षों की लीज अवधि से अधिक राशि को संशोधित किया है.

टिप्पणी 12: अन्य गैर वित्तीय आस्तियां (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(i)	पूर्वदत्त व्यय	21.64	16.33
(ii)	अन्य अग्रिम	421.45	3,377.83
(iii)	पूर्व प्रदत्त कर्मचारी लागत	0.55	7.96
(iv)	आस्थगित लागत (प्रतिभूति जमा प्रदत्त)	-	0.73
	योग	**443.63**	**3,402.84**

टिप्पणी 13: ऋण प्रतिभूतियां (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(क)	**अन्य**				
I	**प्रतिभूत बंधपत्र^**				
(i)	500 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 500) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 9.36 प्रतिशत बंधपत्र, 27/07/2042 को प्रतिदेय	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(ii)	10,500 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 10,500) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 9.41 प्रतिशत बंधपत्र, 27/07/2037 को प्रतिदेय	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
(iii)	12,59,825 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 12,59,825) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III सिरीज 3 ए, 27/03/2034 को प्रतिदेय	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25
(iv)	12,87,311 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 12,87,311) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.80 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III सिरीज 3 बी, 27/03/2034 को प्रतिदेय	12,873.11	12,873.11	12,873.11	12,873.11
(v)	125,470 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 125,470) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज पप 27/03/2034 को प्रतिदेय	1,254.70	1,254.70	1,254.70	1,254.70
(vi)	5,15,765 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 5,15,765) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2034 को प्रतिदेय	5,157.65	5,157.65	5,157.65	5,157.65
(vii)	75,43,989 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 75,43,989) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.66 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2034 को प्रतिदेय	75,439.89	75,439.89	75,439.89	75,439.89
(viii)	54,43,232 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 54,43,232) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.91 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2034 को प्रतिदेय	54,432.32	54,432.32	54,432.32	54,432.32
(ix)	1,59,113 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,59,113) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.50 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III 22/11/2033 को प्रतिदेय	1,591.13	1,591.13	1,591.13	1,591.13
(x)	18,68,982 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 18,68,982) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.50 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/11/2033 को प्रतिदेय	18,689.82	18,689.82	18,689.82	18,689.82
(xi)	24,20,508 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 24,20,508) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.75 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/11/2033 को प्रतिदेय	24,205.08	24,205.08	24,205.08	24,205.08
(xii)	265 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 265) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 8.37 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज VI 30/08/2033 को प्रतिदेय	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
(xiii)	20 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 20) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 8.19 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज V 23/08/2033 को प्रतिदेय	200.00	200.00	200.00	200.00

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(xiv)	42,472 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 42,472) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.08 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 26/03/2033 को प्रतिदेय	424.72	424.72	424.72	424.72
(xv)	1,90,693 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,90,693) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.58 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 26/03/2033 को प्रतिदेय	1,906.93	1,906.93	1,906.93	1,906.93
(xvi)	1,01,62,809 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,01,62,809) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.40 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2033 को प्रतिदेय	101,628.09	101,628.09	101,628.09	101,628.09
(xvii)	14,01,415 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 14,01,415) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.90 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2033 को प्रतिदेय	14,014.15	14,014.15	14,014.15	14,014.15
(xviii)	210 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 210) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 7.41 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV-C 22/11/2032 को प्रतिदेय	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
(xix)	3,400 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 3,400) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 7.41 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III-C 15/11/2032 को प्रतिदेय	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
(xx)	1,22,807 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,22,807) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III 27/03/2029 को प्रतिदेय	1,228.07	1,228.07	1,228.07	1,228.07
(xxi)	1,59,58,486 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,59,58,486) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.55 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III सिरीज 2ए 27/03/2029 को प्रतिदेय	159,584.86	159,584.86	159,584.86	159,584.86
(xxii)	27,11,062 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 27,11,062) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.80 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III सिरीज 2बी 27/03/2029 को प्रतिदेय	27,110.62	27,110.62	27,110.62	27,110.62
(xxiii)	67,908 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 67,908) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.48 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2029 को प्रतिदेय	679.08	679.08	679.08	679.08
(xxiv)	27,98,922 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 22,98,922) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.48 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2029 को प्रतिदेय	27,989.22	27,989.22	27,989.22	27,989.22
(xxv)	14,10,950 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 14,10,950) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.72 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2029 को प्रतिदेय	14,109.50	14,109.50	14,109.50	14,109.50
(xxvi)	89,009 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 89,009) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.38 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III 22/01/2028 को प्रतिदेय	890.09	890.09	890.09	890.09
(xxvii)	30,35,330 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 30,35,330) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.38 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2028 को प्रतिदेय	30,353.30	30,353.30	30,353.30	30,353.30
(xxviii)	15,71,311 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 15,71,311) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.63 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 12/11/2028 को प्रतिदेय	15,713.11	15,713.11	15,713.11	15,713.11
(xxix)	11,297 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 11,297) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.48 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज VII 05/09/2028 को प्रतिदेय	112,970.00	112,970.00	112,970.00	112,970.00
(xxx)	11,597 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 11,297) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.46 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज VI 30/08/2028 को प्रतिदेय	115,970.00	115,970.00	115,970.00	115,970.00
(xxxi)	6,303 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 6,303) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.26 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज V 23/08/2028 को प्रतिदेय	63,030.00	63,030.00	63,030.00	63,030.00

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(xxxii)	3,51,554 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 3,51,554) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.02 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 26/03/2028 को प्रतिदेय	3,615.54	3,615.54	3,615.54	3,615.54
(xxxiii)	1,04,064 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,04,064) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.52 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 26/03/2028 को प्रतिदेय	1,040.64	1,040.64	1,040.64	1,040.64
(xxxiv)	67,41,162 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 67,41,162) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.36 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2028 को प्रतिदेय	67,411.62	67,411.62	67,411.62	67,411.62
(xxxv)	8,68,391,501 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 8,68,391,501) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.86 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2028 को प्रतिदेय	8,683.91	8,683.91	8,683.91	8,683.91
(xxxvi)	500 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 500) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 7.38 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV-बी 21/11/2027 को प्रतिदेय	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(xxxvii)	1000 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1000) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 7.38 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III-बी 15/11/2027 को प्रतिदेय	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
(xxxviii)	38,58,714 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 38,58,714) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.16 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III सिरीज 1ए 27/03/2024 को प्रतिदेय	38,587.14	38,587.14	38,587.14	38,587.14
(xxxix)	12,80,511 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 12,80,511) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.41 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III सिरीज 1बी 27/03/2024 को प्रतिदेय	12,805.11	12,805.11	12,805.11	12,805.11
(xL)	41,188 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 41,188) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.16 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र ट्रेंच III 27/03/2024 को प्रतिदेय	411.88	411.88	411.88	411.88
(xLi)	1,91,778 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 1,91,778) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.41 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2024 को प्रतिदेय	1,917.78	1,917.78	1,917.78	1,917.78
(xLii)	79,57,885 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 79,57,885) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.41 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2024 को प्रतिदेय	79,578.85	79,578.85	79,578.85	79,578.85
(xLiii)	41,69,571 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 41,69,571) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.66 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV 22/01/2024 को प्रतिदेय	40,695.71	40,695.71	40,695.71	40,695.71
(xLiv)	17,26,340 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 17,26,340) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.01 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/11/2023 को प्रतिदेय	17,263.40	17,263.40	17,263.40	17,263.40
(xLv)	12,31,739 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 12,31,739) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.26 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 12/11/2023 को प्रतिदेय	12,317.39	12,317.39	12,317.39	12,317.39
(xLvi)	27,719 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 27,719) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.01 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III 12/11/2023 को प्रतिदेय	277.19	277.19	277.19	277.19
(xLvii)	50 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 50) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 8.11 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज VII 05/09/2023 को प्रतिदेय	500.00	500.00	500.00	500.00
(xLviii)	100 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 100) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 8.01 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज VI 30/08/2023 को प्रतिदेय	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
(xLix)	19,27,319 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 19,27,319) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 6.86 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 26/03/2023 को प्रतिदेय	19,273.19	19,273.19	19,273.19	19,273.19

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(L)	98,318 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 98,318) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.36 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 26/03/2023 को प्रतिदेय	983.18	983.18	983.18	983.18
(Li)	84,46,348 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 84,46,348) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.19 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2023 को प्रतिदेय	85,463.48	85,463.48	85,463.48	85,463.48
(Lii)	11,18,644 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 11,18,644) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.69 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 22/01/2023 को प्रतिदेय	11,186.44	11,186.44	11,186.44	11,186.44
(Liii)	2,140 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 2,140) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 7.21 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज IV-A 21/11/2022 को प्रतिदेय	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00
(Liv)	600 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 640) प्रत्येक 10 लाख रूपये के अंकित मूल्य के 7.20 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र सिरीज III-A 15/11/2022 को प्रतिदेय	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
(Lv)	79,110 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 79,110) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.30 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 29/03/2018 के पूर्ववर्त खरीद के साथ 28/03/2026 को प्रतिदेय	791.10	791.10	791.10	791.10
(Lvi)	5,38,811 (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 5,38,811) प्रत्येक 1000 रूपये के अंकित मूल्य के 8.15 प्रतिशत कर मुक्त बंधपत्र 29/03/2016 के पूर्ववर्त खरीद के साथ 28/03/2021 को प्रतिदेय	5,388.11	5,388.11	5,388.11	5,388.11
	योग	**1,494,385.35**	**1,494,385.35**	**1,494,385.35**	**1,494,385.35**
II	**अप्रतिभूत बंधपत्र'^**				
(i)	10,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.55 प्रतिशत बंधपत्र 03/11/2024 को प्रतिदेय #	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
(ii)	4,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.12 प्रतिशत बंधपत्र 24/08/2024 को प्रतिदेय #	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
(iii)	6,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.12 प्रतिशत बंधपत्र 12/08/2024 को प्रतिदेय #	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
(iv)	5,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 7.90 प्रतिशत बंधपत्र 28/04/2024 को प्रतिदेय #	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(v)	5,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.10 प्रतिशत बंधपत्र 08/04/2024 को प्रतिदेय #	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(vi)	2,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.68 प्रतिशत बंधपत्र 18/12/2023 को प्रतिदेय #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(vii)	2,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 9.35 प्रतिशत बंधपत्र 17/11/2023 को प्रतिदेय #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(viii)	2,000, 10 लाख रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 8.82 प्रतिशत बंधपत्र 19/12/2022 को प्रतिदेय #	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
(ix)	919 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 06/04/2024 को मोचनीय #	291,642.12	291,642.12	267,599.97	267,599.97
(x)	400 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 29/01/2029 को मोचनीय #	404,653.53	404,653.53	371,295.04	371,295.04
(xi)	231 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर बंधपत्र 06/03/2024 को मोचनीय #	175,704.82	175,704.82	161,220.21	161,220.21

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
(xii)	160 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 04/03/2023 को मोचनीय #	121,700.31	121,700.31	111,667.68	111,667.68
(xiii)	117 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 05/07/2022 को मोचनीय #	88,993.35	88,993.35	81,656.99	81,656.99
(xiv)	123 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 30/03/2022 को मोचनीय #	93,557.11	93,557.11	85,844.53	85,844.53
(xv)	170 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 27/02/2022 को मोचनीय #	129,306.58	129,306.58	118,646.91	118,646.91
(xvi)	130 आरबीआई द्वारा अभिदत्त एक मिलियन डॉलर प्रत्येक के अंकित मूल्य पर यूएस डॉलर ब्याज सहबद्ध छः माह एलआईबीओआर अपरिवर्तनीय बंधपत्र 16/09/2021 को मोचनीय #	98,881.50	98,881.50	90,729.99	90,729.99
		1,764,439.32	**1,764,439.32**	**1,648,661.32**	**1,648,661.32**
	कुल सकल (क)	**3,258,824.67**	**3,258,824.67**	**3,143,046.67**	**3,143,046.67**
	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	1,854,385.35	1,854,385.35	1,854,385.35	1,854,385.35
	भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	1,404,439.32	1,404,439.32	1,288,661.32	1,288,661.32
	कुल सकल (ख)	**3,258,824.67**	**3,258,824.67**	**3,143,046.67**	**3,143,046.67**
	कुल (ख) का (क) के साथ मेल होना है	**3,258,824.67**	**3,258,824.67**	**3,143,046.67**	**3,143,046.67**
^	आईआईएफसीएल द्वारा जारी किए गए सभी प्रतिभूत और अप्रतिभूत बंधपत्र गैर–परिवर्तनीय और प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त, सभी प्रतिभूत बंधपत्र, कंपनी खातों के सभी अधिकारों, शीर्षकों, हितों, लाभों, दावों तथा मागों सहित कंपनी के सभी प्रकृति, वर्तमान और भावी, के प्राप्यों के समतुल्य आधार पर प्रतिभूत हैं।				
	वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग्स और रेटिंग्स में परिवर्तन का ब्यौराः आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण अनुदेश को "एएए" रेटिंग प्राप्त है – जो कि सीआरआईएसआईएल, सीएआईई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और ब्रिक्सवर्क्स – क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की गई उच्चतम रेटिंग है। कंपनी को प्रदान की गई रेटिंग की पुष्टि बीबीबी–/निगेटिव/ए–3 के रूप में मानक एवं अपमानक के आधार पर की गई है जो कि श्रेष्ठ रेटिंग के समतुल्य है। वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।				
#	अप्रतिभूत बंधपत्र भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा होते हैं जिनमें 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार शून्य (31 मार्च 2019 को शून्य) शामिल, जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर देय है।	1,764,439.32	1,764,439.32	1,648,661.32	1,648,661.32
	मोचित बंधपत्र या डिबेंचर जिनका पुनः जारी करने का अधिकार आईआईएफसीएल को है	शून्य		शून्य	

टिप्पणी 14: उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) (राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
		परिशोधित लागत	कुल	परिशोधित लागत	कुल
क)	**सावधि ऋण**				
(i)	**अन्य पक्षकारों से**				
	अप्रतिभूत ऋण :				
क.	एषियाई विकास बैंक (एडीबी)		1,080,662.67	993,406.28	993,406.28
ख.	आईबीआरडी (विष्व बैंक)		125,481.34	121,719.35	121,719.35
ग.	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)		166,099.20	155,404.80	155,404.80
घ.	हेडिटेंस्टाल्टफर वेडिराउघबाउ (केएफडब्ल्यू)	16,300.14	16,300.14	19,971.85	19,971.85
ड.	जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी	104,475.00	104,475.00	62,520.00	62,520.00
ख)	**मांग पर प्रतिदेय ऋणः**				
	प्रतिभूत ऋणः				
i)	बैंकों से 31 मार्च 2020 को 5,73,467.95 लाख रुपए (31 मार्च 2019 को 1,64,572.00 लाख रुपए) की सावधि जमा प्राप्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभूत)	300,403.23	300,403.23	87,234.04	87,234.04
	कुल (क)	**1,793,421.58**	**1,793,421.58**	**1,440,256.32**	**1,440,256.32**
	भारत में उधारियां	300,403.23	300,403.23	87,234.04	87,234.04
	भारत से बाहर उधारियां–एफ ऋण	1,493,018.35	1,493,018.35	1,353,022.28	1,353,022.28
	योग (ख) को योग (क) से मिलान	**1,793,421.58**	**1,793,421.58**	**1,440,256.32**	**1,440,256.32**
	अन्य पक्षों से सभी अप्रतिभूत सावधि ऋण, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जिनमें से (दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार, 47,742.07 लाख रूपये, 3,198.59 लाख रूपये, 7,173.72 लाख रूपये एवं 11,073.29 लाख रूपये (31 मार्च, 2019 के अनुसार, 41,958.54 लाख रूपये, 4,908.36 लाख रूपये और 6,582.34 लाख रूपये एवं शून्य) की राशि, रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर क्रमशः एडीबी, केडब्ल्यूएफ और विश्व बैंक को देय है।				
*	नामे (डेबिट) शेष का निवल	0.14	0.14	0.15	0.15

दीर्घावधिक ऋणों के पुर्नभुगतान की शर्तें

i) एशियाई विकास बैंक

ट्रैंच	करार के अनुसार ऋण की राशि (अल्पावधि सहित) (राशि लाख अमरीकी डॉलर में)	ब्याज की दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	3000	6M USD LIBOR +20bps	15.12.2012	15.06.2032	अर्धवार्षिक	प्रत्येक किश्त ऋण राशि की 2.50%
II	2000	6M USD LIBOR +20bps	15.06.2014	15.12.2033	अर्धवार्षिक	प्रत्येक किश्त ऋण राशि की 2.50%
III	2100	6M USD LIBOR +20bps	15.12.2014	15.06.2034	अर्धवार्षिक	बलूनिंग इंस्टालमेंट 0.827816% से ऋण राशि के 5.550311% तक
IV	2500	6M USD LIBOR +30bps	15.12.2015	15.06.2035	अर्धवार्षिक	
V	2400	6M USD LIBOR +40bps	15.12.2016	15.06.2036	अर्धवार्षिक	
VI	4000	6M USD LIBOR +40bps	15.03.2018	15.03.2033	अर्धवार्षिक	बलूनिंग इंस्टालमेंट 2.173900% से ऋण राशि के 4.559913% तक
VII	3000	6M USD LIBOR +50bps	01.05.2023	01.05.2038	अर्धवार्षिक	बलूनिंग इंस्टालमेंट 2.173900% से ऋण राशि के 4.559913% तक
योग	**19000**					

ii) आईबीआरडी (विश्व बैंक)

करार के अनुसार ऋण की राशि (लाख डॉलर में)	ब्याज की दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
1950*	6M USD LIBOR + परिवर्ती कीमत अंतर लागत	15.04.2017	15.04.2037	अर्धवार्षिक	15.10.2036 तक ऋण राशि के 2.44% एवं 15.04.2037 तक ऋण 2.40% की किस्त (तें)

* आईबीआरडी (विश्व बैंक) की ऋण राशि 10,000 लाख अमरीकी डॉलर की ऋण राशि के निरस्तीकरण का विवरण को देखते हुए उसकी ऋण व्यवस्था दिनांक 18 दिसंबर, 2013 के पुर्ररचना के कारण 1,950 लाख अमरीकी डॉलर तक घट गई है।

iii) क्रैडिएन्स्टाल्ट फॉर विडेरुफुबाऊ (केएफडब्ल्यू)

ट्रैंच	करार के अनुसार ऋण की राशि (लाख यूरो में)	ब्याज की दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	165.89	0.75%	30.06.2021	30.06.2050	अर्धवार्षिक	– यूरो 2,71,000 30.06.2020 से 30.12.2021 तक – यूरो 2,72,000 30.06.2022 से 30.12.2049 तक और यूरो 272581.03 दिनांक 30.06.2050 को
II	334.11	4.99%	30.06.2015	30.06.2021	अर्धवार्षिक	– यूरो 3,037,000 30.06.2015 से 30.06.2018 तक – यूरो 3,038,000 30.12.2018 से 30.12.2019 तक और यूरो 3,038,418.97 दिनांक 30.06.2020 को
योग	**500.00**					

iv) यूरोपियन इंवेस्टमैंट बैंक

ट्रैंच	करार के अनुसार ऋण की राशि (लाख यूरो में)	ब्याज की दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	350.00	6एम ईयूआरआईबीओआर – आल इन स्प्रैड 0.275%	22.06.2021	20.12.2034	अर्धवार्षिक	प्रत्येक किश्त 11,66,666.67 यूरो
II	400.00	6एम ईयूआरआईबीओआर – आल इन स्प्रैड 0.436%	21.06.2021	20.12.2034	अर्धवार्षिक	प्रत्येक किश्त 14,28,571.43 यूरो
III	400.00	6एम ईयूआरआईबीओआर – आल इन स्प्रैड 0.426%	21.06.2021	20.12.2034	अर्धवार्षिक	प्रत्येक किश्त 14,28,571.43 यूरो
IV	850.00	6एम ईयूआरआईबीओआर – आल इन स्प्रैड 0.436%	21.06.2021	20.12.2034	अर्धवार्षिक	प्रत्येक किश्त 30,35,714.29 यूरो
योग	**2000.00**					

v) जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी

ट्रैंच	करार के अनुसार ऋण की राशि (लाख जापानी येन में)	ब्याज की दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
भाग-I	10,000.00	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर फ्लोर 0.10% और कैप 6.208%	20.03.2022	20.03.2036	अर्धवार्षिक	पहली किश्त ऋण राशि की 3.448328% और अनुवर्ती किश्त ऋण राशि की 3.448274%
भाग-II	90,000.00	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर फ्लोर 0.10% और 6.208%	20.03.2022	20.03.2036	अर्धवार्षिक	पहली किश्त ऋण राशि की 3.448328% और अनुवर्ती किश्त ऋण राशि की 3.448274%

टिप्पणी 15: अन्य वित्तीय देनदारियां (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(i)	प्राप्त प्रतिभूति जमा राशि	14.15	15.05
(ii)	अन्य	4,111.23	3,932.63
(iii)	**उधार राशियों पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज**		
	बंधपत्रों और सावधि ऋणों पर	77,347.48	79,804.57
	योग	**81,472.86**	**83,752.25**

टिप्पणी 16: चालू कर देयताएं (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(i)	आयकर के लिए प्रावधान	13,525.14	12,634.74
(ii)	आयकर (निवल)	-	4.55
	योग	**13,525.14**	**12,639.29**

टिप्पणी 17: प्रावधान (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		
(i)	छुट्टी नकदीकरण	206.40	115.36
(ii)	बीमारी छुट्टी	163.69	201.73
(iii)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	813.57	809.86
(iv)	छुट्टी किराया रियायत	100.66	86.81
(v)	वेतन संशोधन	721.35	390.48
(vi)	उपदान	71.63	20.83
	अन्य		
(i)	व्युत्पन्नियों पर बाजार हेतु एमटूएम हानियां	1,830.89	1,688.71
(ii)	मानक आस्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान	26,678.88	14,366.49
(iii)	अवमानक आस्तियों के लिए प्रावधान	32,471.00	39,517.11
(iv)	संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान	337,317.13	290,106.10
(v)	पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान	492.35	1,599.92
(vi)	अनर्जक आस्तियों पर व्यय	477.40	-
(vii)	भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार संभावित क्रेडिट हानि	198,525.65	301,353.77
	योग	**599,870.58**	**650,257.17**

टिप्पणी 18 : आस्थगित कर देयताएं

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(I)	**निम्न के कारण आस्थगित कर देयता:**		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष अवसंरचना आरक्षित निधि	35,775.26	49,104.29
(ii)	मूल्यह्रास	337.61	359.01
(iii)	मानक ऋण आस्तियों के लिए दावों में कटौती	-	1,511.95
(iv)	अन्य	(1,265.09)	(600.04)
	आस्थगित कर देयताएं	**34,847.78**	**50,375.22**
(II)	**निम्न के कारण आस्थगित कर देयता:**		
(i)	कर के लिए प्रस्तुत फुटकर देयता खातों (ब्याज पूंजीकरण) में जमा ब्याज	2,011.26	12,655.05
(ii)	अपेक्षित ऋण हानि	29,523.86	-
(iii)	छुट्टी किराया रियायत के लिए प्रावधान	24.75	26.66
(iv)	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	45.53	34.33
(v)	बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	41.20	70.49
(vi)	व्यय जिन पर टीडीएस नहीं काटा गया	0.02	4.72
(vii)	चिकित्सा सहायता स्कीम के लिए प्रावधान	205.68	272.69
(viii)	उपदान के लिए प्रावधान	6.66	3.84
(ix)	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	188.11	139.06
(x)	आईएएमओएल की आस्थगित कर आस्ति	21.11	15.14
(xi)	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान*	460.80	584.35
	आस्थगित कर देयताएं	**32,528.96**	**13,806.33**
	आस्थगित कर देयता (निवल)	**2,318.82**	**36,568.89**

*व्युत्पन्नियों पर बाजार से बाजार हानियों के संबंध में सृजित

टिप्पणी 19: अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(A)	**अग्रिम में प्राप्त आय**		
(i)	विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान	-	(0.02)
(B)	**अन्य देय**		
(i)	देय सांविधिक देयताएं	860.14	131.99
(ii)	बंधपत्रों पर अदावाकृत ब्याज	1.38	1.38
(iii)	देय प्रतिबद्धता प्रभार	96.63	-
(iv)	कर्मचारियों/पूर्णकालिक निदेषकों को देय	0.88	(2.46)
(v)	फुटकर देनदारी खाता (ब्याज पूंजीकरण)	3,142.55	41,095.01
(vi)	अन्य	307.74	932.44
	योग	**4,409.32**	**42,158.34**

टिप्पणी 20: इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
क	**प्राधिकृत**		
	10 रुपए प्रत्येक के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 को 10 रुपए प्रत्येक के 6,000,000,000 इक्विटी शेयर)	**1,000,000.00**	**600,000.00**
	निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त		
ख	10 रुपए प्रत्येक के 9,999,916,230 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 को 10 रुपए प्रत्येक के 4,202,316,230 इक्विटी शेयर)	999,991.62	420,231.62
	योग	**999,991.62**	**420,231.62**

फुटनोट:

क) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाशोधन

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	
	शेयरों की संख्या	राशि लाख रुपये में	शेयरों की संख्या	राशि लाख रुपये में
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ मे बकाया शेयर	4,202,316,230	420,231.62	4,102,316,230	410,231.62
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निर्गत किये गये शेयर	5,797,600,000	579,760.00	100,000,000	10,000.00
रिपोर्टिंग अवधि के आखिर मे बकाया शेयर	9,999,916,230	999,991.62	4,202,316,230	420,231.62

ख) कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी के धारक भारत सरकार और इसके नामिती हैं।

ग) हस्तांतरिति कम्पनी होने के नाते, आईआईएफसीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी कुल 6,00,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 500,000 लाख इक्विटी शेयरों से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 10,00,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 100,000 लाख इक्विटी शेयर हो गई।

घ) वर्ष के दौरान, कम्पनी ने भारत सरकार को अधिकार निर्गम मे माध्यम से कुल 579,760 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 57,976 लाख इक्विटी शेयर जारी किए हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कम्पनी ने भारत सरकार को अधिकार निर्गम मे माध्यम से कुल 10,000 लाख रुपए के 10 रुपए प्रत्येक वाले 1,000 लाख इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

ङ) वित्तीय संस्थाएं शेयर पूंजी का उपयोग विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार पूंजी की पर्याप्तता, एक्सपोजर मानकों और लीवरेज अनुपात को बनाए रखने के लिए पूंजी की आवष्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से अपने स्वामित्व वाली निधियों के सुदृढ़ीकरण के लिए करती हैं। आईआईएफसीएल ने 2019–20 के दौरान भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई गई समस्त पूंजी का उपयोग तदनुसार किया गया है।

टिप्पणी 21: अन्य इक्विटी

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(क)	**पूंजी आरक्षित निधि (गैर चालू प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ)**		
	प्रारंभिक शेष	585.14	585.14
	अंतिम शेष	**585.14**	**585.14**
(ख)	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता (बंधपत्रों पर)**		
	प्रारंभिक शेष	235.50	235.50
	अंतिम शेष	**235.50**	**235.50**
(ग)	**डिबेंचर/बंधपत्र प्रतिदान आरक्षित निधि**		
	प्रारंभिक शेष	99,995.05	81,817.55
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण	-	18,177.50
	अंतिम शेष	**99,995.05**	**99,995.05**
(घ)	**नकद प्रवाह हेज आरक्षित निधि**		
	प्रारंभिक शेष	(13,299.11)	(2,639.52)
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण	(20,658.17)	(10,659.59)
	अंतिम शेष	**(33,957.27)**	**(13,299.11)**
(ङ)	**अन्य आरक्षित निधियां**		
(i)	**आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि (फुटपोट 1)**		
	प्रारंभिक शेष	142,145.82	127,348.18
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण (निवल)	-	14,797.64
	जोड़ें: आईडब्ल्यूआरएफसी के विलय से अंतरण	-	-
	अंतिम शेष	**142,145.82**	**142,145.82**
(ii)	**कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि (फुटनोट 2)**		
	प्रारंभिक शेष	50.53	8.14
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण	8.45	67.90
	घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयुक्त और लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरित राशि	32.23	25.51
	अंतिम शेष	**26.75**	**50.53**

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(iii)	**कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायी आरक्षित निधि (फुटनोट 3)**		
	प्रारंभिक शेष	2,633.78	2,633.78
	घटाएं: प्रयुक्त राशि	2,500.00	-
	अंतिम शेष	**133.78**	**2,633.78**
(iv)	**विदेशी मुद्रा के रूपांतरण अंतर आरक्षित निधि**		
	प्रारंभिक शेष	16,410.66	16,488.84
	जोडें/घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	(2,327.43)	(78.18)
	अंतिम शेष	**14,083.23**	**16,410.66**
(v)	**आरक्षित निधि से हानि (फुटनोट 4)**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	जोडें/घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	7,164.93	-
	अंतिम शेष	**7,164.93**	-
(vi)	**आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-IC के अंतर्गत आरक्षित निधि (फुटनोट 5)**		
	प्रारंभिक शेष	2,033.18	-
	जोड़ें: लाभ हानि विवरणी में अधिशेष से अंतरण	1,024.06	2,033.18
	अंतिम शेष	**3,057.24**	**2,033.18**
(f)	**लाभ हानि विरणिका में अधिशेष**		
	प्रारंभिक शेष	(281,274.61)	(203,312.30)
	जोड़ें: करोपरांत लाभ	9,453.95	(42,870.07)
	जोड़ें: कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि से अंतरण	32.23	22.05
	अचल आस्तियों के हस्तांगत राशि का समायोजन (संपरिवर्तनात्मक प्रावधानों को अपनाते हुए)	-	11.97
	घटाएं: प्रारंभिक शेष में अंतरण के कारण समायोजन	(4,471.60)	-
	घटाएं: कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि में अंतरण	8.45	67.90
	घटाएं: डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि में अंतरण	-	18,177.50
	घटाएं: आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	-	14,797.64
	घटाएं: ह्रासन भत्ता आरक्षित निधि में अंतरण	7,164.93	-
	घटाएं: पूर्व अवधि मद	1.82	(0.08)
	घटाएं: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुन–मापन प्राप्ति/(हानि)	4.00	50.11
	घटाएं: आयकर अधिनियम की धारा 45 IC के अंतर्गत आरक्षित निधि निधि	1,024.06	2,033.18
	अंतिम शेष	**(275,520.08)**	**(281,274.61)**
	योग	**(42,049.92)**	**(30,484.06)**

फुटनोट्स:

1. विशेष आरक्षित निधि, उन कम्पनियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अनुरक्षित की जाने वाली सांविधिक आरक्षित निधि है जो भारत में अवसंरचना के विकास के लिए दीर्घावधि वित्त मुहैया कराती हैं।
2. कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि का सृजन कर्मचारियों के बीच खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है।
3. 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के उपरांत, आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किए जाने के लिए अपेक्षित सीएसआर व्यय के लिए सीएसआर आरक्षित निधि का सृजन नहीं किया है और 3 जुलाई, 2015 के पत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (सीएसआर पॉलिसी) नियमावली, 2014 के प्रावधान के अनुसार सीएसआर आरक्षित निधि के सृजन और सीएसआर के तहत व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि के अतिरिक्त इसके उपयोग को जारी रखने के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए मामले को सार्वजनिक उद्यम विभाग को अपेक्षित किया। सार्वजनिक उद्यम विभाग से अभी उत्तर की प्रतीक्षा है। आईआईएफसीएल ने सीएसआर आरक्षित निधि से पीएम केयर्स फड में 2500 लाख रुपये का अंशदान दिया है।
4. ह्रासन भत्ता आरक्षित निधि भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र आरबीआई/2019–20/170 दिनांक 13 मार्च, 2020 के अनुसार सृजित की गई है, भारतीय लेखांकन मनक के अनुसार ऋण आस्तियों पर ह्रासन भारतीय रिजर्व बैंक आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानदंड के अनुसार किये प्रावधानों से कम है।
5. आरक्षित निधि का सृजन आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-IC के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी 22: ब्याज आय

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		परिशोधित ऋण पर मापी गई वित्तीय आस्तियां	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	प्रत्यक्ष उधारी के तहत ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	262,596.02	246,355.47
(ii)	पीएमडीओ स्कीम के तहत ऋणों पर ब्याज	104.87	198.05
(iii)	पुनर्वित्तपोषण स्कीम के तहत ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	17,593.13	24,763.53
(iv)	टेकआउट वित्तपोषण स्कीम के तहत ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	76,767.31	77,619.55
(v)	दंड – ब्याज	1,161.88	1,228.26
(vi)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	515.48	1,231.50
(vii)	बंधपत्रों पर ब्याज	713.30	2,482.44
(viii)	बैंकों में जमा पर ब्याज	66,825.13	64,126.49
	योग	**426,277.12**	**418,005.30**

टिप्पणी 23: शुल्क और कमीशन

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	अग्रिम शुल्क	989.13	1,994.61
(ii)	प्रक्रिया शुल्क	75.74	94.50
(iii)	पूर्वभुगतान प्रभार	2,068.49	1,186.92
(iv)	प्राप्त कमीशन	92.68	-
(v)	ऋण संवृद्धि से शुल्क	573.77	603.40
(vi)	परामर्श एवं सेवा शुल्क	173.72	144.66
(vii)	निवेश प्रबंधन शुल्क	392.39	685.13
(viii)	प्रतिबद्धता शुल्क	-	314.77
(ix)	अन्य प्रभार	5,100.28	3,442.32
	योग	**9,466.21**	**8,466.31**

टिप्पणी 24: अन्य आय

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	बट्टे खाते में डाले गये ऋण की वसूली	848.67	12,426.67
(ii)	बट्टे खाते में डाले गये ऋण आस्तियों पर प्रावधान से अन्य राशियां/प्रावधान	85.50	220.55
(iii)	विविध आय	174.07	120.69
(iv)	अनबद्ध ब्याज आय कर्मचारी ऋण (आय)	2.23	1.32
(v)	स्वैप सौदों पर लाभ	31,991.32	37,957.58
(vi)	देयता जिसकी अब आवश्यकता नहीं	6,831.85	-
(vii)	आयकर रिफण्ड पर ब्याज	3.97	-
	योग	**39,937.62**	**50,726.80**

टिप्पणी 25: वित्त लागतें

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		परिशोधित ऋण पर मापी गई वित्तीय आस्तियों पर	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	बंधपत्रों और डिबेंचरों पर ब्याज	155,258.94	160,402.35
(ii)	बैंक उधारियों पर ब्याज	38,379.47	60,644.46
(iii)	एशियन डेवलेपमेंट बैंक (एडीबी) के ऋणों पर ब्याज	52,550.70	45,144.42
(iv)	आईबीआरडी (विश्व बैंक) के ऋणों के ऋणों पर ब्याज	7,893.12	13,427.98
(v)	केएफडब्ल्यू के ऋणों पर ब्याज	563.26	619.17
(vi)	ईआईबी के ऋणों पर ब्याज	135.37	130.44
(vii)	जेआईसीए से ऋण पर ब्याज	91.80	19.33
(viii)	आयकर पर ब्याज	-	-
	योग	**254,872.66**	**280,388.14**

टिप्पणी 26: शुल्क और कमीशन व्यय

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	सरकारी को गारंटी शुल्क	12,356.96	11,091.35
(ii)	बंधपत्र शोधन व्यय	153.02	120.20
(iii)	उधारियों पर अग्रिम शुल्क	-	-
(iv)	प्रतिबद्धता प्रभार	247.79	-
	योग	**12,757.77**	**11,211.55**

टिप्पणी 27: उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
	(क) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)		
	(i) व्यापार पोर्टफोलियो पर		
	(ii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय लिखतों पर	2,315.22	6,732.86
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर लाभ/(हानि) (ख)	**2,315.22**	**6,732.86**
	उचित मूल्य परिवर्तन: (ग)		
	–शोध्य	-	-
	–अशोध्य	2,315.22	6,732.86
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि) (ख) मिलान (ग) से करना है	**2,315.22**	**6,732.86**
	* इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उन परिवर्तनों से भिन्न है जो ब्याज आय/व्यय के लेखा पर उत्पन्न होते हैं।		

टिप्पणी 28: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	As at	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	वेतन एवं भत्ते	2,555.42	2,310.43
(ii)	भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान	309.75	441.19
(iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	833.96	961.48
(iv)	पूर्व प्रदत्त कर्मचारी लागत	0.77	0.42
	योग	**3,699.91**	**3,713.52**

टिप्पणी 29: वित्तीय लिखतों पर ह्रासन (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		परिशोधित ऋण पर मापी गई वित्तीय आस्तियों पर	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	ऋण और अग्रिम	24,543.94	66,934.97
(ii)	निवेश	369.48	7,192.57
(iii)	अनर्जक आस्तियों पर व्यय	477.40	-
	योग	**25,390.82**	**74,127.55**

टिप्पणी 30: अन्य व्यय (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष समाप्ति	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागतें	112.23	1,470.62
(ii)	मुद्रण और लेखन सामग्री	9.24	15.26
(iii)	विज्ञापन और प्रचार	5.16	7.91
(iv)	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	77.67	98.55
(v)	लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	15.20	100.54
(vi)	विधिक और व्यावसायिक प्रभार	242.10	75.18
(vii)	बीमा	9.26	5.14
(viii)	विदेशी मुद्रा संव्यवहारों और रूपांतरणों पर निवल हानि	74,157.76	43,212.27
(ix)	अन्य व्यय	4,564.69	1,147.05
(x)	व्युत्पन्नियों पर मार्केट टू मार्केट (लाभ)/हानि	142.18	(452.90)
(xi)	बट्टे खाते में डाली गई ऋण राशि नोट 1(ख)(20(ख)) देखें,	122,297.10	72,241.70
	योग	**201,632.59**	**117,921.30**

नोट 1: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां

आईआईएफसीएल एक सार्वजनिक कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अतर्गत भारत में स्थित और निगमित है। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय पांचवां तल, प्लेट ए और बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली, भारत में है।

आईआईएफसीएल की स्थापना व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए वित्तीय योजना के तहत व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितंबर, 2013 को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को गैर–बैंकिंग वित्तीय कपनी–गैर–जमा–अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफसी–एनडी–आईएफसी) के रूप में एन–14.03288 से पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफसीएल को सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का करोबार करने की अनुमति दी है।

(क) महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

1.1 समेकित वित्तीय विवरण में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (मूल कंपनी), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड, (आईआईएफसीएल (यूके) लिमिटेड), आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एक साथ समूह के रूप में) 31 मार्च, 2021 को और उस तिथि को समाप्त हुई अवधि के लिए के अलग–अलग वित्तीय विवरण और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

i) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को 'समेकित वित्तीय विवरण' भारतीय लेखांकन मानक 110 के अनुसार अशोध्य लाभ या हानि के परिणामस्वरूप अंतर–समूह लेन–देन को समाप्त करने के बाद, आस्तियां, देयताएं, आय और व्यय मदों के बही मूल्यों के अनुरूप समेकित किया गया है।

ii) विदेशी सहायक कंपनी की मौद्रिक और गैर–मौद्रिक दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों का समापन विनिमय दर पर अंतरित किया गया है।

iii) विदेशी सहायक कंपनी की आय और व्यय मदें लेनदेन की तारीख में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच आरबीआई संदर्भ दर पर अंतरित की गई हैं।

iv) सभी परिणामी विनिमय अंतर एक विदेशी मुद्रा रुपांतरण आरक्षित निधि में संचित है।

1.2 निम्नलिखित सहायक कंपनियों के व्यक्तिगत वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित किए गए हैं:

सहायक कंपनी का नाम	निगमन का देश	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि
			स्वामित्व ब्याज का अनुपात (%)
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100%	100%
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट लिमिटेड	भारत	100%	100%
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%

1.3 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी अर्थात आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को मूल कम्पनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लागू भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार परिवर्तित किया गया है।

1.4 **लेखांकन अभिसमय:** आईआईएफसीएल अपनी वित्तीय विवरणों को, गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनियों (एनबीएफसी) के लिए, कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।।। के खंड ।।। में मुहैया कराए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करती है। निम्न मामलों को छोड़कर, वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर और एक ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार की गई हैं।

क. अन्य व्यापक आय के माध्म से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियां (एफवीओसीआई)

ख. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

ग. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामांकित वित्तीय आस्तियां और देयताएं

घ. परिभाषित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मापी गई योजना आस्तियां

जिन सब का मापन, संबंधित भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथोपेक्षित या अनुमत्त उचित मूल्य पर किया गया है। वित्तीय विवरणीएं भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई हैं और सभी मूल्यों को, जहां अन्यथा इंगित किया गया उनको छोड़कर, निकटतम लाख रुपए में पूर्ण किया गया है।

1.5 प्राक्कलनों का उपयोग: आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमानों और धारणा बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तिथि और राजस्व व व्यय की बताई गई राशि की आस्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करती है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में माना गया है, जिसमें परिणामों को मूर्तरूप दिया गया है।

आईआईएफसीएल भविष्य के बारे में, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों की अनिश्चितता के किसी अन्य प्रमुख स्रोत के बारे में कोई धारणा नहीं बनाती जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और देनदारियों की वहन राशि के महत्वपूर्ण समायोजन में परिणत होने वाला महत्वपूर्ण जोखिम हो।

2. अनुपालन का विवरण

आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरण सतत प्रतिष्ठान आधार पर और दिनांक 16 फरवरी 2015 की अधिसूचना जीएसआर 111(ई) द्वारा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और दिनांक 30 मार्च 2016 की अधिसूचना जीएसआर 111(ई) द्वारा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के अंतर्गत कॉरपारेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ये भारतीय लेखांकन मानक आईआईएफसीएल द्वारा भारतीय लेखांकन मानक के अंगीकरण की भारतीय लेखांकन मानक अंतगरण तारीख से तैयार किए गए हैं और किसी अन्य प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों को 10 अगस्त 2019 को निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने कि लिए प्राधिकृत और अनुमोदित किया गया था।

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

वित्तीय आस्तियों और देनदारियों को सामान्य तुलन पत्र में सकल मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है। ये केवल ऑफसैट होती हैं और इन्हें निवल मूल्य पर रिपोर्ट नहीं किया जाता जब, किसी भावी घटना पर आकस्मिक हुए बिना स्वीकृत बिना किसी शर्त के विधिक रूप से प्रवर्तनीय या होने के अतिरिक्त, पक्षकार भी निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में निवल आधार पर समाधान के लिए अभिप्रेत हों:

- व्यापार का सामान्य क्रम
- चूक की घटना
- आईआईएफसीएल और/या इसके प्रतिपक्षकारों के ऋण–अशोधन या दिवालिया की घटना

प्रमुख निवल व्यवस्थाओं (उदाहरणार्थ आईएसडीए) के साथ व्युत्पन्न आस्तियों और देनदारियों को केवल तब निवल मूल्य पर प्रस्तुत किया जाता है जब वे उपर्युक्त सभी मापदंडों की निवल–अहर्ता को पूरा करते हों, न कि केवल चूक की स्थिति में।

4. आय/व्यय की स्वीकृति

4.1 परिशोधित लागत पर मापे गए सभी वित्तीय लिखतों के लिए, ब्याज वाहित करने वाली आस्तियों जिन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध के रूप में और एफवीटीपीएल में नामित वित्तीय लिखतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की ब्याज आय या व्यय को ईआईआर का उपयोग करते हुए दर्ज किया जाता है। इस गणना में वित्तीय लिखत की सभी संविदागत शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व–भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखा जाता है और इनमें वे कोई भी शुल्क या संवृद्धि लागतें शामिल होती हैं जो प्रत्यक्षत: लिखत में आरोप्य हैं और ईआईआर का अभिन्न अंग है, किंतु भावी क्रेडिट हानियों के लिए नहीं। जब किसी वित्तीय आस्ति का मूल्य या इसी प्रकार की वित्तीय आस्तियों के समूह का मूल्य किसी क्षति हानि से घट जाता है, तो ब्याज आय को ब्याज की दर का इस्तेमाल करते हुए जारी रखा जाता है जिनका उपयोग क्षति हानि का मापन करने के उद्देश्य से भावी नकद प्रवाहों में छूट देने के लिए किया जाता है।

4.2 प्रदान किए गए ऋणों पर अग्रिम शुल्क आय को उन मामलों में उपचित आधार पर आय माना जाता है जहां ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर आवंटित राशि पर किए गए हों।

4.3 कम्पनी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभार का लेखांकन व्यय के रूप में किया जाता है जब ऋण के आहरण में कमी, ऋण करार के अनुसार ऋण की संस्वीकृत राशि से कम हो।

4.4 उधारियों के खातों में वसूलियों का विनियोजन संबंधित ऋण करारों के अनुसार किया जाता है।

4.5 लाभांश का लेखांकन उपचित आधार पर किया जाता है जब लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो। तथापि, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा इसे अनुमोदित किए जाने के बाद उत्पन्न होता है।

4.6 पूर्वावधिक से संबंधित आय/व्यय, जो कुल आय के 01.1 प्रतिशत से अधिक न हो, तो इन्हें चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

4.7 आंशिक ऋण संवर्धन गारंटी शुल्क की स्वीकृति उपचित आधार पर लेखांकन वर्ष में की जाती है जब वसूली का औचित्यपूर्ण अधिकार स्थापित किया जाता है। अग्रिम में प्राप्त किसी भी आंशिक संवर्धन गारंटी शुल्क को आस्थगित किया जाता है और इसे बीमांकन की अवधि पर आय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

4.8 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर ब्याज/छूट या किसी अन्य प्रभार सहित आय को केवल तब स्वीकृत किया जाता है जब इसकी उगाही वास्तव में की गई हो। आस्ति के बनने से पूर्व ऐसी किसी भी आय और शेष अतृप्त आय का आरक्षित रखा जाता है।

5. वित्तीय लिखतें:

5.1 मान्यता और प्रारंभिक मापन:

कम्पनी प्रारंभिक तौर पर वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को समाधान की तारीख पर स्वीकृत करती है। वित्तीय आस्ति या वित्तीय देनदारी को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में, एफवीटीपीएल में शामिल न की गई मदों के लिए, संव्यवहार लागतों को जोड़कर मापा जाता है जो इसके अधिग्रहण या निर्गम में प्रत्यक्षतः आरोप्य हों।

5.2 वर्गीकरण:

क. वित्तीय आस्तियां:

कम्पनी की वित्तीय आस्तियों में नकर और नकद समतुल्य, बैंक शेष, सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों को छोड़कर कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कम्पनियों/कर्मचारियों को ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल होते हैं।

प्रारंभिक स्वीकृति होने पर, एक वित्तीय आस्ति वर्गीकृत होती है:

क) परिशोधित लागत:

वित्तीय लिखतों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है जब:

- उनमें संविदागत शर्तें हों, जो विनिर्दिष्ट तारीखों पर नकद प्रवाहों को उत्पन्न करती हों, जो एकमात्र बकाया मूलधन पर ब्याज और मूलधन के भुगतान को दर्शाती हों; और
- ये ऐसे व्यापार मॉडल के भीतर धारित हों, जहां इनका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाहों को एकत्रित करने के लिए धारित करके प्राप्त हो जाता है।

इन लिखतों पर प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में प्रत्यक्षतः आरोप्य संव्यवहार लागतें जोड़कर स्वीकृत किया जाता है, जिनका प्रभाव कुल आय के 0.5 प्रतिशत से अधिक हो। क्रेडिट क्षति का मापन त्रि–स्तरीय टिप्पणी 6.7 'वित्तीय आस्तियों की क्षति' में उल्लिखित संभावित क्रेडिट हानि मॉडल पर आधारित होता है।

ख) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य:

वित्तीय लिखतों का मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं किया जाता है जब:

- उनमें संविदागत शर्तें हों, जो विनिर्दिष्ट तारीखों पर नकद प्रवाहों को उत्पन्न करती हों, जो एकमात्र बकाया मूलधान पर ब्याज और मूलधन के भुगतान को दर्शाती हों; और
- ये ऐसे व्यापार मॉडल के भीतर धारित हों, जहां इनका उद्देश्य संविदागत नकद प्रवाहों को एकत्रित करके और वित्तीय आस्तियों को बेचकर, दोनों से प्राप्त हो जाता हो।

इन लिखतों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में प्रत्यक्षतः आरोप्य संव्यवहार लागतों को जोड़कर स्वीकृत किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले लाभों और हानियों को इक्विटी के एक पृथक घटक के भीतर अन्य व्यापक आय में शामिल किया गया है। क्षति हानियों या व्युत्क्रमों, बयाज राजस्व और विदेशी मुद्रा लाभों और हानियों को लाभ और हानि में स्वीकृत किया गया है। निपटान होने पर, विगत में अन्य व्यापक आय में स्वीकृत संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय विवरण में पुनः वर्गीकृत किया गया है। क्रेडिट क्षति का मापन त्रि–स्तरीय संभावित क्रेडिट हानि मॉडल के आधार पर किया जाता है जैसा कि परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू होता है।

ग) लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य:

- व्यापार के लिए धारित मदें;
- संविदागत शर्तों पर ऋण लिखत जो केवल मूलधान और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित वित्तीय लिखतों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर स्वीकृत किया जाता है, जबकि संव्यवहार लागतों को आय विवरण में प्राप्त के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद, इनका मापन उचित मूल्य पर किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को आय विवरण में उनके उत्पन्न होते ही स्वीकृत किया जाता है। जहां किसी वित्तीय आस्ति का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है, तो प्रति–पक्षकार की क्रेडिट साख को परिलक्षित करने के लिए एक क्रेडिट मूल्यांकन शामिल किया जाता है, जो क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को आरोप्य उचित मूल्य में आवागमन को दर्शाता है।

कारोबार के लिए धारित वित्तीय लिखतें

किसी वित्तीय लिखत को कारोबार के लिए धारित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि इसका अधिग्रहण या अर्जन मुख्यतः नजदीकी रूप में बिक्री या पुनःखरीद के उद्देश्य के लिए किया जाता है, या यह वित्तीय लिखतों के पोर्टफोलियो के भाग को निर्मित करता है जिनका प्रबंधन एक साथ किया जाता है और जिनके लिए अल्पावधि लाभप्रदता का साक्ष्य उपलब्ध होता है, या विशेष बचाव व्यवस्था संबंध में व्युत्पन्न नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक स्वीकृत पर, अप्रतिसंहरणीय रूप से किसी वित्तीय आस्ति को नामांकित कर सकता है जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीपीएल पर एफवीओसीआई पर मापे जाने की अपेक्षाओं को पूरा करती हो, यदि ऐसा करने से अन्यथा उत्पन्न होने वाली लेखा बेमेल समाप्त होता हो या उल्लेखनीय रूप से कम होता हो।

घ) इक्विटी लिखतें

इक्विटी लिखतों में निवेश वे होते है जो आईआईएफसीएल द्वारा ऐसे व्यापार संयोजन में न तो कारोबार के लिए न आकस्मिक कारक के लिए धारित होता है जिस पर भारतीय लेखांकन मानक 103 'व्यापार संयोजन' लागू होता है, इनका मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है, जहां प्रबंधनद्वारा कोई अप्रतिसंहरणीय चयन किया गया है। अन्य व्यापक आय में दर्शाई गई राशियों को बाद में लाभ या हानि में अंतररित नहीं किया जाता। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है जब तक कि लाभांश स्पष्टतः निवेश की लागत के भाग की वसूली को दर्शाता हो।

सभी अन्य वित्तीय आस्तियां एफवीटीपीएल के मूल्यांकन के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं।

परिवर्ती मापन

संविदागत नकदी प्रवाह के संग्रहण के लिए धारित वे आस्तियों जहां वे नकदी प्रवाह मूलधन एवं ब्याज के पूर्ण भुगतान दर्शाते हैं, का परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया गया है। जब आस्ति को मान्यता नहीं दी गई है अथवा वह खराब अवस्था में हो तो ऋण निवेश पर लाभ अथवा हानि को जिसका बाद में परिशोधन लागत पर मूल्यांकन किया गया है, लाभ अथवा हानि में माना गया है। इन वित्तीय आस्तियों से अर्जित ब्याज को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए वित्तीय आय में शामिल किया गया है जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5 प्रतिशत से अधिक है।

अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों का मूल्यांकन रिपोर्टिंग की प्रत्येक तिथि उचित मूल्य पर किया गया है। उचित मूल्य में होने वाले बदलाव को अन्य समग्र आय में माना गया है। हालांकि, कंपनी ब्याज से होने वाली आय, खराबी के कारण हानि एवं प्रत्यावर्तन और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को आय विवरण में मान्यता दी गई है।

पुनर्वर्गीकरण

आईआईएफसीएल द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए अपना कारोबारी मॉडल बदलने के बाद की अवधि को छोड़कर, वित्तीय आस्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया है।

ख. वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं नकदी अथवा कोई अन्य वित्तीय आस्ति किसी दूसरी संस्था को सुपुर्द करना अथवा वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय देयताओं को ऐसे शर्तों के अधीन किसी दूसरी संस्था के साथ अदला–बदली करने का संविदागत दायित्व है जिनकी कंपनी के लिए हानिकारक होने की संभावना है।

वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

ऐसे वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य के ऋणात्मक लेन–देन संबंधी लागतों पर माना गया है जिसका प्रभाव कुल आय का 0.5: से अधिक होने के कारण सीधे तौर पर वित्तीय देयताओं की समस्या के लिए जिम्मेदार है । परिशोधित लागत की गणना अर्जन एवं शुल्क अथवा लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की गई है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आय (लेन–देन की लागतों का निवल) एवं मोचन राशि के बीच किसी अंतर को ईआईआर का उपयोग करते हुए उधारियों की अवधि में लाभ व हानि के विवरण में माना गया है।

परिवर्ती मापन

प्रारंभिक मान्यता देने के उपरांत वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन ईआईआर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया गया है। लाभ एवं हानि को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से लाभ व हानि के विवरण में माना जाता है जब देयताओं को मान्यता नहीं दी गई हो। ईआईआर परिशोधन में लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के तौर पर शामिल किया गया है।

संविदागत नकदी प्रवाह को केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के तौर पर परिभाषित करना:

इस मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ 'मूलधन' प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य के तौर पर परिभाषित है। 'ब्याज' मुद्रा के समय मूल्य एवं उस विशेष अवधि के दौरान मूलधन की बकाया राशि से जुड़े ऋण जोखिमों एवं अन्य बुनियादी ऋण जोखिमों व लागतों (जैसे चलनिधि जोखिम एवं प्रशासनिक लागत) के अतिरिक्त लाभ सीमा के प्रतिफल के तौर पर परिभाषित किया गया है।

ग. व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें :

व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें वे संविदायें होती है जिनका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित मूल्य, सूचकांक या अन्य परिवर्ती से व्युत्पन्न होती हैं। आमतौर पर, इसमें अदला–बदली (स्वैप), वायदा दर करार, भावी सौदे व विकल्प जैसे लिखतें शामिल होती हैं। आईआईएफसीएल ने उचित मूल्य पर तुलन पत्र में माने गये इन संविदाओं की विदेशी मुद्रा की उधारियों में विदेशी मुद्रा जहां प्रयोज्य है, में अंतर होने के कारण आने वाले जोखिम को कम करने के लिए बचाव व्यवस्था की संविदा के रूप में व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें संपन्न की हैं एवं जहां वे प्रभावी बचाव व्यवस्था संबंध के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट हैं, उन्हें छोड़कर, व्यापार के तौर पर वर्गीकृत की गई हैं तथा बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नी के तौर पर वर्गीकृत की गई हैं। व्युत्पन्नियों को उचित मूल्य के ध नात्मक होने पर आस्ति के तौर पर एवं उचित मूल्य के ऋणात्मक होने पर देयताओं के तौर पर दर्शाया गया है।

क. जहां भी कंपनी ने वायदा संविदा अथवा लिखतें यानि वायदा विनिमय संविदायें संपन्न की हैं, उनमें वायदा विनिमय संविदा संपन्न करने की तिथि को वायदा दर व विनिमय दर के बीच के अंतर को भारतीय लेखांकन मानक–21 के अनुसार संविदाकाल के दौरान आय या व्यय के तौर पर माना गया है।

ख. विदेशी मुद्रा के ऋणों में की गई बचाव व्यवस्था को विदेशी मुद्रा में दिये गये ऋणों (यानि स्वाभाविक बचाव व्यवस्था) को समायोजित करने के पश्चात एफआईएफओ आधार समायोजित किए गये हैं।

ग. ब्याज दर स्वैप सहित वायदा विनिमय संविदा के रद्द करने अथवा नवीकरण करने पर किसी प्रकार के लाभ अथवा हानि को वर्ष की आय अथवा व्यय के तौर पर माना गया है।

घ. कंपनी द्वारा संपन्न जेपीवाई येन में हुए ब्याज दर अदला–बदली लेन–देन के संबंध में कंपनी तुलन पत्र की तिथि को प्रतिभूतियों की दैनिक बाजार मूल्य पर हानि के तौर पर दर्शाया गया है।

ङ. वायदा संविदा की शुरूआत पर एवं बचाव व्यवस्था के अनुसार प्रतिपक्षकार से वसूली गई अथवा प्रतिपक्षकार को भुगतान किए गये अतर्निहीत विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व की चुकौती के समय पर हाजिर विनियम दर में अंतरण के कारण होने वाले अधिशेष अथवा घाटे को क्रमशरू ऐसा ऋण चुकाने के समय पर लाभ अथवा हानि के तौर पर माना गया है।

च. विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहीत लेनदेन है) एवं अदला–बदली संविदा (उपरोक्त ऋणों से होने वाली किसी भी हानि के प्रति बचाव व्यवस्था) को अलग–अलग लेनदेन के तौर पर माना गया है।

छ. विदेशी मुद्रा की उधारियों का विदेशी मुद्रा में बदलाव के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखांकन मानक (एएस 21) के अनुसार पुन उल्लेख किया गया है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से आईसीएआई का जून, 2015 में जारी ''व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन'' पर दिशानिर्देश नोट का पालन किया है। विनिमय दर में किसी प्रकार का परिवर्तन, पिछली रिपोर्टिंग तिथि के बाद से रिपोर्टिंग तिथि को विदेशी मुद्रा में उधार ली गई राशि पर और इस अवधि के दौरान उधार लेने के तिथि से व्युत्पन्न संविदाओं का उचित मूल्य के मुकाबले निर्धारित किया गया है एवं किसी प्रकार के लाभ अथवा हानि को नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि के तौर पर माना गया है। व्युत्पन्नी संविदाओं के उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।

मार्गदर्शी नोट के अनुसार, नकद प्रवाह बचाव व्यवस्था के तहत, बचाव व्यवस्था लिखत का आकलन उचित मूल्य पर किया जाता है लेकिन एक प्रभावी बचाव व्यवस्था के लिए निर्धारित किसी भी लाभ अथवा हानि को इक्विटी में माना गया है जैसे नकद प्रवाह बचाव व्यवस्था वाली आरक्षित निधि। इसका मुख्य उद्देश्य उस अवधि में लाभ एवं हानि के विवरण में अस्थिरता से बचना है, जब बचाव व्यवस्था से जुड़े मदों पर लाभ अथवा हानि उसमें शामिल नहीं होती है।

5.3 मान्यता न देना:

वित्तीय आस्तियां

आईआईएफसीएल ऐसी वित्तीय आस्तियों को मान्यता नहीं देता है जब वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा वह लेन–देन में संविदागत नकदी प्रवाह प्राप्त करने के ऐसे अधिकारों को हस्तांतरित कर देता है जिसमें वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम व प्रतिफल का बड़ा हिस्सा हस्तातंरित कर दिये जाते हैं अथवा जिसमें आईआईएफसीएल न तो स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों का हस्तांतरण करता है और न ही बरकरार रखता है और इस प्रकार वह वित्तीय परिसंपत्ति का नियंत्रण नहीं रखता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऋण आस्तियों के मामले मे

(क) ऐसी परियोजनाएं जहां रियायत करार (सीए) परियोजना प्राधिकरण द्वारा समाप्त कर दिये गये हैं, के लेखे को वित्तीय वर्ष में मान्यता नहीं दी गई जिसमें संविदा समाप्त हो गई हो।

(ख) ऐसी परियोजनाएं जहां रियायतदाता करार (सीए) रियायतदाता द्वारा समाप्त कर दिये गये हैं, हानि मेरिट एवं मामले के तथ्यों के आधार पर दर्शाई गई है।

(ग) ऐसे मामलों में जहां वित्तीय आस्ति का निश्चित मूल्य आस्ति पुनर्रचना कंपनी इत्यादि की मूल्यांकन रिपोर्टध्प्रस्ताव के आधार पर कुर्क की गई है, हानि कमी की सीमा तक दशाई गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक विनियमों के अनुसार लागू एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/131 डीबीआर सं. बीपी. बीसी101/21.04.048/2017.18 दिनांक 13 फरवरी, 2018 के अनुसरण में वापिस मानी गई कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना (एसडीआर), दबावग्रस्त आस्तियों की सतत पुनर्रचना योजना (एस4ए), बाह्य कार्यनीतिक ऋण पुर्नरचना योजना के तहत आने वाले मामलों अथवा ऐसे मामलों को छोड़कर, यदि जब तक ऋण आस्ति की बिक्री/वसूली के लिए कोई मूलभूत प्रस्ताव उपलब्ध न हो तो ऋण आस्ति को 5 वर्ष से अधिक समय के लिए अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो अथवा परियोजना के अनूसूचित वाणिज्यिक प्रचालनों में 4 वर्ष से अधिक समय का विलंब किया गया हो, कोई ऋण आस्ति अथवा कोई अन्य अपसी सहमति वाली पुनर्रचित/निपटान प्रक्रिया को मान्यता नहीं दी जाएगी।

वित्तीय आस्ति के तौर पर मान्यता न दिये जाने पर आस्ति की हस्तांगत राशि (अथवा जिसे मान्यता नहीं दी गई है उस आस्ति के हिस्से को आबंटित हस्तांगत राशि) एवं (i) प्राप्त प्रतिफल (प्राप्त की गई कोई नई आस्ति से स्वीकार की गई कोई नई देयता घटाकर राशि सहित) एवं (ii) ओसीआई में न माने गये कोई संचयी लाभ अथवा हानि के बीच के अंतर को लाभ व हानि विवरण में माना जाता है।

एफवीओसीआई में निर्दिष्ट इक्विटी निवेश प्रतिभूतियों के संबंध में ओसीआई में माने गये कोई संचयी लाभध्हानि को ऐसी प्रतिभूतियों को मान्यता न दिये जाने के कारण लाभ व हानि विवरण में मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता न दिये जाने के योग्य अंतरित वित्तीय आस्तियों में कोई ब्याज जो कंपनी द्वारा सृजित या प्रतिधारित है, को अलग आस्ति या देयता के रूप में माना गया है।

वित्तीय देनदारियां

आईआईएफसीएल वित्तीय देयता को तब मान्यता नहीं देता है जब वह संविदागत दायित्वों से मुक्त हो जाता है अथवा उसके संविदागत दायित्व रद्द हो जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं। ऐसी वित्तीय देयता जो समाप्त हो गई है अथवा किसी दूसरे पक्षकार को हस्तातंरित कर दी गई है की हस्तांगत राशि एवं हस्तांरित की गई कोई गैर नकदी आस्ति अथवा स्वीकार की गई देयता सहित अदा गये प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ व हानि विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में माना गया है।

मौजूदा उधारकर्ता एवं ऋण लिखतों के ऋणदाता के बीच वसतुतरू भिन्न शर्तों के साथ की गई अदला–बदली की गणना मूल वित्तीय देयता के समापन के रूप में की जाएगी एवं इसे नई वित्तीय देयता के रूप में माना जाएगा। इसी तरह मौजूदा वित्तीय देयता अथवा उसके किसी हिस्से की शर्तों का पर्याप्त संशोधन (चाहे देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण हो या उक्त के कारण न हो) मूल वित्तीय देयता के समापन के रूप में माना जाएगा एवं इसे नई वित्तीय देयता के रूप में माना जाएगा।

5.4 **आशोधनः**

वित्तीय आस्तियां

यदि किसी वित्तीय आस्ति की शर्तों का संशोधन किया किया जाता है तो कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि संशोधित आस्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह काफी हद तक अलग रहता है तो मूल वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त माने जाते हैं। इस मामले में, मूल वित्तीय आस्ति को मान्यता नहीं दी गई है एवं उचित मूल्य पर नई वित्तीय आस्ति के रूप में मानी गई है।

यदि परिशोधित लागत पर ली गई संशोधित आस्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त भिन्नता नहीं दिखाई देती है तो ऐसे संशोधन के कारण वित्तीय आस्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। इस मामले में, कंपनी ने वित्तीय आस्ति की सकल हस्तांगत राशि की पुनर्गणना की है एवं लाभ व हानि के विवरण में सकल लाभ या हानि के रूप में सकल हस्तांगत राशि को समायोजित करने से आने वाली राशि माना है। वित्तीय आस्ति की सकल हस्तांगत राशि की पुनः मोल–तोल की गई या संशोधित संविदागत नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में पुन : गणना की जाएगी जिसे वित्तीय आस्ति के मूल प्रभावी ब्याज दर (या क्रेडिट–खरीदे हुए या मूल के प्रभावी दर पर समायोजित, क्रेडिट– क्षतिग्रस्त वित्तीय आस्तियां) अथवा संशोधित प्रभावी ब्याज दर जब लागू हो, पर छूट दी जाती है। यदि उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा संशोधन किया जाता है तो लाभ या हानि क्षतिग्रस्तता हानि के साथ दर्शाया जाता है। अन्य मामलों में, इसे ब्याज आय के रूप में दर्शाया जाता है।

5.5 **उचित मूल्य माप**

उचित मूल्य' वह कीमत होती है जो किसी आस्ति को मूलधन की मूल्यांकन की तिथि को बाजार के प्रतिभागियों के बीच अथवा ऐसे प्रतिभागियों की अनुपस्थिति में ऐसी तिथि जिस तिथि को कंपनी को सबसे अधिक लाभ हो, बेचने से प्राप्त होती है अथवा जिसका बाजार के प्रतिभागियों के बीच योजनाबद्ध लेन–देन में देयता हस्तांरित करने में भुगतान करना पड़ता है। देयता का उचित मूल्य इसकी गैर–निष्पादकता जोखिम को दर्शाती है।

जब कोई उचित मूल्य उपलब्ध होता है तो कंपनी किसी लिखत के उचित मूल्य का मूल्यांकन, सक्रिय बाजार में उस लिखित के लिए उद्धृत मूल्य का उपयोग करते हुए करती है। बाजार को तब सक्रिय माना जाता है जब आस्ति अथवा देयता के लेन–देन पर्याप्त बारंबारता व मात्रा में होते हैं एवं मूल्य निर्धारण की जानकारी निरंतर उपलब्ध रहती है।

यदि सक्रिय बाजार में कोई उद्धृत कीमत न हो तो आईआईएफसीएल ऐसी मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करता है जिसमें प्रासंगिक अवलोकनयोग्य सूचनाओं के उपयोग का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है और जो अप्रचलित सूचनाओं के उपयोग को कम करके दर्शाता है। चुनी गई मूल्यांकन तकनीक में उन सभी कारकों को शामिल किया गया है जिसे बाजार के प्रतिभागी लेन–देन के मूल्य–निर्धारण में ध्यान में रखते हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण आम तौर पर, लेन–देन की कीमत – अर्थात दिए गए अथवा प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य है। यदि आईआईएफसीएल यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लेन–देन मूल्य से भिन्न है एवं उचित मूल्य का न तो उसी के अनुरूप आस्ति अथवा देयता के सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य द्वारा और न ही मूल्यांकन तकनीक पर आधारित है जिसके लिए किसी भी अलक्षित निविष्टि का मूल्यांकन के संबंध में महत्वहीन होने का अनुमान लगाया जाता है तो आरंभिक तौर पर वित्तीय लिखत का मूल्यांकन प्रारंभिक मान्यता एवं लेन–देन कीमत पर उचित मूल्य के बीच के अंतर को समायोजित करने के बाद उचित मूल्य पर किया जाता है। इसके उपरांत समुचित अंतर के आधार पर लाभ व हानि विवरण में उस अंतर को माना गया है।

मांग विशेषता वाली वित्तीय देयता (उदाहरणार्थ मांग जमा) के उचित मूल्य, मांग पर देय राशि है।

अनउद्धृत इक्विटियों का आईआईएफसीएल के पास उपलब्ध सूचना की उपलब्धता के अधीन, नीचे दिए गए दृष्टिकोण के आधार पर, ऐसे क्रम में उचित मूल्यांकन किया गया है, जिसमें वे दिखाई देते हैं:

क. कंपनी की नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरण से निवेशिती संस्था का विश्लेषित विवरण

ख. एक रुपये पर, यदि नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है।

नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति आधार के अनुसार अवसंरचना ऋण निधियों और वैकल्पिक निवेश निधियों की इकाइयाँ मूल्यवान हैं। प्रतिभूति प्राप्तियां नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य या बही मूल्य के अनुसार मूल्यवान हैं, जो भी कम हो। अवरंसचना कर्ज निधि एवं वैकल्पिक निवेश निधि की इकाईयों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य के अनुसार किया गया है।

5.6 उचित मूल्य मापन के लिए मूल्यांकन तकनीक

यह दर्शाने के उद्देश्य से कि कैसे उचित मूल्य व्युत्पन्न किये गये हैं, वित्तीय लिखतों को निम्नलिखित समीक्षा के अनुसार मूल्यांकन तकनीकी के पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:

- स्तर 1 के वित्तीय लिखतें: ये वे लिखतें होती हैं जहां मूल्यांकन में प्रयुक्त निविष्टियां समान आस्ति अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार से उद्धृत कीमतों पर समायोजित की जाती हैं जब कंपनी मापन तिथि तक पहुंच स्थापित की है। कंपनी ने बाजार को तभी सक्रिय माना है जब समान आस्तियों एवं देयताओं की मात्रा एवं चलनिधि के संबंध में पर्याप्त व्यापारिक गतिविधियां हुई हों एवं जब बाध्यकारी एवं प्रयोज्य कीमत उद्धरण तुलन पत्र की तिथि को उपलब्ध है।
- स्तर 2 के वित्तीय लिखतें: ये वे लिखतें होती हैं जहां मूल्यांकन में प्रयुक्त निविष्टियां पर्याप्त हैं एवं लिखत के जीवनकाल की पूरी अवधि में उपलब्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर प्राप्य बाजार डेटा से व्युत्पन्न होती हैं। ऐसी निविष्टियों में सक्रिय बाजार में इसी तरह की आस्तियों अथवा देयताओं के लिए उद्धृत कीमत, सुस्त बाजार में समान लिखतों के लिए उद्धृत कीमत एवं ब्याज दरों और घटते आगम, अंतर्निहित अस्थिरता तथा ऋण की कीमत लागत में अंतर जैसे उद्धृत मूल्य के अलावा अन्य अवलोकन योग्य निविष्टि शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त परिसंपत्ति की स्थिति या अवस्थिति के समायोजन की आवश्यकता हो सकती है या यह उस सीमा तक हो सकती है जिसकी संबंधित लिखतों के साथ तुलना की जा सके। हालांकि यदि ऐसे समायोजन अलक्षित निविष्टियों के आधार पर किये जाते हैं जो पूरे मापन के लिए पर्याप्त हैं तो आईआईएफसीएल ऐसी लिखतों को स्तर 3 के तौर पर वर्गीकृत करेगा।
- स्तर 3 के वित्तीय लिखतें – ये वे लिखतें होती हैं जिसमें एक अथवा उससे अधिक अलक्षित निविष्टि शामिल होती है, जो संपूर्ण मापन के लिए पर्याप्त हैं।

5.7 वित्तीय आस्तियों का ह्रासन क्षति

आईआईएफसीएल ने वित्तीय आस्तियों के निम्नलिखित वर्गों के लिए अपेक्षित ऋण हानियों (ईसीएल) का मूल्यांकन करने में तीन स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है जिसका आकलन लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं किया है:

- अन्य समग्र आय के माध्यम से परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य मूल्यांकित कर्ज लिखत
- ऋण प्रतिबद्धताएं; और
- वित्तीय गारंटी संविदाएं।

कोई ईसीएल इक्विटी निवेश पर नहीं माना गया है।

वित्तीय आस्तियां आरंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में बदलाव के आधार पर निम्नलिखित तीन चरणों के माध्यम से वर्गीकृत की गई है:

चरण 1: 12 महीने की ईसीएल

वे सभी एक्सपोजर जहां आरंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई हो एवं जो शुरूआत से हानि वाले ऋण नहीं हैं, इस चरण के तहत वर्गीकृत हैं।

चरण 2: आजीवन ईसीएल– हानि वाले ऋण नहीं

वे सभी एक्सपोजर जहां आरंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई हो लेकिन हानि वाले ऋण नहीं हैं, इस चरण के तहत वर्गीकृत हैं। 30 दिन गुजरने के बाद देय ऋण जोखिम में पर्याप्त वृद्धि के रूप में माना जाता है।

चरण 3: आजीवन ईसीएल– हानि वाले ऋण

सभी एक्सपोजर का आकलन हानि वाले ऋण के तौर पर तब किया जाता है जब एक अथवा एक अधिक घटनाओं उनका उस आस्ति के अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इस चरण में वर्गीकृत हैं। ऐसे एक्सपोजर के लिए जो हानि वाले ऋण बन गये हैं, आजीवन ईसीएल मानी गई है एवं ब्याज की आय की गणना सकल हस्तांगत राशि के बजाय परिशोधित (प्रावधान का निवल) पर प्रभावी ब्याज दर को अपनाकर की गई है।

ऋण आस्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के अनुसार, प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं का न्यूनतम होगी जो निम्नलिखित हैं:

(i) मानक आस्तियां: सामान्य प्रावधान ब्याज अर्जित पर वर्ष के अंत तक देय नही, सहित कर्ज की बकाया राशि पर 0.40 पर किया गया है।

(ii) अवमानक आस्तियां: कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया गया है।

(iii) संदिग्ध आस्तियां

(क) 100 प्रतिशत का प्रावधान उस सीमा तक है जहां अग्रिम को प्रतिभूति के वास्तविक मूल्य द्वारा कवर नहीं किया जाता है, जिसके लिए कंपनी के पास एक वैध संसाधन है।

(ख) उपरोक्त मद के आधार पर, मद (क) के अलावा, जिस अवधि के लिए संपत्ति संदिग्ध बनी हुई है, प्रतिभूत हिस्से के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का प्रावधान करने का प्रावधान यानि कि बकाया के वास्तविक मूल्य का अनुमान, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

वह अवधि जिसके लिए आस्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष	30
तीन वर्ष से अधिक	50

(iv) ऋण आस्ति

संपूर्ण आस्ति को अपलिखित किया जाता है, हालांकि यदि किसी कारण से आस्तियों की बही में डालने की अनुमति दी जाती है तो बकाये का 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(v) पुनर्रचित ऋण आस्तियां

निम्नलिखित मामलों में पुनर्रचित मानक आस्ति के लिए प्रावधान उचित मूल्य में कमी के प्रावधान सहित भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(क) स्वीकृत कंपनियों को नई परियोजना ऋण 24 जनवरी, 2014 से प्रभावी प्रावधान 5 प्रतिशत की दर से किया जाएगा।

(ख) 23 जनवरी, 2014 को सभी कंपनियों के लिए पुनर्रचित किए गये बकाया ऋण के स्टॉक (बकाया पुनर्रचित ऋण) के शेयर के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 5 प्रतिशत का प्रावधान है।

वित्तीय आस्ति के वर्गीकरण के चरणों का निर्धारण

सूचना देने की हर तिथि को सभी वित्तीय आस्तियों को सूचना देने की तिथि एवं प्रारंभिक मान्यता की तिथि के बीच अपेक्षित अवधि में होने वाली चूक के जोखिम की तुलना करते हुए प्रारंभिक मान्यता के बाद से एक्सपोजर के ऋण जोखिम में वृद्धि के आधार पर, तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी ऐसी युक्तियुक्त एवं सामर्थ्यकारी सूचना पर विचार करती है जो इस प्रयोजन के लिए अनुचित लागत या प्रयास के बिना प्रासंगिक और उपलब्ध होते हैं।

किसी एक्सपोजर को आस्ति की गुणवत्ता खराब होने पर चरण 1 से चरण 3 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि बाद की अवधि में, आस्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है एवं ऋण जोखिम में पूर्व के किसी मूल्यांकित महत्वपूर्ण वृद्धि की विपरीत स्थिति में होती है तो 30 दिनों से कम समय वाले एक्सपोजर को चरण 1 माना जाता है।

चरण 1 के तौर पर मानी गई वित्तीय आस्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान बारह महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पर आधारित हैं। जबकि चरण 2 एवं चरण 3 के तौर पर मानी गई वित्तीय आस्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान आजीवन ईसीएल मॉडल के आधार पर किए जाते हैं। जब कोई आस्ति न वसूले जा सकने वाली होती है तो उसे संबंधित प्रावधान के प्रति मान्यता नहीं दी जाती है। इस तरह की आस्तियों को सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के उपरांत मान्यता नहीं दी गई है एवं हानि की मात्रा निर्धारित कर दी गई है।

हालाँकि, यह असत्य अनुमान है 90 से अनधिक दिनों तक देय रहने वाली वित्तीय आस्ति चूक नहीं होती है जब तक कि कोई संस्था के पास यह दर्शाने वाली युक्तियुक्त एवं समर्थनयोग्य सूचना नहीं होती है कि और अधिक पश्चवर्ती चूक संबंधी मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन प्रयोजनो के लिए प्रयुक्त चूक की परिभाषा सभी वित्तीय लिखतों पर सतत रूप से लागू किया जाते हैं जब तक कि यह प्रदर्शित करने वाली सूचना उपलब्ध न हो कि किसी विशेष वित्तीय लिखतों के लिए कोई दूसरी परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

तदनुसार, किसी खाते को हानि वाले ऋण के तौर पर माना जाएगा एवं यदि निम्न में से कोई भी घटना घटित हो तो उसे चरण 3 में स्थानांतरित किया जाएगा।

- खाता विगत 90 दिनों से अधिक दिनों से देय हो।
- आईआईएफसीएल ऋण दायित्व की ऐसी दबावग्रस्त पुनर्रचना के लिए सहमति दे, जहां मूलधन, ब्याज या (जहां प्रासंगिक है) शुल्क की महत्वपूर्ण छूट अथवा स्थगन के कारण ह्रासित वित्तीय दायित्व की संभावना हो।

विगत दिनों से देय (डीपीडी) का मूल्यांकन, ब्याज एवं/अथवा मूलधन का भुगतान न किये जाने की दिनों की संख्या, बिल के अतिदेय रहने के दिनों की संख्या, किसी खाते के निरंतर सीमा/आहरण शक्ति से अधिक रहने अथवा खाते में जमा रकम खाते में प्रभारित ब्याज से कम है, के आधार पर किया जाता है।

निम्न ऋण जोखिम अनुमान

भारतीय लेखांकन मानक आईएनडी एएस 101 – *'वित्तीय लिखतें' निर्दिष्ट करती है कि 'वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम अनुच्छेद 5.5.10 के प्रयोजनार्थ अल्प माना जाता है, यदि वित्तीय लिखत में चूक का जोखिम कम है तो उधारकर्ता के पास निकट भविष्य में एवं लंबी अवधि में आर्थिक एवं कारोबारी स्थितियों में प्रतिकूल बदलाव की अवस्था में अपने संविदागत नकदी प्रवाह के दायित्वों की पूरा करने की मजबूत क्षमता है लेकिन यह आवश्यक रूप से उधारकर्ता के अपने संविदागत नकदी प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता नहीं करेगी (अनुच्छेद बी 5.5.22)'। "इसके अतिरिक्त, जबकि इसने अल्प ऋण जोखिम वाले 'निवेश वर्ग' की बाहरी रेटिंग का उदाहरण दिया है, यह स्वीकार करता है कि वित्तीय लिखतों को अल्प ऋण जोखिम के रूप में माने जाने के लिए बाहरी रेटिंग होना आवश्यक नहीं है (अनुच्छेद बी 5.5.23)'।*

तदनुसार किसी लिखत को निम्न स्थितियों में अल्प ऋण जोखिम वाला माना जाता है:

- शून्य विनियामक जोखिम भार के तौर पर निर्दिष्ट शून्य अप्रत्याशित हानिरू यह देखते हुए कि नियामक जोखिम–भार के अनुसार अनुमानित अप्रत्याशित हानि शून्य प्रतिशत है तो अपेक्षित हानि भी शून्य ही होगी। ऐसे मामलों में ईसीएल शून्य होगा। ऐसी आस्ति वर्गों के उदाहरण घरेलू राष्ट्रिक, 'एए' या बेहतर की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग के साथ विदेशी राष्ट्रिक हैं।
- 20 प्रतिशत तक के विनियामक जोखिम भार के तौर पर निर्दिष्ट शून्य अप्रत्याशित हानि: 20 प्रतिशत के विनियामक जोखिम–भार के अनुरूप पोर्टफोलियों के लिए कम अप्रत्याशित हानि को देखते हुए, इनमें भी अपेक्षित नुकसान बहुत कम होगा। हालांकि ईसीएल शून्य नहीं हो सकता है या अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शा सकते हैं कि ऐसे आस्ति वर्ग/पोर्टफोलियो के लिए चूक की दरें शून्य होती हैं। ऐसी परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरणों में ष्ए् की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग के साथ विदेशी राष्ट्रिक, घरेलू अनुसूचित आईआईएफसीएल (वे पूंजी पर्याप्तता की नियामक अपेक्षा पूरा करने में असफल हैं उनका अल्प ऋण जोखिम नहीं होता है), बाहरी रूप से मूल्यांकित घरेलू 'एएए' कॉर्पोरेट्स, स्टाफ ऋण शामिल हैं। इन पोर्टफोलियों के लिए प्रेक्षित चूक दरें भी शून्य होती हैं।

इन विवरणों में, सभी कर्मचारी ऋणों को अल्प ऋण जोखिम के तौर पर माना गया है।

प्रयुक्त पोर्टफोलियो में विभाजन का स्तर

जोखिम मापदंडों के अनुप्रयोग के प्रयोजनार्थ विभाजन आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) मॉडल के अनुरूप किया जाता है। हालाँकि, आगे के अनुमानों के लिए, आईआईएफसीएल इनमें से कुछ सब–पोर्टफोलियों को व्यापक श्रेणियों में समूहित करने का विकल्प चुन सकता है या कुछ मामलों में उन्हें सामान्य जोखिम वाले कारकों के आधार पर उप–खंडों में विभाजित कर सकता है।

ईसीएल का मापन

ईसीएल अपेक्षित ऋण के निष्पक्ष एवं संभाव्यता–भारित अनुमानों से व्युत्पन्न होते हैं एवं इसका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है

- वे वित्तीय आस्तियां जिनका रिपोर्टिंग तिथि को ऋण का स्वरूप नहीं बिगड़ा है: प्रभावी ब्याज दर से छूट देकर वित्तीय आस्ति के अपेक्षित जीवनकाल में नकदी के पूरे घाटे का वर्तमान मूल्य। नकदी की कमी संविदा के अनुसार आईआईएफसीएल को देय नकदी प्रवाह एवं वह नकदी प्रवाह जिसकी आईआईएफसीएल को प्राप्त करने की उम्मीद है, के बीच का अंतर है।
- वित्तीय आस्तियां जो रिपोर्टिंग तिथि में क्रेडिट अनुसार क्षतिग्रस्त हैं: सकल वहन राशि और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अंतर के रूप में प्रभावी ब्याज दर से छूट दी गई है।
- अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएं: संविदागत नकदी प्रवाह जो आईआईएफसीएल को देय है यदि प्रतिबद्धता में गिरावट आती है एवं वह नकदी प्रवाह जिसकी आईआईएफसीएल को प्राप्त करने की उम्मीद है, के बीच का अंतर का वर्तमान मूल्य।
- वित्तीय गारंटी अनुबंध: धारक को प्रतिपूर्ति के अपेक्षित भुगतान में वह राशि घटा कर जिसे आईआईएफसीएल वसूलने की उम्मीद है

ईसीएल लाभ हानि विवरण में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण लेखा के प्रावधान का उपयोग करके माने गये हैं। अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर पर मूल्यांकित ऋण लिखतों के मामले में, ईसीएल का मूल्यांकन तीन चरणों के दृष्टिकोण पर आधारित है जो परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर लागू होता है। आईआईएफसीएल ने लाभ हानि मे प्रावधान शुल्क को तुलन पत्र में आस्ति के हस्तगत राशि में अपचयन किये बिना अन्य समग्र आय में मानी गई अनुरूप राशि के साथ माना है।

ह्रासन (क्षति) आरक्षित निधि:

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2019–20/170 दिनांक 13 मार्च, 2020 के अनुसार आईआईएफसीएल भारतीय लेखांकनमानक द्वारा अपेक्षित ह्रासन भत्ता रखेगा। आईआईएफसीएल इसी तरह मानक के अलावा पुनर्रचित आस्ति, एनपीए कालावधि इत्यादि के लिए उधारकर्ता/लाभार्थी वार वर्गीकरण, प्रावधानीकरण सहित आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधापीकरण (आईआरएसीपी) के मौजूदा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं संगणना प्रावधान भी करेगा।

जहां भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन ह्रासन भत्ता आईआरएसीपी (मानक आस्ति प्रावधानीकरण सहित) के तहत अपेक्षित प्रावधानीकरण से कम है तो वहां आईआईएफसीएल को 'ह्रासन आरक्षित निधि' को अलग करने के लिए अपने करोपरांत निवल लाभ अथवा हानि से अंतर का विनियोजन करना आवश्यक होगा। 'ह्रासन आरक्षित निधि' के शेष की नियामक पूंजी के प्रयोजनार्थ गणना नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित निधि से धनराशि आहरित करने की अनुमति नहीं होगी।

5.8 त्वरित प्रावधानीकरण

आईआईएफसीएल, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत एक विवेकशील ऋणदाता के रूप में कार्यरत है जो सामान्य प्रावधान के अलावा, आस्ति वर्गीकरण के आधार पर प्रतिभूतध्अप्रतिभूत भागों के लिए निर्धारित प्रतिशत लागू करने के संदर्भ में जैसा समय–समय पर संशोधित हो, अपेक्षित वसूली की स्थिति के अनुसार मामला दर मामला आधार पर त्वरित प्रावधानीकरण करता है।

त्वरित प्रावधानीकरण ऐसे अपवादस्वरूप मामलों में प्रस्तावित किया गया है जहां भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान पर्याप्त होने के बाद भी, हालांकि प्रबंधन के दृष्टिकोण से, ऐसी परिस्थितियों हो सकती हैं, जो सुधार की संभावनओं को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे मामलों में प्रबंधन एक विवेकसम्मत उपाय के तौर पर त्वरित प्रावधानीकरण पर मामला दर मामला दृष्टिकोण अपनाता है।

त्वरित प्रावधानीकरण मोटे तौर पर निम्नलिखित मानकों पर निर्भर करता है:

- परियोजना की स्थिति
- प्रवर्तक की धन लगाने की क्षमता
- मूर्त प्रतिभूति, नकद प्रवाह और उपलब्ध रियायतें
- सहायता संघ द्वारा वसूली के लिए उठाए गए कदम
- प्रबंधन का बोध

उपरोक्त वर्णित कारकों को ध्यान में रखते हुए 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक के प्रावधान किये गये हैं।

6. पट्टे पर देना

परिचालन पट्टे के तहत पट्टा भुगतान पट्टा अवधि पर ऋजु रेखा के आधार पर लाभ हानि के विवरण में व्यय के तौर पर माने गये हैं।

7. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, सयंत्र एवं उपस्कर का दिन–प्रतिदिन के शोधन, संचित मूल्यह्रास घटाकर एवं मूल्य में संचित हानि को छोड़कर अर्जन की लागत पर उल्लेख किया गया है:

संपत्ति, सयंत्र एवं उपस्कर को निपटान पर मान्यता नहीं दी जाती है अथवा जब उससे भविष्य में आर्थिक लाभ की अपेक्षा नहीं रह जाती है। आस्ति को मान्यता न दिये जाने पर होने वाला कोई लाभ अथवा हानि (निवल निपटान आय एवं आस्ति की हस्तांगत राशि के बीच अंतर के तौर पर परिगणित) लाभ हानि विवरण में उस तिथि को माना जाता है जिस तिथि को आस्ति को मान्यता नहीं दी गयी हो।

8. अमूर्त आस्तियां एवं विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

अलग से अधिग्रहित अमूर्त आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक मान्यता के उपरांत, अमूर्त आस्तियों को किसी भी संचित परिशोधन व संचित हानि, यदि कोई हो, की लागत पर किया गया है।

पहले से ही पूंजीकृत अमूर्त आस्ति पर बाद के व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे मौजूदा आस्ति में निहित भावी आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है व उत्तरव्यापी प्रभाव से परिशोधित होती है।

आंतरिक उपयोग के लिए अर्जित सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है) एवं जिसके कारण भविष्य के महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ हों, को अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाता है जब वह इसके उपयोग के लिए तैयार होता है।

विकास संबंधी व्यय अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाएगा यदि वह भारतीय लेखांकन मानक 38 'अमूर्त आस्ति' के अनुसार पात्रता मानदंड पूरा करते हों, अन्यथा इसे व्यय के रूप में माना जाएगा।

अमूर्त आस्ति के किसी मद को तब मान्यता नहीं दी जाती है जब उसके के निपटान पर अथवा जब इसके उपयोग अथवा निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। किसी भी अमूर्त आस्ति को मान्यता न देने से होने वाले लाभ या हानि का निवल निपटान आय एवं आस्ति की हस्तांगत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है एवं आस्ति को मान्यता न दिये जाने पर उसे लाभ व हानि के विवरण में माना जाता है।

9. मूल्यह्रास और परिशोधन

मूल्यह्रास की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल से अधिक उनके अवशिष्ट मूल्यों पर संपत्ति और लिखत की लागत को लिखने की विधि विधि का उपयोग करके की जाती है। उपयोगी जीवन को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची।। के अनुसार माना जाता है।

आईआईएफसीएल का कार्यालय परिसर का 30 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे का ऋण चुकाया गया है।

परिशोधन की गणना उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर उनके अवशिष्ट मूल्यों के संबंध में अमूर्त आस्ति की लागत का अवलेखन करने के लिए ऋजु–रेखा पद्धति का उपयोग करके की जाती है। पट्टा आस्ति के मामले में, अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की गणना पट्टा अवधि के समापन के आधार पर की जाती है।

अमूर्त आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल का आकलन या तो परिमित होता है या अनिश्चित होता है। परिमित जीवनकाल वाली अमूर्त आस्तियां उपयोगी आर्थिक जीवनकाल में परिशोधित होती हैं। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त आस्ति के लिए परिशोधन अवधि एवं परिशोधन विधि की कम से कम हर वित्तीय वर्ष के आखिर में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन या आस्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित कार्य प्रणाली की गणना परिशोधन अवधि या कार्यप्रणाली जो भी उपयुक्त हो, में बदलाव करते हुए की जाती है जिसे बाद में लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। परिमित जीवनकाल वाली अमूर्त आस्ति पर परिशोधन व्यय, आय विवरण में अलग पंक्ति के मद के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

10. गैर–वित्तीय आस्तियों का ह्रासन

आईआईएफसीएल प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह पता लगाने के लिए मूल्यांकन करता है कि गैर–वित्तीय आस्ति ह्रासित हो सकती है। मूल्यांकन के अनुसार ज्ञात हानि को व्यय के रूप में माना गया है।

11. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

कारोबार की सामान्य अवधि में आईआईएफसीएल बैंकों को चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करता है जो आमतौर पर सहायता संघ के सदस्यों को लाभार्थियों के पक्ष में ऋणदाताओं की ओर से साख पत्रअधवित्तीय गारंटी जारी करने के लिए जारी किया जाता है। चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) प्रारंभिक तौर पर, प्राप्त प्रीमियम के कारण उचित मूल्य पर 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में माना गया है। प्रारंभिक मान्यता के उपरांत, प्रत्येक गारंटी के तहत आईआईएफसीएल की देयता का मूल्यांकन राशि आय विवरण में माने गये संचयी परिशोधन से घटाकर प्रारंभिक तौर मानी गई उच्च राशि एवं गारंटी के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय दायित्व का निपटान करने में अपेक्षित व्यय के बेहतर अनुमान के आधार पर किया गया है। वित्तीय गारंटियों से संबंधित देयता में कोई भी वृद्धि ऋण हानि व्यय में आय विवरण में दर्ज की गई है। प्राप्त प्रीमियम गारंटी के जीवनकाल पर ऋजु रेखा के आधार पर आय विवरण में निवल शुल्क एवं कमीशन आय में माना गया है।

12. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

ऐसे प्रावधान तब माने जाते हैं जब आईआईएफसीएल का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप हो एवं यह संभावना हो कि दायित्वों का निपटान करने के लिए सन्निहित आर्थिक लाभ के संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक होगा। जब धन के समय के मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है तो आईआईएफसीएल देयता के लिए विशिष्ट वर्तमान दर दर्शाते हुए पूर्व–कर दर पर अपेक्षित नकदी प्रवाह को छूट देकर प्रावधान के स्तर को निर्धारित करता है। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय अन्य परिचालन व्ययों में किसी भी प्रतिपूर्ति के लाभ व हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

आकस्मिक देयता निम्नानुसार मानी व विगोपित की गई है:

क) पिछली घटना से उत्पन्न होने वाला संभावित दायित्व जिसकी मौजूदगी की पुष्टि समूह के नियंत्रण के भीतर न होने वाली एक या उससे अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा घटित न होने से की जाएगीय या

ख) पिछली की घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जिसे माना नहीं गया है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी अथवा दायित्व की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

जब ऐसा संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व विद्यमान होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना अल्प होती है तो कोई प्रावधान या विगोपन नहीं किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्ति को नहीं माना गया है। हालांकि, आकस्मिक आस्ति का आकलन निरंतर किया गया है एवं यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह पैदा होगा तो आस्ति एवं उससे संबंधित आय उस अवधि में मानी गई है जिसमें बदलाव हुआ है।

प्रतिबद्धताओं में ग्राहक को ऋण देने के करार के अनुसार ऋण का प्रदान करने की ऐसी बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं जहां तक संविदा में स्थापित किसी शर्त का उल्लंघन न हो।

13. आय पर कर

13.1 वर्तमान कर

वर्तमान एवं पूर्व वर्षों में कर आस्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन, कराधान प्राधिकरणों से वसूल किए जाने अथवा कराधान प्राधिकरणों अदा की गई राशि के आधार पर किया जात है। राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कर दरें एवं कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्टिंग तिथि के तक अधिनियमित किए गए या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं जहां आईआईएफसीएल ने कारोबार किया है एवं कर योग्य आय सृजित की है।

इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से मानी गई मदों से संबंधित वर्तमान आयकर को इक्विटी में माना गया है एवं लाभ या हानि के विवरण में नहीं माना गया है। प्रबंधन समय–समय पर, उन परिस्थितियों के संबंध में कर विवरणी में ली गई अवस्थाओं का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहां प्रावधान स्थापित करते हैं जहां यथोचित हो।

13.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में आस्तियों एवं देयताओं की रखाव राशि एवं कर योग्य लाभ की संगणना में प्रयुक्त तत्संबंधी कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर माना गया है एवं इसकी तुलन पत्र देयता विधि का उपयोग करते हुए गणना की गई है। आस्थगित कर आस्तियां आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, उसी सीमा तक अप्रयुक्त कर हानि एवं अप्रयुक्त कर ऋण के लिए माना गया है जिसमें यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसे उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानि एवं अप्रयुक्त कर ऋण में उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर आस्तियों की रखाव राशि की प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को समीक्षा की गई है एवं इसे उस सीमा तक घटा दिया है जहां इसकी ये संभावना न हो कि इससे अस्थायी अंतरों में उपयोग किया जा सकने वाला पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा ।

आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताओं का मूल्यांकन उस कर दरों पर किया गया है जिसकी उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें कर की दरों (और कर कानून) के आधार पर देयता का निपटान किया गया है अथवा आस्ति जुटाई गयी है एवं तुलन पत्र की तिथि को अधिनियमित किया गया या मौलिक रूप अमल में लाया गया है।

14. प्रति शेयर उपार्जन

आईआईएफसीएल अपने साधारण शेयरों के लिए बुनियादी और तनुकृत ईपीएस डेटा प्रस्तुत करता है। मूल ईपीएस की गणना अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। तनुकृत ईपीएस को इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले लाभ या हानि को समायोजित करके निर्धारित किया जाता है और सभी कपसनजपअम संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किए गए साधारण शेयरों की भारित–औसत संख्या, जिसमें कर्मचारियों को दिए गए शेयर विकल्प शामिल होते हैं।

15. कर्मचारी हितलाभ

15.1 सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उनकी अघोषित राशि पर उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

15.2 कर्मचारियों के पारिश्रमिक से कटौती किए जाने वाले भविष्य निधि का अंशदान एवं नियोक्ता के अंशदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफओ) कार्यालय में जमा किया जाता है।

15.3 एनपीएस से परिभाषित परिभाषित योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ योजना में योगदान करने के लिए कंपनी के अनदेखे दायित्व पर मान्यता प्राप्त है। इसे आईडीबीआई बैंक को भुगतान किया जाता है, जो एनपीएस सुविधा के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस सेवा प्रदाता है और अवधि से संबंधित व्यय किया जाता है।

15.4 सभी सेवा निवृत्त लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ उस वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा में व्यय के रूप में माने जाते हैं जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की है। व्यय को देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर माना गया है जो बीमांकिक मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग करके निर्धारित किया गया है।

15.5 अवसान संबंधी हित लाभ तत्काल व्यय के रूप में माने गये हैं।

15.6 बीमांकिक मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा हानि को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में होने की अवधि में माना गया है।

15.7 कर्मचारी दायित्व हितलाभ यानि बीमारी अवकाश, अवकाश, यात्रा रियायत छूट एवं चिकित्सा सहायता योजना के रूप में है उसी के बीमांकिक मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग की तारीख तक की अवधि के लिए प्रदान की गई है।

15.8 उपदान आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह उपदान निधि के नाम पर न्यास द्वारा समूह उपदान योजना भारतीय जीवन बीमा निगम को देय राशि के आधार पर प्रदान की गई है।

15.9 अवकाश नकदीकरण सुविधा, एलआईसी समूह अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत देय राशि के आधार पर प्रदान की गई है।

15.10 नियुक्ति की शर्तों के अनुसार जहां लागू हो, वहां कार्यकारी निदेशकों के अवकाश नकदीकरण, उपदान और बीमारी अवकाश के लिए प्रावधान किया गया है एवं देयता की अनुमानित राशि के आधार पर उपर्जित किया गया है।

16. महत्वपूर्ण लेखांकन मान्यताएं एवं अनुमान

आईआईएफसीएल की लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में धारणा, अनुमान एवं मान्यताओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि कहीं विभिन्न मान्यताएं अथवा अनुमान अपनाये गये थे तो परिणामी मूल्य बदल जाएंगे जिससे आईआईएफसीएल की निवल परिसंपत्ति व आय पर प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए अनुमान उस तिथि के सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित हैं। यद्यपि आईआईएफसीएल के पास आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमानों का आकलन विश्वसनीय ढंग से किया गया है तथापि वास्तविक मात्रा उन अनुमानों से भिन्न हो सकती है। अनुमानों एवं अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा सतत आधार पर की गई है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में माना गया है जिसमें वे अनुमान संशोधित किए गये हैं एवं भविष्य में किसी भी अवधि में प्रभाव डालती हों। लेखांकन नीतियां जो निर्णय, अनुमान एवं मान्यताओं के उपयोग के लिए सबसे अधिक सुग्राही हैं, नीचे विनिर्दिष्ट हैं।

- **उचित मूल्य मापन**

वित्तीय लिखतों का महत्वपूर्ण हिस्से को उचित मूल्य पर तुलन पत्र में ले जाया जाता है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी आस्ति की बिक्री से प्राप्त होगा अथवा जिसका मूल्यांकन की तिथि को बाजार के प्रतिभागियों के बीच योजनाबद्ध लेन–देन में देयता स्थानांतरित करने के संबंध में भुगतान किया जाएगा। जहाँ वित्तीय आस्ति अथवा देयता के वर्गीकरण का परिणामों उचित मूल्य, जहाँ भी संभव हो, पर आकलन किया जा रहा है वहां उचित मूल्य सबसे अधिक लाभकारी सक्रिय बाजार में उद्धृत बोली अथवा प्रस्ताव का संदर्भ देते हुए निर्धारित किया जाता है जिस पर आईआईएफसीएल की तत्काल पहुँच है। ऋण जोखिम के कोई समायोजन को भी उचित मूल्य में शामिल किया गया है। सक्रिय बाजार में उद्धृत वित्तीय देयता के संबंध में निवल जोखिम की स्थिति का उचित मूल्य ही वर्तमान प्रस्ताव मूल्य है एवं वित्तीय आस्ति के संबंध में, बोली की कीमत को धारित अथवा जारी लिखतों की इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है। जहां किसी विशेष आस्ति अथवा देयता के लिए कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है तो वहां आईआईएफसीएल उचित मूल्य पर निकालने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करता है जिसमें सबसे नये लेन–देन में प्राप्त लेन–देन की कीमतों का उपयोग, बाजार की स्थितियों और रिपोर्टिंग तिथि को मौजूद जोखिमों पर आधारित मितीकाटा वाला नकदी प्रवाह विश्लेषण, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल एवं अन्य मूल्यांकन तकनीक शामिल है। ऐसा करने के लिए, उचित मूल्य का अनुमान ऐसी मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाता है जिसमें बाजार की अवलोकन योग्य सूचनाओं का अधिकतम उपयोग किया जाता है एवं इकाई–विशिष्ट सूचना पर कम निर्भरता होती है। प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सबसे अच्छा प्रमाण है लेनदेन कीमत (यानी दिए गए या प्राप्त किए गए प्रतिफल का उचित मूल्य) जब तक कि उस लिखत का उचित मूल्य, उसी लिखत (यानि बिना संशोधन अथवा पुनपैकेजिंग के) में अन्य अवलोकन योग्य वर्तमान बाजार लेनदेन अथवा ऐसी मूल्यांकन तकनीकी जिनके परिवर्ती कारक में अवलोकनयोग्य बाजार का ही डेटा शामिल है, के साथ तुलना प्रमाणित नहीं होती है। जब इस तरह के प्रमाण विद्यमान होते हैं तो आईआईएफसीएल प्रारंभिक मान्यता पर (यानी पहले दिन को) लाभ या हानि में लेनदेन मूल्य और उचित मूल्य के बीच अंतर को मानता है।

- **ऋण और अग्रिम राशि पर हानि शुल्क**

ऋण एवं अग्रिम के संबंध में ह्रासित हानि का निर्धारण करते समय, भावी नकदी प्रवाह की मात्रा एवं समय के आकलन में प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इन नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने में आईआईएफसीएल, उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति एवं संपार्श्विक के निवल वसूली योग्य मूल्य के बारे में निर्णय करता है। ये अनुमान कई कारकों से संबंधित मान्यताओं पर आधारित हैं एवं वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में यह ह्रासित भत्ता में परिवर्तित हो सकता है। ह्रासित मद के सामूहिक आकलन में ऋण पोर्टफोलियो (जैसे क्रेडिट गुणवत्ता, बकाया के स्तर, ऋण उपयोग, संपार्श्विक अनुपात की तुलना में ऋण) एवं जोखिम व आर्थिक डेटा का सकेंद्रण (बेरोजगारी का स्तर, अचल संपत्ति कीमत सूचकांक, देश के जोखिम एवं भिन्न–भिन्न व्यक्तिगत समूहों का कार्य–निष्पादन सहित) के लेखा आंकड़े लिये गये हैं।

- **ह्रासित ऋण के अलावा अन्य प्रावधान**

प्रावधान कर्मचारी पात्रता, पुनर्रचना लागत एवं मुकदमेबाजी प्रावधान जैसी भावी दायित्वों की श्रेणी के संबंध में किये गये हैं। कुछ प्रावधानों में विभिन्न घटनाओं के संभावित परिणाम एवं भावी अनुमानित नकदी प्रवाह के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इन प्रावधानों के मूल्यांकन में लेनदेन के अंतिम परिणामों के बारे में प्रबंधन निर्णयों का प्रयोग शामिल है। एक वर्ष से अधिक समय के बाद किए जाने वाले भुगतान पर उस दर से छूट दी जाती है जो वर्तमान ब्याज दरों एवं उस प्रावधान के लिए विशिष्ट जोखिम दोनों को दर्शाती है।

- **ऋण एवं अग्रिम**

  ऋण एवं अग्रिमों का मूल्यांकन, प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन की लागत के योग तथा बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर किया गया है।

17. उधारियां एवं कर्ज प्रतिभूतियां

उधारियां एवं कर्ज प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य में वृद्धिशील प्रत्यक्ष लेनदेन की लागत को घटाकर तथा बाद में एफवीटीपीएल में समूह निर्दिष्ट देयताओं को छोड़कर, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके उनकी परिशोधन लागत पर किया गया है।

18. उधार की लागत

विदेशी मुद्रा की उधारियों पर किये गये विनिमय के अंतर को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है। विनिमय की राशि का अंतर जो देशी मुद्रा की उधारियों पर ब्याज एवं विदेशी मुद्रा की उधारियों पर ब्याज के बीच अंतर से अनधिक है, उसे उधारियों की लागत के रूप में माना गया है और इसकी गणना भारतीय लेखांकन मानक एएस 23–उधारी लागत के अंतर्गत की गई है एवं विनिमय का शेष अंतर, यदि कोई हो, की गणना भारतीय लेखांकन मानक एएस 21–विदेशी विनिमय दरों में बदलाव के प्रभाव के अंतर्गत की गई है।

इस प्रयोजनार्थ, देशी मुद्रा के उधारियों के ब्याज दर को कंपनी द्वारा लिए गए बैंक ओवरड्राफ्ट की दर माना गया है।

19. सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनी, कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई होती है। नियंत्रण तब होता है जब इकाई पर कंपनी का अधिकार उजागर होता है अथवा कंपनी के पास इकाई में अपनी भागीदारी से परिवर्ती प्रतिफल के अधिकार होते हैं व इकाई पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उस प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता होती है।

अधिकार को उन मौजूदा अधिकारों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है जो प्रासंगिक क्रियाकलापों को निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं जो इकाई के प्रतिफल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

सहायक कंपनियों में निवेश लागत पर लिया गया है। लागत में निवेश हासिल करने के लिए किये गये भुगतान की कीमत एवं प्रत्यक्ष तौर पर देय लागत शामिल है।

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप लेनदेन की तिथि को कंपनी ने पिछले जीएएपी के अनुसार जो भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार समझी गई, सहायक कंपनी में निवेश का रखाव मूल्य माना है।

20. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

20.1 विदेशी मुद्रा में व्यय एवं आय की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित बैंकों की विनिमय दरों पर की गई है।

20.2 निम्नलिखित शेष राशि को लेखाबंदी की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों (भारतीय रिजर्व बैंक संदर्भ दर) पर भारतीय मुद्रा में बदला गया है:

(क) प्रोद्भत आय अथवा व्यय लेकिन क्रमशः विदेशी मुद्रा ऋण एवं विदेशी मुद्रा उधारियों पर देय नहीं।

(ख) विदेशी मुद्रा में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संबंध में आकस्मिक देयता।

20.3 विदेशी मुद्रा ऋण देयता को रिपोर्टिंग की तारीख को प्रचलित आरबीआई के संदर्भ दर पर भारतीय मुद्रा में बदला गया है विनिमय में होने वाले अंतर को लेखा मानक 11, लेखांकन मानक एएस 21–विदेशी विनिमय दरों में बदलाव के प्रभाव के अनुसार लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

20.4 विदेशी मुद्रा ऋण आस्तियों, देयाताओं एवं प्रोद्भूतध्प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं आय व व्यय पर वास्तविकध्रूपांतरण लाभध्हानि (निवल) लाभ व हानि विवरण में जमाध्प्रभारित किया गया है।

21. व्युत्पन्नी लेखांकन

21.1 जहां भी कंपनी ने वायदा संविदा अथवा कोई लिखत यानि वायदा विनिमय संविदा अनुबंध के सत्व संपन्न की है तो वायदा विनिमय संविदा की तारीख पर वायदा दर एवं विनिमय दर के बीच के अंतर को भारतीय लेखांकन मानक एएस –11 के अनुसार, संविदा के पूरे जीवनकाल पर आय या व्यय के रूप में माना गया है।

21.2 विदेशी मुद्रा ऋण पर की गई बचाव व्यवस्था, विदेशी मुद्रा (यानी स्वाभाविक बचाव व्यवस्था) में दिए गए ऋणों के समायोजन के उपरांत एफआईएफओ के आधार पर समायोजित की गई है।

21.3 ब्याज दर अदला–बदली सहित वायदा विनिमय संविदा के निरसन अथवा नवीनीकरण से होने वाला कोई लाभ या हानि को उस वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में माना गया है।

21.4 कंपनी द्वारा संपन्न जापानी येन में ब्याज दर अदला–बदली लेनदेन के संबंध में कंपनी तुलन पत्र की तिथि को मार्क–टू–मार्केट हानि का प्रावधान कर रही है।

21.5 बचाव व्यवस्था संविदा के अनुसार वायदा संविदा की शुरूआत में एवं क्रमशः प्रतिपक्षकार से वसूले गये अथवा अदा किय गये अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व के भुगतान में हाजिर विनिमय दर में अंतर के लेखे पर अधिशेष या घाटे को ऐसे ऋण चुकाने के समय पर लाभ अथवा हानि के रूप में माना गया है।

21.6 विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेनदेन है) और अदला–बदली संविदा (पूर्वोक्त ऋण पर होने वाली कोई हानि के बचाव के लिए) को अलग–अलग लेनदेन के रूप में माना गया है।

21.7 विदेशी मुद्रा उधारियों का लेखांकन मानक 11, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार पुनरू वर्णन किया गया है।

जून, 2015 में जारी "व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए लेखांकन" पर आईसीएआई द्वारा जारी किया गया मार्गदर्शी सूचना, 1 अप्रैल, 2016 से लागू है एवं कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से इसे लागू किया है। विनिमय दर में किसी भी तरह का परिवर्तन, पिछली रिपोर्टिंग तिथि के बाद से रिपोर्टिंग तिथि पर विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर और इस अवधि के दौरान उधार लेने की तिथि से, व्युत्पन्न संविदाओं का उचित मूल्य के प्रति स्पष्ट किया गया है एवं कोई लाभ अथवा हानि नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि के रूप में मानी गई है। व्युत्पन्न संविदा का उचित मूल्य संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रदान किया गया है।

मार्गदर्शी सूचना के अनुसार, बचाव व्यवस्था लिखत का मूल्यांकन उचित मूल्या पर किया जाता है लेकिन प्रभावी बचाव व्यवस्था से होने वाला कोई लाभ व हानि को इक्विटी जैसे नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था में माना गया है। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ व हानि विवरण में अस्थिरता से बचने का है जब बचाव व्यवस्था से जुड़े मदों पर लाभ अथवा हानि उसमें शामिल नहीं होती है।

22. राजस्व अनुदान के लिए लेखांकन

22.1 अनुदान को लाभ एवं हानि विवरण में अवधि में ऐसे व्यवस्थित आधार पर श्अन्य आयश के रूप में माना गया है जो उन्हें संबंधित लागतों से मिलान करने लिए आवश्यक है जिनकी वे क्षतिपूर्ति करने का इरादा रखते है परंतु इसमें अनुदान की राशि की स्वीकृति एवं वसूली के साथ संलग्न शर्तों का अनुपालन का उचित आश्वासन हो।

22.2 पूर्व अवधियों में पहले से किए गए व्यय के संबंध में प्राप्त अनुदान को अनुदान के अनुमोदन के वर्ष में लाभ व हानि विवरण में माना गया है।

22.3 वर्ष के अंत में अनुदान की अप्रयुक्त राशि, यदि कोई हो, को वर्तमान के देताओं के तहत दिखाया गया है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके सूचना दी गई है जिससे कर पूर्व लाभ गैर–नकदी प्रकृति के लेनदेन एवं पिछले या भविष्य की नकद प्राप्तियों के किसी भी आस्थगन एवं प्रोद्भवन प्रभाव के लिए समायोजित किये गये हैं। कंपनी के प्रचालन, निवेश एवं वित्तपोषण के क्रियाकलाप अलग–अलग किये गये हैं।

(ख) समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां

1. (क) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय युनाइटेड किंगडम में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यू.के.) लिमिटेड, भारत में आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड सहायक कंपनियों को शामिल किया गया है।

   (ख) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के हैं। सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण भी 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के हैं।

2. पूर्व अवधि के आय एवं व्यय **(लेखांकन मानक–5)** जिन्हें लाभ व हानि विवरण में नियमित मदों के अंतर्गत शामिल किया गया है निम्नानुसार हैं।

(राशि लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(क) आय		
(i) ऋण एवं अग्रिमों पर आय	-	-
(ii) दंडस्वरूप ब्याज	-	-
(iii) अन्य प्रभार	-	-
योग (क)	-	-
(ख) व्यय		
(i) स्थापना एवं अन्य व्यय	-	-
(ii) वेतन एवं मजदूरी	-	-
योग (ख)	-	-
चालू वर्ष के लाभ पर लाभ/(हानि) के माध्यम से निवल प्रभाव [(क)-(ख)]	-	-

3. <u>लेखांकन नीतियों में बदलाव</u>

   31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

4. <u>भारतीय लेखांकन मानक 19 (संशोधित 2005) "कर्मचारी हितलाभ" (भारतीय लेखांकन मानक – 19) के तहत प्रकटीकरण</u>

   भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी हितलाभ" के अनुसार, प्रकटीकरण जैसा कि लेखांकन मानक में परिभाषित है इस प्रकार है:

क) **उपदान योजना (वित्तपोषित):** उपदान देयता भावी भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है, जिन्हें सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या प्रत्याहार की स्थिति में किए जाने की आवश्यकता होती है। यह आईआईएफसीएल कर्मचारी सामूहिक उपदान निधि के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से सामूहिक उपदान योजना पर भारतीय जीवन बीमा निगम को देय राशि के आधार पर प्रदान की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम सामूहिक उपदान योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की उपदान देयता राशि का भुगतान आईआईएफसीएल करता है और उसने वित्तीय विवरणों की तिथि की यथास्थिति उपदान देयता के बीमांकित मूल्यांकन की राशि को सुनिश्चित नहीं किया है।

बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मुख्य अवधारणाएं निम्नानुसार हैं:

प्रयुक्त विधि	अनुमानित इकाई ऋण विधि
i) छूट दर	6.79%
ii) भावी लागत वृद्धि दर	5.50%
iii) योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की अपेक्षित दर	6.79%

I. उपदान योजना के लिए अवधारणा:

	2019-20	2018-19
मृत्यु दर	एलआईसी (2006-08)	एलआईसी (2006-08)
आहरण दर	1 % से 3 % आयु पर निर्भर)	1 % से 3 % आयु पर निर्भर)
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.79%	7.66%
वेतन में वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50%

II. परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशील विश्लेषण

(राशि लाख रुपये में)

क) छूट दर में बदलाव का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**36,541,143**
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(2,314,594)
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	2,546,683
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**36,541,143**
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	2,566,598
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(2,352,176)

मृत्यु और आहरण के कारण ग्रहणशीलता आर्थिक नहीं होती है इसलिए बीमाकंक द्वारा इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पूर्व पेंशन की वृद्धि की दर के रूप ग्रहणशीलता लागू नहीं है।

आईआरडीए के परिपत्र संख्या आईआरडीए/एसीटीएल/आरईजी/परि/123/06/2013 दिनांक 28 जून, 2013 के अनुसार वर्तमान बीमा पत्र में किसी भी नये सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए आईआईएफसीएल ने पुरानी पॉलिसी अर्थात पॉलिसी संख्या 331776 के साथ नये कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी यानि पॉलिसी संख्या 103001183 में अंशदान किया है।

(राशि लाख रुपये में)

	निवल परिभाषित हितलाभ (आस्ति)/देयता	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	365.41	278.53
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	404.97	332.65
ग)	तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मानी गई निवल आस्तियां/(देयता)	39.55	54.13
	योजनागत आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	332.65	217.16
ख)	योजनागत आस्तियों का वास्तविक प्रतिफल	26.66	19.02
ग)	मृत्यु प्रभार	(0.35)	(1.52)
घ)	कर्मचारी का अंशदान	92.03	111.39
ङ)	प्रदत्त हितलाभ	(46.03)	(13.39)
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	404.97	332.65
	हितलाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	278.53	193.90
ख)	अर्जन का समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	21.34	14.95
घ)	सेवा लागत	48.63	41.08
ङ)	कटौती संबंधी लाभ/हानि सहित विगत सेवा लागत	-	-
च)	प्रदत्त हितलाभ	(46.03)	(13.39)
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	62.95	41.98
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	365.41	278.53
	निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	86.00	0.26
ख)	अर्जन का समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	66.46	69.30
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	6.59	0.02
ङ)	पुनर्मापन	(5.61)	80.87
च)	निधि को अदा गया किया अंशदान	-	(64.45)
छ)	उद्यम द्वारा सीधे अदा गया किया हितलाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	153.43	86.00

	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण		
क)	जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.22)	-
ख)	वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	38.92	1.65
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	24.25	40.33

ख) अर्जित छुट्टी देयता: किसी कर्मचारी को देय अर्जित छुट्टी वह अवधि होती है जिसे कर्मचारी ने अर्जित किया हो, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में ली गई छुट्टी की अवधि घटा दी जाती है। ये कार्यकाल के एक बटा ग्यारहवें हिस्से में अर्जित होती है।

प्रयुक्त पद्धति	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति
i) छूट की दर	6.79%
ii) भावी लागत वृद्धि दर	5.50%
iii) योजना आस्तियों की संभावित दर	6.79%

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण (राशि लाख रुपये में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**55,091,376**
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(3,375,510)
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	3,651,542
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**55,091,376**
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	3,694,920
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(3,401,075)

मृत्यु और आहरण के कारण ग्रहणशीलता आर्थिक नहीं होती है इसलिए बीमाकंक द्वारा इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पूर्व पेंशन की वृद्धि की दर के रूप ग्रहणशीलता लागू नहीं है।

(राशि लाख रुपये में)

	निवल परिभाषित हितलाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	477.46	443.44
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	324.03	357.44
ग)	तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मानी गई निवल आस्तियां/(देयता)	(153.43)	(86.00)
	योजनागत आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	357.44	287.29
ख)	योजनागत आस्तियों का वास्तविक प्रतिफल	25.27	22.96
ग)	मृत्यु प्रभार	(2.20)	(3.61)
घ)	कर्मचारी का अंशदान	-	64.45
ङ)	प्रदत्त हितलाभ	(56.48)	(13.65)
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	324.03	357.44
	हितलाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	443.44	287.55
ख)	अर्जन का समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	33.97	22.17
घ)	सेवा लागत	66.46	69.30
ङ)	कटौती संबंधी लाभ/हानि सहित विगत सेवा लागत	-	-
च)	प्रदत्त हितलाभ	(56.48)	(13.65)
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(9.92)	78.06
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	477.46	443.44

	निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	86.00	0.26
ख)	अर्जन का समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	66.46	69.30
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	6.59	0.02
ङ)	पुनर्मापन	(5.61)	80.87
च)	निधि में अदा गया किया अंशदान	-	(64.45)
छ)	उद्यम द्वारा सीधे अदा गया किया हितलाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	153.43	86.00
	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण		
क)	जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमाकिक (लाभ)/हानि	(0.29)	-
ख)	वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	48.94	2.51
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(58.58)	75.56

II. अन्य कर्मचारी हितलाभ (अनिधिक)

अन्य कर्मचारी हितलाभों (अनिधिक) के लिए बीमांकिक अवधारणाए

ग) अवकाश किराया रियायतः कपनी के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी, जिन्होंने अपने अथवा अपने परिवार द्वारा यात्रा करने की तिथि को निरंतर अस्थायी सेवा सहित एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, इस सुविधा के लिए पात्र हैं। दो साल के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार रियायत स्वीकार्य होगी। और इस तरह का पहला सेट /ब्लॉक उस महीने की पहली तारीख से शुरू होगा जिसमें एक कर्मचारी कंपनी में शामिल होगा, लेकिन इसके बाद ही उसे एक वर्ष की निरंतर सेवा के अस्थायी सेवा/परिवीक्षा अवधि सहित पूरा होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है।

क) आर्थिक अवधारणाएं (राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
i) छूट दर (%)	6.79%	7.66
ii) भावी वेतन वृद्धि दर (%)	5.50%	5.50
iii) योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की अपेक्षित दर (%)	6.79%	7.05

ख) जनसांख्यिकीय अवधारणाएं

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
i) सेवा निवृत्ति की आयु (वर्ष)	60	60
ii) मृत्य दर तालिका	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (आईएएलएम)(2006 – 08)	
iii) आयु	**आहरण दर (%)**	**आहरण दर (%)**
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से ऊपर	1.00	1.00

परिभाषित हितलाभ दायित्व की ग्रहणशीलता का विश्लेषण (राशि लाख रुपये में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**6,813,045**
(क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(394,948)
(ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	434,026

मृत्यु और आहरण के कारण ग्रहणशीलता आर्थिक नहीं होती है इसलिए बीमाकंक द्वारा इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पूर्व पेंशन की वृद्धि की दर के रूप ग्रहणशीलता लागू नहीं है।

(राशि लाख रुपये में)

	निवल परिभाषित हितलाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	68.13	59.31
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मानी गई निवल आस्तियां/(देयता)	(68.13)	(59.31)
	योजनागत आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में योजनागत आस्तियों का वर्तमान मूल्य	59.31	57.58
ख)	ब्याज लागत	4.54	4.44
ग)	सेवा लागत	10.36	10.71
घ)	प्रदत्त हितलाभ	(91.10)	(147.94)
ङ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	85.02	134.53
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	68.13	59.31
	निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	59.31	57.58
ख)	सेवा लागत	10.36	10.71
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	4.54	4.44
घ)	पुनर्मापन	85.02	134.53
ङ)	निधि में अदा गया किया अंशदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे अदा गया किया हितलाभ	(91.10)	(147.94)
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	68.13	59.31
	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण		
क)	जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.04)	-
ख)	वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	8.40	-
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	76.66	134.53

घ) बीमारी छुट्टी: बीमारी छुट्टी एक आधा छुट्टी वेतन है। जहां किसी कर्मचारी ने कम से कम तीन वर्षों की अवधि तक कंपनी में सेवा की है, तो उस कर्मचारी कोअनुरोध पर कर्मचारी की सेवा की पूर्ण अवधि के दौरान, अधिकतम वर्ष तक छुट्टी वेतन पर बीमारी छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, छुट्टी वेतन पर ऐसी बीमारी छुट्टी कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि की दुगनी के रूप में कर्मचारी की बीमारी छुट्टी खाते में दर्ज की जाएगी।

परिभाषित हितलाभ दायित्व का ग्रहणशीलता विश्लेषण

(राशि लाख रुपये में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**16,368,732**
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(1,103,870)
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	1,199,454
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**16,368,732**
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	1,213,861
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(1,111,938)

मृत्यु और आहरण के कारण ग्रहणशीलता आर्थिक नहीं होती है इसलिए बीमाकंक द्वारा इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पूर्व पेंशन की वृद्धि की दर के रूप ग्रहणशीलता लागू नहीं है।

(राशि लाख रुपये में)

	निवल परिभाषित हितलाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	163.69	201.73
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मानी गई निवल आस्तियां/(देयता)	(163.69)	(201.73)
	हितलाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	201.73	128.83
ख)	अर्जन का समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	15.45	9.93
घ)	सेवा लागत	23.00	32.01
ङ)	कटौती संबंधी लाभ/हानि सहित विगत सेवा लागत	-	-
च)	प्रदत्त हितलाभ	-	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(76.50)	30.96
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	163.69	201.73
	निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	201.73	128.83
ख)	अर्जन का समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	23.00	32.01
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	15.45	9.93
ङ)	पुनर्मापन	(76.50)	30.96
च)	निधि में अदा गया किया अंशदान	-	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे अदा गया किया हितलाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	163.69	201.73
	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण		
क)	जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमाकिक (लाभ)/हानि	(0.20)	-
ख)	वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	18.43	1.34
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(94.74)	29.63

ड.) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) (सितंबर 2015 से शुरू किया गया): भारतीय लेखांकन मानक–19 के अनुसार 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन। कंपनी ने सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व का ग्रहणशीलता विश्लेषण

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**78,956,090**
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(1,092,124)
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	1,200,316

मृत्यु और आहरण के कारण ग्रहणशीलता आर्थिक नहीं होती है इसलिए बीमाकंक द्वारा इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

ग्रहणशीलता भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति और जीवन प्रत्याशा से पूर्व पेंशन की वृद्धि की दर के रूप लागू नहीं है।

(राशि लाख रुपये में)

	निवल परिभाषित हितलाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	789.56	764.47
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	तुलन पत्र में प्रावधान के रूप में मानी गई निवल आस्तियां/(देयता)	(789.56)	(764.47)
	हितलाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	764.47	717.99

ख)	ब्याज लागत	58.56	55.36
ग)	सेवा लागत	66.28	74.76
घ)	प्रदत्त हितलाभ	(0.13)	(0.05)
ङ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(99.62)	(83.58)
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	789.56	764.47
	निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि के आरंभ में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	764.47	717.99
ख)	सेवा लागत	66.28	74.76
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	58.56	55.36
घ)	पुनर्मापन	(99.62)	(83.58)
ङ)	निधि में अदा गया किया अंशदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे अदा गया किया हितलाभ	(0.13)	(0.05)
घ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित हितलाभ देयता	789.56	764.47
	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि का वर्गीकरण		
क)	जनसांख्यिकी अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय अवधारणा में परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(99.62)	(83.58)

12) प्रत्येक कर्मचारी हितलाभ के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मानी गई राशि निम्नानुसार है:

(राशि लाख रुपये में)

कर्मचारी हितलाभ	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
अर्जित छुट्टी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(6.67)	(71.53)
उपदान पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(71.16)	43.76
एलएफसी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(105.01)	(107.23)
पीआरएमबी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	101.00	84.89
एसएल पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	76.50	(30.97)
योग	(5.35)	**(81.08)**

5. कंपनी का मुख्य कारोबार बुनियादी ढांचे के लिए वित्त/पुनर्वित्त प्रदान करना है, यूके की सहायक कंपनी यानी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड भी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के कारोबार से जुड़ी है, वहीं आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बुनियादी ढांचे की परियोजना के विकास एवं परामर्शी क्रियाकलापों से जुड़ी हुई है। इसके अतिरक्त आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना म्युचुअल फंड के माध्यम से अवसंरचना कर्ज निधियों के प्रबंधन में (आईडीएफ) कार्य करने के उद्देश्य से की गई है। जैसा कि आईएएमसीएल को आईडीएफ का प्रबंधन शुरू करना बाकी है, अतः इसके लिए खंड की सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी **भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 108** के अनुसार अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई है।

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	वित्तपोशण	सलाहकार सेवाएं	निवेश प्रबंधन शुल्क	कुल योग
रिपोर्टिंग राजस्व खंड				
प्रचालन से राजस्व	4,75,066.66	829.05	568.33	476,464.04
घटाएं: अंतर राजस्व खंड	(218.13)	(564.98)	-	(783.11)
कुल प्रचालन आय	4,74,848.53	264.08	568.33	475,680.94
कर पूर्व लाभ	(26,801.91)	(294.75)	325.16	(26,771.50)
कर	36,306.45	(53.67)	(27.33)	36,225.45
करोपरांत लाभ	9,533.04	(371.73)	288.64	9,449.95
आस्ति खंड	6,707,505.71	1,803.39	2,475.61	6,711,784.71
देयता खंड	5,753,510.27	181.07	151.60	5,753,842.94
नियोजित पूंजी	956,009.12	642.60	1,289.89	957,941.61

मूल्यह्रास और परिशोधन	1,777.61	4.81	1.06	1,783.48
पूंजीगत व्यय	2,192.01	-	0.04	2,192.05
गैर–नकदी व्यय	27,168.42	4.81	1.06	27,174.29

6. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–24, संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन के प्रकटीकरण नीचे दिये गए है

क) <u>प्रबंधकीय पारिश्रमिक और संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण</u>

(i) <u>प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक</u>

<u>पूर्णकालिक निदेशक</u>

– श्री पी आर जयशंकर – प्रबंध निदेशक (29.05.2020 से)

– श्री पंकज जैन – प्रबंध निदेशक के तौर पर अतिरिक्त प्रभार (28.12.2017 से 28.05.2020 तक)

<u>निदेशकों के अतिरिक्त अन्य प्रबंधकीय कार्मिक</u>

– श्री राजीव मुखीजा – मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ

– श्रीमती मंजरी मिश्रा – सहायक महाप्रबंधक–कंपनी सचिव

(ii) पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियाँ: क) आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड

ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

ग) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड

ख) संबंधित पक्षकारों के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष (31 मार्च, 2019 को समाप्त गत वर्ष)के दौरान लेन–देन:

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(क)	प्रबंधकीय संबंधी पारिश्रमिक (निदेशक)		
	(i) श्री अनिल तनेजा (निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईएएमसीएल)		
	पारिश्रमिक	52.85	68.60
	(ii) श्री पलाश श्रीवास्तव (निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईपीएल)		
	पारिश्रमिक	54.00	3.48s
(ख)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक (निदेशकों के अतिरिक्त)		
	(i) श्री राजीव मुखीजा (मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ)		
	पारिश्रमिक	43.86	80.80*
	(ii) श्रीमती मंजरी मिश्रा (सहायक महाप्रबंधक–कंपनी सचिव)		
	पारिश्रमिक	29.56	30.52*
	(iii) श्री अजय पीएस सैनी (कंपनी सचिव, आईएएमसीएल)		
	पारिश्रमिक	24.41	44.50
	(iv) श्री सुमिरन बंसल (वित्त प्रमुख एवं सीएफओ, आईएएमसीएल) (20 फरवरी, 2020 से सेवा समाप्त)		
	पारिश्रमिक	18.90	32.55
	(v) श्रीमती सोनू शर्मा (वित्त प्रमुख एवं सीएफओ, आईएएमसीएल) (20 फरवरी, 2020 से 02 जून 2020 तक नियुक्त)		
	पारिश्रमिक	2.06	-
(ग)	**(i) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को अदा किया गया बैठक शुल्क:**		
	श्री संजीव चन्ना	1.20	-
	श्री सुधीर आर्य (आईएएमसीएल)	0.80	1.40
	डॉ. पवन सिंह (आईएएमसीएल)	-	0.80
	श्री एम.एन. शर्मा (आईएएमसीएल)	-	0.20

* राशि में आईआईएफसीएल के कर्मचारियों को वेतन में संशोधन के अनुमोदन के उपरांत श्री राजीव मुखीजा एवं श्रीमती मंजरी मिश्रा को क्रमशः अदा किये गये 29.48 लाख रुपये एवं 4.92 लाख रुपये का बकाया राशि शामिल है।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों की प्रयोज्यता के अनुसार 1 अप्रैल, 2014, से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के सामान्य निर्देशों के खंड 2 के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है:

संस्थान का नाम	निवल आस्ति* अर्थात कुल आस्ति में से कुल देयताएँ घटाना		लाभ अथवा हानि में शेयर	
	समेकित निवल आस्तियों का %	राशि (लाख रुपये में)	समेकित निवल आस्तियों का %	राशि (लाख रुपये में)
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
मूल कंपनी				
इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	107.55%	10,30,295.29	51.19%	4,837.68
सहायक कंपनियाँ				
भारतीय				
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	0.07%	642.40	(3.93%)	(371.73)
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	0.13%	1289.89	3.05%	288.64
विदेशी				
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	(7.75%)	(74,286.17)	49.69%	4,695.36
सभी सहायक कंपनियों में कार्यरूचि कमी	-	-	-	-
एसोसिएट (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)				
भारतीय	-	शून्य	-	शून्य
विदेशी	-	शून्य	-	शून्य
संयुक्त उद्यम (आनुपातिक समेकन के अनुसार/इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)				
भारतीय	-	शून्य	-	शून्य
विदेशी	-	शून्य	-	शून्य

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं: (राशि लाख रुपये में)

सहायक कंपनी का नाम	रिपोर्टिंग की मुद्रा	शेयर पूंजी	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	कुल आस्तियां	कुल देयताए	टर्नओवर	कर पूर्व लाभ	कर हेतु प्रावधान	करोपरांत लाभ	शेयर धारिता
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लि.	राशि लाख रुपये में	475.00	1,147.32	1,851.39	2.29	835.40	209.85	53.67	156.18	100%
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड	राशि लाख रुपये में	1250.00	2,324.01	2,496.71	172.70	568.33	109.26	27.33	81.93	100%
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	राशि लाख रुपये में	42,240.32	(74,857.49)	1,536,754.37	1,569,371.53	53,608.21	2,057.86	(2,066.18)	4,124.04	100%
	अमेरिकी डॉलर (मिलीयन में)	75.00	(43.27)	2,038.52	2,081.78	77.74	6.52	(2.74)	9.26	

7. भारतीय लेखांकन मानक–17 के प्रावधान, पट्टा

क) वित्तीय पट्टा: शून्य

ख) प्रचालन पट्टा: कंपनी ने अलग–अलग पट्टा अवधि वाले प्रचालन पट्टों के तहत कार्यालय परिसर लिए हैं जिनकी प्रकटीकरण अपेक्षताएँ निम्नानुसार है:

(राशि लाख रुपये में)

अवधि	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का जोड़ (सकल निवेश)	226.13	274.76
पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य	197.27	228.70
10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का प्रतिफल	6.86%	7.47%
भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का परिपक्वता स्वरूप		
एक वर्ष से अधिक नही	56.53	54.71
एक वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्ष से अधिक नही	169.60	220.05
पाँच वर्ष से अधिक	-	-
योग	226.13	274.76

8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी **भारतीय लेखांकन मानक–33, प्रति शेयर** के संदर्भ में प्रति शेयर आय (मूल एवं तनुकृत) निम्नलिखित तालिकानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	
	शेयर	राशि लाख रुपये में	शेयर	राशि लाख रुपये में
शेयर का काल्पनिक मूल्य (रुपयें में)	10/-		10/-	
इक्विटी शेयर की संख्या (संख्या लाख में)	47,023.62		42,023.16	
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में) (विभाजक) (मूल)	99,999.16		40,902.61	
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में) (विभाजक) (तनुकृत)	46,883.93		40,902.61	
निवल लाभ (करोपरांत) (अंश)		9.449.95		(9,729.43)
प्रति शेयर आय (मूल) (रुपये में)		0.11		(0.23)
प्रति शेयर आय (तनुकृत) (रुपये में)		0.11		(0.23)

9. कंपनी की अचल आस्तियों को 'कॉर्पोरेट आस्ति' समझा जाता है नकद सृजन करने वाली इकाई नहीं, जैसा कि "आस्तियों का ह्रास" के विषय में **भारतीय लेखांकन मानक–36** में परिभाषित है। 31 मार्च, 2020 को परिस्थितियों में ऐसी कोई स्थिति अथवा बदलाव नहीं हुआ जो आस्तियों की किसी प्रकार की क्षति का संकेत देते हों।

10. **(क) भारतीय लेखांकन मानक–37 प्रावधान "आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियों" के तहत प्रकटीकरण**

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
प्रस्तावित वेतन संशोधन		
प्रारम्भिक शेष	390.48	1,104.21
अवधि के दौरान परिवर्धन	330.87	390.48
वर्तमान देयताओं के प्रति प्रदत्त/अंतरित राशि	-	(1,104.21)
अंतिम शेष	721.35	390.48
मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	14,366.49	18,804.98
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	12,312.39	(4,438.49)
अंतिम शेष	26,678.88	14,366.49
अवमानक आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	39,517.11	1,61,802.35
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	16,361.59	(6,098.75)
एनपीए को बट्टे खाते मेंडाले जाने के कारण प्रावधान का प्रतिलेखन	23,407.70	(1,28,383.99)
अंतिम शेष	32,471.00	39,517.11
पुनर्रचित आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	1,599.92	7,568.84
अवधि के दौरान परिवर्धन/समायोजन	(1,107.57)	(5,968.92)
एनपीए को बट्टे खाते में डाले जाने के कारण प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
अंतिम शेष	492.35	1,599.92
संदिग्ध आस्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	2,83,491.11	1,34,250.45
अवधि के दौरान परिवर्धन	71,787.98	157,572.17
एनपीए को बट्टे खाते में डाले जाने के कारण प्रावधान का प्रतिलेखन	(17,961.96)	(8,331.51)
अंतिम शेष	337,317.13	2,83,491.11

निवेशों में कमी के लिए प्रावधान		
प्रारम्भिक शेष	16,831.53	9,638.96
अवधि के दौरान परिवर्धन	434.58	7,192.57
निवेशों की बिक्री के कारण समायोजित प्रावधान	(65.10)	-
अंतिम शेष	17,201.01	16,831.53

(ख) अन्य प्रकटीकरण: (राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
आयकर (निवल)		
प्रारम्भिक शेष	(2,033.28)	(17,204.38)
अवधि के दौरान परिवर्धन	89.44	26,214.61
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	15,813.29	11,043.51
अंतिम शेष	14,869.45	(2,033.28)
यात्रा रियायत छूट		
प्रारम्भिक शेष	86.81	73.85
अवधि के दौरान परिवर्धन	130.75	202.55
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	116.90	189.59
अंतिम शेष	100.66	86.81
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		
प्रारम्भिक शेष	809.86	739.76
अवधि के दौरान परिवर्धन	3.83	70.10
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	0.12	-
अंतिम शेष	813.57	809.86
छुट्टी नकदीकरण		
प्रारम्भिक शेष	115.36	18.99
अवधि के दौरान परिवर्धन	152.54	142.11
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	61.50	45.74
अंतिम शेष	206.40	115.36
बीमारी छुट्टी		
प्रारम्भिक शेष	201.73	128.83
अवधि के दौरान परिवर्धन	(38.44)	72.90
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	-	-
अंतिम शेष	163.69	201.73
पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन		
प्रारम्भिक शेष	1,688.71	2,141.62
अवधि के दौरान परिवर्धन	142.18	(452.91)
अवधि के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	-	-
अंतिम शेष	1,830.89	1,688.71

11. आकस्मिक देयताओं एवं प्रतिबद्धताओं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है) के क्षेत्र निम्नलिखित तालिकानुसार है:–

(राशि लाख रुपये में)

क्रम.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(क)	**आकस्मिक देयताएं:**		
	(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें कर्ज के तौर पर नहीं माना गया गया है:	159.00	159.00
	(i) दिनांक 7 मार्च, 2014 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2008–09 के आय कर के बकाये की मांग	682.33	682.33
	(ii) दिनांक 28 दिसंबर, 2018 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के आय कर के बकाये की मांग	1,425.27	1,427.27
	(iii) दिनांक 23 मार्च, 2018 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2014–15 के आय कर के बकाये की मांग	343.00	343.00
	(iv) दिनांक 23 मार्च, 2018 के आदेश के अंतर्गत आय कर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के आय कर के बकाये की मांग		
	(ख) गारंटियां		
	(ग) अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है:		
	(i) साख पत्र (एलसी) जारी करने के लिए चुकौती आश्वासन पत्र (कंपनी ने स्वीकृत ऋण सहायता के संवितरण के प्रति एलसी की धनराशि बाद में जारी करने के लिए संबंधित उधारकर्ताओं की ओर से एलसी जारी करने में ऋणदाताओं के सहायता संघ के संबंधित अग्रणी बैंकों /सदस्य बैंकों को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है)	14,185.32	71,088.35
	(ii) ऋण संवृद्धि योजना के तहत दी गई गारंटी	28,857.00	29,380.50
(ख)	**प्रतिबद्धताएँ:**		
	(क) पूंजीगत लेखा पर संविदाओं की वह अनुमानित राशि जिनका निष्पादन किया जाना शेष है एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है: पूंजीगत लेखा पर संविदाओं की वह अनुमानित राशि जिनका निष्पादन किया जाना शेष है (निवल अग्रिम राशि)	1033.55	1,600.08
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ: कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत संविदाओं की वह अनुमानित राशि जिनका निष्पादन किया जाना शेष है (निवल अग्रिम राशि)	589.59	589.59

12. <u>उद्यम पूंजी इकाईयों में निवेश</u>

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने आईडीएफसी, सिटी बैंक के साथ कंपनी द्वारा प्रवर्तित आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट।। की उद्यम पूंजी इकाइयों में कंपनी ने शून्य (यथा 31 मार्च, 2019 में शून्य रुपये) निवेश किया है (कंपनी द्वारा निवेश की संचयी राशि 9,247.56 लाख रुपये है)। कंपनी ने इस 10,000 लाख रुपये की कुल प्रतिबद्धता में से उद्यम में निवेशक के तौर पर अंशदान दिया है और इसमें कंपनी का संयुक्त नियंत्रण नहीं है। चूंकि इस निधि में वितरण योग्य लाभ नही होता है इसलिए बही में इस तरह के निवेशों की गणना नहीं की गई है। हालांकि कंपनी ने वर्ष की समाप्ति के दौरान उद्यम पूंजी इकाईयों के मोचन के संबंध में शून्य आय कर सहित (31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये) शून्य राशि प्राप्त की है (31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 3,263.55 लाख रुपये)।

13. कंपनी के पास 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान 34,250.07 लाख रुपये की निवल आस्थगित कर देयताएं आरक्षित हैं (आस्थगित कर देयता में 15,527.45 लाख रुपये की गिरावट आई है तथा आस्थगित कर आस्ति में 18722.63 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2019 को समाप्त विगत वर्ष में कंपनी ने 3,945.33 लाख रुपये की निवल आस्थगित देयताएं सृजित की हैं (आस्थगित कर देयताओं में 4,022.59 लाख रुपये की वृद्धि तथा आस्थगित कर आस्ति में 77.26 लाख रुपये की निवल कमी हुई है)।

ऋण आस्तियों पर क्षति/प्रावधान पर आस्थगित कर आस्ति के सृजन के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखाकन मानक मंडल से प्राप्त राय के उपरांत कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पहली बार ऋण आस्तियों पर क्षति/प्रावधान पर 29,523.86 लाख रुपये की आस्थगित कर आस्ति सृजित की है। तदनुसार वित्त वर्ष 2019–20 में करोपरांत लाभ में 29,523.86 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है जबकि 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर देयता में 29,523.86 लाख रुपये की गिरावट आई है।

14. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक ऐसा कोई आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम के उपक्रम के तौर पर पंजीकृत हो। यद्यपि कंपनी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रति कोई देयता बकाया नहीं है और इस अधिनियम के अधीन निर्धारित होने वाली अन्य सूचना शून्य हैं।

15. <u>व्युत्पन्नी लेनदेन</u>

क) वर्ष 2007–08 के दौरान कंपनी ने 5,000 लाख रुपये (2,73,23.62 लाख जापानी येन कल्पित मूलधन के समतुल्य) के दो ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) लेन देन किए जो 19 दिसंबर, 2022 को परिपक्व होंगे। इन आईआरएस सौदों के अनुसार कंपनी जापानी येन की कल्पित राशि पर 7.46% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगी (जिसमें एक सौदे में 5 वर्ष के लिए कूपन भुगतान 1 जापानी येन = 0.3658 भारतीय रुपये तथा दूसरे सौदे में 1 जापानी येन = 0.3662 भारतीय रुपये निश्चित किए गए है) तथा कल्पित मूलधन पर 8.82% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करेगी। 31 मार्च 2020 को 1,830.89 लाख रुपये (31 मार्च, 2019 तक 1,688.71 लाख रुपये) के उपरोक्त स्वैप लेनदेनों से कंपनी ने काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा की गई संगणना एवं अन्य मूल्यांकों द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार मार्क–टू–मार्केट हानि का प्रावधान किया है जिसमें 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष को 142.18 लाख रुपये (31 मार्च 2019को समाप्त वर्ष को 472.91 लाख रुपये) भी शामिल है।

ख) 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान उपरोक्त टिप्पणी 14(क) में संदर्भित दो ब्याज दर अदला–बदली (आईआरएस) के लेनदेनों में से 2,000 लाख रुपये का कल्पित मूल धन खोला गया जिसके परिणामस्वरूप टिप्पणी 14(क) में संदर्भित ब्याज दर अदला–बदली (आईआरएस) लेनदेनों का कुल कल्पित मूलधन घटकर 8,000 लाख रुपये हो गया।

ग) कंपनी ने निम्नलिखित बहुपक्षीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा की उधारियों पर अस्थिर ब्याज दर के अलावा विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव से संबंधित जोखिमों की बचाव व्यवस्था के लिए निम्न पारस्परिक मुद्रा अदला–बदली स्वैप (मूलधन एवं ब्याज) अनुबंध किये।

(राशि लाख रुपये में)

संस्थान	विदेशी मुद्रा (विनिमय) राशि	
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):–		
अमरीकी डॉलर	11,066.71	11,135.38
भारतीय रुपया	8,34,274.31	667,154.88
क्रेडिटेंस्टाल्टफर वेडिराफ्बाउ (केएफडब्ल्यू):–		
यूरो	100.00	130.95
भारतीय रुपया	8,305.01	8,000.61
आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक:		
अमरीकी डॉलर	1,664.41	1,759.57
भारतीय रुपया	1,25,473.29	1,14,719.33

काउंटर पार्टी बैंकों द्वारा की गई संगणना एवं अन्य मूल्यांककों द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार मार्क–टू–मार्केट उपरोक्त अनुबधों में 31 मार्च, 2020 को एम2एम लाभ 1,22,778.08 लाख रुपये (1,643.28 लाख रुपये की सकल हानि को घटा कर सकल लाभ 1,24,421.36 लाख रुपये) था और 31 मार्च 2019 को यह लाभ 99,157.34 लाख रुपये था (4,821.03 लाख रुपये की सकल हानि को घटाकर सकल लाभ 1,03,978.38 लाख रुपये)।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखांकन व्यवहार के लिए कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाले सही लेखांकन व्यवहार पर सलाह देने के संदर्भ में भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति की राय मांगी थी कि विदेशी मुद्रा के ऋण पर किस सीमा तक बचाव व्यवस्था की जाए। इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने दिनांक 22 सितंबर, 2015 को इस विषय पर पत्र के माध्यम से राय दी है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने जून, 2015 में 'व्युत्पन्नी संविदाओं का लेखांकन' पर मागर्दर्शी टिप्पणी भी जारी की है जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू है एवं कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इसे लागू कर दिया है। प्रतिवेदन करने की पिछली तिथि से एवं अवधि के दौरान उधारी की आहरण द्वारा गिरावट की तिथि से प्रतिवेदन करने की तिथि को विदेशी मुद्रा की उधारी की राशि पर विनिमय दर में कोई बदलाव होने पर व्युत्पन्नी संविदाओं के उचित मूल्य के प्रति प्रतितुलन किया जाता है एवं किसी प्रकार के लाभ व हानि को नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित निधि माना जाता है। व्युत्पन्नी अनुबंधो का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षकार प्रदान करते हैं।

इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने दिनांक 26 दिसंबर, 2016 के पत्र के माध्यम से व्युत्पन्नियों पर मार्गदर्शी टिप्पणी लागू करते समय बचाव व्यवस्था वाल संविदाओं पर मार्केट–टू–मार्केट/उचित मूल्य के संबंध में आईआईएफसीएल के सामने आ रही समस्याओं से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को अवगत करा दिया है। इस पत्र की प्रतिलिपि भारतीय रिजर्व बैंक को भी भेजी गई थी। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा दिनांक 3 मई, 2017 के पत्र के अनुसार यह मामला भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की अनुसंधान समिति को भेजा गया है।

ऋण की बचाव व्यवस्था वाले हिस्से का विवरण पुनः प्रस्तुत किया जाता है जो एएस–11 के अनुरूप अंतिम दरों पर निम्न प्रकार है।

(राशि लाख रुपये में)

संस्थान	बचाव व्यवस्था वाली राशि	
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):–		
अमरीकी डॉलर	11,066.71	11,135.38
भारतीय रुपया	8,34,274.31	770,248.69
क्रेडिटेंस्टाल्टफर वेडिराफबाउ (केएफडब्ल्यू):–		
यूरो	100.00	130.95
भारतीय रुपया	8,305.01	10,175.51
आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक:		
अमरीकी डॉलर	1,664.41	1,759.57
भारतीय रुपया	1,25,473.29	1,21,711.55

व्युत्पन्नी अनुबंधों के लेखांकन पर मागदर्शी टिप्पणी के अनुसार वित्तीय मुद्रा निवेश (एक्सपोजर) का प्रकटीकरण :–

(राशि लाख रुपये में)

I. आस्तिया	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	रुपये में राशि	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	रुपये में राशि
प्राप्य (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
अन्य मौद्रिक आस्तियां (जैसे कि आईसीडी / विदेशी मुद्रा में दिया गया ऋण)	-	-	-	-	-	-	-
कुल प्राप्य (क)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी संविदाओं द्वारा बचाव (ख)	-	-	-	-	-	-	-
बिना बचाव व्यवस्था वाले प्राप्य (ग=क–ख)	-	-	-	-	-	-	-

II. देयताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	रुपये में राशि	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	रुपये में राशि
देय (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
उधारियां (इसीबी एवं अन्य)	यूएसडी	75.3859	15,999.60	12,06,144.00	69.1713	16,121.22	11,15,125.63
	यूरो	83.0496	2,196.27	1,82,399.34	77.7024	2,257.03	1,75,376.65
	जेपीवाई	0.6965	1,50,000.00	1,04,475.00	0.6252	1,00,000.00	62,520.00
कुल देय (घ)	यूएसडी	75.3859	15,999.60	12,06,144.00	69.1713	16,121.22	11,15,125.63
	यूरो	83.0496	2,196.27	1,82,399.34	77.7024	2,257.03	1,75,376.65
	जेपीवाई	0.6965	1,50,000.00	1,04,475.00	0.6252	1,00,000.00	62,520.00
व्युत्पन्नी अनुबंधों द्वारा बचाव व्यवस्था (ड.)	यूएसडी	75.3859	12,731.13	9,59,747.61	69.1713	12,894.94	8,91,960.25
	यूरो	83.0496	100.00	8,305.01	77.7024	130.95	10,175.51
	जेपीवाई	0.6965	-	-	0.6252	-	-
बिना बचाववाले देय (च=घ–ड)	यूएसडी	75.3859	3,268.47	2,46,396.39	69.1713	3,226.67	2,23,165.39
	यूरो	83.0496	2096.27	1,74,094.33	77.7024	2126.08	1,65,201.05
	जेपीवाई	0.6965	1,50,000.00	1,04,475.00	0.6252	1,00,000.0	62,520.00

III. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	रुपये में राशि	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	रुपये में राशि
आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिबद्धताएं	-	-	-	-	-	-	-
योग (छ)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नी संविदाओं द्वारा बचाव (ज)	-	-	-	-	-	-	-
बिना बचाव वाले देय (झ=छ–ज)	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा में बिना बचाव वाला कुल निवेश (ञ=ग+च+झ)	-	-	-	-	-	-	-

घ) विदेशी मुद्रा वाले ऋणों की बिना बचाव वाली स्थिति निम्नलिखित तालिकानुसार है: (राशि लाख रुपये में)

संस्थान	बिना बचाव की स्थिति की राशि	
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
एशियन डेवलपमेंट बैंक:–		
अमरीकी डालर	3,268.36	3,226.16
भारतीय रुपया	2,46,388.35	223,157.59
क्रेडिटांसटाल्टफरबौ (केएफडब्लू):		
यूरो	96.27	126.08
भारतीय रुपया	7,995.13	9,796.34
आईबीआरडी विश्व बैंक:		
अमरीकी डालर	0.11	0.11
भारतीय रुपया	8.04	7.80
यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)		
यूरो	2,000.00	2,000.00
भारतीय रुपया	1,66,099.20	1,55,404.80
जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) जेपीवाई भारतीय रुपया	1,50,000.00 1,04,475.00	1,00,000.00 62,520.00

च) लेखांकन नीति 6.6.2 की शर्तों के अनुसार विनिमय दर (उदाहरणार्थ भा रि बैं. संदर्भ दरें) लेखाबंदी तिथि को प्रचलित दरें निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विनिमय दरें	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
1	अमरीकी डालर/भारतीय रुपये	75.3859	69.1713
2	यूरो/भारतीय रुपये	83.0496	77.7024
3	जेपीवाई(जापानी येन)/भारतीय रुपये	0.6965	0.6252

16. बंधपत्र मोचन आरक्षित निधि का सृजन

क) निजी स्थानन वाले बंधपत्रों के परिप्रेक्ष्य में: जैसा कि कंपनी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में भारत सरकार के दिनांक 14 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. एस.ओ.143(ई)(एफ नं. 3/5/2008) के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2)72) के अंतर्गत अधिसूचित है, अतः भारत सरकार के कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2013 के परिपत्र संख्या 04/2013 के अनुसार निजी स्थानन वाले बंधपत्रों के परिप्रेक्ष्य में बंधपत्र मोचन आरक्षित निधि सृजित करने की आवश्यकता नहीं है।

ख) सार्वजनिक रूप से स्थानन वाले बंधपत्रों के परिप्रेक्ष्य में: कंपनी ने वित्त वर्ष 2012–13 में 3,15,631.89 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2013–14 में 6,87,754.25 लाख रुपये के 1000/– रुपये के अंकित मूल्य केकर मुक्त (टैक्स फ्री) बंधपत्र और वित्त वर्ष 2010–11 में 9,096.18 लाख रुपये के दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र जारी किए। इस प्रकार कंपनी ने सरकारी निर्गम के माध्यम से कुल मिलाकर 10,12,482.32 लाख रुपये के बंधपत्र जारी किये।

कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर्स) नियम 2014 के नियम18(7)(ख)(ii) के अनुसार कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम 1997 के तहत पंजीकृत एनबीएफसीज कंपनी डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित करेंगी। डीआरआर की 'पर्याप्तता' वर्तमान सेबी (कर्ज प्रतिभूति का निर्गम एवं सूचीयन) विनियमन 2008 के अनुसार सरकारी निर्गम के माध्यम से जारी डिबेंचर की कीमत के 25% होगी हालांकि निजीतौर पर स्थानन वाले डिबेंचर्स के मामले में किसी भी डीआरआर की आवश्यकता नहीं होती है।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कपंनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम में संशोधन किया है देखें 19 अगस्त, 2019 की अधिसूचना। तदनुसार कंपनी को अब मोचनीय अपरिवर्तनीय डिबेंचर के निर्गम पर डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि सृजित करने की आवश्यकता नहीं है।

स्टाक एक्सचेंज के साथ सूचीयन करार में निहित प्रकटीकरण अपेक्षा के अनुसार, यह बताया गया कि कंपनी ने वैयक्तिक, एसोसिएट तथा कंपनी के निदेशकों को उनकी रूचि से संबद्ध प्रकृति के ऋणएवं अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है। इसके साथ ही कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा शेयर में कोई भी निवेश किसी भी प्रकार के ऋण (उधारी) से नहीं किया गया है।

17. कंपनी के कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण 1 नवंबर, 2017 से बकाया है। वेतन में पुनरीक्षण लंबित होने के कारण 1 नवंबर, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के लिए 721.35 लाख रुपये के अनुमानित प्रावधान किया गया है।

18. (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफसीएल को दिनांक 9 सितंबर, 2013 को सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने वाले गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार जारी रखने का प्रमाणपत्र जारी किया है।

(ख) कंपनी पर भा. रि. बैंक द्वारा जारी एनबीएफसी–आईएफसी के विवेकपूर्ण मानदंड लागू नहीं होते हैं, चूंकि यह भारत सरकार

के स्वामित्वाधीन कंपनी है। एनबीएफसी–आईएफसी के कंपनी के रूप में पंजीयन पर तथा भारत सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनी होने के कारण इसे भारत सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमन के तमाम सिद्धांतों की अनुपालना के लिए खाका तैयार करने की आवश्यकता होती है और इनको ही ठीक उसी रूप में,भा.रि.बैंक की दिनांकित 12 दिसंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस.पीडी/सीसी सं. 86/03.02.089/2006.07 के निदेशानुसार भा.रि. बैंक (गैस–बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) में जमा कराना है। इन अपेक्षाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने 21 नवंबर, 2014 के माध्यम से भा. रि. बैंक के विनियमन के अनुसार 1 दिनांक, 2015 से प्रभावी विभिन्न सिद्धांतों की अनुपालना का खाका प्रस्तुत किया है।

(ग) कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2020 को शून्य बकाया शेष (31 मार्च, 2019 को पांच ऋण खातों में 80,838.35 लाख रुपये) वाले ऋण खातों को पुर्नरचित/पुनर्अनुसूचित नहीं किया है और इन खातों में 31 मार्च, 2019 को प्रतिभूति के मूल्य में कोई गिरावट नहीं आई है, देखें नोट1(ए)(5.7)(अ)।

(घ) लेखांकन नीति सं. 1(क)(6.8) के अनुसरण में 10 मामलों में त्वरित प्रावधानीकरण अपनाने के कारण निम्नानुसार है:

i. दीघी पोर्ट लिमिटेड

महाराष्ट्र समुद्रीय बोर्ड (एमएमबी), महाराष्ट्र सरकार के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार के तहत दीघी पोर्ट का विकास किया जा रहा है जो'निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, सहभागी, हस्तांतरण (बूस्ट)' के तहत बालाजी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (बीआईपीएल) द्वारा किया जा रहा है। इसमें पत्तन का विकास, प्रचालन, वित्तपोषण व रखरखाव भी शामिल है। सीडीआर के तहत पुनर्रचना के बावजूद परियोजना का कार्यान्वयन पूरा नहीं हुआ है एवं राजस्व प्रवाह अभी तक न्यूनतम बना हुआ है। पत्तन की क्षमता के बढ़ाने का उपयोगिता अभी भीसड़क व रेल की संयोजकता पर निर्भर है जिसमें लगभग तीन वर्ष का समय लगने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कंपनी के शेयरधारकों के मतभेदों का निवारण नहीं हो पाया है व प्रवर्तक रणनीतिक निवेशक में निधि लगाने/निदेशकों को जोड़ पाने में असमर्थ हैं। अतः इस स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 50 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 70 प्रतिशत का प्रावधानीकरण किया गया है।

ii. वेस्ट हरियाणा हाईवेज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

इस परियोजना में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग–10 के बहादुरगढ–रोहतक खंड पर मौजूदा सड़क का 29.7 किमी से 87 किमी. (लगभग 63.49 किमी.) की सड़क का संवर्धन शामिल है। इस सड़क को निर्धारित तिथि अर्थात 03.05.2008 से 25 वर्ष की अवधि के लिए निर्माण, प्रचालन एवं हस्तांरण (बीओटी) आधार पर (टोल आधारित) पर छह/चार लेन का निर्माण कार्य शामिल है। इस परियोजना में रियायतदाता प्राधिकरण एनएचएआई है। भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण 01.05.2010 की एससीओडी की तुलना में परियोजना को पीसीओडी नवंबर, 2015 में हासिला हुई। इसके अतिरिक्त टोल का संग्रहण पूर्वानुमान की तुलना में बहुत कम है, जो ऋणदाताओं की बकाया राशि के शोधन हेतु पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 30 प्रतिशत प्रावधानीकरण की अपेक्षा में 50 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

iii. ट्रांसट्रॉय तिरूपति तिरूथानी चेन्नई टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड

इस परियोजना में 30 वर्ष की अवधि के लिए अभिकल्पना निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन, हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आध ार पर आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग–205 के तिरूपति– तिरूथानी चेन्नई खंड का 274.80 किमी. से 341.60 तक एंव तमिलनाडु में 0.00 किमी. से 59.60 किमी. तक चार लेन बनाना शामिल है। परियोजना का रियायतदाता प्राधिकरण एनएचएआई है। इस परियोजना ने फरवरी, 2015 में पीसीओडी हासिल कर लिया है। हालांकि परियोजना का टोल संग्रहण बहुत कम है जो ऋणदाताओं की बकाया राशि के शोधन हेतु पर्याप्त नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के 30 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

iv. जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

आईआईएफसीएल ने अपने टेकआउट वित्त योजना के तहत जून, 2015 में 900 करोड़ रुपये के यमुना एक्सप्रेसवे (प्रवर्तक जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड) परियोजना का वित्तपोषण किया था। आईडीबीआई बैंक, अग्रणी सहायता संघ के अनुरोध के अनुसार वर्ष 2012 में पीसीओडी हासिल कर लिया गया है जो मूल उद्योगों (5/25 योजना) के प्रति दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली (फ्लैक्सीबल) पुनर्रचना की भारतीय रिजर्व बैंक की योजना के कार्यान्वयन के अधीन नियम व शर्तों के साथ है। इस परियोजना के निकट ओखला पक्षी अभयारण्य होनेसे एनजीटी द्वारा निर्माण क्षेत्र को घटाने के आदेश के कारण परियोजना में काफी विलंब हुआ जिसके कारण अनुमानित राजस्व प्रभावित हुआ है एवं परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई। बाद में इस आदेश में ढील दी गयी। इस प्रकार परियोजना को विकसित करने की अनुमति मिली। इस बीच 31.12. 2016 को खाता अवमानक हो गया। ऋणदाता इस परियोजना के शेषचरण को तेजी से पूरा करने के लिए नए ऋणदाताओं से एकमुश्त अतिरिक्त वित्तपोषण की प्रक्रिया से समस्या का समाधान करने के अनेक प्रयास कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप मेट्रो रेलनिर्माण/विमान पत्तन के साथ संयोजकता होने से कंपनी का समग्र राजस्व/वित्तीय स्थिति भी सुधरेगी।

आईआईएफसीएल ने मौजूदा दिशानिर्देशों और आरबीआई के दिनांक 23 जून, 2017 के पत्र के अनुसार, उन ऋण खातों जहां एनसीएलटी कार्यवाही आरंभ हो चुकी है, में प्रावधानीकरण के लिए दिनांक 31.03.2018 तक 40 प्रतिशत अर्थात 36,000 लाख रुपये का प्रावधान किया है। आरबीआई की दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के अनुसरण में विभिन्न

फॉरबियरेंस स्कीमों को समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप, आईआईएफसीएल ने, उन एनसीएलटी मामलों, जहां पहले से ही 50 प्रतिशत का प्रावधानीकरण नहीं किया गया था, में प्रावधानीकरण में 50 प्रतिशत तक सावधानीपूर्वक वृद्धि की है। परिणामस्वरूप, इससे जेपी इंफ्राटेक के 90 करोड़ रुपये के ऋण खाते में 10 प्रतिशत तक का अतिरिक्त प्रावधान हुआ है और इसे दिवाला एवं दिवालियापन संहित (आईबीसी) और भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 12 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के अनुसरण में विभिन्न क्षमादायी योजना को वापस किये जाने में शामिल मामलों के तहत एनसीएलटी के मामलों के संदर्भ के अनुसरण में बनाए गए अन्य ऋण खातों के प्रावधान के साथ आपवादिक प्रावधान के रूप में प्रदर्शित किया है।

v. आईवीआरसीएल इंदौर गुजरात टोलवे लिमिटेड

भूमि तथा अन्य अपेक्षित अनुमोदनों में देरी के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई है। परियोजना लागत में वृद्धि और समय में वृद्धि को ऋणदाताओं द्वारा अतिरिक्त मियादी ऋण के माध्यम से समर्थित किया गया। तथापि, परियोजना में और देरी हुई तथा वर्तमान में एनएचएआई से एकमुश्त निधि संयोजक वन टाइम फंड (इंफ्यूशन) की सहायता से क्रियान्वयनाधीन है। उपरोक्त तथ्य को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 20 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 65 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

vi. सोमा आइसोलक्स सूरत हाजीरा टोलवेज लिमिटेड

कम टोल संग्रहण के साथ परियोजना चालू है, जो कि ऋण शोधन के लिए पर्याप्त नहीं है। खाते में दबावग्रस्त आस्तियों की सतत संरचना स्कीम का प्रस्ताव किया गया था परंतु इसे आरबीआई के दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र के कारण संपन्न नहीं किया जा सका। उधारकर्ता ने एक समाधान योजना प्रस्तुत की है, जो ऋणदाताओं के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 20 प्रतिशत अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 61.24 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

vii. अटलांटा इन्फ्रा एसेट्स लिमिटेड

पीसीओडी के उपरांत, टोल संग्रहण अपेक्षा से कम था। देयताओं की अदायगी न करने के कारण, आईआईएफसीएल में चल रहा खाता दिनांक 30.09.2015 को एनपीए में चला गया। तदुपरान्त, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने सितंबर, 2016 में अटलांटा इन्फ्रा एसेट्स लिमिटेड को 145.521 लाख रुपये की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया और एनएचएआई ने निर्णय को चुनौती दी। नीति आयोग/एनएचएआई के दिशानिर्देशों के आधार पर, अग्रणी बैंक (यूनियन बैंक) ने एनएचएआई को 75 प्रतिशत राशि की प्राप्ति के लिए बीजी जारी की। आईआईएफसीएल को उसका समानुपातिक शेयर प्राप्त हुए और उसके अनुसार दिनांक 31.03.2017 को खाते को अपग्रेड किया गया। हालांकि, मध्यस्थ के निर्णय के विरुद्ध एनएचएआई की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, एनएचएआई द्वारा मार्च, 2018 में गैर–नवीकरण के कारण (बीजों) को उपयोग में लाया गया। तदनुसार, दिनांक 31.03.2018 को आईआईएफसीएल में खाता पुनः एनपीए में चला गया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडो के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 100 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

viii. एल एवं टी हलोल शामलाजी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड

पीसीओडी के उपरांत, टोल संग्रहण, आरंभिक अनुमानों से कम था। एसडीआर को प्रयुक्त किया गया और आंशिक ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया। 5/25 के तहत पुनर्संरचना भी की गई। वर्तमान स्थिति में, खाता के दबावग्रस्त रहना जारी है। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडो के अनुसार 30 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 75 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

ix. पटना बख्तियारपुर टोलवेज लिमिटेड

परियोजना ने पीसीओडी प्राप्त की और अप्रैल, 2015 से टोल संग्रहण आरंभ किया। नवंबर, 2017 के अंत में एलआईई की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 46.847 किलोमीटर (92.58%) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है तथा शेष कार्य अभी पूरा किया जाना है। परियोजना आवागमन में अपेक्षित प्रदर्शन समस्याओं का सामना कर रही है जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक टोल राजस्व आरंभिक अनुमानों की तुलना में कम रहा। कंपनी वित्तीय दबाव में है और प्रवर्तकों ने परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की अदायगी में असमर्थता व्यक्त की है। दिनांक 31.12.2017 को खाता एनपीए में परिवर्तित हो गया। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

x. एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड

खम्बालिया के निकट सलाया, जिला देवभूमि द्वारका, गुजरात स्थित सब–क्रिटिकल टैक्नोलॉजी के तहत आयातित कोयला आधारित थर्मलपॉवर परियोजना है। "दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान – संशोधित ढांचा" के संबंध में दिनांक 12 फरवरी, 2018 के आर.बी.आई. के परिपत्र के अनुसार, बाह्य एसडीआर प्रबंधन में परिवर्तन की वर्तमान योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ और अतः दिनांक 29 जुलाई, 2017 को कंपनी का खाता अवमानक में परिवर्तित हो गया। जे.एल.एम. में ऋणदाताओं ने एन.सी.एल.टी के तहत कार्यवाहियां आरम्भ करने के विकल्प को शामिल करने का निर्णय लिया। उपरोक्त को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 10 प्रतिशत के अपेक्षित प्रावधानीकरण की तुलना में 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

19. विभिन्न कर निर्धारण वर्ष (र्षों) के लिए आय कर के बकाया कर निर्धारण की स्थिति निम्नानुसार है:

कर निर्धारण वर्ष	स्थिति
2008-09	आईआईएफसीएल ने आयकर विभाग के दिनांक 07 मार्च 2014 के आदेश के अनुसार वर्ष 2008–09 कर निर्धारण वर्ष के लिए 159 लाख रुपये के कर बकाया की मांग के विरुद्ध अपील दाखिल की है। आयकर आयुक्त (अपील) – 4 ने 8 सितंबर, 2015 को आदेश पारित किया और आईआईएफसीएल की अपील खारिज कर दी है। आईआईएफसीएल ने दिनांक 16 नवंबर, 2015 को आईटीएटी के समक्ष दोबारा अपील दाखिल की है। आईटीएटीने सीआईटी (ए) के समक्ष 29 अगस्त, 2017 को यह मामला पुनः शुरू किया है।
2011-12	मंजूरी न मिलने के उपरांत दिनांक 29.04.2018 को धारा 148 के तहत करनिर्धारण आदेश प्राप्त हुआ। दिनांक 27 दिसंबर, 2016 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दाखिल की गई एवं 7.95 करोड़ रुपये के आय कर मांग की राशि जमा की गई। सीआईटी (ए) ने अस्वीकृत खर्चों की आंशिक अनुमति दी। आय कर विभाग ने आईटीएटी में अपील दाखिल की है।
2013-14	दिनांक 23.02.2016 को धारा 143(3) के तहत कर निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ। दिनांक 23.03.2016 को सीआईटी (ए) के समक्ष इसकी अपील दाखिल की गई, एवं आंशित अस्वीकृति के उपरांत दिनांक 20.10.2020 को आदेश प्राप्त हुआ। दिनांक 19.12.2016 को आईटीएटी में अपील दाखिल की गई। 48.31 लाख रुपये के आय कर मांग की राशि जमा की गई। आईटीएटी ने दिनांक 17.01.2020 के अपने आदेश के माध्यम से आईआईएफसीएल की अपील पर आंशिक अनुमति दी है। आईआईएफसीएल ने आगे अपील करने को प्राथमिकता नहीं दी एवं दिनांक 22.06.2020 को एओ को अपील प्रभावी पत्र दाखिल किया है।
2014-15	मंजूरी न मिलने के उपरांत दिनांक 29.11.2016 को कर निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ। दिनांक 27 दिसंबर, 2016 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दाखिल की गई एवं 9.35 करोड़ रुपये के आय कर मांग की राशि जमा की गई। सीआईटी (ए) ने अस्वीकृत खर्चों की आंशिक अनुमति दी। आय कर विभाग ने आईटीएटी में अपील दाखिल की है।
2016-17	दिनांक 28.12.2018 को धारा 143(3) के तहत कर निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ। इसके लिए सीआईटी (ए) के समक्ष दिनांक 25.01.2019 को निर्धारण आदेश में बताई गई अस्वीकृतियों के विरुद्ध अपील दाखिल की गई और प्रतिवाद के तहत 137 लाख रुपये के 20% की कर मांग की राशि जमा की गई एवं 46.71 लाख रुपये कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के रिफंड से समायोजित की ली गई।

20. अन्य प्रकटीकरण:

क. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने शून्य रुपये निवल बही मूल्य (31 मार्च, 2019 को शून्य रुपये) की वित्तीय आस्तियां पुनर्निर्माण कंपनियों को सौंप दी है। कंपनी ने डीबीओडी बीपीबीसी संख्या 98/21.04.132/2013–14 दिनांक 26 फरवरी, 2014 एवं आय मान्यता पर विवेक सम्मत मापदण्डों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 043/03.10.119/2015–16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार शून्य की निवल कमी को (31 मार्च, 2019 को भी शून्य) आठ तिमाहियों की अवधि में विभाजित कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये की राशि को (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये) समाप्त (चार्ज ऑफ) कर दिया गया है।

ख. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने 12 खातों के 1,22,297.10 लाख रुपये (31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में 7 ऋण खातों में 72,241.70 लाख रुपये) को बट्टे खाते में डाल दिया है। नोट 1(क)(5.3) देखें।

ग. आईआईएफसीएल ने निवेशों में मूल्यह्रास के लिए 16,831.53 लाख रुपये का प्रावधान निम्नानुसार किया है:

- वर्ष 2017–18 के दौरान ऋणदाताओं ने भारतीय रिजर्व बैंक के रणनीतिक ऋण पुनर्रचना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधन में हुए बदलाव को दर्शाने के लिए ईडबल्यू इंडिया स्पेशल फंड II प्रा. लिमिटेड के पक्ष में सामूहिक रूप से 26 प्रतिशत वापस ले लिए। इस डील का भाग होने के कारण, मैसर्स आधुनिक पावर एंड नैचुरल रिसौर्सेज लिमिटेड (एपीएनआरएल) से 52,000.00 लाख रुपये के मूलधन और उस पर 2545.99 लाख रुपये के ब्याज तथा अन्य ऊपरी देयताओं के बकाया ऋण को एक आस्ति पुनर्निमाण कंपनी, एडेवीज एसेट रीकन्स्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी) को एपीएनआरएल की इक्विटी शेयर पूंजी 9710.71 लाख रुपये (अर्थात 10 रुपये के प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर) और 38,884.95 लाख रुपये की प्रतिभूति रसीद सहित 108.18 लाख रुपये के अग्रिम प्राप्य सहित 38,884.95 लाख रुपये के प्रतिफल पर बेच दिया। ईएआरसी ने साथ ही साथ, 10 रुपये प्रत्येक के अनुसार एपीएनआरएल के इक्विटि शेयर के कुल 4945.70 लाख रुपये 1.2045 प्रति शेयर की दर से कुल 595.72 लाख रुपये में खरीदे। तदनुसार, आईआईएफसीएल, एपीएनआरएल के इक्विटी शेयर की बिक्री की कीमत के रूप में ईएआरसी द्वारा आईआईएफसीएल को प्रदत्त राशि को उचित मूल्य समझता है। तदनुसार, 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, एपीएनआरएल में आईआईएफसीएल द्वारा धारित शेष इक्विटी का मूल्य 1.2045 प्रति शेयर है इस प्रकार 4,191.05 लाख रुपये के इक्विटी निवेशों के ह्रास के लिए का प्रावधानकिया गया।
- मैसर्स टॉपवर्थ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रियायतग्राही के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, 8,000.00 लाख रुपये की बकाया ऋण राशि में से 6,078.00 लाख रुपये की राशि को नए रियायतग्राही अर्थात बंसल पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड को वार्षिक रूप से 0.01 प्रतिशत कूपन दर से वैकल्पिक परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर रखने वाले 0.01 प्रतिशत के माध्यम से निष्पादित अथवा जारी किया गया। 1,922.00 लाख रुपये के शेष बकाया ऋण को नए रियायतग्राही, बंसल पाथवेज (मंगावान–चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड पर रखा जाएगा। तदनुसार, 5,388.48 लाख रुपये के निवेश में मूल्यह्रास संबंधी प्रावधान को बंसल पाथवेज (मंगावान–चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डिबेंचरों पर 25 वर्षों के बाद पुनर्भुगतान किया जाना है।
- समाधान योजना के अनुमोदन के परिणास्वरूप, अगस्त 2018 में, मैसर्स सूरत हजीरा एनएच–6 टॉलवेज प्रा.लि. के मामले में,

29,024.00 लाख रुपए के वित्तपोषित एक्सपोजर को, अंतिम तारीख के अनुसार, 15,238 लाख रुपए के धारणीय ऋण और 13,786.00 लाख रुपए के अधारणीय ऋण में परिवर्तित किया गया। अनुमोदित योजना में, अन्य बातों के साथ–साथ,ब्याज दर में कमी, चुकौती अवधि के विस्तार आदि के रूप में राहत प्रदान किया जाना शामिल था। तदनुसार, 7,252.00 लाख रुपए के ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है।

घ. यथा 31 मार्च, 2020 को निवेश एवं प्रतिभूति रसीदों का प्रकटीकरण: (राशि लाख रुपये में)

विवरण		विगत 5 वर्षों में जारी प्रतिभूति रसीदें	5 वर्षों से पहले किंतु विगत 8 वर्ष से कम में जारी की गई प्रतिभूति रसीदें	8 वर्षों से पहले जारी की गई प्रतिभूति रसीदें
(i)	बैंक द्वारा आधारभूत रूप में बेचे गये एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य	50,368.58	-	-
	(i) हेतु धारित प्रावधान	-	-	-
(ii)	बैंक/वित्तीय संस्थानों/गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनिया द्वारा आधारभूत रूप में बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य	-	-	-
	(ii) हेतु धारित प्रावधान	-	-	-
योग (i) + (ii)		50,368.58	-	-

21. वर्ष के दौरान धारक कंपनी ने उधारकर्ताओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों से 31 दिसंबर, 2019 तक की स्थिति तथा बैंकों एवं अन्य पक्षों आदि से 31 मार्च, 2020 की स्थिति पर शेष राशि की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजे थे। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार ऋण अवसंरचना ऋणों, उधारियों तथा अन्य कर्जों एवं ऋण शेष के अंतर्गत दिखाये गये कुछ शेष पुष्टि एवं मिलान के अधीन हैं एवं प्रबंधन की राय में ऐसी पुष्टि एवं मिलान के अलावा कुछ मामलों में ब्याज दरों के लंबित पुनर्निर्धारण के कारण कोई तात्विक प्रभाव प्रत्याशित नहीं है। 31 मार्च 2019 के पश्चात 31 दिसंबर, 2019 को (एनपीए खातों को छोड़कर) कुल 23,63,435.37 लाख रुपये बकाया शेष वाले उधारकर्ता (गत वर्ष 28,66,410.05 लाख रुपये) 97.35 प्रतिशत (गत वर्ष 90.91 प्रतिशत) की बकाया राशि दर्शा रहे हैं। महत्वपूर्ण बकाया राशि वाले बैंक एवं अन्य पक्षों ने भी 31 मार्च, 2020 तक कर्ज/ऋण की बकाया राशि की पुष्टि की है जिसका विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2018-19	
	शेष राशि की पुष्टि (लाख रुपये में)	पुष्टिकृत शेष का %	शेष राशि की पुष्टि (लाख रुपये में)	पुष्टिकृत शेष का %
विदेशी संस्थानों से उधारियां	1,493,018.35	100%	13,53,022.28	100%
बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा	3,00,358.40	100%	87,234.04	100%
उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश	1,674.87	100%	1,674.87	100%
प्रतिभूति रसीदों में निवेश	50,568.58	100%	54,502.89	100%
सावधि जमाओं में निवेश	939,974.25	100%	514,458.60	100%
बंधपत्रों/सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अभौतकीकरण के रूप में)	529,760.00	100%	9,786.70	100%
म्युचुअल फंडों में निवेश	26,020.13	100%	25.340.31	100%

22. आईसीएआई द्वारा 15 मई 2015 को जारी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों की गतिविधियों के तहत व्यय के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शी नोट से संबंधित प्रकटीकरण :

क) सीएसआर व्यय सहित विभिन्न मदों के व्यय का विवरण : (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	परियोजना ब्यौरे	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
1	पीएम केयर्स फंड	भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी पहल को सहायता।	2500.00	
2	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइजेशन लिमिटेड	बोर्सिमुगुड़ी (असम) का एकीकृत विकास	-	3.52
3	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट लिमिटेड (आरईआईएल)	भारत के पिछड़े जिलों में 1500 सौर सड़क प्रकाश की स्थापना	-	43.61
4	सुलभ इंटरनेशनल सोसियल सर्विस ओर्गनाइजेशन	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल में कल्याओं के लिए शौचालय का निर्माण	-	20.89
5	प्यारी फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट	बाग्मुंडी (पुरुलिया), पश्चिम बंगाल का एकीकृत विकास	-	7.84

6	लोयन्स क्लब ऑफ पलक्कड	सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल में बोरवेल की स्थापना और शौचालय का निर्माण	-	3.93
7	राष्ट्रीय संस्कृति निधि	राष्ट्रीय संस्कृति निधि में योगदान	-	146.09
8	सीएसआर उपरि व्यय		-	10.01
	कुल योग		**2500.00**	**235.89**

ख) सीएसआर व्यय के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

i) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने वाली अपेक्षित सकल राशि 589.69 लाख रुपये (31 मार्च, 2019 को 1,731.91 लाख रुपये) थी।

ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि: (राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		
	नकद	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल	नकद	नकद में भुगतान किया जाना है	कुल
(i) किसी भी एसेट का निर्माण/अधिग्रहण*	-	-	-	225.88	-	225.88
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	2500.00#	-	2500.00	10.01	-	10.01
योग	2500.00	-	2500.00	235.89	Nil	235.89

*किसी भी आस्ति का निर्माण/अर्जन में घरों में सौर प्रकाश का अधिष्ठापन शामिल है।

#इस राशि का भुगातन सीएसआर आरक्षित निधि से किया गया है।

23. गैर–बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार न करना अथवा धारिता न करना) कंपनी विवेकसम्मत मापदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2007 के अनुच्छेद 13 के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचना का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्ष:				
(1) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए ऋण व अग्रिम राशि एवं उन पर उपार्जित ब्याज लेकिन अदा नहीं किया गया:				
(क) डिबेंचर : प्रतिभूत अप्रतिभूत (सार्वजनिक जमा अर्थ के अंतर्गत आने वाले डिबेंचरों के अलावा)	14,94,385.35 17,64,439.32	- -	14,94,385.35 16,48,661.32	- -
(ख) आस्थगित ऋण	-	-	-	-
(ग) सावधि ऋण	14,93,018.35		13,53,022.28	
(घ) अंतर कॉर्पोरेट ऋण एवं उधार	-	-	-	-
(ङ) वाणिज्यिक (लेखा) पत्र	-	-	-	-
(च) अन्य ऋण (अल्पकालिक बैंक ऋण)	3,00,403.20	-	87,234.04	-

आस्ति पक्ष:	बकाया राशि	
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(2) प्राप्त बिल निम्नलिखित (4) में शामिल प्राप्यों के अलावा, सहित ऋण एवं अग्रिमों का अलग–अलग विवरण:		
(क) प्रतिभूत	38,70,033.34	42,06,599.50
(ख) अप्रतिभूत	6,07,626.69	501,674.64
(3) एएफसी क्रियाकलापों में गिने जाने वाले किराए पर पट्टाकृत		
(i) विविध कर्जदारों के अंतर्गत पट्टा किराया सहित पट्टाकृत आस्तियां		
(क) वित्तीय पट्टा	-	-

(ख) प्रचालन पट्टा	-	-
(ii) विविध कर्जदारों के अंतर्गत किराया प्रभार सहित किराए पर स्टाक		
(क) किराए पर आस्तिय	-	-
(ख) पुनः कब्जे में ली गई आस्तियां	-	-
(iii) एएफसी क्रियाकलापों में गिने जाने वाले अन्य ऋण		
(क) ऐसे ऋण जहां आस्तियां पुनः कब्जे में ली गई है:	-	-
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा ऋण	-	-
(4) **निवेशों का ब्यौराः**		
वर्तमान निवेशः		
1. उद्धृतः		
(i) शेयर (क) इक्विटी ख) अधिमानी	- -	- -
(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया उल्लेख करें)	-	-
2. अनुद्धृतः		
(i) शेयरः (क) इक्विटी ख) अधिमानी	- -	- -
(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
(v) अन्य (कृपया उल्लेख करें)	-	-
दीर्घकालिक निवेशः		
1. उद्धृतः		
(i) शेयर (क) इक्विटी ख) अधिमानी	- -	- -
(ii) डिबेंचर एवं बॉन्ड	-	-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया उल्लेख करें)	-	-
2. अनुद्धृतः		
(i) शेयर (क) इक्विटी ख) अधिमानी	49,141.34 -	5,176.02 -
(i) डिबेंचर एवं बॉन्ड	19,864.00	19,864.00
(ii) म्यूचुअल फंड की यूनिटे	26,020.13	25,340.31
(iii) सरकारी प्रतिभूतियां	सरकारी प्रतिभूतियां	9.786.70
(iv) अन्य (इक्विटी शेयर पूंजी में अग्रिम) उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश)	1,674.87	1,674.87
(v) प्रतिभूति रसीदों में निवेश	50,368.58	54,502.89
योग	**51,10,523.63**	**48,24,618.93**

(5) **उपरोक्त (2) एवं (3) में दिये गए विवरणानुसार वित्तपोषित आस्तियों का समूह–वार उधारकर्ता वर्गीकरण**

श्रेणी	प्रावधानों की निवल धनराशि (31 मार्च, 2020 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबन्धित पक्ष			
क) सहायक कंपनियां	-		-
ख) उसी समूह में समान कंपनिया	-	-	-
ग) अन्य संबन्धित पक्ष	-	-	-
2. संबन्धित पक्षों के अलावा	32,81,090.27	6,00,035.25	38,81,125.52
योग	**32,81,090.27**	**6,00,035.25**	**38,81,125.52**
श्रेणी	**प्रावधानों की निवल धनराशि (31 मार्च, 2019 तक)**		
	प्रतिभूत	**अप्रतिभूत**	**योग**
1. संबन्धित पक्ष			
क) सहायक कंपनियां	-	-	-
ख) उसी समूह में समान कंपनिया	-	-	-
ग) अन्य संबन्धित पक्ष	-	-	-
2. संबन्धित पक्षों के अलावा	4,060,759.07	-	4,060,759.07
योग	**4,060,759.07**		**4,060,759.07**

(6) शेयर एवं प्रतिभूतियाँ (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनो) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घकालिक) का समूहवार निवेशक वर्गीकरण			
श्रेणी	**प्रावधानों की निवल धनराशि (31 मार्च, 2020 तक)**		
	प्रतिभूत	**अप्रतिभूत**	**योग**
1. संबन्धित पक्ष			
क) सहायक कंपनियां	-	-	-
ख) उसी समूह में समान कंपनिया	-	-	-
ग) अन्य संबन्धित पक्ष	-	-	-
2. संबन्धित पक्षों के अलावा	-	984.98	984.98
श्रेणी	**प्रावधानों की निवल धनराशि (31 मार्च, 2019 तक)**		
	प्रतिभूत	**अप्रतिभूत**	**योग**
1. संबन्धित पक्ष			
क) सहायक कंपनियां	-	-	-
ख) उसी समूह में समान कंपनिया	-	-	-
ग) अन्य संबन्धित पक्ष	-	-	-
2.संबन्धित पक्षों के अलावा	-	984.98	984.98

(7) अन्य जानकारी		
विवरण	**31 मार्च, 2020 तक**	**31 मार्च, 2019 तक**
(i) सकल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबन्धित पक्ष	-	-
(ख) संबन्धित पक्षों के अलावा	9,84,546.24	10,96,161.00
(ii) निवल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबन्धित पक्ष	-	-
(ख) संबन्धित पक्षों के अलावा	5,21,329.29	5,88,209.68
(iii) कर्ज चुकाव में अर्जित आस्तियां	-	-

24. भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 002/03.10.001/2014–15 दिनांक 10 नवंबर,

2014 के अनुसरण में प्रकटीकरण

24.1 पूंजी (नियंत्रक कंपनी)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
टियर I पूंजी	10,63,924.51	4,76,848.29
टियर II पूंजी	10,788.99	11,368.19
कुल पूंजी#	**10,74,713.49**	**4,87,852.48**
कुल जोखिम भारित आस्तियां#	34,84,135.01	3,581,547.26
पूंजीगत अनुपात		
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के तौर पर टियर I पूंजी (%)	30.54	13.31
कुल जोखिम आस्तियों के प्रतिशत के तौर पर टियर II पूंजी (%)	0.31	0.32
कुल पूंजी(%)	**30.85**	**13.63**
टियर–II पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋणों की राशि	-	-
सतत ऋण लिखितें जारी करके जुटाई गई राशि	-	-

24.2 निवेश

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
1	निवेश का मूल्य		
(i)	निवेश का सकल मूल्य #	676,828.93	1,41,464.59
(क)	भारत में	634,588.60	1,18,069.79
(ख)	भारत के बाहर	42,240.32	23,394.80
(ii)	मूल्यह्रास के प्रावधान	-	-
(क)	भारत में	17,201.01	16,831.53
(ख)	भारत के बाहर	-	-
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य	659,627.91	1,24,633.06
(क)	भारत में	617,387.59	1,01,238.26
(ख)	भारत के बाहर	42,240.32	23,394.80
2	निवेशों के मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों में उतार–चढ़ाव		
(i)	प्रारम्भिक शेष	16,831.15	9,638.96
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	369.86	7,252.00
	घटाएँ: वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान अपलेखन/प्रतिलेखन	-	59.43
	अंतिम शेष	17,201.01	16,831.53

24.3 व्युत्पन्नियां

25.3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (विनिमय)

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
1	कल्पित मूलधन का स्वैप करार	8,000.00	8,000.00
2	ऐसी हानियां, जो यदि होती हैं तो काउंटर पार्टी करारों के अंतर्गत अपने दायित्व पूरे करने में विफल रहती हैं	-	-
3	स्वैप (विनिमय) संपन्न करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	-	-
4	स्वैप (विनिमय) से उत्पन्न ऋण जोखिम का सकेंद्रीकरण	-	-
5	स्वैप (विनिमय) बही का उचित मूल्य	(1,830.89)	(1,688.71)

24.3.2 व्युत्पन्नियों में जोखिम का प्रकटीकरण:

मात्रात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी के लिए उस सीमा के विशेष संदर्भ में व्युत्पन्नियों से संबंधित उनकी जोखिम प्रबंधन नीतियों का उल्लेख करना आवश्यक होता है, जिनके लिए व्युत्पन्नियों का उपयोग किया गया है तथा जिसमें संबद्ध जोखिम एवं कारोबार के उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 10 नवंबर, 2014 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में निम्न प्रकार से इनका प्रकटीकरण किया जा रहा है:

क) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों की मुद्रा एवं ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए व्युत्पन्नी लेन देन करता है। कंपनी ने बचाव व्यवस्था (हेजिंग) वाली नीति बनाई है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित संसाधन एवं कोषागार नीति का हिस्सा है। कंपनी के व्युत्पन्नी लेन देन इस नीति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिनका उपयोग अंतर्निहित देयताओं के अनुसार बचाव व्यवस्था के लिए किया जाएगा।

ख) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों पर उत्पन्न मुद्रा संबंधी जोखिमों (बाजार जोखिम) और ब्याज दर की बचाव व्यवस्था करने/कम करने के उद्देश्य से व्युत्पन्नी लेन देन करता है।

ग) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों के विनिमय एवं ब्याज दर की बचाव व्यवस्था के उद्देश्य के लिए व्युत्पन्नी लेन–देन करता है किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। व्युत्पन्नी लेन–देन शब्द निरंतर प्रभावोत्पादकता के लिए तदनुरूपी अंतर्निहित (देयताओं) के साथमेल खाता है। समान शब्द की संकल्पना के माध्यम से आरंभ के समय उक्त प्रभावोत्पादकता का पता लगाया जाता है।

घ) आईआईएफसीएल वरिष्ठ प्रबंधन तथा निदेशक मंडल को क्रमशः मासिक व तिमाही आधार पर व्युत्पन्नी लेनदेन एवं उनके एमटीएम की स्थिति की रिपोर्ट देता है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल के आर एंड टी सलाहकारों के द्वारा तिमाही आधार पर एमटीएम की स्वतंत्र निगरानी की जा रही है।

ड.) आईआईएफसीएल की बही में विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नियां शून्य है।

च) आईआईएफसीएल अपनी विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के बचाव के लिए परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर विनिमय करता है। मात्रात्मक प्रकटीकरण में दर्शाए गए आंकडे पृथक नहीं हो सकते हैं क्योंकि सौदा मूल्य और ब्याज नकदी प्रवाह के लिए समेकित आधार पर बही में दर्ज किया जाता है।

छ) बचाव वाले एवं बिना बचाव वाले लेनदेन के अभिलेखन, आय की पहचान, प्रीमियम व छूट, बकाया संविदाओं का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण, संपार्श्विक एवं ऋण जोखिम न्युनीकरण के लिए लेखांकन नीति 1(क)(4) में किया जाता है।

ज) आईआईएफसीए के प्रबंध निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रबंधन एवं निवेश कमेटी के द्वारा संसाधन एवं कोषागार नीति के अनुसार अपने कुल इक्सपोजर का 65–70 प्रतिशत के बीच अपनी बचाव की स्थिति को रखेगा। इसके अतिरिक्त वायदा प्रीमियम की बचत के साथ खुली स्थिति का विनिमय उतार चढ़ाव अंतर किसी भी समय पर कंपनी के निबल मूल्य के10 प्रतिशत का उल्लंघन नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि पोर्टफोलियो आधार पर, वित्तीय वर्ष में रुपये में 5 प्रतिशत या उससे अधिक की गिरावट आती है, आईआईएफसीएल. अपनी स्थिति का 75 प्रतिशत पर रखेगा।

जोखिम प्रबंधन अवसंरचना

क) आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित समेकित जोखिम प्रबंधन संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन पर काम करता है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल की संसाधन और कोष नीति को वार्षिक रूप से बोर्ड की प्रबंधन और निवेश समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह रूपरेखा नीति मार्गदर्शी मापदंड मुहैया कराती है जिसके आधार पर आईआईएफसीएल अपने उन मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने से संबंधित निर्णय लेता है जो विदेशी मुद्रा ऋण के कारण जोखिम पूर्ण होते हैं।

ख) इसके साथ ही आईआईएफसीएल ने मंडल स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति एवं बोर्ड स्तरीय आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एलको समिति) गठित की है जो कारोबारी प्रचालन के जोखिमों के प्रबंधन को मजबूती प्रदान करती है। एलको नकदी एवं ब्याज दर जोखिम की निगरानी करता है जिसमें आस्तियों की प्राप्तियां एवं कर्ज सेवा उत्तरदायित्व की दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक नकदी प्रोफाइल शामिल हैं। क्रास करेंसी (मुद्रा) विनिमय तथा मुद्रा विनिमय की बचाव देयताओ सहित व्युत्पन्नी लेनदेन भी शामिल हैं। ये व्युत्पन्नी लेन देन बचाव उद्देश्य से किए जाते हैं न कि व्यापारिक या प्रत्याशी उद्देश्य से किए जाते हैं।

अंतर्निहित जोखिमों के प्रकार

i. ऋण जोखिम– ऋण जोखिम के अंतर्गत एक उधारकर्ता के ऋण की मात्रा में कमी के कारण पैदा होने वाली हानियों के साथ साथ यह जोखिम भी होते हैं जिसमें एक उधारकर्ता ऋण या एक अग्रिम के संविदात्मक पुनर्भुगतान में चूककर्ता हो सकता है। आईआईएफसीएल में अवसंरचना ऋण में क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन रूपरेखा मौजूद है।

ii. बाजार जोखिम –बाजार जोखिम वे जोखिम हैं जो लिखतोंया लिखतों के पोर्टफोलियों के बाजार मूल्य में आई विपरीत परिस्थितियों के कारण हानि उठाते हैं। बाजार जोखिम में मुद्रा जोखिम तथा ब्याजदर जोखिम समाहित होता है। मुद्रा जोखिम तब पैदा होता है जब रुपये एवं विदेशी मुद्रा की विनिमय दरों में परिवर्तन/ उतार चढ़ाव आता है।ब्याज दर एक्सपोजर मुख्यतः लंबी अवधि के दौरान ब्याज दरों में बदलाव के कारण होता है। आईआईएफसीएल अपनी कारोबारी गतिविधि के भाग के रूप में बाजार जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों का सामना करती है।

iii. चलनिधि जोखिम –चलनिधि जोखिम वित्तपोषण की मांगको पूरा करने एवं लेनदेन के तर्क संगत मूल्य पर उधार निधियों के

क्रियान्वयन में संस्थान की विफलता के कारण होने वाली हानि का जोखिम है। ये बाजार चलनिधि जोखिम या वित्तपोषण चलनिधि जोखिम हो सकते हैं। आईआईएफसीएल चलनिधि जोखिम से निपटने के लिए पर्याप्त चलनिधि एवं विपणनीय प्रतिभूतियों को प्रबंधित करके और संयुक्त ऋण व्यवस्था की एक पर्याप्त राशि में माध्यम से निधि हेतु पहुंच बनाने के द्वारा जोखिम से निपटता है।

iv. प्रचालनात्मक जोखिम – प्रचालनात्मक जोखिम वह जोखिम है जो अपर्याप्त प्रणाली एवं नियंत्रण, सूचना प्रणाली की कमी, मानव गलतियों अथवा प्रबंधन की असफलता के परिणामस्वरूप उभरता है। आईआईएफसीएल की प्रचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति प्रचालनात्मक जोखिमों को प्रबंधित करने का प्रयास करती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युपन्नियां (काल्पनिक मूल राशि)	8,10,023.15	8,10,023.15	7,97,874.82	7,97,874.82
	बचाव के लिए	8,10,023.15	8,10,023.15	7,89,874.82	7,89,874.82
(ii)	बाजार से बाजार स्थितियां (1)	1,22,778.08	1,22,778.08	97,273.13	97,273.13
	क. आस्ति (+)	1,24,421.35	1,24,421.35	103,978.37	103,978.37
	ख. देयताएं (-)	(1,643.27)	(1,643.27)	(6,705.24)	(6,705.24)
(iii)	ऋण एक्सपोजर	-	-	-	-
(iv)	बिना बचाव वाले एक्सपोजर	5,24,965.72	5,24,965.72	5,48,426.66	5,48,426.66

24.4 प्रतिभूति से संबंधित प्रकटीकरण

आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनिर्निर्माण कंपनी हेतु बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	एससी/आरसी हेतु बेचे गए खातों का समस्त मूल्य (निवल प्रावधानों का)	-	-
(iii)	समस्त प्रतिफल	-	-
(iv)	पूर्व के वर्षों में स्थानांतरित खातों के परिप्रेक्ष्य में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल (लाभ)/हानि	-	-

24.5 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019को समाप्त वर्ष
(i)	बेचे गए खातों की संख्या	-	-
(ii)	कुल बकाया	-	-
(iii)	कुल प्राप्त प्रतिफल	-	-

24.6 आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च, 2020 पर कुछ निश्चित आस्ति एवं देयता मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	1 माह तक	1 माह से अधिक व 2 माह तक	दो माह से अधिक व 3 माह तक	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
देयताएं									
बैंकों से उधारियां	300,358.40	-	-	-	-	527,701.30	575,194.42	301,543.60	1,704,797.72
बाजार से उधारियां	-	-	-	-	-	5,388.11	709,660.74	1,139,336.50	1,854,385.35

आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय गतिविधियों के तहत प्राप्य	12,841.01	10,897.23	92,991.03	150,413.70	293,906.52	1,491,431.14	1,110,686.09	5,476,712.04	8,639,878.75
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	529,760.00	529,760.00
विदेशी मुद्रा आस्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं	7,235.78	3,586.86	-	24,477.53	33,296.13	146,028.51	171,298.49	1,107,095.05	1,493,018.35

31 मार्च, 2019 पर कुछ निश्चित आस्ति एवं देयता मदों की परिपक्वता का प्रतिमान: (राशि लाख रुपये में)

विवरण	1 माह तक	1 माह से अधिक व 2 माह तक	दो माह से अधिक व 3 माह तक	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
देयताएं									
बैंकों से उधारियां	87,234.94	-	-	-	-	292,594.60	351,390.20	644,676.52	13,75,896.26
बाजार से उधारियां	-	-	-	-	-	5,388.11	409,660.74	1,439,336.50	1,854,385.35
आस्तियां									
वित्तीय गतिविधियों के तहत प्राप्य	35,651.23	26,328.99	70,026.01	207,075.19	277,375.83	1,376,632.19	1,151,077.54	3,982,625.04	7,126,792.03
निवेश	3,101.90	-	11,355.31	18,858.95	301,876.45	72,102.84	76,699.47	604,183.13	1,088,178.05
विदेशी मुद्रा आस्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देयताएं	3,291.17	-	16,640.71	6,477.35	26,852.85	128,859.86	143,420.39	1,027,480.86	1,353,023.19

24.7 एक्सपोजर

24.7.1 भू संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर

यथा 31 मार्च, 2020 को कंपनी का भू संपदा क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक्सपोजर नहीं है (गत वर्ष में भी शून्य है)।

24.7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर: (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(i)	इक्विटी शेयरों, बंधपत्रों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी मूल निधि का कार्पोरेट ऋण में अन्य रूप से निवेश नहीं किया जाता है;	-	-
(ii)	शेयरों(आईपीओ / इएसपीओ सहित), संपरिवर्त्नीय बंध पत्रों, संपरिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बंधपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा निर्बंध आधार पर अग्रिम दिया जाता है;	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम,जहां शेयर या संपरिवर्तनीय बंधपत्रों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों में प्राथमिक प्रतिभूति के तौर पर लिया गया है;	-	-

(iv)	शेयरों या संपरिवर्तनीय बंध पत्रों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमी तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम अर्थात जहां शेयरों या संपरिवर्तनीय बंध पत्रों अथवा शेयरो/संपरिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर करती हैय	-	-
(v)	स्टॉक धारकों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी स्टॉक ब्रोकरों व गारंटियों के प्रति प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम राशिय	-	-
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तकों का अंशदान पूरा करने के लिए शेयरों/बंधपत्रों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा निर्बंध आधार पर कार्पोरेट को संस्वीकृत ऋणय	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमोंके प्रति कंपनियों का पूरक ऋणय	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधियों के प्रति सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत, दोनों)	1,674.87	1,674.87

24.8 अतिरिक्त प्रकटीकरणः प्रावधानों एवं आकस्मिकताएं

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	लाभ–हानि विवरण में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग– अलग विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(i)	एनपीए के प्रति प्रावधान	4,63,216.96	515,490.73
(ii)	आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(36,225.45)	25,032.40
(iii)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्रचित खातों एवं एसडीआर खातों सहित)	1,32,268.05	

24.9 अग्रिम निवेश एवं एन.पी.ए का संकेन्द्रणः

(i) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	2,067,593.47	19,74,945.99
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	46.19%	41.86%

(ii) एक्सपोजर का संक्रेन्द्रण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	2,067,593.47	19,74,945.99
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल इक्सपोजर के प्रति बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	46.19%	41.86%

(iii) एनपीए का संक्रेन्द्रण

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
शीर्ष चार खातों का कुल एक्सपोजर	2,68,190.88	3,05,122.74

(iv) क्षेत्रवार– एनपीए

क्र.सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति एन.पी.ए. का प्रतिशत	
		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
1	कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाकलाप	-	-
2	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-
3	कार्पोरेट उधारकर्ता	22.00 %	23.28%
4	सेवाएं	-	-

5	अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-
6	आटो(वाहन) ऋण	-	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

(v) एन पी ए में उतार–चढ़ावः (राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
(i)	नवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)		11.65%	12.33%
(ii)	एनपीए में उतार–चढ़ाव			
	(क)	प्रारंभिक शेष	10,96,161.02	792,184.18
	(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	178,830.93	3,93,042.21
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां/बट्टे खाते में डालना	290,445.71	89,065.37
	(घ)	अंतिम शेष	**984,546.24**	1,096,161.02
(iii)	निवल एनपीए में उतार–चढ़ाव			
	(क)	प्रारंभिक शेष	5,80,670.29	348,692.89
	(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	12,303.22	
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौतिया	71,644.23	19,806.78
	(घ)	अंतिम शेष	**521,329.29**	
(iv)	एनपीए के प्रावधानों में उतार–चढ़ाव (मानक आस्तियों पर किये गये प्रावधान को छोड़कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	5,15,490.73	443,491.29
	(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	166,527.70	141,258.03
	(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	218,801.48	69,258.59
	(घ)	अंतिम शेष	**463,216.96**	515,490.73

* भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार पुनर्वर्णित

24.10 ग्राहकों की शिकायतें

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2020को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019को समाप्त वर्ष
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्य	547	584
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	547	584
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0

24.11 अतिरिक्त प्रकटीकरण (विगोपन)

क्र.सं.	प्रकटीकरण	टिप्पणी
(i)	अन्य वित्तीय नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार पत्र	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से प्राप्त पहचान सं U67190DL2006GOI144520
(ii)	वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग एवं रेटिंगों में स्थानांतरण	कंपनी द्वारा जारी घरेलू बांडों के लिए विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट एएए स्टैबल है। वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एसएंडपी बीबीबी–है। चालू वर्ष 2019–20 के दौरान रेटिंग में कोई स्थानांतरण नहीं हुआ।
(iii)	किसी नियामक के द्वारा लगाया गया जुर्माना, यदि कोई हो	शून्य
(iv)	सूचना अर्थात क्षेत्र, देश और साझेदार संयुक्त उद्यम	
	(क) संयुक्त उद्यम	कोई नहीं
	(ख) विदेशी सहायक कंपनियां	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड, कंपनी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कपनी है जो लंदन (यूके) से कारोबार करती है और भारत में अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त पोषण करती है।

24.12 पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	पुनर्रचना का प्रकार		सीडीआर व्यवस्था के तहत	एसएमई कर्ज पुनर्रचना व्यवस्था के तहत	अन्य (लाख में)					कुल (राशि लाख रुपये में)				
	आस्ति वर्गीकरण		कुल	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण													
1	01.04.2019 को पुनर्रचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	8.00	5.00	15.00	-	28.00	8.00	5.00	15.00	-	28.00
		बकाया राशि	-	-	135,503.19	43,070.33	115,781.66	-	294,355.18	135,503.19	43,070.33	115,781.66	-	294,355.18
		उस पर प्रावधान	-	-	6,775.16	4,302.63	65,165.48	-	76,243.27	6,775.16	4,302.63	65,165.48	-	76,243.27
2	वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान नई पुनर्रचना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	1.00	2.00	5.00	-	8.00	1.00	2.00	5.00	-	8.00
		बकाया राशि	-	-	577.00	53,391.57	42,749.04	-	96,717.62	577.00	53,391.57	42,749.04	-	96,717.62
		उस पर प्रावधान	-	-	28.85	5,339.16	12,714.54	-	18,082.55	28.85	5,339.16	12,714.54	-	18,082.55
3	वित्त वर्ष 2019–20 उधारकर्ताओं के दौरान पुनर्रचना के मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
4	ऐसी पुनर्रचित मानक अग्रिम जिनका वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधानीकरण एवं/अथवा अतिरिक्त राशि जोखिम भारित होना समाप्त हो गया हो इसलिए उन्हें अगले में वित्तीय वर्ष 2019–20 के आरम्भ में पुनर्रचित मानक अग्रिमों के तौर पर दर्शाये जाने की आवश्यकता न हो।	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	5.00				5.00	5.00				5.00
		बकाया राशि	-	-	75,232.98				75,232.98	75,232.98				75,232.98
		उस पर प्रावधान	-	-	3,761.65				3,761.65	3,761.65				3,761.65

क्र. सं.	पुनर्रचना का प्रकार		सीडीआर व्यवस्था के तहत	एसएमई कर्ज पुनर्रचना व्यवस्था के तहत	अन्य (लाख में)					कुल (राशि लाख रुपये में)				
5	वित्तीय वर्ष 2019–20 में पुनर्रचित खातों की श्रेणी में गिरावट	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	2.00	5.00	-	-	7.00	2.00	5.00	-	-	7.00
		बकाया राशि	-	-	51,000.16	43,070.33	-	-	94,070.49	51,000.16	43,070.33	-	-	94,070.49
		उस पर प्रावधान	-	-	2,550.01	4,302.63	-	-	6,852.64	2,550.01	4,302.63	-	-	6,852.64
6	वित्तीय वर्ष 2019–20 में पुनर्रचित खातों का अपलेखन/पूर्वभुगतान	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-	-	1.00	-	1.00
		बकाया राशि	-	-	-	-	23,444.36	-	23,444.36	-	-	23,444.36	-	23,444.36
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	14,666.17	-	14,666.17	-	-	14,666.17	-	14,666.17
7	31.12.2019 को पुनर्रचित खाते (लेखाबंदी आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	2.00	2.00	19.00	-	23.00	2.00	2.00	19.00	-	23.00
		बकाया राशि	-	-	9,847.05	53,391.57	135,086.34	-	198,324.96	9,847.05	53,391.57	135,086.34	-	198,324.96
		उस पर प्रावधान	-	-	492.35	5,339.16	63,213.85	-	69,045.36	492.35	5,339.16	63,213.85	-	69,045.36

24.13 विदेश में स्थित परिसंपत्तियां (उनके लिए जो विदेशों में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के पास है)

संयुक्त उद्यम/ सहायक कंपनी के नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य साझेदार	देश	कुल परिसंपत्तियां (राशि अमरीकी डॉलर मे)
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	कोई नहीं	यूनाइटेड किंगडम	शून्य। आईआईएफसीएल के पास आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की कोई विदेशी परिसंपत्ति नहीं है।

25. पूंजी प्रबंधनः

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति हेतु भारतीय मानक लेखांकन 1 के पैरा 134–136 की आवश्यकता के अनुसार पूंजी प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में प्रकटीकरण का संदर्भ में यह उल्लिखित है कि आईआईएफसीएल एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी–अवसंरचना कंपनी है, अतः आईआईएफसीएल को भा.रि.बैंक के विनियमों के अनुसार स्वाधिकृत निधियों के रूप में संदर्भित पूंजी अनुरक्षित करना आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर निर्देश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी –प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी तथा जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार स्वाधिकृत निधि का तात्पर्य चुकता इक्विटी पूंजी, अधिमानी शेयर से है जोकि इक्विटी, मुक्त आरक्षित निधि, शेयर प्रिमियम खाते एवं पूंजीगत आरक्षित निधि में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय होती है जिसे संचित हानि शेष, अमूर्त आस्तियों के बही मूल्य एवं आस्थगित राजस्व व्यय यदि कोई हो, द्वारा आई गिरावट में आस्ति के पुनर्मूल्यांकन से सृजित आरक्षित निधि को छोड़कर आस्ति की बिक्री का आय के अधिशेष में दर्शाया जाता है।

भारत सरकार समय–समय पर आईआईएफसीएल में पूंजी डालती रहती है। यह आईआईएफसीएल को भा.रि. बैंक के द्वारा निर्धारित पूंजीगत अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल लाभांश के वितरण को पूंजी अर्थात भारत सरकार की निर्देशों के अधीन निवल स्वाधिकृत निधियों खाते में प्रभाव के रूप में देखता है। कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के संबंध में उद्देश्यों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

26. वित्त मंत्रालय के निवेश एवं जन आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 5/1/2016–नीति – दिनांकित 27 मई, 2016 में ''केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी पुनर्रचना पर दिशानिर्देश'' जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश लाभांश के भुगतान, बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों की खरीद वापसी तथा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों के विखंडन के बारे में प्रावधान उपलब्ध कराते हैं। बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों की खरीद वापसी के ये दिशानिर्देश आईआईएफसीएल पर लागू नहीं होते हैं। लाभांश के भुगतान के दिशानिर्देश के अनुसार आईआईएफसीएल को अपने करोपरांत लाभ का न्यूनतम वार्षिक लाभांश का 30 प्रतिशत या अपनी निवल संपदा का 5 प्रतिशत इसमें विद्यमान कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि, आईआईएफसीएल ने 14 जनवरी, 2016 को भारत सरकार से लाभांश के भुगतान के लिए 3 साल की छूट का अनुरोध किया जो कि वित्त वर्ष 2015–16 में 36,323.41 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2016–17 में 37,119.74 रुपये और 2017–18 में 31,995.93 लाख रुपये तथा वित्त वर्ष 2018–19 में 23,442.79 लाख रुपये था। इसके अलावा आईआईएफसीएल ने दिनांक 19, सितंबर, 2019 के पत्र के माध्यम से सरकार से कम से वित्त वर्ष 2021–22 तक लाभांश के भुगतान में छूट देने का अनुरोध किया था। आईआईएफसीएल के पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है।

27. पीएफसी (अग्रणी बैंक) के साथ सहायता संघ के अंतर्गत आईआईएफसीएल एवं आरईसी ने तूतिकोरिन, तमिलनाडु में 1x660 मेगावाट कोल आधारित थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने के लिए इंड–बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड को आंशिक वित्तपोषण किया है। आईआईएफसीएल ने 250 करोड़ रुपये स्वीकृत किये एवं एक्सिस बैंक में चल रहे टीआरए खाते में 89 करोड़ रुपये संवितरित किये। उधारकर्ता ने टीआरए की निधि का दूसरे काम में उपयोग किया। सहायता संघ ने ऋण की राशि संवितरित करने का निर्णय पलट दिया एवं दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज की जिसकी जांच अभी चल रही है। दिनांक 22 मार्च, 2019 को आयोजित आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल को इस खाते में चल घटनाक्रम से अवगत कराया गया एवं 28 मार्च, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक को इस धोखाधड़ी की घटना की सूचना दी गई।

28. नीति संख्या 1(क)(5.2)(क)(क) के अनुसरण में ऋण आस्तियों पर कुल आय का 0.5 प्रतिशत से अनधिक सीधे लगाये जाने वाले प्रारंभिक शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क अथवा कोई अन्य शुल्क लाभ हानि विवरण में प्रारंभिक तौर पर प्रोद्भूत आधार पर माने जाते हैं।

29. भारत सरकार ने दिनांक 9 फरवरी, 2012 के अपने पत्र द्वारा आईआईएफसीएल को सूचित किया था कि यह निर्णय लिया गया हैकि दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कारीडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन की 41 प्रतिशत इक्विटी आईआईएफसीएल द्वारा अधिग्रहित की जाएगी। ऐसा कुछ भी होते हुए आईआईएफसीएल को सिफ्टी यानि अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना जिसके तहत आईआईएफसीएल अपने क्रियाकलाप संचालित करता है, के अनुसार इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने का आदेश नहीं दिया गया।

30. आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एवं आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड एनबीएफसी के तौर पर पंजीकृत नहीं हैं एवं लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण अनुसूची III के भाग II के अनुसार समेकन हेतु तैयार किये गये हैं जबकि आईआईएफसीएल एनबीएफसी के तौर पर पंजीकृत है इसलिए अनुसूची III के भाग III के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं।

31. कोविड–19 वैश्विक महामारी ने आर्थिक दृष्टि से व्यापक व्यवधान पैदा किये हैं जिससे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इकाईयों का कम क्षमता में कामकाज एवं अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति तक पहुंचा दिया है। उद्योगों एवं ऋणदाताओं की इस विकट स्थिति का निवारण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के बारे में लाये गये कर्ज शोधन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से कुछ नियामक उपायों की घोषणा की।

अर्थक्षम कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित विवरण/तौर तरीकों के साथ सावधि ऋण के भुगतान का पुनर्निर्धारण किया गया:

- (i) मूलधन एवं/अथवा ब्याज घटकों ;पपद्ध 1 मार्च, 2020 एवं 31 मई, 2020 के बीच पड़ने वाले एकबारगी चुकौती के भुगतान पर तीन माह के ऋणस्थगन की अनुमति दी जाती है।
- ऐसे ऋणों के चुकौती की समयावधि के अलावा अवशिष्ट अवधि को ऋणस्थगन अवधि के उपरांत आगे तीन माह आगे बढ़ाया गया। ऋण स्थगन अवधि के दौरान सावधि ऋणों के बकाया हिस्से पर ब्याज लगना जारी रहेगा।
- यह सुविधा उन खातों के लिए है जो 01.03.2020 को मानक हैं। और आगे राहत का अनुरोध प्राप्त होने पर आगे ऋणस्थगन की समीक्षा की जाएगी। सावधि ऋणों के लिए जहां ऋण चुकाना प्रारंभ नहीं हुआ है ऐसे ऋणों के तीन माह के ब्याज के हिस्से की गणना की जाएगी।
- इस अवधि में दंडस्वरूप ब्याज व शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- ऋणस्थगन के दौरान ब्याज की राशि तीन माह की अवधि के लिए अर्जित की जाएगी एवं इस तरह अर्जित ब्याज के भुगतान का निर्णय अग्रणी बैंक के निर्णय पर मामला दर मामला आधार पर लिया जाएगा। चूंकि आईआईएफसीएल सहायता संघ व्यवस्था (पुनर्वित्त खातों को छोड़कर) के अंतर्गत ही ऋण प्रदान करता है व अग्रणी बैंक का अनुसरण करता है अतः उपरोक्त राहत अग्रणी ऋणदाता के अनुमोदन के अनुरूप होगी। ऐसे खातों के संबंध में जहां आईआईएफसीएल अग्रणी ऋणदाता है उनमें भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुपालन में सहायता संघ के अन्य ऋणदाताओं के साथ परामर्श करके लागू राहत प्रदान की जाएगी।
- एकमात्र ऋणदाता होने की स्थिति में आईआईएफसीएल अपनी पुनर्वित्त योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे खातों में अवशिष्ट अवधि के लिए चुकौती समयावधि ऋणस्थगन के उपरांत तीन माह आगे बढ़ा दी जाएगी जहां ब्याज दर यथावत रहेगी एवं संचित ब्याज का ऋणस्थगन के बाद आगे की देय तिथि को भुगतान करना होगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार चूंकि ऋणस्थगन/आस्थगन उधारकर्ताओं को कोविड–19 के कारण आई आर्थिक गिरावट पर काबू पाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से प्रदान किया जा रहा है अतः इसे भारतीय रिजर्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों के समधान के लिए विवेकसम्मत रुपरेखा) निदेश, 2019 दिनांक 7, जून, 2019 (''विवेकसम्मत रूपरेखा'') के परिशिष्ट के अनुच्छेद 2 के तहत उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई के कारण ऋण करार की नियम व शर्तों में रियायत अथवा परिवर्तन के तौर पर नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार ऐसे उपाय के कारण आस्ति वर्गीकरण में गिरावट नहीं आएगी। सावधि ऋणों का आस्ति वर्गीकरण जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के उपरोक्त परिपत्र के अनुच्छेद 2 के अनुसार राहत प्रदान की गई है, संशोधित देय तिथि एवं संशोधित चुकौती समयावधि के आधार पर किया जाएगा।

32. कर व्ययों और भारत की कर दरों द्वारा बहुगणित लेखांकन लाभ का मिलान (भारतीय लेखांकन मानक 12):

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कर पूर्व लाभ	(26,771.50)	(17,837.67)
सांविधिक आय कर दर	25.168%	34.944%
संभावित आयकर व्यय	(6,737.85)	(6,233.20)
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम की धारा 36(1) कटौती का लाभ	-	(6,375.70)
निवल प्रावधान अस्वीकृत	6,390.36	25,903.13
अन्य गैर– कटौती योग्य कर व्यय	760.49	12,920.38
गत वर्ष का आयकर	(2,066.18)	(5,158.36)
अन्य	413.00	-
आस्थगित कर	(34,248.71)	3,976.15
कर व्यय	**(36,225.45)**	25,032.40

33. परिशोधित लागत/उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य मापांकन अनुक्रमः

क. उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1 – समरूप आस्तियों एवं देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 – स्तर 1 में समाहित उद्धृत मूल्य के अलावा इनपुट (निविष्टि) जो कि आस्ति एवं देयताओं के लिए पालनीय है फिर चाहे वे प्रत्यक्ष (जैसे कि कीमतें) अथवा अप्रत्यक्ष (जैसे कि मूल्यों से व्युत्पन्न) हों।

स्तर 3 – आस्ति एवं देयताओं के लिए जोकि पालनीय बाजारी डाटा पर आधारित है (अपालनीय इनपुट)

(राशि रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2020		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति :			
परिशोधित लागत	-	-	64,37,204.44
एफवीटीपीएल	-	76,388.71	1,33,863.19
वित्तीय देयताएं:			
परिशोधित लागत	18,54,385.35	-	32,79,333.75

विवरण	31.03.2019		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति :			
परिशोधित लागत	-	-	5,553,744.85
एफवीटीपीएल	-	79,843.20	108,845.20
वित्तीय देयताएं:			
परिशोधित लागत	18,54,385.35	-	28,12,669.89

ख. वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य, जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा गया है: (राशि रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2019		31.03.2019	
	धारणीय मूल्य	उचित मूल्य	धारणीय मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्तियां	6,437,204.44	6,437,204.44	5,553,744.85	5,553,744.85
वित्तीय देयताएं	5,133,719.10	5,133,719.10	4,667,055.24	4,667,055.24

34. खंडवार एक्पोजर और क्षति हानि का ब्यौरा (राशि रुपये लाख में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
31 मार्च 2020 को				
कुल एक्सपोजर	3,045,733.91	409,806.94	1,017,927.12	4,473,467.98
क्षति भत्ता	32,118.78	96,811.19	466,555.04	595,485.01
ईसीएल%	1.05%	23.62%	45.83%	13.31%
31 अप्रैल 2019 को				
कुल एक्सपोजर	3,177,379.25	375,814.12	1,120,339.33	4,673,532.71
क्षति भत्ता	35,792.71	92,594.04	511,014.23	639,400.98
ईसीएल%	1.13%	24.64%	45.61%	13.68%

35. आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार प्रावधानों के मिलान एवं खंड वार संभावित ऋण हानि का प्रकटीकरणः

(राशि रुपये लाख में)

भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सकल धारणीय राशि	भारतीय लेखांकन मानक 109 में अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल धारणीय राशि	आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भारतीय लेखांकन मानक 109 के प्रावधानों एवं आईआरएसीपी मानदंडों के बीच अंतर
-1	-2	-3.00	-4.00	(5)=(3)-(4)	-6.00	(7) = (4)-(6)
अर्जक आस्तियां						
मानक	चरण 1	3,045,733.91	32,118.78	3,013,615.13	12,724.01	19,394.77
	चरण 2	274,875.78	82,272.94	192,602.84	1,099.50	81,173.44
	एफआईटीएल	138,073.71	17,680.80	120,392.91	9,321.74	8,359.06
उप योग		3,458,683.40	132,072.51	3,326,610.89	23,145.25	108,927.27
अनर्जक आस्तियां (एनपीए)						
अवमानक	**चरण 3**	138,762.96	49,514.16	89,248.80	16,361.59	33,152.57
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3	365,648.25	186,359.31	179,288.94	125,179.28	61,180.03
1 से 3 वर्ष तक	चरण 3	227,215.93	136,205.33	91,010.59	126,619.42	9,585.92
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	26,902.72	18,988.01	7,914.71	18,486.96	501.05
संदिग्ध का उप योग		523,544.34	284,960.25	238,584.09	213,474.61	71,485.64
हानि	**चरण 3**	355,619.83	132,080.63	223,539.19	146,628.10	-14,547.47
एनपीएका उप योग						
अन्य मदें जैसे गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं इत्यादि जो भारतीय लेखांकन मानक 109 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं लेकिन वर्तमान आय में पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) में शामिल नहीं किया गया है।	चरण1	-	-	-	-	-
	चरण2	-	-	-	-	-
	चरण 3	-	-	-	-	-
उप योग		-	-	-	-	-
	चरण1	2,422,370.53	30,060.77	2,392,309.76	9,689.48	20,371.29
	एफआईटीएल	138,073.71	17,680.80	120,392.91	9,321.74	8,359.06
	चरण2	630,495.61	214,353.57	416,142.03	147,727.60	66,625.97
योग	**चरण3**	662,307.29	334,474.41	327,832.88	229,836.20	104,638.21
	योग	4,476,610.53	598,627.56	3,877,982.97	399,609.55	199,018.01

36. जहां पर आवश्यक समझा गया है वहां पर पूर्व वर्ष के अंकों को पुनर्समूहित किया जा गया है।

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ पी तुलस्यान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार

राकेश अग्रवाल
(पार्टनर)
(सदस्यता सं. 081808)

कृते एवं इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

आनंद मधुकर
(निदेशक)
(डीआईएन सं. 8563286)

पी. आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन सं. 6711526)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.07.2020

मंजरी मिश्रा
(स.म.प्र एवं कंपनी सचिव)

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ)

फॉर्म एओसी-I

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं का विवरण "क": सहायक कंपनिया

(राशि लाख रुपये में/मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	विवरण	I	II	III	
1	सहायक कंपनी का नाम	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लि.	आईआईएफसीएल ऐसेट मैनेजमैंट कंपनी लि.	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड	
				भारतीय रुपयया	अमरीकी डॉलर
2	वह तिथि जबसे सहायक कंपनी को अधिग्रहित किया गया	14 फरवरी 2012	28 मार्च 2012	07 फरवरी 2008	
3	सम्बद्ध सहायक कंपनी की प्रतिवेदन अवधि, यदि नियंत्रक कंपनी की प्रतिवेदन अवधि से भिन्न हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	विदेशी सहायक कंपनियों के मामलों में सम्बद्ध वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि का प्रतिवेदन मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	अमेरिकी डॉलर (31 मार्च 2020 को विनिमय दर, 1 अमेरिकी डॉलर = 75.3859)	
5	शेयर पूंजी	475.00	1,250.00	42,240.32	75.00
6	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	1,147.32	2,324.01	(74,857.49)	(43.26)
7	कुल आस्तिय	1,851.39	2,496.71	15,36,754.37	1,841.30
8	कुल देयताए	2.29	172.70	15,69,371.53	1,884.56
9	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	
10	टर्नओवर	835.40	568.33	53,608.21	77,74
11	कराधान पूर्व लाभ	209.85	109.26	2,057.86	6.52
12	कराधान के लिए प्रावधान	(53.67)	(27.33)	2,066.18	2.74
13	कराधान के उपरांत लाभ	156.18	81.93	4,124.04	9.26
14	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	
15	शेयरधारिता का %	100%	100%	100%	

टिप्पणी:

1. वे सहायक कंपनियाँ जिन्हें अभी भी काम शुरू करना है – शून्य
2. वे सहायक कंपनियाँ जिन्हें वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया या बेच दिया गया – शून्य
3. आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों में गैर–वित्तीय देयताओं में ऋण आस्तियों पर प्रावधान के प्रकटीकरण का समायोजन भारतीय रुपये में बदलने से पूर्व का है।

भाग 'ख': सहयोगी कंपनियाँ एवं संयुक्त उद्यम

लागू नही

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते ओ पी तुलस्यान एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार

राकेश अग्रवाल
(पार्टनर)
(सदस्यता सं. 081808)

कृते एवं इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमि. टेड के निदेशक मंडल की ओर से

आनंद मधुकर
(निदेशक)
(डीआईएन सं. 8563286)

पी. आर. जयशंकर
(प्रबंध निदेशक)
(डीआईएन सं. 6711526)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.07.2020

मंजरी मिश्रा
(स.म.प्र एवं कंपनी सचिव)

राजीव मुखीजा
(मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसरण में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि वह अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निहित लेखांकन के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षण के आधार पर अधिनियम कीधारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करे। यह उनकी दिनांक 22 जुलाई, 2020 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के तहत, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की एक अनूपूरक लेखा परीक्षा की है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) और आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एवं एवं आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी)की अनुपूरक लेखा परीक्षा की। इसके अतिरिक्त, विदेश में सम्बद्ध कानूनो के तहत निगमित इकाई होने के नाते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड के सांविधिकलेखापरीक्षक की नियुक्ति और अनुपूरक लेखा परीक्षण के लिए अधिनियम की धारा 139(5) और धारा 143(6)(क) इस कंपनी पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने न तो इन कंपनियों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया और न ही अनुपूरक लेखा परीक्षा की। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कार्य–पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह वैधानिक लेखा मुख्य रूप से परीक्षक और कंपनी के कर्मचारियों के अन्वेषण और कुछ लेखांकन रिकोर्डों के चुनिन्दा परीक्षण तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों, जो मेरे ध्यान आए और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबन्धित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है, पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क. तुलन पत्र

क. आस्तियां

क.1 ऋण (टिप्पणी 5) 44776.60 करोड़ रुपये

आईआईएफसीएल ने आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लि. (आईटीएनएल) एवं आईएलएंडएफएस इन्वायर्नमैंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. द्वारा प्रवर्वित विशेष प्रयोजन माध्यम को ऋण प्रदान किया है। चार ऋण खातों एवं उनके लिए किये प्रावधानीकरण का विवरण इस प्रकार है:

ऋणकर्ता का नाम	एनपीए की तिथि	बकाया मूलधन (राशि करोड़ रुपये में)	31.03.2020 को किया गया प्रावधानीकरण (राशि करोड़ रुपये में)
बरवा अड्डा एक्सप्रेसवेज लि.	30.04.2019	350.37	142.70
खेड सिन्नार एक्सप्रेसवेज लि.	31.12.2018	152.98	114.74
कीरतपुर नेड़ चौक एक्सप्रेसवेज लि.	31.12.2018	222.70	106.98
आईएलएंडएफएस इन्वायर्नमैंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि.	नवंबर, 2018	4.52	2.26
योग		730.57	366.68

सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध राष्ट्रीय कंपनी नियम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नये निदेशक मंडल द्वारा उपरोक्त सभी कंपनियों को लाल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है ताकि आईएलएंडएफएस समूह की कंपिनयों के कामकाज का प्रबंधन किया जा सके जिसका तात्पर्य है कि ऐसी इकाईयां अधिमानी प्रतिभूत वित्तीय लेनदारों के प्रति अपने भुगतान दायित्वों की पूर्ति नहीं कर सकती हैं।

तदनुसार लेखापरीक्षा से यह अभिमत निकलता है कि उपरोक्त कंपनियों में 730.57 करोड़ रुपये के संपूर्ण ऋण का प्रावधान किया गया है।

इसके फलस्वरूप ऋण को 363.89 करोड़ रुपये (730.57 करोड रुपये – 366.68 करोड़ रुपये) को बढ़ा चढ़ा कर दिखा गया है एवं उसी संदर्भ में प्रावधानीकरण पर छुपाया गया है। नतीजन 363.89 करोड़ के लाभ को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है।

क.2 वित्तीय देयताएं

अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 15) 814.73 करोड़ रुपये

उपरोक्त में एनबीसीसी द्वारा कंपनी को कार्यालय स्थल के आबंटन के लिए 38.30 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त के विलंबित भुगतान पर 2.22 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है।

इस प्रकार अन्य वित्तीय देयताओं को छुपाया गया है एवं वर्ष में 2.22 करोड़ का लाभ बढ़ा कर दिखाया गया है।

लाभप्रदता पर टिप्पणियां

ख. लाभ हानि विवरण

ख.1 व्यय

मूल्याह्रास, परिशोधन एवं ह्रासन (टिप्पणी 9, 10 एवं 11) 17.83 करोड़ रुपये

आईआईएफसीएल कार्यालय स्थल, आवासीय फ्लैटों (टाईप VI) एवं कार पार्किंग स्थल पर मूल्याह्रास सीधी रेखा पद्धत्ति के अनुसार लगा रहा है। हालांकि टाईप V आवासीय फ्लैटों के संबंध में मूल्याह्रास मूल्य पद्धत्ति के अनुसार लगाया गया है।

इस प्रकार व्यय–मूल्याह्रास, परिशोधन एवं ह्रासन को बढ़ा कर दिखाया गया है एवं वर्ष में 1.02 करोड़ का लाभ छुपाया गया है।

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
सीआईएन : यू67190डीएल2006जीओआई155420
पंजीकृत कार्यालय : 5वीं मंजिल, ब्लॉक–2, प्लेट ए एण्ड बी, एनबीसीसी टॉवर
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली.110023
फोनः +91–11–24662777, **फैक्सः** +91–11–20815125
ईमेल : info@iifcl.org, वेबसाइट : www.iifcl.org

उपस्थिति पत्र

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (साफ साफ अक्षरों में)	
फोलियो संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम (यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि उपस्थित होता है तो साफ साफ अक्षरों में भरना अनिवार्य है)	

मैं, एतदद्वारा बुधवार, दिनांक 28 अक्तूबर, 2020 को अपराह्न 03:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में आयोजित कंपनी की 15वीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

टिप्पणियां :

1. उपस्थिति पर्ची पर कंपनी में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षर करें। ऐसी विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची/पर्चियों को बैठक स्थल पर प्रमुख कंपनी सचिवालय एवं अनुपालन को सौंपें।
2. सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वे पहचान/सत्यापन के लिए फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
3. केवल व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित शेयरधारकों पर ही विचार किया जाएगा।
4. वार्षिक आम सभा में कोई उपहार वितरित नहीं किए जाएंगे।

प्रपत्र सख्या एमजीटी 11
प्रतिनिधि प्रपत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुपालन में

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

कंपनी का नाम : इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : पांचवा तल, ब्लॉक – 2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023

सदस्य का नाम:	
पंजीकृत पता:	
ईमेल आई.डी.:	
फोलियो संख्या / क्लाइंड आईडी:	
डीपी आईडी:	

मैं / हम उपरोक्त कंपनी के ..... शेयरों का / के सदस्य होने के नाते,

1. नाम : .....
   पता : .....
   ई–मेल आई.डी. : .....
   हस्ताक्षर : ....., अथवा के न आने पर

2. नाम : .....
   पता : .....
   ई–मेल आई.डी. : .....
   हस्ताक्षर : ....., अथवा के न आने पर

3. नाम : .....
   पता : .....
   ई–मेल आई.डी. : .....
   हस्ताक्षर : ....., अथवा के न आने पर

15वीं वार्षिक आम सभा, जिसका आयोजन बुधवार 28 अक्तूबर, 2020 को अपराह्न 3:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में किया जाएगा, में मेरी / हमारी ओर से उपस्थित होने, मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना / हमारा प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं / करते हैं और वह नीचे अंकित ऐसे प्रस्तावों के संबंध में किसी स्थगन पर मत दे सकते हैं:

संकल्प संख्या,

1. _____

2. _____

3. _____

1 रुपए का रसीदी स्टांप लगाएं

दिन ..... माह ..... वर्ष ..... को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि / प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्रतिनिधि पत्र को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत पूरा भर कर बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करें।

आई आई एफ सी एल
IIFCL

इंडिया इन्फ्रॉस्ट्रक्चर फाइनेंन्स कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

टेलीफोन: +91-11-24662777, फैक्स: +91-11-20815125, 20815117

वेबसाइट: www.iifcl.org

हमारी सहायक कंपनियां

IIFC(UK)

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड

(आईआईएफसीएल की पूर्णस्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

एफसीआरएन : 06496661

तृतीय तल, 72 किंग विलियम स्ट्रीट

लंदन ईसी4एन 7एचआर युनाईटेड किंगडम

फोन : +44-20-7776 8950; फैक्स : +44-20-77768958

ई–मेल : info@iifc.org.uk, वेबसाइट : www.iifc.org.uk

I P L

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(आईआईएफसीएल की पूर्णस्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

सीआईएन : U74999DL2012GOI231473

पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

फोन : +91-11- 24655731; फैक्स : +91-11-23738004

ई–मेल : contact@iifclprojects.com, वेबसाइट : www.iifclprojects.com

IAMCL

आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

(आईआईएफसीएल की पूर्णस्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)

सीआईएन : U65991DL2012GOI233601

पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, ब्लॉक 2, प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

फोन : +91-11-24665900-10; फैक्स : +91-11-23445119

ई–मेल : complianceofficer@iifclmf.com, वेबसाइट : www.iifclmf.com

Designed and Printed by Royal Press # 93101 32888